राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का सत्ताईसवां दिवस [संख्या: 12

सोमवार,

08 मार्च 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री बलवान पूनियां।

ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक के पद का सृजन

190. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि दो से तीन ग्राम पंचायतों पर कृषि पर्यवेक्षक का एक पद सृजित है? यदि हां, तो सिंचित क्षेत्र में बहुफसली कृषि प्रणाली व उच्च उत्पादकता को देखते हुए क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक का एक पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): जी नहीं। राज्य में 11,341 ग्राम पंचायतों पर कृषि विभाग के अधीन 6,907 कृषि पर्यवेक्षक के पद सृजित हैं, जिसके अनुसार वर्तमान में एक कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय के अधीन लगभग एक से छह ग्राम पंचायतें आती हैं। वर्तमान में राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित किया जाना विचाराधीन नहीं है। भविष्य में विभागीय आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में पदों का विस्तृत पुनर्गठन करने की स्थिति में इस पर विचार किया जा सकेगा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष जी, सरकार का कहना है कि विभागीय आवश्यकता के हिसाब से कृषि पर्यवेक्षक लगाने पर विचार किया जाएगा, जबकि मेरी सीधी सी मांग है कि किसानों के बीच कृषि विभाग की जरूरत और प्रतिष्ठा को देखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कब तक कृषि पर्यवेक्षक लगा देंगे? मंत्री जी बताएं।

श्री अध्यक्ष: विचाराधीन नहीं है। अगला प्रश्न। श्री गोविंद राम।

खाजूवाला में जारी खनन पट्टे

191. श्री गोविंद राम (खाजूवाला): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में जिप्सम परमिट के कितने पट्टे लम्बित हैं? उक्त के लम्बित रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बीकानेर में डीएमएफटी में वर्तमान में कितनी राशि है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में दिसम्बर 2018 से दिसम्बर 2020 तक फंड से किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिले में शहरी निकाय क्षेत्र की परिधि में खनन पट्टों हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने पट्टे स्वीकृत किए गए? क्या शहरी क्षेत्र की परिधि में खनन पट्टों की स्वीकृति से पूर्व शहरी निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में उक्त जिले में जारी खनन पट्टों की अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रति सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में जिप्सम परमिट के 51 आवेदन पत्र लम्बित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। उक्त आवेदन पत्र विधान सभा/लोक सभा एवं अन्य चुनावों की आचार संहिता तथा वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित नहीं होने के कारण लम्बित हैं।

(2) बीकानेर में फरवरी, 2021 तक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड में राशि रुपये 3753.72 लाख उपलब्ध है।

(3) बीकानेर जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड से दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2020 तक विभिन्न योजनाओं में राशि रुपये 206.77 लाख व्यय की गई। विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(4) बीकानेर जिले के शहरी निकाय क्षेत्र की परिधि में वर्ष 2018 से दिनांक 28.02.2021 तक खनन पट्टे हेतु 16 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 5 खनन पट्टे स्वीकृत किए गए। शहरी क्षेत्र की सीमा में खनन पट्टा स्वीकृति

(खान मंत्री)

से पूर्व सम्बन्धित शहरी निकास से पूर्वानुमति ली जाती है। बीकानेर जिले के शहरी निकाय क्षेत्र की परिधि में विगत दो वर्षों में 7 खनन पट्टों के सम्बन्ध में नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा अनापत्ति जारी की गई, जिनमें से 5 खनन पट्टे स्वीकृत किए गए। नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा जारी अनापत्ति पत्र सहित खनन पट्टा स्वीकृति आदेश की प्रतियां परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के जिप्सम परमिट लम्बे समय से लम्बित चल रहे हैं, उनको कब तक तय करवा देंगे और नये आवेदन कब तक लेंगे?

दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि डीएमएफटी बैठक बीकानेर जिले में कब बुलायी जाएगी तथा खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र के विकास के कार्यों पर भी क्या विचार किया जाएगा?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टर, बीकानेर की अध्यक्षता में पुराने पैण्डिंग जिप्सम परमिट हेतु बैठक एक माह में करवा दी जाएगी। जहां तक नये आवेदकों का प्रश्न है, उनकी विज्ञप्ति भी एक माह में जारी करा दी जाएगी। साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य जी ने जानकारी चाही है कि डीएमएफटी की जिला गवर्निंग काउन्सिल जल्दी ही आयोजित की जाएगी तो इसके लिए मैं बीकानेर के प्रभारी मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे जल्दी से जल्दी इस बैठक का आयोजन करें और माननीय विधायक जी के क्षेत्र के सभी प्रस्तावों पर उसमें विचार किया जाएगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री छगनसिंह।

भूति (आहोर) ग्राम सेवा सहकारी समिति के द्वारा ऋण माफी

192. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर की भूति ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा वर्ष 2018 एवं 2019 में की गई ऋण माफी की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री छगनसिंह)

(2) क्या सरकार उक्त समिति की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक की री-आडिट करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सहकारी समिति में नियमानुसार व्यवस्थापक की शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बन्धित भूति ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. द्वारा वर्ष 2018 व 2019 में की गई ऋण माफी की सूची परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 तथा राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 में री-आडिट का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) ग्राम सेवा सहकारी समिति में नियमानुसार व्यवस्थापक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जिस प्रकार से परिशिष्ट 1 और 2 पर जो सूची मिली है, उसमें 2018 में तो ऋण माफी की सूची है, पर 2019 में किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ तो 2019 में पूरे राजस्थान में ही ऋण माफ नहीं हुआ या सिर्फ आहोर में ही नहीं हुआ?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): पूरे राजस्थान में ऋण माफ हुआ है और आहोर का भी छूटा हुआ नहीं है। परिशिष्ट में सूची लगाकर दी है किसी का माफ नहीं हुआ तो लिस्ट बतायें कि किसका ऋण माफी से छूटा है।

श्री छगनसिंह (आहोर): यह परिशिष्ट 2 की सूची में सभी किसानों के ऋण माफी में जीरो-जीरो लिखा है तो क्या वास्तव में किसी के ऋण माफ नहीं हुए या यह भूति की ही स्थिति है? दूसरी बात यह है कि मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र में जो ऋण मिल रहा है 15 हजार रुपये नये ऋणी को, वह भी कुछ किसानों को ही मिल रहा है और दूसरी जगह जैसे पाली की चर्चा करते हैं तो वहां 25 हजार मिल रहा है, सांचौर में 35 हजार मिल रहे हैं। इनके अलग-अलग मापदण्ड हैं या सेम हैं? पहले तो यह बतायें कि हमारे क्षेत्र में ऋण माफ क्यों नहीं हुआ और यह ऋण माफ जो होना था वह खाली आहोर में ही नहीं हुआ या पूरे राजस्थान में नहीं हुआ?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): पूरे राजस्थान में ऋण माफ हुआ है और इसके कितने ही प्रश्न लग चुके हैं और उनके जवाब भी दे चुके हैं। अगर आहोर का इस प्रकार का प्रकरण आपके पास आया हुआ है और कोई छूट गये हैं तो उसके कोई कारण हैं और वह आपको बता दिए जाएंगे, इसमें कोई नहीं रहेगा। जो 15 हजार, 20 हजार है, वह तो एमसीएल के आधार पर ऋण दिया जाता है और जो बैंक की लिमिट थी, उसके पास संसाधन उपलब्ध थे उसके अनुसार ऋण दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत लिमिटेड था। सहकारी समिति भूति के बारे में था कि 2018 से लेकर 2021 तक किस-किस किसान का ऋण माफ हुआ। इसमें आपने परिशिष्ट 1 पर जो लगाया है 678 लोगों का, उनका तो आपने जो माफ किया वह फीगर उनके सामने दे रखे हैं। परिशिष्ट-2 पर जो 628 लोग, वही किसान हैं या और किसान हैं, उनका सब जगह टोटल में आया, वह जीरो-जीरो बताया गया है तो क्या वास्तव में इस एक ही समिति में 2019 के बाद किसी प्रकार का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है क्या?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): 2019 के बाद कर्जा माफ हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि जिनके जीरो-जीरो लिखा हुआ है, किन्हीं कारणों से उनका नहीं हुआ होगा और वे उसमें पात्रता नहीं रखते होंगे तो उनका नहीं हुआ होगा। कोई सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है, एक्स एमएलए भी हो सकता है, डिफाल्टर भी हो सकता है, ऐसे आदमियों का ऋण माफ नहीं हुआ होगा। आप सूची देंगे, उसको वापस दिखवाकर माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा नहीं है, इसमें भी आपका 590 से लेकर कुछ लोगों का माफ का भी है और कुछ लोगों का जीरो का भी है। मैं यह जानता चाहता हूं कि जिनका जीरो-जीरो है ये पूर्णत: कर्जे से मुक्त पहले से ही थे इस कारण से माफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्या?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): दोनों अलग-अलग बताये गए हैं, जिनका ऋण माफ हुआ वे अलग हैं और जिनके माफ नहीं हुए वे जीरो जीरो बताये गए हैं। नहीं का कारण पूछते हैं तो वह बता देते हैं कि किन कारणों से उनके जीरो-जीरो आये हैं, लेकिन जो आपको प्रत्युत्तर दिया गया है परिशिष्ट-1 में, वह रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इसको दुबारा देख लें। परिशिष्ट-1 और 2, दोनों में आप देखें। एक में तो आपने वेवर दे रखे हैं, दो में वेवर नहीं दे रखे हैं, सब में जीरो-जीरो दे रखा है तो सीधा प्रश्न है कि 2019 में उस भूति सहकारी समिति में जो आपने परिशिष्ट दिया, उसमें माफ हुए या नहीं हुए? यह सीधा प्रश्न है इसमें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): दोनों परिशिष्ट अलग-अलग बनाये गए हैं, जिनका माफ नहीं हुआ उनका अलग बनाया है और दोनों पृथक-पृथक बनाकर इनको उपलब्ध कराया गया है। लिस्ट तो गांववाइज एक ही है, लेकिन जिसका माफ हुआ वह लिस्ट अलग बनाई है और जिसका माफ नहीं हुआ वह अलग बनाई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो केवल और केवल माननीय सदस्य ने एक ही सहकारी समिति भूति का पूछा है और अगर ये राजस्थान की सबकी पूछते तो सरकार की बिलकुल कलई खुल जाती। मैं चाहता हूं कि इसकी कहीं डिटेल किसी रूप में लेकर या तो अगर इसकी डिमांड हो तो डिमांड के दिन या और किसी दिन इसको रखें। मैं सोचता हूं कि यह तो बहुत बड़ी बात है। कहने के लिए तो आप कहते हो कि हमने सब माफ कर दिया, सब माफ कर दिया, लेकिन एक समिति का रिकार्ड जब सामने आया और किसान के नाम से आया तो बिलकुल मामला उल्टा निकला। इसलिए संदेह होता है कि बाकी लोगों का हुआ है या केवल घोषणा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, 2018 में जो दिया उनका परिशिष्ट-1 में, 2019 में दिया उनका परिशिष्ट-2 में और 'ए' में लिख रखा है कि 2021 में जिनका, उनकी राशि लिख रखी है और जिनका 2021 में नहीं हुआ है, वह परिशिष्ट-ब में, जीरो-जीरो लिखा है। इसका मतलब उस सहकारी समिति में 2021 में, जिनका हुआ उनका परिशिष्ट-1 है और जिनका नहीं हुआ, उनका दो में है।

अगला प्रश्न। श्रीमती मीना कंवर।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों को देय परिलाभ

193. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति पर देय विभिन्न परिलाभों का भुगतान समय पर नहीं किया जा

(श्रीमती मीना कंवर)

रहा है? यदि हां, तो दिसम्बर, 2018 से अब तक कितने कार्मिक, किस-किस पद से सेवानिवृत्त हुए व कितने कार्मिकों को सेवानिवृत्त पर देय परिलाभों का भुगतान कब-कब किया गया व कितनों का कब से शेष है? जिलेवार कार्मिकों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कार्मिकों के शेष परिलाभों का भुगतान करवाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। दिसम्बर, 2018 से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके बकाया परिलाभों का आगारवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। निगम की रोकड़ तरलता की स्थिति अनुकूल होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया परिलाभों का भुगतान किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आज दिन तक जिन अधिकारी-कर्मचारियों के परिलाभ शेष हैं, वे कब तक भुगतान करेंगे?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान रोडवेज बड़े घाटे से गुजर रही है और 2012-13, 2013-14 में एक बार 500 करोड़ का और एक बार 175 करोड़ का लोन भी लिया गया था। अब लगभग 400 करोड़ रुपया, हमारे पास आ जाएगा तो हमारे जो लोग बाकी चल रहे हैं, रिटायर्ड हो गये हैं, उनको वास्तव में पैसा मिलना चाहिए। इस मामले में मुख्य मंत्री जी के स्तर पर भी बात हुई है। खुद मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी भी चिंतित हैं। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रोब्लम यह आ गई कि इस कोरोना संकट में हमने दो बार कोशिश की, जो हमारे पास रोडवेज की एक्स्ट्रा जमीन है, उस एक्स्ट्रा जमीन को भी बेचें, बातचीत हो गई लेकिन वह नहीं हो पाई। अब इसमें मुख्य मंत्री जी से बात हुई है, वे खुद यह चाहते हैं कि जो लोग रिटायर्ड हो गये हैं और कई ऐसे लोग हैं, जिनकी डैथ हो गई, लेकिन उनको पैसा नहीं मिला, उस पैसे पर उनका हक है, इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। हम इसके लिए चाहे बड़ा लोन लें और मुख्य मंत्री जी के स्तर पर भी सरकार की सहायता के लिए उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी और वे खुद चिंतित हैं, इसलिए मुझे पक्की उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर, उन लोगों को पैसा देना चाहते हैं

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

जिनकी डैथ हो गई और जो रिटायर हो चुके हैं। उन सबको एक साथ पैसा देने की तैयारी सरकार कर रही है, चाहे उसके लिए लोन लेना पड़े, चाहे सरकारी स्तर पर कुछ भी प्रयास करने पड़ें, लेकिन इसमें सरकार की नीयत साफ है, इन लोगों का हक है और उनके लिए कुछ भी व्यवस्था करें, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार चिंतित है और वह हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य आपने दिये हैं। अभी तो यह केवल 2018 से पूछ रहे हैं, अब तक जो रिटायर हुए हैं, वे हैं आपके 2432 लोग और उनका जो बकाया है वह 188 करोड़ 24 लाख रुपया तो केवल और केवल इस प्रश्न की परिधि में जो आते हैं 2018 से लेकर, पुराने तो छोड़ दीजिए। इसका मतलब क्या है कि यह इतना बड़ा जो पेमेंट आपको करना है, क्या यह पेमेंट इस सारी रोडवेज को देने के बाद प्राप्त होगा या कैसे होगा?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने चिंता व्यक्त की, लेकिन मुझे दु:ख है इस बात का कि इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, 2018 से पहले वालों को क्यों नहीं देंगे? 2018 के बाद वालों को भी देंगे और पहले वालों को भी देंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन को, इस तरह से लेकर जा रहे हैं कि 2018 में आपका राज आ गया, इसलिए आप तो आपके राज की चिंता करो और हम जो डुबोकर चले गये, आप उसकी चिंता मत करो। हम तो सबकी चिंता करेंगे। मैं आपका सम्मान करता हूं, आपने जो क्वेश्चन पोलिटिकलाइज किया, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। नहीं तो, हम तो आपका बहुत सम्मान करते हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यह आप मुझे बताइये, 2012-13 में 500 करोड़ का लोन तो आपकी सरकार ने लिया, फिर 2013-14 में आपने 175 करोड़ का लोन लिया, हमने भी लोन लिया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह कारपोरेशन है, नीयत साफ है, 100 परसेंट जो प्रोमिस चुनाव से पहले रोडवेज वालों से किये थे, वे भी पूरे करेंगे।

मैं आपको आज कह रहा हूं, जो बकाया है, इनका वह भी पूरा करेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कम से कम हर क्वेश्चन को आप इतना जल्दी कांग्रेस, बीजेपी में बांट देते हैं। कोई घटना हो जाए, कोई अपराध

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

हो जाए, उसको भी कांग्रेस बीजेपी में बांट देते हैं। ऐसे थोड़े न होता है, अध्यक्ष जी मैंने जवाब दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज-प्लीज, be relevant, don't be irrelevant. अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा गठित कमेटियां

194. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा जनवरी, 2020 से जनवरी, 2021 तक बोर्ड की स्वीकृति से कमेटियों का गठन किया गया है? यदि हां, तो प्रत्येक कमेटी के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बोर्ड द्वारा गठित कमेटियों में से बिना किसी स्वीकृति से कमेटियां भी गठित की गई हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नियम विरुद्ध गठित कमेटियों को निरस्त किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वक्फ मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा जनवरी, 2020 से जनवरी, 2021 के मध्य बोर्ड की स्वीकृति से निम्न कमेटियों का गठन किया गया:-

1. वक्फ सम्पत्तियों के किराये एवं विकास से सम्बन्धित प्रकरणों से निस्तारण हेतु बोर्ड सदस्यों की किराया व विकास समिति, आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
2. वक्फ जायदादों की कमेटियां गठन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा हेतु बोर्ड सदस्यों की समिति। आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।
3. विकास समिति मुस्लिम मुसाफिरखाना, एम.डी.रोड, जयपुर। आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।
4. वक्फ कमेटी मस्जिद देशवालियान, डीडवाना, जिला नागौर। आदेश की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(वक्फ मंत्री)

5. वक्फ कमेटी हाजिब शकरबार साहब नरहड़ जिला झुन्झुनूं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। बोर्ड द्वारा उक्त गठित कमेटियों में से किसी कमेटी का गठन बोर्ड की बिना स्वीकृति के नहीं किया गया है।

(3) उक्त कमेटियों का गठन राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसरण में किया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से पूछना चाहूंगी कि बोर्ड ने तो स्वीकृति दी, जो भी कमेटियां गठित हुईं लेकिन बोर्ड ने क्या नियमों की पालना की और नहीं की तो क्या आप जांच कमेटी बिठाकर इन बातों की जांच कराएंगे?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि बोर्ड अपने आप में सक्षम है कि वह अपने बोर्ड की मीटिंग करके, कमेटियां बनाता है। उसके बावजूद भी माननीय सदस्य को लगता है, संदेह है कि यह कमेटी गलत बनी है तो आप हमें लिखित में दे दें, हम जेएस लेवल पर इसकी जांच करवा लेंगे।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आज महिला दिवस है। मैं आपकी अनुमति से मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आपके पास घाट गेट में 9 बीघा जमीन उपलब्ध है। क्या आप महिलाओं के लिए वहां एक शिक्षण संस्थान बनाने का विचार रखते हैं या जमीन देंगे? क्या मुख्य मंत्री जी से अध्यक्ष महोदय, आप सिफारिश करके वहां एक गर्ल्स कालेज करवाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री धर्मेन्द्र कुमार। आपकी भावना रिकार्ड करवा दी, ठीक है।

बाल विवाह के रोकथाम हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना

195. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में भीलवाड़ा, राजसमन्द, चितौड़गढ़ व टोंक तथा बून्दी एवं अन्य जिलों में बाल-विवाह के मामले पाये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी संख्या में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

(2) क्या बाल विधवाओं के लिए सरकार कोई लाभकारी योजना संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): आज अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं सभी सदस्यों को, पूरे प्रदेश की जनता को महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूं।

(1) जिला भीलवाड़ा, राजसमन्द, चितौड़गढ़, टोंक एवं बून्दी में प्राप्त एवं रुकवाये गये बाल विवाह प्रकरणों की सूचना निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	**जिला**	**प्राप्त प्रकरण**	**रुकवाये गये बाल विवाह**	**प्राप्त प्रकरण**	**रुकवाये गये बाल विवाह**
		2018-19		**2019-20**	
1	भीलवाड़ा	54	53	60	60
2	राजसमन्द	11	11	22	22
3	चित्तौड़गढ़	12	12	19	19
4	टोंक	16	16	18	18
5	बूंदी	44	43	20	20
	योग	**137**	**135**	**139**	**139**

अन्य जिलों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा देश में बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए 2006) लागू किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष के कम उम्र के बालक का विवाह करना या रचाना एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। अतः इसको सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है।

(3) राज्य में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 व राजस्थान नियम, 2007 लागू है जिसके प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

है। राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार बाल विवाह रोकने के लिए किसी अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित करती है? नम्बर-2, बाल विधवाओं को प्रदेश में चिन्हित कर लिया गया है? उनके जीवन में सुधार के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिनियम 2006, जो भारत सरकार का प्रावधान है, उसके तहत कमेटी राजस्थान के अन्दर बनाई गई है। उसके अन्दर समस्त उप खण्ड अधिकारी; समस्त तहसीलदार; समस्त जिलों के उप निदेशक, महिला अधिकारिता; उप-निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं; सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता जिला स्तर; सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग जिला स्तर; संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता जिला स्तर; बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं परियोजना स्तर; सामाजिक सुरक्षा अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ब्लाक स्तर; यह कमेटी बनाई गई है और साथ में जो आपने विधवाओं की समस्या का आज बताया है कि विधवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है, हमारी जितनी भी योजनाएं महिलाओं के लिए चल रही हैं, चाहे हमारे विभाग द्वारा चल रही हैं, चाहे सरकार अन्य विभागों के द्वारा महिलाओं के प्रोत्साहन की योजनाएं संचालित कर रहा हो, उन तमाम योजनाओं में विधवाओं को अलग से स्थान दिया गया है। उनका कोटा अलग से फिक्स है, इसके अन्दर सरकार किसी तरह का कोई संशय नहीं मान रही है। विधवाओं के लिए हम हर स्तर पर कार्य करना चाह रहे हैं।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने 139 का बताया है जबकि भास्कर की एक रिपोर्ट है कि राजसमन्द, चित्तौड़गढ़ और टोंक में 350 की संख्या आयी है और श्रमिकों में बाल विधवा श्रमिक कर रहे हैं और एससी/एसटी के जो आंकड़े बताये हैं, ओबीसी के 55 परसेंट, एससी के 22 परसेंट, एसटी के 15 परसेंट और अन्य 7 परसेंट तो कितने उच्च स्तर पर हो रहे हैं? सरकार थोड़ा जागे और इस पर ध्यान दे। इसका जवाब दें।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय

(श्रीमती ममता भूपेश)

अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य मेरे ख्याल से कोई अख़बार की कटिंग को आधार मानकर यह बात बता रहे हैं। हमारे पास में सरकारी आंकड़ों के आधार पर जो रजिस्टर्ड हुए हैं जो एसडीएम ने, तहसीलदार ने और पूरी कमेटी ने हर जिलों के अन्दर रजिस्टर्ड किये हैं उनकी संख्या है। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी जगह पर कोई अनियमितता आयी है तो निश्चित ही आप हमको बताइये, उनके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे लेकिन मैं सदन में एक निवेदन अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से करना चाहती हूं कि जो ये बाल विवाह और भ्रूण हत्या जैसे अपराध, आज महिला दिवस है, मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगी कि आज हम लोग एक संकल्प लें कि बाल विवाह अगर होता है प्रदेश में तो वह किसी पार्टी, किसी समाज का नहीं है, हम लोगों को बाल विवाह रोकने के लिए सभी साथियों को मिलकर इस प्रदेश में अभियान चलाना होगा। अपने जो भी हम भाषण देते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उनमें इस चीज को जरूर बोलना चाहिए। साथ ही हम चाहते हैं कि भ्रूण हत्या मुक्त भी राजस्थान हो, बच्चियों को जन्म लेने का मौका मिले, भ्रूण हत्या न हो। साथ ही आज महिला दिवस पर मैं तमाम माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप और हम सब लोग मिलकर प्रदेश की बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देने का एक माहौल बनायें जिससे प्रदेश के सर्वांगीण विकास में हमारी महिलाओं को भी प्राथमिकता मिल सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हमीर सिंह भायल।

बाड़मेर में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिफाइनरी ट्रेड का प्रारम्भ

196. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व उक्त में कितने ट्रेड संचालित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में रिफाइनरी लगने के कारण आई.टी.आई. प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिये जाने का अवसर है? यदि हां तो क्या सरकार उक्त संस्थानों में रिफाइनरी से सम्बन्धित नये ट्रेड प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): (1) जी हां। बाड़मेर जिले में वर्तमान में 10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं 23 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित किये जा रहे हैं, जिनका ट्रेड सहित विवरण परिशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। बाड़मेर जिले में रिफाइनरी लगने के कारण आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिये जाने के अवसर में बढ़ोतरी होगी। रिफाइनरी से सम्बन्धित अधिकांश ट्रेड वही होते हैं जो कि बाड़मेर जिले की विभिन्न आईटीआई में स्वीकृत हैं। इनका विवरण परिशिष्ट 01 व 02 में संलग्न है। फिर भी रिफाइनरी से सम्बन्धित विशिष्ट ट्रेड खोलने हेतु रिफाइनरी प्रबन्धन को दिनांक 30.01.2020 व 14.02.2020 को पत्र लिखे गये, परिशिष्ट-03 व 04 पर संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि रिफाइनरी सैक्टर से सम्बन्धित रोजगार परक लघु अवधि पाठ्यक्रमों का दिनांक 18.12.2020 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल शुभारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर में स्ट्रक्चरल वैल्डर व्यवसाय एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बालोतरा में स्ट्रक्चरल फिटर व्यवसाय प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर में स्ट्रक्चरल वैल्डर व्यवसाय में 20 तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बालोतरा में स्ट्रक्चरल फिटर व्यवसाय में 20 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणरत हैं। इसके अतिरिक्त रिफाइनरी प्रबन्धन की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए व्यवसाय खोले जाने की कार्यवाही वित्तीय संसाधन की उपलब्धता अनुसार की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहूंगा कि सिणधरी आईटीआई वर्तमान में संचालित हो रही है, वहां कौन-कौन सा ट्रेड चल रहा है और कितनी राशि भवन पर खर्च हुई है?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिणधरी आईटीआई नवनिर्मित है और लोगों ने उसका हैण्डओवर ले लिया है। पिछले साल हमें उसको शुरू करनी थी। लॉकडाउन के बाद में जुलाई में सैशन शुरू नहीं हुआ, इस वजह से वह आईटीआई शुरू नहीं हो सकी लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चूंकि

(श्री अशोक)
आपका प्रश्न था तो मैंने विभाग के अधिकारियों के साथ सुबह चर्चा की और निश्चित रूप से आने वाले सैशन में जुलाई में आपकी आईटीआई शुरू कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

कपासन में श्रमिक कार्ड के लाभार्थी

197. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के श्रमिकों को श्रमिक कार्ड जारी किये जाने के क्या प्रावधान हैं तथा कार्डधारी को क्या-क्या सुविधाएं व लाभ देय हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में विगत तीन वर्षों में कितने श्रमिक कार्ड जारी किये गये तथा उक्त अवधि में कार्डधारियों को क्या-क्या सुविधाएं एवं लाभ दिये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में श्रमिक कार्ड जारी किये जाने हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं? तहसीलवार विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त लम्बित आवेदनों के निस्तारण के साथ ही श्रमिक कार्ड जारी किये जाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री टीकाराम जूली) (1) प्रदेश के निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन कराये जाने का प्रावधान परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में विगत तीन वर्षों में 14,667 पंजीयन किये गये तथा उक्त अवधि में हिताधिकारियों के पंजीयन तथा मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वितों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) उक्त क्षेत्र में लम्बित आवेदनों का ब्लॉकवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(4) आवेदनों का नियमानुसार एवं नियमित निस्तारण यथाशीघ्र फीफो पद्धति पर वरीयता के आधार पर ही किया जाता है, जो एक निरन्तर प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। क्या यह सही है कि वर्ष 2019 एक वर्ष में 9177 श्रमिकों का पंजीयन हुआ और दो वर्ष 2019 और 2020 में दो वर्षों में मात्र 6490 श्रमिकों का पंजीयन हुआ? कम क्यों हुआ, एक तो यह कारण बतायें?

दूसरा, क्या यह सही है कि 18 वर्ष की पढ़ी-लिखी बालिकाओं को शुभशक्ति योजना में वर्ष 2018 में 178 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया? वर्ष 2019 और 2020 में क्या इस योजना को बंद कर दिया गया है? एक भी बालिका को इसमें लाभान्वित नहीं किया गया है। इसी के अन्दर एक और बता दें कि श्रमिकों के विभिन्न योजनाओं में अब तक कितने प्रकरण लम्बित हैं जिनको लाभ देना जरूरी है?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में सभी योजनाओं में कपासन के अन्दर 5255 प्रकरण लम्बित हैं। आपने दूसरा पूछा कि शुभशक्ति योजना आपने बंद कर दी क्या? शुभशक्ति योजना बंद नहीं है लेकिन प्राथमिकता के आधार पर मार्च, 2017 तक के ही प्रकरण अभी उसके अन्दर हम निस्तारित कर रहे हैं। तीसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने कहा कि इतने पंजीयन कम क्यों हुए? मैं एक बार आपको थोड़ी सी जानकारी पहले की भी देना चाहूंगा कि आपके समय में भी, पिछले तीन वर्षों में 2016, 2017, 2018 की हम बात करें तो 45,375 आवेदन आये थे और जिनमें से सिर्फ 12,999 ही स्वीकृत हुए थे उस समय लेकिन इसके अन्दर जो एप्लाई करता है वह आटोमैटिक ही अगले वर्ष में फोरवर्ड हो जाता है इसलिए पुरानी पैंडेंसी का भी निस्तारण करते हुए हम आ रहे हैं और मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले समय में अगर हम निस्तारण की बात करें तो इसमें 29,613 आवेदन आये, चित्तौड़गढ़ की मैं बात कर रहा हूं और उनमें से 14,815 हमने निस्तारित किये, यानी आपके समय में लगभग 30 प्रतिशत निस्तारण हो रहे थे और हमारे समय में लगभग 50 प्रतिशत निस्तारण हम कर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आवेदनों की भी हम बात करें तो

(श्री टीकाराम जूली)

आपके समय लगभग हर वर्ष एक लाख आवेदन निस्तारण हो रहे थे और इस समय हम लगभग डेढ़ लाख आवेदन निस्तारण कर रहे हैं। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि बजट की समस्या की वजह से कुछ स्कीमें लम्बित हैं लेकिन प्राथमिकता के आधार पर हम इनका निस्तारण करना चाहेंगे।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं कि विभिन्न योजनाएं अभी तक लम्बित ही चलती रहेंगी, इसकी इतनी स्लो स्पीड होगी, श्रमिकों के जीवन का प्रश्न है और आपने प्रश्न के खण्ड-3 में यह बताया था कि श्रमिकों को टूलकिट जो होते हैं औजार वह मात्र दो श्रमिकों को दिये। आवास दो श्रमिकों को दिया। यह इस प्रकार से ऐसे श्रमिकों का जीवन स्तर ऊपर उठायेंगे तो कैसे चलेगा। इसमें थोड़ा सा...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि जो पंजीयन से लम्बित हैं, 9233 श्रमिकों का पंजीयन लम्बित चल रहा है, ये कब तक हो जायेगा?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं टूलकिट, अब पिछली बार आवेदन ही दो आये थे तो एक को दे दिया। आवेदन ही दो आये थे पिछले वर्ष में, उनमें से एक को दे दिया। उसके पिछले वर्ष में 9 आये थे उनमें से 5 को दे दिया। उसके पिछले वर्ष में 12 आये थे उनमें से 4 को दे दिया। एप्लाई करेगा तभी तो हम देंगे और बात निस्तारण की है चूंकि ऑनलाइन है, आज भी कहीं न कहीं कोई भी किसी स्कीम के लिए एप्लाई कर रहा होगा। 24 घंटे एप्लाई होता रहता है इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी जीरो तो हो ही नहीं सकता। आज हम जिन योजनाओं का भुगतान करते हैं, आज ही नयी एप्लाई भी हो जाती है इसलिए माननीय सदस्य, यह तो एक निरन्तर प्रक्रिया है। दूसरा जो आपने कहा है पंजीयन की वहां पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि पंजीयन बहुत ही कम पैंडिंग हैं अभी वहां हमारे स्तर पर 1553 पैंडिंग हैं जिनमें हमारे स्तर पर जिनकी जांच होनी है। मैं कहना चाहूंगा कि इस माह के अन्दर उनको हम पूरा करा देंगे। मार्च में कोई पैंडेंसी वहां की नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल शर्मा।

होम गार्ड कर्मचारियों को स्थायी करने की योजना

198. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार होम गार्ड के स्थायीकरण के लिए सेवा नियम 1962/63 में संशोधन करते हुए 30,000 स्वयंसेवकों को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा (श्री भजनलाल जाटव): जी नहीं। गृह रक्षा नियम 1962 व अधिनियम 1963 में संशोधन एवं स्वयंसेवकों को स्थाई किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जी नहीं। होम गार्ड अधिनियम 1963 की धारा 2 के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठन के रूप में होम गार्ड्स का गठन किया गया है। राजस्थान गृह रक्षा नियम 1962 के अन्तर्गत गृह रक्षा स्वयंसेवक (होम गार्ड) को 5 वर्ष के लिये नामांकन किया जाकर सदस्यता प्रदान की जाती है। इन नियमों में होम गार्ड स्वयंसेवकों को स्थायी नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में प्रदेश में होम गार्ड के कितने पद रिक्त हैं और आप होम गार्ड के स्वयंसेवकों को एक माह रोककर पुन: एक माह के लिये सेवा में लगाते हो। क्या सरकार इन्हें नियमित रूप से वर्षभर कार्य देने का विचार रखती है या नहीं?

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास कुल होम गार्ड स्वयंसेवक 28,050 हैं और रिक्त पद हैं 3,842 और बोर्डर होम गार्ड हैं 2,664 और रिक्त पद 290 हैं। वर्तमान में रोटेशन प्रणाली के हिसाब से स्वयंसेवकों को काम मिलता है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार की मंशा भी है कि ज्यादा से ज्यादा होम गार्ड को रोजगार मिले और उसी का नतीजा है कि कोविड में भी इनको काफी रोजगार मिला है और तमाम विभागों को भी हमने लैटर लिखा है, हमारी भी मंशा है कि इनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मिनिमम वेज के आधार पर होम गार्ड की सैलेरी को हमने बढ़ाया और इस कारण से जो वास्तव में उन्हें लाभ मिलना चाहिये, सरकारी विभाग हो चाहे प्राइवेट हो, होम गार्ड को आज की तारीख में, क्योंकि 18 हजार से 21 हजार देना पड़ता है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसलिए कई नगरपालिकाओं ने, कई हास्पिटलों ने, कइयों ने होम गार्ड को छोड़कर प्राइवेट एजेंसी से 8-9 हजार रुपये के आदमी को रखकर यह सारे के सारे बच्चे जो पहले नौकरी कर रहे थे, वह पिछले एक साल से बाहर हो गये हैं तो कम से कम जितनी भी सरकारी जगह हैं, जहां होम गार्ड की उपलब्धि है, वहां उन बच्चों को लगाने के बारे में कठोरता से कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता महोदय जो पहले गृह मंत्री रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि इनके टाइम में 38 परसेंट ही नियोजन था, हमने बढ़ाकर इसको कम से कम 58 परसेंट तो किया। मैंने पहले भी अपने जवाब में कहा कि मैंने हर विभाग के लिये, शिक्षा विभाग के लिये भी पत्र लिखे हैं, औद्योगिक क्षेत्र के लिये भी पत्र लिखे हैं, चिकित्सा विभाग के लिये भी पत्र लिखे हैं। जहां जैसी रिक्वायरमेंट आती है, हम वहां पर अवेलेबल कराते हैं परन्तु हम किसी विभाग को बाध्य नहीं कर सकते कि वह हमारे होम गार्ड लें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 199

श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

नदबई में सरस दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना

200. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नदबई में सरस दुग्ध अवशीतन केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): जी नहीं। नदबई क्षेत्र में दुग्ध संकलन भरतपुर दुग्ध संघ के अधीन किया जाता है तथा वहां से दुग्ध परिवहन कर भरतपुर डेयरी प्लांट जो नदबई से 37 किलोमीटर दूर है, पर ले जाया जाता है। नदबई के आसपास 12 दुग्ध ग्राम समितियों के माध्यम से लगभग 500 से 600 लीटर दुग्ध का संकलन किया जा रहा है जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(गोपालन मंत्री)

लीन सीजन-ग्रीष्म ऋतु में क्षेत्र में दुग्ध संकलन घटकर 150 से 200 लीटर ही रह जाता है। अत: वर्तमान में नदबई में सरस दुग्ध अवशीतन केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव दूध संकलन की मात्रा कम होने के कारण विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो अभी 12 समितियों के बारे में बताया कि 12 समितियों के माध्यम से दूध भरतपुर जाता है, यह केवल 20 से 25 गांवों को कवर करती हैं जबकि नदबई जो मेरी तहसील है, उसमें 125 के आस पास गांव आते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या आगे सर्वे करने पर विचार रखते हैं या नहीं?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही कि 12 समितियों में गांव कवर नहीं होते हैं तो इसके लिये मैं विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करूंगा कि वह वहां जाकर सदस्य नई समितियां गठित करने की मानसिकता रखते हैं तो उसके लिये वह प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रूपाराम।

रामगढ़ (जैसलमेर) में सीएडी खण्ड खोलने की कार्ययोजना

201. श्री रूपाराम (जैसलमेर): क्या इंदिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले की इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के नहरी क्षेत्र में कुल 1789 चकों में लगभग 12421 कि.मी. लम्बाई के पक्के खाले निर्मित किये गये थे, जिसमें से अधिकतम टूट-फूट की स्थिति में आ गये हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि नालों के कच्चे एवं टूटे होने से सिंचाई हेतु प्राप्त पानी व्यर्थ बह रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि नहरी क्षेत्र में उक्त कच्चे खालों को पक्के करने एवं टूट-फूट की मरम्मत करने की प्लानिंग करने हेतु सीएडी खण्ड की आवश्यकता है? यदि हां, तो क्या सरकार बीकानेर से एक सीएडी खण्ड का मुख्यालय जैसलमेर जिले में रामगढ़ करते हुए कच्चे खालों को पक्के

(श्री रूपाराम)

करने एवं टूट-फूट वाले खालों की मरम्मत करने की कार्ययोजना को स्वीकृति देकर किसानों की आर्थिक हालात सुधारने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? कार्ययोजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर में पक्के खालों का निर्माण सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा करवाया गया था। निर्माण पश्चात् पक्के खालों की मरम्मत, रखरखाव का कार्य सम्बन्धित काश्तकारों द्वारा ही किया जाता है, अत: उनके क्षतिग्रस्त होने की सूचना सिंचित क्षेत्र विभाग द्वारा संधारित नही की जाती है।

(2) कच्चे खालों से सामान्य सीपेज लोसेज होते हैं। पक्के खालों का संधारण, मरम्मत इत्यादि का कार्य काश्तकारों द्वारा ही किया जाकर उनके द्वारा प्राप्त सिंचाई पानी का समुचित उपयोग किया जाता है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31.08.2010 से इस परियोजना क्षेत्र में पक्का खाला निर्माण कार्य समाप्त कर दिये गये हैं। अत: कच्चे खालों को पक्का करने की कोई योजना संचालित नहीं है तथा पक्का खाला निर्माण पश्चात् पक्के खालों की मरम्मत/अनुरक्षण/टूट-फूट, इत्यादि का कार्य सम्बन्धित काश्तकार/जल उपयोक्ता संगमों द्वारा किया जाना होता है। उक्त प्रकृति के कार्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुमत है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में जैसलमेर जिले में रामगढ़ में सीएडी कार्यालय खोले जाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहूंगा एक गांव का एक ही खाला होता है, जिसमें कई किसान होते हैं। किसानों को निर्मित हुए खाले हैंडओवर नहीं किये गये, ऐसी स्थिति में यह रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। पंचायती राज के वहां आबादी कम होने की वजह से बजट पर्याप्त नहीं है। इस वेस्टेज को रोकने के लिये क्या सरकार एग्जिस्टिंग स्टाफ हैं, उन्हीं के मार्फत इसका प्रावधान लेकर इस वैस्टेज पानी को बचाकर उत्पादन बढ़ाने के लिये, किसानों की मदद करने के लिये पुनर्विचार करने का मानस रखती है या नहीं?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): खालों के रख रखाव और पक्का निर्माण कार्य कराने का 31.08.2010 को भारत सरकार ने वापस ले लिया इसलिए नरेगा द्वारा ही वह काम किया जाता है और अभी पक्का

(श्री अंजना उदयलाल)

निर्माण कराने का कोई प्रावधान भारत सरकार और राज्य सरकार के पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संजय शर्मा।

अलवर में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत पूर्व सैनिकों का बकाया वेतन

202. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के सरकारी विभागों में राजस्थान एक्स-सर्विस मैन कारपोरेशन लि. (रेक्सको) के माध्यम से कार्यरत पूर्व सैनिकों का वेतन विगत छह माह से बकाया चल रहा है? यदि हां, तो क्यों व कब से, कितना-कितना वेतन शेष है? कार्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पूर्व सैनिकों का वेतन जारी करने में लापरवाही बरतने वाले दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों का वेतन जारी करने सम्बन्धी प्रकरण की जांच करवाई गई है? यदि हां तो क्या? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

सैनिक कल्याण मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जिला अलवर में राजस्थान एक्स-सर्विस मैन कारपोरेशन लि. (रेक्सको) के माध्यम से औषधि नियंत्रक विभाग, अलवर में कार्यरत पूर्व सैनिकों का परिशिष्ट-क में अंकित अनुसार विगत छह माह से वेतन बकाया चल रहा था, जिसका भुगतान किया जा चुका है।

(2) जी नहीं। बकाया वेतन के सम्बन्ध में किसी कार्मिक द्वारा लापरवाही नहीं बरती गई है।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने औषधि विभाग का पूर्व सैनिकों का जो बकाया चल रहा था,

(श्री संजय शर्मा)

उसके भुगतान के संदर्भ में बताया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि जिला परिवहन अधिकारी शाहजहांपुर; जलदाय विभाग, बहरोड; आईटीआई तिजारा; जिला कलेक्टर पूल; अलवर, लक्ष्मणगढ़ आईटीआई; सर्किट हाउस, अलवर; ईएसआई नीमराना; गवर्नमेंट प्रेस सहित लगभग 28 अलग-अलग कार्यालयों के 25 लाख रुपये पूर्व सैनिकों का बकाया चल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस रकम का भुगतान पूर्व सैनिकों को कब तक जारी कर दिया जायेगा?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय सदस्य, आपने जो क्वेश्चन पूछा था, उनका तो दे दिया गया है और आपके पास जो जानकारी है, वह आप उपलब्ध करा देना, जल्दी से जल्दी उनका भुगतान करवा दिया जायेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): प्रश्न बहुत सही है। क्या यह सही है कि जिला अलवर के सरकारी विभागों में राजस्थान एक्स-सर्विस मैन कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कार्यरत पूर्व सैनिकों का वेतन विगत छह माह से बकाया चल रहा है? इसमें केवल और केवल औषधि का नहीं पूछा है, अलवर के सारे के सारे विभाग जिनमें ये काम करते हैं, उनका पैसा छह महीने से बकाया है क्या, यह प्रश्न है। आपने केवल और केवल औषधि वालों का पेमेंट का तो इसमें बता दिया कि हो गया, उनका प्रश्न सही था कि बाकी जो एक्स सर्विस मैन काम कर रहे हैं, उसमें बकाया है या नहीं है और है तो उसका पेमेंट कौन करेगा?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी विभागों में भी एक्स-सर्विसमैन का जो पैसा बकाया है अलग-अलग विभागों में, उन सबका बकाया भुगतान जल्दी से जल्दी से कर दिया जाएगा। जिनका कर दिया गया है, उनकी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जिनका बकाया है, उनका 100 परसेंट भुगतान कर दिया जाएगा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय मंत्री महोदय, जिनका बकाया है, उनकी सूची आप सदन की पटल पर रख दीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जैसा कि कटारिया जी ने कहा कि सरकारी विभागों, जबकि उत्तर केवल एक विभाग का है। इसलिए अधिकारियों से कहें कि उत्तर पूरा करेक्ट करके सदन में लायें।

अगला प्रश्न। श्री गोपी चन्द मीणा।

भीलवाड़ा में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में दर्ज शिकायतें

203. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भीलवाड़ा में वर्ष 2014 से 2018 तक जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठकें कब-कब आयोजित की गयीं? उक्त बैठकों में कितने लोगों ने शिकायतें दर्ज करायीं व उक्त दर्ज शिकायतों में से कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन कब-कब किया गया एवं किन-किन के द्वारा जन सुनवाई की गयी? जन सुनवाई शिविरों में कितने लोगों द्वारा अपनी समस्या दर्ज करवायी गयी एवं कितने लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया व कितनी निस्तारण हेतु शेष हैं? संख्या तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति के निर्णय के उपरांत अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा स्वयं के स्तर पर निर्णय की क्रियान्विति को स्थगित की जाकर पुन: जांच के आदेश पारित किये जा सकते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) वर्ष 2014 से 2018 तक भीलवाड़ा जिले में जिला स्तर पर आयोजित जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठकों एवं उनमें दर्ज व निस्तारित प्रकरणों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट अ, ब एवं स पर संलग्न है। प्राप्त शिकायतों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2014 से 2018 तक जिला स्तर पर आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई का विवरण एवं जनसुनवाइयों के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित प्रकरणों का संख्यावार व तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

(3) जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति मामले के निराकरण हेतु सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी या उसके अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश देने हेतु सक्षम हैं। सामान्यत: समिति द्वारा प्रकरणों के निर्णय के उपरान्त अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निर्णय की क्रियान्विति को स्थगित की जाकर पुन: जांच के आदेश पारित नहीं किये जा सकते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरणों में से शेष 13 प्रकरणों का निस्तारण कब तक होगा व समय पर निस्तारण नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ क्या सरकार कार्यवाही करना चाहती है? मेरा तीसरा प्रश्न है कि जिला कलेक्टर महोदय ने उपखण्ड अधिकारी को निर्देश पत्र क्रमांक 713, दिनांक 02.09.2020 को 185 दिन होने के बाद भी उप खण्ड अधिकारी ने न तो कार्यवाही की है और न ही जिला अधिकारी को प्रगति रिपोर्ट के बारे में बताया है।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो 13 प्रकरणों के बारे में बात कही है। चूंकि बीच में कोविड भी था और पंचायत चुनाव भी थे, उसकी वजह से बैठकें नहीं हो पायीं। जो बकाया प्रकरण हैं, उनके लिए हम समय पर मीटिंगें भी कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी परिवादियों की समस्याओं का निराकरण करेंगे और निस्तारण करवाएंगे। आपने जिस पत्र के बारे में जिक्र किया है, उसे हम जल्दी से दिखाकर जांच करवाएंगे। मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी विशेष तौर से इस जन सुनवाई को अब ग्राम स्तर से शुरू कर रहे हैं। सभी जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसडीओ, बीडीओ, डीएसपी, सभी को कहा है कि 3 से 4 बजे लगातार वे आमजन को सुनेंगे। उसके साथ-साथ हम ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी जन सुनवाई ले जाकर, क्लस्टर-वाइज हम दस-दस ग्राम पंचायतों का समूह बनाएंगे और उनकी सुनवाई कर निस्तारण भी कराएंगे। इसलिए बड़े स्तर पर मुख्य मंत्री जी इस पर काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि पूरा सदन मिलकर जो हमारी सरकार ने वादा किया है कि आमजन को जवाबदेही, पारदर्शी और संवेदनशील शासन देने का, उसके स्तर पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में लगातार जिला कलेक्टर, उप खण्ड स्तर और ग्राम स्तर पर मानिटरिंग भी होगी। जितने भी परिवाद हैं, उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नारायण बेनीवाल।

आशा सहयोगिनियों की मांगों पर कार्यवाही

204. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार के संज्ञान में है कि प्रदेश में आशा सहयोगिनियों ने जयपुर सहित विभिन्न जिलों में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया है?

(श्री नारायण बेनीवाल)

यदि हां, तो उनकी मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार एक निश्चित समयावधि में उक्त की मांग पर सकारात्मक कार्यवाही करके मांगें मानने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) जी हां। आशा सहयोगिनियों की मुख्य मांगें एवं उस पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही निम्नानुसार है:-

(i) आशा सहयोगिनियों को स्थाईकरण के सम्बन्ध में- यह मानदेय आधारित स्वैच्छिक सेवा पद है। आशा सहयोगिनी स्वैच्छिक सेवा भावना से समुदाय में कार्य करने वाली स्थानीय महिला होती है। इन पर राज्य सेवा के कार्मिकों की भांति सेवा नियम लागू नहीं हैं और न ही श्रमिकों के बराबर इनके कार्य के घंटे तय होते हैं। मानदेय कार्य समय के उपरान्त ये किसी भी प्रकार के निजी कार्य हेतु स्वतंत्र रहती हैं।

(ii) आशा सहयोगिनियों के मानदेय वृद्धि- आईसीडीएस की ओर से आशा सहयोगिनी को प्रतिमाह नियत मानदेय राशि 2700 रु. का भुगतान किया जा रहा है। दिनांक 01.08.2019 से 2500 रुपये से बढ़ाकर 2700 रुपये प्रतिमाह किया गया है, जो पूर्णतया 100 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय है तथा इसके अतिरिक्त चिकित्सा विभाग से कार्य आधारित भुगतान भी दिया जा रहा है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-'अ' पर अवलोकनीय है। इस सम्बन्ध में कार्य आधारित भुगतान बढ़ाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री द्वारा भारत सरकार को पत्र लिखा गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है। आशा सहयोगिनियों का मानदेय वृद्धि बजट की उपलब्धता पर कर दिया जायेगा।

(ii) एएनएम के कोर्स में 10, 20 व 30 प्रतिशत आरक्षण के सम्बन्ध में- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु 5%, आशा सहयोगिनियों हेतु 10%, चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों हेतु 15% आरक्षित किए जाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग के पत्र क्रमांक 97 दिनांक 01.01.2021 द्वारा आदेश जारी किये जा चुके हैं। इसकी प्रति परिशिष्ट 'स' पर अवलोकनीय है।

(iv) आशा सहयोगिनियों को श्रम अधिनियम के अनुसार उच्च कुशल कार्य का लाभ के सम्बन्ध में- यह मानदेय आधारित स्वैच्छिक सेवा पद है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

इन पर राज्य सेवा के कार्मिकों की भांति सेवा नियम लागू नहीं हैं और न ही श्रमिकों के बराबर इनके कार्य के घंटे तय होते हैं। मानदेय कार्य समय के उपरान्त ये किसी भी प्रकार के निजी कार्य हेतु स्वतंत्र रहती है।

(v) आशा सहयोगिनियों को एक ही विभाग में किये जाने के सम्बन्ध में- आंगनबाड़ी केन्द्र के लाभार्थी एवं चिकित्सा विभाग के लाभार्थी समान होने के कारण आशा सहयोगिनियों को मानदेय आई.सी.डी.एस. विभाग द्वारा एवं इन्सेंटिव चिकित्सा विभाग द्वारा दिया जा रहा है। आशा सहयोगिनियों को एक ही विभाग में रखे जाने के सम्बन्ध में पत्रावली प्रक्रियाधीन है।

(vi) आशा सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर आशाओं को पदोन्नति के सम्बन्ध में - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि संदर्भित पदों पर निर्धारित योग्यता रखने वाली आशाओं को अनुभव के आधार पर बोनस अंक देकर वरीयता दिये जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग द्वारा सक्षम स्तर से 318 पदों हेतु अनुमोदन उपरान्त प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये हैं।

(vii) आशा सहयोगिनियों को पद पर रहते हुए अन्य कोर्स करने के लिए अनुमति प्रदान के सम्बन्ध में:- आशा सहयोगिनियों को एएनएम प्रशिक्षण में चयनित होने पर मानदेय पद रिक्त रखते हुए अवकाश स्वीकृत की अनुमति दिए जाने के सम्बन्ध में आदेश की प्रति परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(2) प्रति उत्तर बिन्दु संख्या 1 में ही समाहित है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री जी से यह जानकारी चाह रहा हूं कि आशा सहयोगिनियों का पड़ोसी राज्यों में जो मानदेय है, उनके बराबर हमारे यहां भी मानदेय रखने का विचार क्या सरकार रखती है?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य की अपनी-अपनी नीति है और मैं समझती हूं कि राजस्थान भारत में पहला ऐसा राज्य है, जो 2700 रुपये की राशि आशा सहयोगिनियों के नाम पर 100 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इंसेंटिव के तौर पर जो मेडिकल विभाग द्वारा जाता है, उसमें अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग नियम हैं, उसके आधार पर विभिन्न राज्यों में

(श्रीमती ममता भूपेश)
इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन हमारा मानदेय अन्य राज्यों से ज्यादा है। साथ ही, माननीय सदस्य को मैं एक चीज और कहना चाहती हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, सभी में भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत के अनुपात में भुगतान किया जाता है, लेकिन मुझे सदन को बताते हुए हर्ष भी है और दुःख भी कि जो अनुपात भारत सरकार का है, वह पूरा नहीं होते हुए आज की तारीख में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का 62 प्रतिशत अंशदान राजस्थान सरकार दे रही है और 38 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार दे रही है, जो कि उलटा है।

अगर माननीय सदस्य को बहुत चिंता है, सदस्य के भाई भी सांसद हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि भारत सरकार से मांग रखें कि 2700 रुपये के अनुपात में अगर हमारा 40 प्रतिशत माना जाए और इसका अगर 60 प्रतिशत भारत सरकार देती है तो 4050 रुपये की वृद्धि भारत सरकार द्वारा इनके मानदेय में होगी। अगर ये 60-40, जो आंगनबाड़ी सहायिका और सहयोगिनियों के हैं, उसी अनुपात में देते हैं तो मैं हमारे विपक्ष के साथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि जो आंगनबाड़ी सहायिका और आंगनबाड़ी वर्क्स के अनुपात हैं। इसी अनुपात को आप आशा सहयोगिनियों के अनुपात में भी तब्दील करायें और भारत सरकार से 60 प्रतिशत का अंशदान 4050 रुपये हमारी बहनों को दिलायें, जिससे हमारा यह मानदेय बराबर हो सके। इसमें एक तरह से जो अंतर आ रहा है, वह अंतर न हो।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद मंत्री जी को पता नहीं है, चिंता है तभी तो यह प्रश्न उठाया है, विधायक ने और विधायक के भाई सांसद हैं तो आपने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा होगा, सबसे पहले यह मांग लोक सभा में उठ चुकी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): आप स्टेट की मिनिस्टर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन लोगों के स्थायीकरण या इन लोगों को संविदाकर्मी मानने का विचार क्या सरकार रखती है?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी जो भर्ती प्रक्रिया थी, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह मानदेय कर्मचारी हैं, इनको संविदा कर्मचारियों के रूप में भर्ती नहीं किया गया है, इसलिए सरकार इसके ऊपर अभी कोई विचार नहीं करती।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में लक्ष्य बढ़ाने की कार्ययोजना

205. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जन घोषणा पत्र में शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा की थी? यदि हां तो 31 जनवरी, 2021 तक प्रदेश में कुल कितने शिक्षित बेरोजगार रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कुल कितने शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तथा उक्त में से वर्ष 2020-21 के लिए कितने बेरोजगारों ने भत्ते प्राप्ति हेतु नवीनीकरण (रिन्युअल) करवाया है तथा कितने प्रतीक्षा सूची में हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त योजना में बेरोजगारों को भत्ता देने हेतु 1 लाख 60 हजार की संख्या निर्धारित कर रखी है? यदि हां तो क्या सरकार उक्त लक्ष्य को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता (श्री अशोक): (1) जी हां। राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र में राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3500/- रुपये तक प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा की थी, जिसकी अनुपालना में दिनांक 01 फरवरी, 2019 से राज्य में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना का संचालन किया गया जिसके अन्तर्गत पुरुष आशार्थियों को 3000/- रुपये एवं ट्रांसजेण्डर, महिला एवं विशेष योग्यजन आशार्थियों को 3500/- रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। 31 जनवरी, 2021 को विभागीय पोर्टल पर विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी कुल 15,03,834 बेरोजगार आशार्थी राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं जिनमें से स्नातक व अधिस्नातक बेरोजगारों की संख्या 1224008 है। जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा संबल योजनान्तर्गत अधिकतम 1 लाख 60 हजार आशार्थियों को भत्ता राशि दिये जाने की सीमा निर्धारित की गई है। योजना प्रारम्भ तिथि 01 फरवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2020 तक कुल

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता)

249433 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है तथा वर्तमान में माह जनवरी 2021 में कुल 1,59,113 आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। (जिलेवार सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है)। वर्ष 2020-21 के लिए 88,262 आशार्थियों ने आगामी वर्ष में भत्ता प्राप्ति हेतु नवीनीकरण (रिन्युअल) करवाया है (जिलेवार सूची परिशिष्ट-स पर उपलब्ध है) एवं कुल 2,15,390 आशार्थियों के आवेदन प्रतीक्षा सूची में स्वीकृति हेतु लम्बित हैं। (जिलेवार सूची परिशिष्ट-द पर उपलब्ध है)। 31 दिसम्बर, 2020 को जांच हेतु कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

(3) जी हां। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत स्नातक बेरोजगारों को भत्ता देने हेतु लाभार्थियों की एक वर्ष में 1 लाख 60 हजार की अधिकतम संख्या निर्धारित है। सरकार द्वारा बजट 2021-22 की बजट घोषणा संख्या 56 के अनुसार उक्त अधिकतम सीमा में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। अब लगभग 2 लाख बेरोजगार युवा लाभान्वित हो सकेंगे।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने खण्ड 1 में 31 जनवरी, 2021 तक पोर्टल पर आशार्थी शब्द इस्तेमाल करते हुए 15 लाख 3 हजार 834 आशार्थियों के पंजीयन की बात की जिसमें 12 लाख 24 हजार स्नातक और अधिस्नातक हैं। आपने खण्ड 1 में यह कहा कि इनमें से आप 1 लाख 59 हजार 113 आशार्थियों को भत्ता दे रहे हैं और वेटिंग लिस्ट जो आपने बताई, वह आपने बताई 2 लाख 15 हजार 390, जब आशार्थी जो पोर्टल पर 15 लाख 3 हजार 834 है तो वेटिंग लिस्ट के अन्दर आपने किस प्रकार इनको छांटा 2 लाख 15 हजार 390 और दूसरा, आपने जो बताया खण्ड 3 में कि 1 लाख 60 हजार आशार्थियों को आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। परिशिष्ट-अ के अन्दर आपने अलग-अलग जिलों के अन्दर अलग-अलग आशार्थियों के रजिस्ट्रेशन और उनको जो भत्ता दिया जा रहा है, उसकी संख्या बताई है, तो 1 लाख 60 हजार का जो कैप है, इसमें जिलों के विभाजन का आपके पास कोई मापदंड है क्या?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वरिष्ठ सदस्य को बताना चाहता हूं कि 12 लाख 24 हजार 8 स्नातक और अधिस्नातक बेरोजगार आशार्थी जरूर हैं

(श्री अशोक)

लेकिन बेरोजगारी भत्ता उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो बेरोजगारी भत्ते के लिए एप्लाई करते हैं। उनकी कुल संख्या 4 लाख 56 हजार है। उनमें से 2 लाख 49 हजार 433 इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इनमें से 50 हजार 202 युवा वे हैं जो योजना का लाभ लेकर इस योजना से बाहर हो चुके हैं। 2 लाख 15 हजार 390 वे आशार्थी हैं जो 1 लाख 60 हजार में से जैसे-जैसे निकलते जाएंगे, वैसे-वैसे ये 2 लाख 15 हजार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले जब यह योजना शुरू की गयी तब इसमें इससे पूर्व में एक लाख आशार्थियों को ही इस योजना का फायदा मिल रहा था। हमारी सरकार आई, संवेदनशील सरकार है और बेरोजगारों के प्रति जो कि देश में आज हालात हैं, देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गयी है। ऐसे हालात में जब बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे हालात में उस कैप को 1 लाख से बढ़ाकर 1 लाख 60 हजार किया। 1 लाख 60 हजार के बाद में अभी उसको बढाकर 2 लाख किया। 1 लाख 60 हजार जब पूर्व में निर्धारित हुआ तो 1 लाख से 1 लाख 60 हजार, जो 60 हजार ऊपर के लेने थे, वह जो ओवर एज होने वाले आशार्थी थे, उनको पहले लिया गया, लेकिन आज की तारीख में 'पहले आओ-पहले पाओ' है। किसी जिले का, किसी क्षेत्र का, किसी वर्ग का इसमें ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। जो पहले ऑनलाइन आवेदन करेंगे, वे जैसे-जैसे आशार्थी हटते जाएंगे, वैसे-वैसे वे ऑनलाइन उसके अन्दर जुड़ते जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि खण्ड 2 में आपने 1 लाख 59 हजार 113 में से जो रिन्युअल किया है, वह 88 हजार 262 आशार्थी बताए हैं। ये जो रिन्युअल है, इसका मतलब यह है कि आप एक बेरोजगार को एकमात्र एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देते हैं या रिन्युअल 1 लाख 59 हजार में 88 हजार 262 का कैसे हुआ? आपने जो परिशिष्ट में बताया है राजसमंद जैसे जिले में सिर्फ 1951, जैसलमेर में 1828 और अलवर जिला है उसमें 22920 और भरतपुर में 16156, ये आशार्थियों के बेरोजगारी भत्ते में इतना-इतना वेरिएशन क्यों है? क्या राजसमंद, जैसलमेर में बेरोजगारी नहीं है और क्या यहां ज्यादा बेरोजगारी है, अलवर में और भरतपुर में? बताएं आप।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस विधान सभा के बड़े धुरंधर माने जाते हैं और मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं आज पूरी तैयारी करके आया हूं। मैं आपको बता दूं

(श्री अशोक)

कि 88 हजार जो रिन्युअल हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि एक साल के लिए दिया जा रहा है। पूर्व में जिनका चल रहा है, काफी आशार्थियों का दो साल पूरा हो गया है, काफी आशार्थी उम्र का कैप पार कर गये हैं और काफी लोगों ने जो उनका रिन्युअल टाइम एक महीना होता है, जून महीना अगर उनका आखिरी बेरोजगारी भत्ता मिलने का फर्स्ट ईयर का आखिरी मंथ है तो जुलाई का पूरा महीना उनको रिन्युअल डाकूमेंट पेश करने का समय दिया जाता है। यदि उस एक महीने के अन्दर वह अपने रिन्युअल डाकूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो उनका नाम स्वत: ही कम्प्यूटर से हट जाता है। ये तीन-चार प्रक्रिया हैं जिसके तहत जो पूर्व के आशार्थी होते हैं, उनके नाम कट जाते हैं और जो समय से अपनी प्रक्रिया पूरी करते हैं, एज लिमिट के अन्दर आते हैं और जिनका एक ही साल पूरा हुआ होता है, उनको वापस रिन्यू किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, बहुत लम्बा हो जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड, बस एक सैकण्ड। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 1 लाख 60 हजार का जो राइडर है, वह या तो नौकरी मिलेगी या भत्ता मिलेगा, इन दोनों का कोई तालमेल है क्या? आपकी घोषणा थी, या तो नौकरी मिलेगी या भत्ता मिलेगा, तो क्या ये 1 लाख 60 हजार की जो कैप है, आपके उस घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए है या केवल दिखाने के लिए है?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी मैं बताना चाहता हूं, मैं हमारा घोषणा का पत्र लाया हूं ''10. श्रम एवं रोजगार - बिंदु नंबर एक - शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3500 रुपये प्रति माह तक बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।'' इसमें नौकरी देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे, इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है तो ये कहां से लेकर आए हैं? कृपया करके आप मुझे बताएं कि वह कौन सा पत्र है जिसमें आपने यह लाइन पढ़ी है। आपके पास विशेष कोई पत्र आया है तो आप हमें बताएं ताकि हम उस पर काम कर सकें। मेरे हाथ में ये घोषणा पत्र है और इसमें ये ही लाइन लिखी हुई है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल नागर।

बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराये गये श्रमिकों का पुनर्वास

206. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या बाल श्रमिकों एवं बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने एवं पुनर्वास के लिये सरकार की कोई योजना एवं दिशा निर्देश जारी किये हुए हैं? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रदेश में कितने बाल श्रमिकों एवं बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बाल श्रम एवं बन्धुआ मजदूरी से मुक्त कराये गये सभी श्रमिकों के पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है? यदि हां, तो श्रमिकवार एवं जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(उत्तर जो पढ़ा हुआ माना गया, निम्नानुसार है)

राज्य मंत्री, श्रम (श्री टीकाराम जूली): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा बाल श्रमिकों की मुक्ति व पुनर्वास हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसी प्रकार बन्धुआ श्रमिकों हेतु केन्द्रीय क्षेत्र बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना, 2016 के तहत पुनर्वास किया जाता है।

विगत तीन वर्षों (यथा 2018, 2019, 2020) में राज्य में 5862 बाल श्रमिक तथा 1097 बंधक श्रमिक मुक्त कराये गये, जिनका जिलेवार विवरण मय सूची संलग्न (परिशिष्ट-1) पर उपलब्ध है।

(2) राज्य मे विगत तीन वर्षों में 1097 बंधक श्रमिक मुक्त कराये जाकर 266 अवमुक्त बंधक श्रमिकों को केन्द्रीय क्षेत्र बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना, 2016 के तहत तात्कालिक सहायता राशि (प्रत्येक को 20,000/- रुपये) के रूप में कुल 53,20,000/- रुपये प्रदान किये गये। (विवरण मय सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।)

बाल श्रमिकों को मुक्त कराने तथा पुनर्वास करने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया व बाल एवं कुमार श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के अन्तर्गत की जाती है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता था कि ये जो बाल श्रमिक और बंधुआ मजदूर हैं, इनके पुनर्वास और इनकी आर्थिक सहायता के लिए मंत्री महोदय ने तत्कालीन सहायता बताई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा.

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए। जल्दी से प्रश्न पूछिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछ रहा हूं। 'केन्द्रीय क्षेत्र बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना' के अन्तर्गत आपने तत्कालीन सहायता 20 हजार बतायी है। उसमें प्रोविजन दिया हुआ है बालकों के लिए एक लाख रुपये दे रखा है। श्रमिक बच्चा है तो 2 लाख रुपये दे रखा है और अगर श्रमिक महिला, ट्रांसजेण्डर या बच्चे उन्मुक्त किये या उनके यौन शोषण से सम्बन्धित है तो 3 लाख रुपये दे रखा है।

(12.00 बजे)

इसमें यह प्रोविजन है कि इनकी एक न्यायिक प्रक्रिया चलती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट के यहां ट्रायल होती है, उसमें दोषी पाया जाता है तो ही इनको दिया जाता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने संख्या बताई है, क्या इनके खिलाफ, उप खण्ड मजिस्ट्रेट के यहां कोई ट्रायल चल रही है, ट्रायल चल रही है, तो कितने दोषी हो गये?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): कितने लोगों को लाभान्वित कर दिया? यह बता दें।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, क्योंकि यह संख्या हज़ारों में है। बाल श्रमिक हैं, उनमें 5,862 केस हैं, जिन लोगों का हमने इसमें पुनर्वास किया है, जो पकड़े गए हैं,जिनको छुड़वाया है। इसी प्रकार से बंधक श्रमिक हैं, दोनों अलग-अलग कानून है और दोनों के अन्दर ही प्राथमिक सहायता 20 हजार है लेकिन जांच बहुत सी अभी एसडीएम के यहां भी चल रही है, कोर्ट के अन्दर भी चल रही है। अलग-अलग प्रक्रिया है, दोनों जगह अलग-अलग चल रही है। जैसे ही वहां से निस्तारण होता है, जो भी कोर्ट के आदेश होते हैं उसके आधार पर उनका भुगतान किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से नगरपालिका क्षेत्र चौमूं में बसे घुमन्तू जाति के लुहार परिवारों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से पंचायत समिति पीपलपुर के पारतीपुरा पंचायत व रोहिनिया पंचायत को जोड़ने हेतु भुण्डर्जर नदी पर पुलिया निर्माण किए जाने के संबध में।

(3) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से पंचायत समिति आहोर एवं उपखण्ड आहोर में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ ज़िले में कल दोपहर तीन बजे 16 माह की बच्ची का अपहरण होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अलवर, हनुमानगढ़, अजमेर किशनगढ़ में महिलाओं के साथ घटित बलात्कार, दुष्कर्म एवं अत्याचार की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री बलवीर लूथरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में किसानों द्वारा सिंचाई का पानी बारी से देने की मांग किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

बिहारीलाल जी, बलवीर सिंह लूथरा और माननीय सदस्या संतोष जी और रामप्रताप कसानियां, सबका एक ही प्रश्न है। बिहारीलाल जी का प्रस्ताव लगा है, तो बिहारीलाल जी का मैं रिपीट कर रहा हूं।

(7) श्री बिहारीलाल जी, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर श्री गंगानगर ज़िले के कतिपय उप खण्ड क्षेत्रों में किसानों द्वारा किए जा रहे चक्का जाम से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्रीमती संतोष बावरी, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई का पानी नहीं मिलने से किसानों की चौपट हो रही फ़सलों के सम्बन्ध में।

माननीय बिहारीलाल जी, दो मिनट अपनी बात कहेंगे, बाकी सब सदस्यों को इसमें सम्मिलित माना जाएगा, इसलिए बाकी नहीं बोल पाएंगे।

(10) श्री अमृतलाल मीणा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जयसमन्द झील की दायीं मुख्य नहर का फोरेस्ट में आने वाले क्षेत्रफल का आधुनिकीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से अंबामाता ब्लाइंड राजकीय प्रज्ञा चक्षु उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोरोना गाइड लाइन की अवहेलना करते हुए समारोह आयोजित किए जाने के फलस्वरूप विद्यार्थियों के कोरोना पॉजिटिव आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से खेड़ली पुलिस थाना अलवर में फरियादी महिला के साथ जांच अधिकारी उपनिरीक्षक भरतसिंह द्वारा की गई बलात्कार की लोमहर्षक घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री बिहारीलाल, श्री अमृतलाल मीणा, श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को बंद किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्रीमती जाहिदा खान, सदस्य की ओर से उपखण्ड कामां में उप जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय खोलने जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु नये विद्यालय खोलने एवं मौजूदा विद्यालयों को क्रमोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से पुष्कर तीर्थ सरोवर में बरसात के समय गंदा पानी बहकर आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से उदयपुर ग्रामीण के सहकारी बैंक की शाखाओं को मुख्यालय पर स्थानान्तरित किए जाने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(6) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन में विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा गैर उपभोक्ताओं एवं कृषि कनेक्शनों का कथित रूप से फर्जी वीसीआर भरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की ग्राम पंचायत रंगपुर के ग्राम गंगायिचा में चम्बल नदी मार्ग पर हो रहे कटाव की रोकथाम के लिए बजट स्वीकृत नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद को समाप्त करके जिला मुख्यालय पर लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से प्रदेश में अवैध रूप से हो रहे शराब के कारोबार से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री भरत सिंह कुन्दनपुर, सदस्य की ओर से गोडावन हैबिटेट क्षेत्र में खनन पट्टे जारी कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बूंदी के बरूंधन में घोड़ा पछाड़ नदी पर पुलिया निर्माण नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत बिलों में भारी वृद्धि किये जाने से आमजन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ की पीलीबंगा, रावतसर, गोलूवाला नगरपालिकाओं की आवासीय कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में स्थापित औद्योगिक कम्पनियों में 80 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार दिए जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर शहर की प्रस्तावित दीनदयाल उपाध्याय योजना व जसवंत नगर की भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर पट्टे नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री गजराज खटाणा, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांदीकुई को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत कराये जाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से राजस्थान से मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों में जाने वाले पशुपालकों की सुरक्षा नहीं होने से पशुपालकों में व्याप्त भय के सम्बन्ध में।

(18) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड को बंद कर दिये जाने से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(19) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में कवराड़ा एवं आईपुरा में स्वीकृत पुलिया का निर्माण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना को, आज की मांग को देखते हुए पढ़ा हुआ माना जाएगा।

(नियम 295 के तहत पढ़े हुए माने गये विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें)

श्री बिहारीलाल विश्नोई।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई की मांग को लेकर किसानों द्वारा चक्का जाम

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी, उसके लिए धन्यवाद।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर श्रीगंगानगर जिले के उप खण्ड क्षेत्र सूरतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़, रायसिंहनगर, घड़साना आदि में आज किसानों द्वारा चक्का जाम किया हुआ है। चीफ इंजीनियर को पिछले 24 घंटे से बंधक बना रखा है। किसान हमारा अन्नदाता है। रबी की फसल में गेहूँ, चना, सरसों पकाव स्थिति में हैं। एक मात्र बारी का इंतजार करते हुए किसान चक्का जाम किए बैठा है। पोंग डैम में 1310 फीट आज का लेवल है। उसको ध्यान में रखते हुए किसान एक बारी का इंतजार कर रहा है। अभी हमारे माननीय साथी, विधान सभा के बाहर धरना दे रहे थे। चिकित्सा मंत्री उधर से गुजरे, कहा, पोंग डैम में पानी नहीं है। आज का लेवल 1310 फीट है। सरकार को कहना चाहूंगा कि इस तरह की समस्या पहले भी आई। पिछली सरकार में डा. रामप्रताप जी जब सिंचाई मंत्री थे, उस समय एक बार, 1280 पोंग डैम के लेवल को लाकर किसानों को चिंता से मुक्त किया गया है। अन्नदाता को बचाया गया है। इसी सदन में दस दिन पहले माननीय कासनियां जी ने इस बात को उठाया। पत्र के माध्यम से, डा. सतीश जी पूनियां ने मुख्य मंत्री जी को लिखा। सारी बातें आपके सामने हैं। समय रहते चेताया, फिर भी सरकार नहीं चेती। आज स्थिति यह आ चुकी है कि द्वितीय फेज का किसान, जो आईजीएनपी का 620 आरडी से जैसलमेर तक कोलायत होते हुए जाता है, उस किसान की रबी की फसल तो पूरी तरह बरबाद हो चुकी है। वह किसान खून के आंसू रो रहा है। अब प्रथम फेज का किसान जो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर ज़िले में, अपनी फसल को, दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं, उसकी आंखों में खून के आंसू हैं। पोंग डैम के लेवल को नीचे लाकर उनको बचाया जा सकता है। पूरा किसान चक्का जाम किए हुए बैठा है। पूरी मंडियों में हड़ताल है। किसान हित की बात करने वाली सरकार..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल (नोखा): कुछ दिन पहले, राज्य सरकार दोनों जिलों में, किसान की खाट तोड़कर आई है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल (नोखा): अब किसान की कमर तोड़ने का काम नहीं करें, किसान को बचाने का काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, आपके मार्फत यह मांग करते हैं। सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण मांग पर, किसान हित में तुरंत पोंग डैम लेवल नीचे लाकर, किसान को बचाया जाए, उसकी रबी की फसल, गेहूं, चना, सरसों को बचाया जाए। धन्यवाद।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):000 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) बैठिए प्लीज, कोई आपने लिखकर दिया है? नीचे बैठें। नहीं लिखा, अंकित नहीं होगा। नीचे बैठें। यह विधान सभा है, पंचायत नहीं है। आप नीचे बैठें, गलत परम्परा नहीं। (व्यवधान) नीचे बैठें, अंकित नहीं होगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: गंगानगर जिले के जितने भी माननीय सदस्य आ रहे हैं, वे इस समस्या में सम्मिलित हैं। उन सब की भावना को इसमें अंकित किया जा रहा है। इसलिये इसमें अब ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य ने जो उठाया, उसमें आपकी भावना को भी सम्मिलित करके, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के सम्बन्ध में आपने कहा, धन्यवाद।

श्री अमृतलाल मीणा।

जयसमन्द झील की नहर के सुदृढ़ीकरण के लिए वन विभाग की एन.ओ.सी.

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि जयसमन्द झील के दायीं मुख्य नहर का कुल कमांड क्षेत्र 2985.79 हैक्टेयर है और जयसमन्द पंचायत समिति में 9 ग्राम पंचायतें और 35 गांव इस दायीं मुख्य नहर के अन्तर्गत आते हैं। उक्त नहर की सिंचाई योजना के किसानों को सिंचाई का लाभ, इस नहर का निर्माण 1954 में हुआ था और जयसमन्द सैंक्चुअरी की स्थापना 19 अगस्त, 1998 को वन्य जीव अधिनियम के अन्तर्गत हुई।

(श्री अमृतलाल मीणा)

फोरेस्ट में नहर की लम्बाई, दायीं मुख्य नहर, 13.398 हैक्टेयर आता है। 1992 से 1996-97 तक इस नहर के आधुनीकरण का कार्य भी हुआ है। इसमें 1654 लाख से अधिक राशि लग चुकी है। वहां फोरेस्ट में 2019 में ऑनलाइन आवेदन भी किया है लेकिन फोरेस्ट ने उसकी परमिशन नहीं दी है, जिसकी वजह से जयसमन्द नहर, जो बांध है, उससे निकली हुई है, काफी पानी खराब हो रहा है, खेती-बाड़ी भी खराब हो रही है और आगे टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस की तुरन्त प्रभाव से वन विभाग से एन.ओ.सी. दिला करके उस नहर का सुदृढ़ीकरण करने का आदेश जारी कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

विद्यालयों के वार्षिकोत्सव के चलते कोरोना का संक्रमण पुन: बढ़ने की आशंका

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों और मंत्री महोदय, आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि बड़ी मुश्किल से हम कोरोना पर कंट्रोल करने की स्थिति में आये, जन-जीवन सामान्य बनने लगा, सब लोगों का काम-धंधा चलने लगा।

मैं सोचता हूं कि शिक्षा विभाग भी इस बारे में ध्यान दे। हमने विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों को प्रारम्भ कर दिया। ठीक है, लेकिन हम उसका सैम्पलिंग, कम से कम रेण्डम सैम्पललिंग स्कूल में 10-12 दिन के ड्यूरेशन में जरूर करा दें। अगर कोई भी बच्चा पोजिटिव आ गया तो समय पर कंट्रोल करने की स्थिति रहेगी। इसमें आपके विभाग के अधिकारियों ने एक तरह से जानबूझ करके गाइड लाइन की एक तरह से तौहीन की। इस समय में, उन्होंने 27 तारीख को बड़गांव में एक फंक्शन किया। बाकी सारे स्कूल के बच्चों को वहां बुलाया। यह जो अंध विद्यालय है, इसके भी सौ बच्चों और अध्यापकों को उस कार्यक्रम में, लगभग 400 से अधिक संख्या, बड़गांव के उस कार्यक्रम में थी। उसके बाद जब इन बच्चों को बुखार आने लगा तो सैम्पलिंग हुई तो अकेले उस अंध विद्यालय के, एक तरह से 29 बच्चे पोजिटिव आये। सारा शहर हिल गया। कारण क्या है कि पहले से वे अंधे बच्चे हैं। मां-बाप उनको आपको और हमको सुपुर्द करते हैं कि आपकी व्यवस्था के कारण से इन बच्चों की जिन्दगी बन सकेगी। वास्तव में, निश्चित रूप से उस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अंध विद्यालय से कई ऐसे टेलेंटेड बच्चे निकले हैं जो सामान्य विद्यालय का बच्चा भी उनका कम्पीटीशन नहीं कर सकता। भगवान ने उनकी आंख भले ही ले ली लेकिन उनको शक्ति इतनी दी है कि वे इस प्रकार से कर सकें।

इस समय जिस प्रकार का दृश्य वहां बना है, उसके कारण से मेरी विनम्र प्रार्थना अध्यक्षजी आपके माध्यम से है, सम्पूर्ण शिक्षा विभाग को इस बात के लिये पाबंद करें कि किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम, इस प्रकार के जो वार्षिकोत्सव सभी विद्यालयों में हो रहे हैं, उनको तुरन्त बंद करें। जो विद्यालय चल रहे हैं, उनकी रेण्डम चैकिंग बराबर पांच दिन, सात दिन में जरूर हो, ताकि ऐसा न हो कि विस्फोट हो जाए। एक साथ इतने बच्चे केवल उदयपुर में, इस घटना के कारण 43 लोग एक दिन में, मैं सोचता हूं कि या तो आज से 6-8 महीने पहले यह संख्या थी या फिर घटते-घटते 8-7 या 6 पर आ गयी थी। वापस वह शहर कर्फ्यू की स्थिति में पहुंच गया।

मैं आपके माध्यम से सभी विभागों को भी और विशेष करके शिक्षा विभाग, जहां माता-पिता ने बड़ी हिम्मत करके बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, आपकी इस घटना के कारण से सारा का सारा शिक्षा का ढांचा चरमरा जाएगा। आपका मेडिकल विभाग, जो इसको देखता है, वह तुरन्त उन बच्चों को, बहुत ज्यादा ध्यान देकर, एक भी बच्चा किसी भी कारण से इस बीमारी से किसी अनहोनी घटना में न जाए, यह आपका, मेरा और इस सदन का दायित्व है। अपने विभाग में जितनी भी ताकत हो, डाक्टरों की वह सारी ताकत लगाकर उन बच्चों को तुरन्त अपन ठीक करने का प्रयास करें ताकि जो वातावरण सामान्य बना, वह फिर से अपन अच्छी प्रकार से बना सकें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जो गम्भीरता है, सरकार के शिक्षा विभाग के जो सर्कुलर हैं, जिसमें यह कहा गया है कि एन्युअल फंक्शन करना है, चिकित्सा विभाग की जो गाइड-लाइंस हैं, शिक्षा विभाग उन सबको ध्यान में रखते हुए उनको विदड्रा करें। जैसा कटारियाजी ने कहा मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी खुद ही इतना ध्यान दे रहे हैं तो कोरोना के सम्बन्ध में पूरे प्रिकॉशन लेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार चिंतित है और हर तरफ से प्रिकाशन लेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

अलवर में पुलिस जांच अधिकारी द्वारा पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म की घटना

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज महिला दिवस पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समाचार पत्रों में दो समाचार प्रकाशित हुए। एक समाचार था मुख्य मंत्रीजी की शुभकामनाओं का था और एक समाचार था जिसने दिल को दहला दिया। एक लोमहर्षक घटना, रक्षक ही जब भक्षक हो जाएंगे तो कैसे यह समाज चलेगा। कैसे यह सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं कि अलवर जिला रोज सुर्खियों में रहता है। कभी अलवर जिले के अन्दर अरावली थाने का ए.एस.आई., एक महिला के दुष्कर्म के बारे में रिपोर्ट, उसका अश्लील वीडियो बनाकर दो-ढाई साल तक दुष्कर्म करता है।

अभी, अध्यक्ष महोदय, हद तब हो गई, जब 26 वर्ष की एक अबला 2 मार्च को शाम साढ़े पांच बजे अलवर के खेड़ली थाने में अपने पति के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराने जाती है और कहती है कि उसका पति बार-बार उसको पीटता है, तलाक की धमकी देता है। उसी परिवाद के आधार पर, जिसको जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है, वह जांच अधिकारी 3 और 4 मार्च को उस महिला को उसी थाने के परिसर में अपने कमरे में बुलाता है और दुष्कर्म करता है।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद वह महिला जब इस बात की सूचना अपने परिजनों को, सबको देती है, 7 मार्च को वह महिला एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिये थाने में जाती है, पूरे दिन बैठे रहने के बाद जब एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती है, आई.जी. रेंज, हवासिंह घुमरिया के पास, एस.पी. के पास सूचना पहुंचती है वे जब आते हैं और घटना की तस्दीक करते हैं, घटना की सत्यता की तस्दीक के बाद में यह मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद इतिश्री कर ली जाती है। आज न तो उसको निलम्बित किया गया है, न ही उसको बर्खास्त किया गया है। यह पहली घटना नहीं है। मैं समझता हूं कि महिला दुष्कर्म में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इससे पहले भी इसी प्रकार की घटनाएं जालौर में नाबालिग लड़की का अपहरण होता है, पुलिस कार्यवाही नहीं करती। मां जल जाती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। गृह मंत्रीजी, आप कोई जवाब नहीं देंगे, यह मालूम है, पर कम से कम राजस्थान के अन्दर आप संदेश क्या देना चाहते हैं। एक जिले के अन्दर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अरावली थाने में ए.एस.आई. एक महिला के साथ रेप करता है और इसी तरह की घटना खेड़ली थाने में होती है। अगर इसके बाद भी आपका विभाग मूक रहना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पूरा राजस्थान महिला दिवस पर, महिला की, अबला की इज्जत को तार-तार होते हुए देख रहा है और यह सदन उसका साक्षी बन रहा है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री राजेन्द्र राठौड़, 131.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

ताजेवाला हैड से यमुना नदी का सरप्लस पानी राजस्थान को दिलवाने की व्यवस्था

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के नियम और प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत जल संसाधन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यमुना नदी के जल के बंटवारे हेतु राज्यों के मध्य वर्ष 1994 में हुए एमओ.यू. के अनुसार राजस्थान को 1.119 बी.सी.एम. जल आबंटित हुआ। अपर यमुना रिवर बोर्ड द्वारा वर्ष 2001 में राजस्थान को वर्षाकाल में ताजेवाला हैड से 1917 क्यूसेक एवं ओखला हैड से 1281 क्यूसेक की स्वीकृति दी गई।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2003 में ताजेवाला हैड से आबंटित 1917 क्यूसेक पानी की हरियाणा की नहरों द्वारा राजस्थान लाये जाने हेतु प्रस्ताव पर स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई कि हरियाणा सरकार इस पर अपनी सहमति प्रदान करे। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2003 में सहमति हेतु एम.ओ.यू. हरियाणा सरकार को भेजा गया परन्तु हरियाणा सरकार द्वारा वर्षों से यह सहमति नहीं दी गई। राजस्थान सरकार द्वारा ताजेवाला हैड से राजस्थान के हिस्से का पानी लाये जाने हेतु पाइप लाइन पर आधारित डी.पी.आर. दिनांक 22 फरवरी, 2019 को ऑनलाइन केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत कर दी गयी।

परियोजना की क्रियान्विति के लिए हरियाणा को सहमति हेतु एम.ओ.यू. प्रेषित किया गया है, जिस पर हरियाणा की सहमति अपेक्षित है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

परियोजना की डी.पी.आर. संशोधित कर पुन: 08.01.2021 को केन्द्रीय जल आयोग को ऑनलाइन प्रेषित कर दी गयी है। संशोधित डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना के प्रथम चरण की लागत राशि 14,204.81 करोड़ रुपये एवं द्वितीय चरण की लागत राशि 17,162.04 करोड़, कुल लागत राशि 31,366.86 करोड़ रुपये आंकी गयी है। परियोजना की संशोधित डी.पी.आर. पर केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में दिनांक 02 फरवरी, 2021 को प्रस्तुतीकरण कर दिया गया है। डी.पी.आर. की शीघ्र स्वीकृति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लिस्ट करने के लिए मैंने आपको प्रार्थना उस समय की, जब माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय ने पेयजल की मांगों का उत्तर देते हुए सदन को यह आह्वान किया कि कुछ इस प्रकार के मसले हैं, कुछ इस प्रकार के अन्तरराज्यीय जल विवाद हैं, जिन पर सदन को एकमत होकर राजस्थान के हित की बात करनी चाहिए।

मंत्री महोदय, मैं स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा आपके सदन में कहे गये उस वाक्य का और आपने यह सही कहा, वक्त था 12.05.1994 का, उस समय पाँच राज्यों के बीच में जो समझौता हुआ, भैरोंसिंहजी शेखावत के तरकश से निकले हुए जो तर्क थे, उनके आधार पर यमुना के सरप्लस पानी में जो जैसा आज आपने बताया कि 1.119 बी.सी.एम. का हिस्सा हमें आबंटित हुआ।

आपको यह मालूम होगा कि इसके लिए 11.03.1995 में इस समझौते के क्रियान्वयन के लिए अपर यमुना बोर्ड बना और अपर यमुना बोर्ड की दर्जनों मीटिंग के बाद वह समय भी आया जब जल संसाधन मंत्रालय, सी.डब्ल्यू.सी. ने यह कहा और सिद्धान्तत: यह स्वीकार किया कि ताजेवाला हैड से चूरू, झुंझुनूं और सीकर को, चूरू और झुंझुनूं को 1 लाख 96 हजार हैक्टेयर की उसकी भूमि के लिए सिंचाई के लिए और सीकर में फ्लोराइड पानी से, जहां से यह शिक्षा मंत्रीजी आते हैं, उससे मुक्ति के लिए उनको पानी इसमें से दिया जाएगा और यह भी कहा कि ओखला डैम से 1971 क्यूबिक पानी, भरतपुर और करौली को 1281 क्यूबिक पानी और चूरू और सीकर को 1971 क्यूबिक पानी देने का एक सिद्धांतत: फैसला हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2001 के अन्दर राजस्थान की सरकार ने यह स्वीकार किया कि यह पानी ताजेवाला और ओखला तक लाने के लिए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहरों का जो री-मॉडलिंग होगा, उसका पैसा राजस्थान की सरकार देगी और 07.02.2003, मंत्री महोदय, आप लिख लें चाहें तो वह समय था जब सी.डब्ल्यू.सी. ने यह मुहर लगा दी और यह दो शर्तें लगा दीं, एक तो नहरों की री-माडलिंग का पैसा जो हरियाणा के इलाके में हो या चाहे राजस्थान के क्षेत्र में हो, राजस्थान की सरकार देगी और यह कैरियर नहर है, इसमें हरियाणा के हिस्से का काम और राजस्थान के हिस्से का काम एक साथ प्रारम्भ होगा और हरियाणा सरकार इसमें अपनी सहमति देगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 07.02.2003 को जब यह सारी बात हो गयी तो अब हरियाणा ने मुकरना प्रारम्भ कर दिया। हरियाणा में सरकार हमारी है, मुझे यह स्वीकार करने में कोई गुरेज़ नहीं पर यह सरकार किसी की भी हो, हम इस सदन के अन्दर राजस्थान की अवाम के हितों के लिए बैठे हैं, राजस्थान के हक के लिए बैठे हैं और 2007 के अन्दर तत्कालीन हरियाणा सरकार ने यह कहा कि अब न तो आपको ताजेवाला हैड से पानी देंगे और न ओखला से देंगे, आप पानीपत पर एक बैराज बनाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एन.डी.सी. की एक बैठक हुई। मैं यह धन्यवाद देना चाहूंगा कि एनडी.सी. की बैठक में हमारे मुख्य मंत्रीजी अशोकजी गहलोत ने इस बात को उठाया कि हरियाणा सरकार के पास एम.ओ.यू. के आधार पर जो हमारा हक है, उसका पानी मिलना चाहिए। श्रीमती वसुन्धराजी ने एन.डी.सी. की मीटिंग में यह मामला उठाया, भैरोंसिंहजी भी इसको उठाते रहे थे और मुझे यह भी याद आ रहा है कि प्रतिपक्ष के नेता एन.डी.सी. की बैठक में चंडीगढ़ गये थे, उस समय आपने भी इस बात को उठाया था।

1994 के एम.ओ.यू. के अनुसार 15 वर्ष के बाद में इसका रिव्यू होना चाहिए था, 2015 में लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है कि एम.ओ.यू. अभी भी चालू नहीं हुआ और इसी बीच राजस्थान उच्च न्यायालय में एक पी.आई.एल. लगी। यशवर्धन सिंह की पी.आई.एल. में अब प्रति महीने उच्च न्यायालय इस पर मोनिटरिंग कर रहा है और 2018-19 के बजट में, यह कहने में संकोच नहीं, आपने भी इसका उल्लेख किया है कि 2018-19 के बजट में पाइप लाइन से हरियाणा के अन्दर से जो पानी हमारा यमुना का हिस्सा है, वह सरप्लस पानी लाने के लिए पाइप लाइन से योजना बनाने के लिए एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट सी.डब्ल्यू.सी. को भेजी और सी.डब्ल्यू.सी. ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर सिद्धांतत: जब सहमति कर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

दी तो उसके बाद पी.डी. कोर को डी.पी.आर. बनाने का काम प्रारम्भ हुआ। उसकी सोशल स्टडी हुई, उसकी एन्वायर्नमेंट इम्पैक्ट स्टडी हुई, उसके बाद आचार-संहिता आ गयी।

मैं यह धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अभी सीडब्ल्यू.सी. में 08 जनवरी को, आपने 2 फेज जिनका जिक्र आपने किया 14204 और 17162, इसकी आपने पाइप लाइन की योजना बनाकर भेजी और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह जो घोषणा है, इस घोषणा पर नैतिक दायित्व आपका बन जाता है। ई.आर.सी.पी. के लिए आप कई बार प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाते हैं। क्या यह सही नहीं है कि 03 मई, 2019 को भरतपुर के अन्दर लोक सभा के चुनाव थे। आपके सबसे बड़े नेता राहुलजी थे, मुख्य मंत्रीजी थे, पायलट साहब थे और कहीं दूर नजर आप भी होंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): उस समय क्या राहुल गांधीजी ने भरतपुर और करौली के लोगों को यह नहीं कहा था कि हम किसी भी हालत में इस पानी को दिलाएंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, साइडट्रैक नहीं करें। Be confined to the subject. विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं यह चाहूंगा, आप मेरी बात सुनिये। मैं मेरी बात समाप्त कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि यह सदन सर्वसम्मति से एक संकल्प आज पारित करे कि यमुना के जल के अन्दर राजस्थान का जो हिस्सा है, जो एम.ओ.यू. किया है क्योंकि आपको याद होगा कि पंजाब ने हमारे हिस्सा का पानी रोकने के लिए एक्ट लेकर आये थे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): विधान सभा में यह संकल्प पारित किया था। क्या हम संकल्प पारित नहीं कर सकते आज के दिन? मेरा यह प्रस्ताव है, मंत्री महोदय, आप संकल्प रखें, वह पारित हो ताकि यमुना का पानी चूरू और झुंझुनूं की जमीन को सरसब्ज कर सके।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सदन के सभी पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि हमारी कई योजनाएं हैं, पानी के इस बंटवारे को लेकर हम कई वर्षों से जूझ रहे हैं। कई बार हम उनको इस स्टेज पर ले आते हैं कि वह इस बात पर एग्री भी कर जाते हैं लेकिन वापस जैसे ही समय गुजरता है, वह फिर उससे मुकर जाते हैं। मैं यह सोचता हूं कि चाहे इसका हो या चाहे भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड हो, हमारा अभी तक अधिकृत रूप से सैक्रेटरी राजस्थान का होता है लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है कि इतना प्रयास करने के बाद, वहां कमेटी में स्वीकार कर लेने के बाद भी हमारा उन्होंने किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया।

मैं यह चाहता हूं कि यह सदन राजस्थान की वह सारे के सारे पानी का बंटवारा, जिसके कारण से राजस्थान प्रभावित हो रहा है, चाहे वह आपके समय हुआ हो या चाहे हमारे समय में हुआ हो उसको टोटल एक साथ मिलाकर और मिलाकर एक संकल्प हमको लाना चाहिए जो राजस्थान के विभिन्न प्रकार के पानी के बंटवारों का हमारा जो हिस्सा बनता है, वह हिस्सा हम संकल्प पास करके, आप और हम सब साथ चलें और वास्तव में जो चीज हमें मिलनी चाहिए, जिसके लिए हम वास्तव में अधिकृत हैं क्योंकि प्रारम्भ से ही जब से यह ट्रीटी हुई थी, तब से लेकर हमको इस रेगिस्तानी एरिया को सोचकर ही दिया था तो मैं यह चाहता हूं कि आप उन सबको इकजाई करें, जहां-जहां से भी पानी के बंटवारे का राजस्थान को फायदा मिलना चाहिए, उन सब योजनाओं को क्लब करके अबकी बार इस सदन में एक संकल्प लाकर हम सब लोगों की सहमति से पास करे और उसके बाद समय निकालकर, उनसे समय लेकर, इसके बारे में जहां-जहां पर जिन -जिन से मिलना आवश्यक हो, मिलकर हम सामूहिक रूप से पैरवी करें ताकि राजस्थान का यह जो पानी है, यह राजस्थान को मिल सके।

श्री अध्यक्ष: कल्लाजी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि ओखला हैड से हमको जो पानी 1281 क्यूसेक्स मिलना चाहिए, उससे ज्यादा पानी हम ले रहे हैं किन्तु ताजेवाला हैड से जो हमको 1917 क्यूसेक्स पानी मिलना चाहिए, वह निरन्तर हरियाणा सरकार की अनदेखी के कारण और उनके असहयोग के कारण यह पानी हमको नहीं मिल पा रहा है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

मैंने स्वयं ने जल संसाधन मंत्रीजी जो राजस्थान से ही हैं माननीय गजेन्द्र सिंहजी से बातचीत की, उन्होंने यह कहा कि आप डी.पी.आर. बनाकर भेजो, मैं स्वयं यह बात करूंगा और बात करके इसका कोई उपयुक्त सोल्यूशन निकालूंगा। सेंट्रल वाटर कमीशन के अधिकारियों से हमारे अधिकारियों ने बात की है। उन्होंने भी यह आश्वस्त किया है कि इस बार आपने जो पाइप लाइन के माध्यम से ताजेवाला हैड से यह पानी लाने की बात की है, वह आपकी उपयुक्त है, हम चाहेंगे कि इसको हम स्वीकृति दें और हरियाणा भी इस पर सहमति दे लेकिन, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि हरियाणा ने तो हमको सर्वे करने की भी इजाजत नहीं दी है, इसके कारण से हमने वहां पर रडार सर्वे हेलीकाप्टर के माध्यम से किया, पी.डी. कोर के माध्यम से। मतलब, उन्होंने बिलकुल सहयोग हमको नहीं किया, इस कारण से बड़ी दिक्कत आयी है। चूंकि, फरवरी में हमने यह प्रस्ताव भेजा है और हमको यह आश्वस्त किया हुआ है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। यदि वह नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम सदन के सभी माननीय सदस्य जैसे ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, जैसा यमुना नदी का है, इन सबके बारे में सब मिलकर संयुक्त प्रयास करेंगे ताकि राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान को समय पर मिल सके।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव। श्री महेन्द्र चौधरीजी।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

(1) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2021-2022 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'क' 2021-2022 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 'ख' 2021-2022 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2021-2022 के लिये पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव सरकारी उप मुख्य सचेतक ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

माननीय डिप्टी चीफ व्हिप।

वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

'राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232 (1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जन लेखा समिति, 2021-2022, प्राक्कलन समिति 'क' 2021-2022, प्राक्कलन समिति 'ख', 2021-2022 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2021-2022, प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 'राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232 (1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के सम्बन्ध में सरकारी उप मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 – पुलिस की प्रस्तुति

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16– पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 74,33,32,35,000/- (चौहत्तर अरब तैंतीस करोड़ बत्तीस लाख पैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 16 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें)

मांग संख्या 17 – कारागार की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17- कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,19,18,98,000/- (दो अरब उन्नीस करोड़ अठारह लाख अठानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 17 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-03 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं, इससे पहले एक निवेदन जरूर करूंगा कि आज सदन के अन्दर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और कारागार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, पर जब मेरी निगाह अफसर गैलरी की तरफ जाती है तो मुझे अफसोस होता है।

श्री अध्यक्ष: जल्दी शुरू हो गयी, सब आ जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि लम्बे अंतराल के बाद इस सदन के अन्दर कारागार के साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर चर्चा हो रही है। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, हर बजट सत्र में पुलिस, कारागार और कानून व्यवस्था पर चर्चा होती है। इन चर्चाओं के बीच में भ्रष्टाचार के रोकथाम पर जो चर्चाएं होनी चाहिए, वह फोकस चर्चा नहीं हो पाती और माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर देखा जाए तो इस विश्व का कोई ऐसा देश, कोई ऐसा प्रदेश और कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस भ्रष्टाचार से किसी न किसी तरह से पीड़ित नहीं हो और इसीलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 दिसम्बर का दिन, प्रत्येक वर्ष में 9 दिसम्बर को पूरे विश्व में वर्ल्ड एंटीकरप्शन डेट के रूप में मनाया जाता है और मैं समझता हूं, शायद मौजूदा सरकार ने भी जिस घोषणा पत्र को अपने शासन का आधार बनाया, उसके पृष्ठ 36 में बिन्दु संख्या 27 और 28 पर आपने एक बात लिखी कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान छेड़ेंगे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की नीति अपनाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, चूंकि इसी बात को अपने पहले बजट को प्रस्तुत करते हुए मुख्य मंत्रीजी ने पैरा 180 में, 2019 में कहा था, उसको दोहराया। मैं मंत्री महोदय, एक बात के लिये आपको धन्यवाद दूंगा कि आज उच्च पदस्थ लोगों पर, उनकी शिकायत, उनके खिलाफ परिवाद को सुनने के लिये जो संस्था थी लोकायुक्त, आपने बहुत अच्छा काम किया। 23 महीने बाद आपने लोकायुक्त के पद पर किसी व्यक्ति का मनोनयन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो एक बहुत बड़ी घोषणा कर रखी है, सामाजिक जवाबदेह कानून की, जो आपके जन घोषणा पत्र के परिशिष्ट 35 पर अंकित है, उस बात को भी आप पूरा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(12.38 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, पदासीन, सभापति)

माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रगति प्रतिवेदन को पढ़ा। प्रगति प्रतिवेदन में ब्यूरो ने जो कीर्तिमान स्थापित किये, सफलता और असफलता, दोनों इसमें इन्द्राज है, इसको पढ़ने से ऐसा लगता है। परंतु मैं सदन का ध्यान हाल ही में नवम्बर में, देश में भ्रष्टाचार नापने के लिये जो अन्तरराष्ट्रीय संस्था बनी है, 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' की ताजा रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसके चेयरपर्सन, सभापति महोदय, डेलिया फेरिया अबीनो, उन्होंने 'करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन राजस्थान' की जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसमें यह माना, उनके पूरे सर्वेक्षण के बाद यह माना कि 78 प्रतिशत लोगों ने पिछले एक वर्ष में अपने काम के लिये रिश्वत दी। यह दुर्भाग्य है, उनमें से 58 प्रतिशत व्यक्तियों को एक से ज्यादा बार रिश्वत देनी पड़ी और आगे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सर्वाधिक भ्रष्टाचार, अगर कहीं हैं तो पंजीयन रजिस्ट्रेशन वाले विभाग में है और दूसरे नंबर पर, जिस विभाग की आज चर्चा कर रहे हैं 33 प्रतिशत करप्शन है। मैं नहीं कह रहा हूं, यह रिपोर्ट कह रही है कि पुलिस विभाग में है और माननीय सभापति महोदय, अभी समाचार-पत्रों में एक गैर-लाभकारी संगठन है 'सेंटर फोर मीडिया स्टडी', मंत्री महोदय ने जरूर उन आंकड़ों को पढ़ा होगा। उन्होंने माना कि राजस्थान के अन्दर सरकारी लोकसेवकों से जो काम होते हैं, उनमें 75 प्रतिशत व्यक्तियों को रिश्वत देनी पड़ती है। यह तस्वीर मेरी खींची हुई नहीं है, यह तस्वीर उन संस्थाओं की खींची हुई है जिन संस्थाओं ने पूरे सर्वेक्षण के बाद अपनी बात कही है।

सभापति महोदय, अभी इसी सितम्बर महीने में माननीय मुख्य मंत्री जी ने ए.सी.बी. की, एंटी करप्शन ब्यूरो की समीक्षा की। उन्होंने दो बातें कहीं जो उस वीडियो कान्फ्रेंसिंग में और दूसरे दिन समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई। पहली बात तो उन्होंने कही कि अब सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति में विलम्ब नहीं होना चाहिए और दूसरी बात उन्होंने कही कि राजस्थान में जितने भी आई.ए.एस. से लेकर राजपत्रित अधिकारी हैं, वे अपनी सम्पत्ति की ऑनलाइन घोषणा करें, डिक्लेरेशन करें और उसके बाद उसी दिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत करने के लिए एक टोल फ्री नम्बर बोला गया, हैल्पलाइन का नम्बर सार्वजनिक किया गया, व्हाट्सएप हैल्पलाइन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की बात कही गई। मुख्य मंत्री जी की समीक्षा का बड़ा व्यापक असर हुआ और सभापति महोदय, क्योंकि मुझको भी लगा कि अब ए.सी.बी. दंत हीन और नख हीन नहीं रहेगी, अब तो नौकरशाह को अपनी सम्पत्तियों का सार्वजनीकरण करना ही पड़ेगा, पर नतीजा क्या निकला।

सभापति महोदय, इस बात का असर यह भी पड़ा कि राजस्थान पत्रिका के जो प्रधान संपादक हैं, लेखक भी हैं और चिंतक भी हैं, गुलाब जी कोठारी ने एक सम्पादकीय लिख दिया, उसका हैडिंग था, 'मिलीभगत की कुश्ती'। उसमें उन्होंने लिखा कि पहली बार राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि अफसरों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं नहीं कह रहा, गुलाब जी कोठारी कह रहे हैं। स्थिति नियंत्रण के बाहर है, अशोक जी को मुक्त कंठ से बधाई। आपने अपराध शाखा को चेतावनी दी, ए.सी.बी. के भय के बिना अपराध रोकना सम्भव नहीं। उन्होंने आगे लिखा, परंतु राजस्थान के 19 अफसरों के खिलाफ न्यायालय में मुकदमे पहुंचे, सरकार ने वापस ले लिए। उन्होंने आगे लिखा, बजरी माफियाओं ने कितनों की जान ली? भू माफिया, मादक पदार्थों से जुड़ा माफिया, हथियार माफिया, सूदखोर माफिया, मानव तस्करी माफिया, खनन माफिया, दलालों की मंडी जैसे हालत चारों ओर दिखाई दे रही है। ऊर्जा विभाग में खरीद, मैं नहीं कह रहा, वे कह रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में खरीद, सार्वजनिक निर्माण विभाग की खरीद में तो आटे के नमक के बराबर भ्रष्टाचार है।

मंत्री जी, मैं समझता हूं यह आलोचना नहीं है, यह आलोचना कोई राजनीतिक दल करता तो शायद आपको तकलीफ होती, आपको इसको निश्चित तौर पर समालोचना की दृष्टि से देखना चाहिए।

सभापति महोदय, यह सबको मालूम है कि देश में प्रिवेन्शन आफ करप्शन एक्ट जिसको हम पी.सी. एक्ट कहते हैं, 1988 से लागू है और इस पी.सी. एक्ट का सैक्शन 2 यह कहता है कि कोई भी लोक सेवक या कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकारी खजाने से वेतन लेता है, अगर किसी काम को करने या नहीं करने के लिए धन लेता है या प्रलोभन मांगता है या धोखे से, मिथ्या से स्वयं के लिए अपने किसी निजी व्यक्ति के माध्यम से कोई मूल्यवान आर्थिक लाभ लेता है वह पी.सी. एक्ट के 1988 के सैक्शन 2 के अन्दर अपराधी है। पी.सी. एक्ट बना और उसी में, मंत्री महोदय, सैक्शन 6 के अन्दर इन्होंने कहा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि भ्रष्टाचारियों को न्यायालय में शीघ्र सजा मिले, डेजिग्नेटेड कोर्ट और स्पीडी ट्रायल की बात सैक्शन 6 में कही और सैक्शन 19 में यह कहा कि भ्रष्टाचार में एजेंसी द्वारा पकड़े गये लोक सेवकों के विरुद्ध में अभियोजन स्वीकृति शीघ्र मिले। यह हमारे हिन्दुस्तान के अपराध नियंत्रण के लिए बने प्रिवेन्शन आफ करप्शन एक्ट, 1988 में लिखा है।

सभापति महोदय, सही भी है, सीआर.पी.सी. के सैक्शन 197 में वे सारे प्रोसीजर को ले-डाउन किया है। अगर एक लोक सेवक के विरुद्ध में शिकायत मिलेगी, जांच होगी और जांच के बाद अगर जांच अधिकारी यह सोचेगा कि अब इनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए तो वह प्रोसीक्यूशन के लिए सीआर.पी.सी. के सैक्शन 197 के अन्दर सरकार के पास भेजेगा, पर सभापति महोदय, न स्पीडी ट्रायल है, न समय पर अभियोजन स्वीकृति है।

मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, मेरे पास एक सूची है, सिर्फ राजपत्रित अधिकारी पर 37 मामले लम्बित हैं और 37 मामलों में 5 से 10 वर्ष से जो अभियोजन स्वीकृति के लिए लम्बित है, प्रतिपक्ष के नेता, मेरे पास सूची है, 5 से 10 वर्ष के लिए लम्बित हैं, वे 19 मामले हैं और इन 37 मामलों में 17 मामले रैड हैंडेड ट्रेप के हैं। पैसे लेते हुए पकड़े गये, हाथ धुलाये गये, लाल रंग पानी में आ गया और उसके साथ ही 17 में जो रैड हैंडेड पकड़े गये आज 11 लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। हम किस प्रकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेंगे, क्या होगा? राम तेरी गंगा मैली हो गयी इन भ्रष्टाचारियों के पाप धोते-धोते। पूरी मैली कर दी राजस्थान में तो।

सभापति महोदय, आपने कल भास्कर में पढ़ा होगा, एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह, इंस्पेक्टर राजू मीणा, नवनीत व्यास, सब के खिलाफ चार्जशीटेड लोग फील्ड में लगे हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं यह कुछ बानगी प्रस्तुत करके आगे बढ़ूंगा। 31.01.2021 को, इसी जनवरी को अभियोजन स्वीकृति हेतु जो लम्बित मामले हैं, उनकी बता रहा हूं। एक मामला है, यू.आई.टी. में, 21.06.2013 को अजमेर यू.आई.टी. में निशु कुमार अग्निहोत्री सचिव थे, पैसा मांग लिया कोई गुनाह नहीं किया, अभियोजन स्वीकृति के लिए सरकार ने तीन साल बाद भेजा 01.09.2016 को और आज उस मामले को 8 वर्ष हो गये, सरकार के पास लम्बित है।

इसी तरह का एक मामला 2012 में एक खनिज घोटाला हुआ और उसमें लगभग 9 लोगों के खिलाफ, अविनाश कुलदीप, गाइड सिंह, अनिल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खमेसरा, इन सबके खिलाफ पद का दुरुपयोग करते हुए जांच में प्रमाणित पाया गया और अभियोजन स्वीकृति के लिए 2012 के मामले में 2018 में गयी और आज अभियोजन स्वीकृति पर सरकार विराजी है।

सभापति महोदय, इसी तरह 2011 में एक मामला प्रहलाद लाल गुप्ता, वे कनिष्ठ अभियंता थे जैसलमेर में नगर परिषद् में और हाल में कहां काम कर रहे हैं, सहायक अभियंता, रेगुलेशन खण्ड-2, आरडी 620, इंदिरा गांधी नहर, मुख्य नहर, छतरगढ़ में। मतलब 2011 में मामला पंजीबद्ध हुआ और इसके अन्दर 07.06.2018 को अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजा गया, आज 7 वर्ष बीत गये, या अभियोजन स्वीकृति के लिए मना करें, जिस सक्षम अधिकारी के पास, जिस एच.ओ.डी. के पास यह अभियोजन स्वीकृति है, या तो मना करें या जारी करें।

यह आई.ए.एस. निर्मला मीणा का केस तो आपने समाचार पत्रों में देखा है, कितना बड़ा घोटाला जोधपुर में हुआ और आपने 02.11.2017 को इनके विरुद्ध में मामला पंजीकृत किया और 10.07.2018 को अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव रसद विभाग के प्रमुख शासन सचिव उसके ऊपर विराज गये। क्या हो रहा है, सभापति महोदय, आदमी कुर्सी पर बैठता है, प्रस्तावों के ऊपर बैठता है, मैं समझता हूं।

इस प्रकार यह नरेन्द्र कुमार थोरी जो नगर परिषद्, टोंक में आयुक्त थे, 2014 में यह मामला दर्ज हुआ। आज तक अभियोजन स्वीकृति नहीं और विभाग कहता है कि हमने अभियोजन स्वीकृति के लिए 12.07.2018 को भेज दिया।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि एक मामला 2015 का है अरुण प्रकाश, मैं आगे इस मामले का पूरा खुलासा करूंगा क्या मामला हुआ था, जो उस वक्त नगर विकास न्यास में सचिव थे अब इंदिरा गांधी पंचायती राज विभाग में बड़े अधिकारी, उप निदेशक हैं। इनके विरुद्ध में मामला दर्ज हुआ। इनके और दुर्गेश बिस्सा के 22.07.2015 का, अभियोजन स्वीकृति के लिए कागज भेजे 23.07.2018 और आज यह महाशय बिस्सा जी अब बीकानेर से जोधपुर यू.आई.टी. में हैं। जिनके खिलाफ खुद विभाग कहता है कि भ्रष्टाचार का तांडव हो गया, आज वे फील्ड पोस्टिंग के अन्दर बीकानेर से जोधपुर पहुंच गये।

सभापति महोदय, अगर इन सारी बातों को मैं देखूं तो लम्बा समय लगेगा। मंत्री महोदय, आप कहो तो मैं यह सूची आपको दे दूंगा। कुल मिलाकर मैं यह सवाल करना चाहूंगा, मुझे यह बताओ कि यह 37 राजपत्रित अधिकारी,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

17 ट्रेप के केस में हैं, इनमें से 5 से 10 वर्ष पुराने प्रकरण लम्बित हैं 19, आज इन मामलों के अन्दर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को हम कितना बचाने का काम करेंगे, यह आपकी बानगी है।

सभापति महोदय, आपने हमें जो यह प्रगति प्रतिवेदन दिया, प्रगति प्रतिवेदन में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। मंत्री महोदय, प्रगति प्रतिवेदन, 2020 का आपका कागज, पृष्ठ 18, आपने अभियोजन स्वीकृतियों के बारे में एक तालिका दी है। तालिका क्या दी आपने, 2018 में 452 अभियोजन स्वीकृति आपके पास पैंडिंग थी और आपने वर्ष भर में 266 का निस्तारण कर दिया, बड़ा काम कर दिया। 2019 में आपके पास कुल मिलाकर जो थी, उनके अन्दर आपके पास 436 थी और 236 और 2020 में एक वर्ष में 466 और 222 आई। यानी आज मैं कहूं कि प्रगति प्रतिवेदन का यह पृष्ठ चीख-चीखकर के कह रहा है कि इस विभाग के पास 31 दिसम्बर, 2020 में जो अभियोजन स्वीकृति अधिकृत जो डाकूमेंट इन्होंने मुझे दिया, उसमें 244 है और उनमें विलम्ब है, 5 से 10 वर्ष का। क्या अर्थ रहा पीसी एक्ट के सैक्शन 19 का, धज्जियां उड़ा रहे हैं आप। सैक्शन 19 में आपको कहा है कि अभियोजन स्वीकृति जल्दी दो। आज वह सब लोग जिनके विरुद्ध में अभियोजन स्वीकृति जारी हो जाती, न्यायालय में चालान होता, जेल के सींख़चों में होते, आज सरकारी महकमे के बड़े-बड़े पदों पर, बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर, कारों में घूम रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह जो एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो में वह आदमी परिवाद दर्ज करता है, जिसका किसी न किसी विभाग से कोई न कोई लेजिटिमेट काम हो। जब वह हिम्मत करके परिवाद दर्ज करता है तो उसके मन में यह बात आती है कि उसका जो काम है, उसको तो वह भूल ही जाए क्योंकि उसके सामने कुआं और खाई दोनों हैं। अगर वह काम करवाता है तो भ्रष्ट अधिकारी की मांग को पूरा करने के लिए उसके पास उतनी राशि नहीं है। अगर वह शिकायत करता है तो अपने काम को भूल जाए। होना क्या चाहिए? परिवाद जो दर्ज हुआ, उस परिवाद पर शिकायत की जांच करके उसको निस्तारण होना चाहिए। उसको एफआईआर में तब्दील करना है या परिवाद को नस्तिबद्ध करना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ 15, मंत्री महोदय, इसमें आपने परिवाद के बारे में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक तालिका दी है। आपने खुद ने लिखा है कि 2020 के प्रारम्भ में आपके पास 1287 परिवाद थे और वर्ष के दरमियान 287 परिवाद और आ गए। यह मैं नहीं कह रहा, आपकी यह तालिका कह रही है। कुल मिलाकर 2020 के अन्दर आपके पास जो परिवाद आ गए, उनकी 1447 संख्या हो गई। उनमें से पूरे साल में निस्तारण कितने किए? यह तालिका में लिखा है कि सिर्फ 86 किए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? राजस्थान के अन्दर 2020 में कुल मिलाकर 1447 लोग गए। मुझे शिकायत है कि फलां अधिकारी मुझसे रिश्वत मांग रहा है। मेरे लेजिटिमेट काम को करना नहीं चाहता। आपके पास शिकायत कर दी और आप शिकायत पर भी विराज गए। आप सिर्फ 86 का निस्तारण करते हो। मैं समझता हूं कि इससे बुरी बात कुछ हो ही नहीं सकती। आपने जीरो टोलरेंस की बात कही। आपने बजट में और जन घोषणा-पत्र में क्या नहीं कहा? इसी तरह 2019 में 1553 परिवाद आए और उसमें से 266 का निस्तारण किया। उसमें से 163 तो आपने नस्तिबद्ध कर दिए। नस्तिबद्ध चलो उनको तो आपने कर दिया लेकिन आपकी रफ्तार देखिए।

माननीय सभापति महोदय, उस व्यक्ति का काम तो होगा नहीं। सरकार को चाहिए कि परिवादी की जो शिकायत है, उसके आधार पर उसका जो लेजिटिमेट काम है, किसी लोक सेवक के पास है, उस काम की फाइल मंगाकर काम करें। कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए। उसका काम भी होना चाहिए और उसके साथ परिवाद का निस्तारण भी होना चाहिए लेकिन आप इसमें कुछ करेंगे नहीं।

अब आपके इसी प्रगति प्रतिवेदन में आपने एक प्रारंभिक जांच की तालिका दी है। वह आपने पृष्ठ 16 पर दी है। उसमें क्या लिखा है? आप ही के लिए बोल रहा हूं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं सुन रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अब देखो, यह मुझे किस अदा से देख रहे हैं। इनको जब से यह पता लगा है कि मुझे आंखें निकालकर के देखते हैं तो मैं घबरा जाता हूं। डीरेल होता हूं। हमेशा इसी बात की कोशिश करते हैं।

श्री सभापति: आपके विस्तृत ज्ञान से वह बहुत प्रभावित हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि परिवाद की जो स्थिति है, जो मैंने बताई, आज 2020 के अंत तक 1331

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

परिवाद ऐसे हैं, जो कह रहे हैं कि मेरे बारे में निस्तारण करो लेकिन कोई स्थाई गृह मंत्री हो तो, आप तो अस्थाई हो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप वैसे भी देखने काबिल आदमी हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जर्रानवाजी है आपकी।

सभापति महोदय, परिवाद के बाद प्रारंभिक जांच का जो आंकड़ा दिया है। 2018 में 169, 2019 में 135 और 2020 में 128, कुल मिलाकर के यदि तीनों सालों की प्रारंभिक जांच को मैं जोडूं तो आज 432 प्रारंभिक जांचें हैं। जीरो टोलरेंस, परिवाद आपने दर्ज किया। उस परिवाद के बाद में आप प्रथम दृष्टया कोई चीज मांगते हो, प्रारंभिक जांच के लिए कागज लेते हो और उस कागज पर भी आप विराज जाते हो।

माननीय सभापति महोदय, अब आपके यहां अभियोग दर्ज हो गए। अभियोगों की जो स्थिति है, उसमें पृष्ठ 17 के अन्दर एक तालिका इन्होंने दी है। उसमें यह क्या लिखते हैं? 2020 के प्रारम्भ में 1694 अभियोग विचाराधीन थे। 2020 के दौरान, मैं नहीं कह रहा, इनके यह कागज हैं, 363 और अभियोग पंजीकृत हो गए। उसमें कुल मिलाकर के 313 तो अभियोग ऐसे थे, जिनमें अधिकारी ने, कर्मचारी ने रिश्वत मांगी। 16 अभियोग ऐसे थे जो आय से अधिक सम्पत्ति के थे। 34 अभियोग पद के दुरुपयोग के थे। 2019 में 1694 अभियोग, 2020 में 1776 अभियोग और आपका निस्तारण क्या है? आगे आपने इसी तालिका में लिखा है कि सक्षम न्यायालय में चालान कितना हुआ?

उद्योग मंत्री जी, आप तो वकील रहे हैं। 2019 में 245 का चालान हुआ। मतलब, अभियोग दर्ज हुए 1694 और आप चालान 245 का कर रहे हैं। 2020 में 1776 अभियोग आपने खुद ने दर्ज किए और चालान 239 का कर रहे हैं। आप सीधा ही छोड़ दो न उनको। सीधा ही कह दो कि राजस्थान में भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी। इससे बुरी बात क्या हो सकती है। कुल मिलाकर ट्रेप के जो मामले 2018 में 246 थे, 2019 में 309 और 2020 में 313, मैं नहीं कह रहा यह, यह हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी कहते हैं कि एसीबी ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं कह रहा हूं कि एसीबी के काम की परिणति क्या है, यह सामने है। ट्रेप के मामले, जिसमें रंगे हाथ अधिकारी लोग पकड़े गए, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में गोता लगा रहे हैं और आप देख रहे हैं। आपने चालान कितनों का किया?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह सारे आंकड़े यह कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारियों को, पहली बात आप उनके खिलाफ परिवाद के आधार पर कार्यवाही नहीं करना चाहते। उनकी प्रारंभिक जांच के आधार पर कार्यवाही नहीं करना चाहते। अभियोग अगर दर्ज हो गए तो अभियोग को सक्षम न्यायालय में आप चालान नहीं करना चाहते। इससे बुरी हालत कुछ नहीं हो सकती। यह बानगी है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अगर एसीबी अकेले पर यह बहस नहीं होती तो यह आंकड़े यूं ही चले जाते। आपने जो मुझे किताब दी, उसके पृष्ठ 19 पर, मेरा कोई आंकड़ा नहीं है, उसमें आपने क्या लिखा है, न्यायालय में कितने मामले लम्बित हैं। 2020 के प्रारम्भ में 3005 प्रकरण एसीबी के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित थे। यह आपकी किताब कह रही है। 2020 वर्ष के दौरान 198 प्रकरण और आ गए। इसी दरमियान 125 प्रकरण न्यायालय ने निस्तारित कर दिए और सज़ा मात्र 56 को हुई। आप सज़ा का प्रतिशत भी देखो। 2020 में 19 प्रकरण ऐसे थे, यह किताब में लिखते हैं, वह प्रकरण इतने पुराने थे, न्यायालय में, काल-कवलित हो गए। भगवान के दरबार में वह न्याय करेगा। उन्होंने क्या किया, नहीं किया। उनके न्यायालय में चले गए। 19 आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गए।

माननीय सभापति महोदय, हो क्या रहा है, यह मेरे समझ के परे की बात है। 2020 में 3203 मामलों में जो चल रहे हैं, उसमें 125 मामले निर्णीत होते हैं, सिर्फ 125 मामले। 2019 में 3288 में से 283 होते हैं। इसका मतलब हमारी प्रोसीक्यूशन विंग, आपकी अभियोजन के लिए जो विंग है, उसमें कैसे लोगों को बैठा दिया? क्या जरूरत थी आपको, आपने एक पूरी लिस्ट मंगवा ली डीसीसी से। ऐसे लोगों को बैठा दिया जिनको यह पता ही नहीं कि आरोप पत्र क्या होता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम आप अपने अधिकारियों को लगाओ। अपने कार्यकर्ताओं को लगाओ। हर दल के साथ होता है, कोई बात नहीं लेकिन असंतोष को दबाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हो। आज आपकी प्रोसीक्यूशन विंग इतनी कमजोर है कि न्यायालय में मामला चला गया और कुछ नहीं।

अभी दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं। बहुत कम सवाल लगाते हैं, लेकिन सवाल बड़ा सटीक होता है। आपने 3 मार्च को एक सवाल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लगाया इंस्पेक्टर जोधाराम गुर्जर का। आरोप था कि उन्होंने एक ठेकेदार से अफीम के 15 लाख रुपये ले लिए। एक गैंगस्टर थे रणवीर, वह गोवा चले गए। गोवा में बीच के किनारे, सभापति महोदय, क्या बात है, वह फोटो वहां वायरल हो गई। अब इनके खिलाफ पीसी एक्ट में एफआईआर नंबर 293/2014 में न्यायालय में चालान हो गया। अभी मुकदमा चल रहा है। अब यह सारा मामला आया, इसी पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने पुलिस सेवा नियम 19 (2) के तहत उनको बर्खास्त कर दिया। अब कोई न कोई बात ऊंची आ गई। मेरी निगाह जा रही है, यह बात कहां से निकलकर कहां से आई? बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी।

(13.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, उन्होंने एक होम कमिश्नर साहब के सामने सीसीए रूल 1958 के नियम 23 के अन्दर अपील की। जिस वक्त जिस सक्षम अधिकारी ने बर्खास्त कर दिया, अनुशासनिक अधिकारी ने, जिसमें कोर्ट में चालान चल रहा है। अब ये जाते हैं 30.12.2020 को, गृह सचिवजी के सामने पहुंचते हैं उधर से बात कहीं से आई और कहीं निकल जाएगी, तू देखता रह जाएगा, उसी तर्ज पर इसी 19 तारीख को उनको उस पुराने आदेश को वापस कर दिया जाता है, तीनों स्टार लगाकर जोधारामजी फिर आ गए। मैं समझता हूं कि जो रंगे हाथ 15 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, कोर्ट के अन्दर जिसके खिलाफ चालान हो गया, आज ऐसे लोगों के साथ इस तरह की कार्यवाही पर निश्चित तौर पर सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, ये एक बानगी नहीं, अभी आपने मंत्रीजी, क्या लिखवाया है इनसे? आपने प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ 5 पर, 2020 में महत्वपूर्ण कार्य की उपलब्धि यह लिखवाया है आपने और उस पर दस्तखत किए हैं आपने। उसमें पृष्ठ 6 के पाइंट 2 पर लिखा है, आपने एक बड़ा काम किया है, एक प्रमोद शर्मा सन आफ चतुर्भुज शर्मा है मालवीय नगर के, वे उप महानिरीक्षक भरतपुर के नाम से 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए और आपने एफआईआर नम्बर 99/2020 और उसमें 25.06.2020 को गिरफ्तार कर लिया, आपने उपलब्धि गिना दी। मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने क्या किया था? वर्ष पर्यंत जो व्यक्ति एक आईजी के नाम से रिश्वत लेता चला गया, जिसके इंटेरोगेशन नोट के अन्दर उस आईजी का नाम ले दिया, उसने कहा कि मैंने पैसा कहां से लिया और कहां पहुंचाया,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आज तीन सितारों की गाड़ी में आपके आईजी साहब घूम रहे हैं। भरतपुर के तत्कालीन आईजी, लक्ष्मण गौड़, किसको प्रश्रय दे रहे हो, मेरे समझ से परे की बात है। आपने मंत्रीजी, 3 परिपत्र, वैसे तो बहुत परिपत्र हैं ज्यादा मुझे मिले नहीं, मैं 3 परिपत्र का हवाला देता हूं। आपके वहां बैठे कोई लिखेगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अपनी पकड़ नहीं है, अपन स्थायी तो हैं नहीं। अपन विधान सभा आती है तो मेरा भाई एक ही है जो लच्छेदार बात से उत्तर दे देता है, इसलिए आपको पकड़ा देते हैं, इसके अलावा तो अपने यूं। इसलिए मैं आपकी बात बोलूंगा, वह लिखेंगे नहीं और आप बोलेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं है। यह परिपत्र है जो पुलिस महानिरीक्षक ने जारी किया दिनांक 23.07.2003 को, 07.02.2005 को, 01.09.2010 को, इन तीनों परिपत्र में क्या लिखा है। इन्होंने कहा है जिस किसी भी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध में 16 सीसीए की कार्यवाही हो, जिस किसी अधिकारी के विरुद्ध में इस प्रकार का आरोप हो जिसमें वित्तीय अनियमितता की बात हो, जिस किसी अधिकारी के विरुद्ध में सक्षम न्यायालय के अन्दर कोई वाद पैंडिंग हो, उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं देंगे। यह मैंने नहीं कहा, आपने कहा है। अभी मनीष अग्रवालजी को आपने पकड़ा, ये पहले बाड़मेर में थे, तीन महीनों में हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने हटा दिया, चार्जशीट हुई। आपने लगा दिया दौसा में, दौसा में क्या गुल खिलाया, आपके सामने है। अभी बात तो मैं क्या करूं, परसों आपके साथ कौन उद्घाटन कर रहे थे? जेसीटीएसएल के एमडी का क्या हुआ?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पकड़ा गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पर क्या कर रहे थे? जो टोकरा गया, उस टोकरे के नीचे क्या? कैसे, कहां-कहां जाते हैं ये टोकरे? इस राजस्थान का अवाम खोज रहा है कि टोकरा कहां से निकलकर कहां-कहां जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, उदयपुर संभाग में क्या है? उदयपुर संभाग के अब जो आईजी हैं, वे आपके एसपी थे, कोटा में उन्होंने क्या किया? पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? चालान हुआ कि नहीं हुआ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत खारिज की या नहीं की? हाई कोर्ट ने जमानत खारिज की या नहीं की? सुप्रीम कोर्ट से जमानत होकर वापस आये, अभी चार दिन पहले, आप भी शायद कुछ दिन पहले कोटा में थे, आपसे भी उस दिन वे मिले। कोर्ट में पेशी से आए, वाद चल रहा है कोर्ट में और आईजी उदयपुर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आते हैं, उदयपुर का आईजी कोर्ट में भ्रष्टाचार का आरोपी होते हुए उदयपुर संभाग के पुलिस बेड़े की अगुवाई कर रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है?

माननीय सभापति महोदय, कई बार ये जो शातिर बदमाश हैं, ये एसीबी का कंधा भी बड़ी खूबी से इस्तेमाल करते हैं और एसीबी इस्तेमाल भी होती है। प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ 6 पर आपने अपराध संख्या 108/2020 का जिक्र किया है, उसमें शिकायत क्या थी, मैं उसको देख रहा था कि इसमें क्या मीर मार लिये। एक थी एडिशनल एसपी, उस पर आरोप लगाया एक परिवादी ने कि मेरे पर दर्ज मुकदमे को रफा-दफा करने के लिए एसओजी के तत्कालीन एडीजी के नाम से दो करोड़ रुपये मांगे और उसके बाद एडीजी से उनको मिलाया नहीं। परिवाद की सत्यता क्या है, क्या नहीं है, आप जांचो। मैं उस पर नहीं जाना चाहता पर यह परिवादी कौन है, अपनी इसी विधान सभा के पीछे लालकोठी में जो कार्यालय है, यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसायटी, उनके खिलाफ एक एफआईआर नम्बर 44/2020 उनके खिलाफ एफआईआर थी, 108 करोड़ का गबन किया उस आदमी ने, राजस्थान की जनता को कहा कि आपको मैं 12, 13, 14 परसेंट ब्याज दूंगा और 5 साल में आपकी रकम दुगुना कर दूंगा, 108 करोड़ रुपये लोगों के क्रेडिट कम्पनी के खाते में आ गये, एक फर्जी क्रेडिट कम्पनी बनाई और उसमें सारा ट्रांसफर करवा लिया। मामला दर्ज हुआ। मुझे यह नहीं कहना है कि परिवाद का क्या करेंगे पर इस प्रकार के अपराधी आज यह मामला छह महीने हो गये, माननीय सभापति महोदय, वह अपराधी बड़े खुले आम घूमता है क्योंकि उस पर कोई जांच करेंगे नहीं क्योंकि उसने तो एसीबी पर बड़ा आरोप लगा दिया।

माननीय सभापति महोदय, अभी जिसका जिक्र मैंने किया दुर्गेश बिस्साजी का, मामला क्या था? एक चक गरबी, चक है बीकानेर में, एक ही व्यक्ति के नाम 671 बीघा जमीन थी, सीलिंग सीमा में जमीन आ रही थी, तत्कालीन सब रजिस्ट्रार ने बुलाकर सीलिंग का नोटिस आने के बाद भी सात लोगों के नाम रजिस्ट्री करवा दी, रजिस्ट्री कराने पर हुआ क्या कि मुम्बई की फाइनेंस फर्म को मोरगेज करके करोड़ों रुपये उठा लिये। 2014 में याद है जब मुम्बई में एनएसईएल घोटाला हुआ था 12 हजार करोड़ रुपये का, उस घोटाले में इस जमीन के कागज भी मोरगेज थे, जांच चली, मुम्बई पुलिस की जो इकोनोमिक विंग है, उसने जमीन को अटैच कर दिया, उसके बाद काम देखो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप। जो जमीन अटैच थी, यूआईटी बीकानेर में गोल्ड रिसोर्ट के लिए 90-ए के लिए आवेदन किया, पर अरुण प्रकाशजी जिनको जांच के बाद कहा कि उनके पड़ौसी को अपने को जमीन देनी है, आरोपी मान लिया। उन्होंने उस आवेदन पत्र को स्वीकार कर लिया, अब उनका ट्रांसफर हो गया, उस पोस्ट पर आ गए बिस्साजी, अरुण प्रकाश की जगह पर दुर्गेश बिस्साजी, अस्थायी चार्ज था, उन्होंने 90-ए मंजूर कर दी। 2015 में एफआईआर दर्ज हुई, 3 आरएएस और 5 लोगों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति आज आपके पैंडिंग है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए जितनी बात की जाए उतनी कम है। मैं कुछ सुझाव देकर, जेल महकमे के लिए कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा पहला सुझाव है कि अभियोजन स्वीकृति के लिए राज्य स्तर पर एक कमेटी बननी चाहिए सीएस की अध्यक्षता में, अभियोजन स्वीकृति कितने दिनों में स्वीकृत करेंगे, हां या न, उस कमेटी को तय करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, ये जो आईएएस आते हैं, दूसरे कैडर के जो आते हैं राजस्थान के बाहर से, आते हैं तब तो एक सूटकेस होता है, दस-पन्द्रह साल बाद ड्राइवर के नाम, नौकर के नाम, अथाह सम्पत्ति, मैं चाहूंगा माननीय मंत्रीजी, इन बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए आपको एसीबी में ऐसी विंग बनानी चाहिए, इनके रिश्तेदारों के अकाउंट्स पर और सब पर निगाह रहे, ताकि यह बात भी सामने आए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो डिजिटल वाइस लागर, अच्छा है आपने बजट में कहा है, यह डिजिटल वाइस लागर, आप किस-किसके लगाओगे, कोई बचेगा हम में से? जरा ध्यान रखना इसका, दुरुपयोग करने की आपकी आदत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जेल के लिए कुछ बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं सबसे पहले एडीजी, जेल को बधाई देना चाहूंगा, जिम्मेदारी से बधाई देना चाहूंगा कि देश के अन्दर केन्द्रीय कारागार अधिनियम, 1894 बना हुआ है, 127 साल पुराना, अभी उन्होंने उसके सैक्शन 10 और 27 में एक संशोधन किया है, सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। अंग्रेजों के समय में जो सवर्ण जाति का कैदी था, वह तो खाना बनाएगा और जो निम्न जाति का कैदी चला गया, वह सफाई का काम करेगा, शौचालय साफ करने का काम करेगा। मैं समझता हूं कि इस विसंगति को दूर करने का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जो काम किया उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। एक जो और संशोधन हुआ था, हमारा दुर्भाग्य क्या है...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो बात आपने कही है कि यह बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए आपने धन्यवाद भी दिया है सरकार को। असल में यह काम हुआ है, राहुल गांधी ने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा और पत्र लिखकर ये तीनों बिन्दु उसमें लिखे, उसके अनुसार फिर यह काम किया गया है इसलिए असल में तो इस काम के लिए धन्यवाद के पात्र राहुल गांधी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, वास्तव में इन्होंने मुझे चिंता मुक्त कर दिया। मैं सोच रहा था कि राजस्थान की सरकार के मुखिया में और राजस्थान के तदर्थ गृह मंत्री, में +++ यह संशोधन आ नहीं सकता और मैं चाहूंगा कि मेरा धन्यवाद पता नहीं ये पहुंचाएंगे या नहीं, याद करें वे पुरानी बातें, आप ही पहुंचा दीजिएगा। आपकी बहुत अच्छी जानकारी है, कम से कम कह दीजिएगा, 6 फुट दो इंच के एक आदमी ने आपको धन्यवाद दिया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जेल मैनुअल 1955 का...

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, यह जो इन्होंने मुझे याद दिलाने की बात कही है तो मैं सारी बातें याद करा दूं कि आप और हम साथ-साथ गये थे, कहां-कहां गये थे, किस-किस से मिले थे, क्या करने गये थे? क्या वह भी बताऊं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं कह रहा था, 1955 के जेल मैनुअल से हमारी जेलों का प्रशासन चल रहा है। आज जेलों की क्या हालत है? 2015 में जो हमारा कारागार अधिनियम, 1894 है, इसकी धारा 42 में आपको एक संशोधन करना पड़ा कि जेल में प्रतिबंधित चीजें, मोबाइल वगैरह का आना-जाना लगातार रहता है और इसके लिए आज हो क्या रहा है?

सभापति महोदय, आप जिस शेखावाटी से आते हैं, आज जेल में अपराधी अपनी गैंग का संचालन बखूबी कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज राजस्थान की जेलें अपराधियों की ऐशगाह हो गयी हैं। यह इसलिए कह रहा हूं, अभी 28 फरवरी को जब सदन चल रहा था, राजस्थान पत्रिका के फ्रंट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पेज पर दो फोटो प्रकाशित हुईं। एक फोटो थी दर्जनों हत्याओं के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई की। वे बोल रहे थे अजमेर सिक्योरिटी जेल से और वे बात कर रहे थे भरतपुर की जेल में बंद विक्रम उर्फ 'लादेन' से। वीडियो कालिंग पर बात हो रही है। कोई रोक-टोक नहीं। इसी 12 अक्टूबर को लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी फेसबुक पोस्ट में जो लिखा, जो आज भी है, उन्होंने फेसबुक पर क्या पोस्ट डाली, ''नयी जंग की शुरुआत है। जो हमारे साथ नहीं, वे ध्यान रखें, अब जंग में कोई सुरक्षित नहीं, कुछ जायज हो या न हो। आज से सड़कों पर खून नहीं सूखेगा। जंग के नियम बदल गये हैं। नये नियमों में जो जहां मिले, डैश, डैश, डैश, डैश।'' इतने कुख्यात अपराधी फेसबुक पर अपने अकाउंट से इस प्रकार की पोस्ट डालते हैं और इसी अपराधी ने जब पंजाब के कांग्रेस के नेता गुरलाल की हत्या हुई, जेल में रहते अपने फेसबुक अकाउंट से उस हत्या को स्वीकार किया और यह कहा, ''मैंने गुरलाल को समझाया था कि हमारे बीच में मत आ, अंजाम भुगतना पड़ेगा।'' उसने इस बात के लिए जिम्मेवारी ली। गंगानगर में 'जॉर्डन' नाम से जिम चलाने वाले की सरेआम हत्या के केस में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके कहा कि यह लॉरेंस गैंग के इशारे पर हुई है। अभी राजगढ़ में प्रदीप स्वामी की जो हत्या हुई, उसमें जो नेहरा गैंग ने हत्या की, उसके पीछे की कहानी भी इसी प्रकार की घूम रही है। मैं समझता हूं, इस तरह से जेलें कहां जाएंगी?

सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, आपने अख़बार पढ़े होंगे। भरतपुर में हिमांशु सोलंकी जो कि एक शार्प शूटर था, उसे मोबाइल की सुविधा दे दी। मोबाइल के अन्दर उसने जितना पैसा मांगा था, वह दे दिया। आधा पैसा नहीं दिया तो जेल के सुपरिंटेंडेंट साहब को नागवार गुजरी होगी और इसलिए उन्होंने जूते लगाये। बात बाहर निकली, तत्कालीन एसपी मिस्टर कपूर ने उसकी जांच करवायी और जांच के बाद दो मोबाइल पकड़े तो एक मोबाइल से एक दिन में 200 काल्स। अपराधियों की हालत यह है। क्या हालत बना दी? उसके बाद जांच में प्रमाणित होने के बाद भी अब एक और जांच होनी है, यह कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। आप किस प्रकार जेल प्रशासन चला रहे हैं?

सभापति महोदय, पहले किसी अपराधी को जेल में इसलिए डाला जाता था कि गवाहों को नहीं धमकायेगा। जमानत भी नहीं मिलती थी। यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रावतसर में नोहर की जेल में क्या हुआ है? रावतसर के चेयरमैन की हत्या करने वाले ने नोहर की जेल से गवाहों को धमकाया, गवाहों ने शिकायत की। मैं एडीजे को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने यहां से एक टीम भेजी डीवाईएसपी के नेतृत्व में, उन्होंने जब निरीक्षण किया और उसके ठाठ-बाठ देखे तो कहा कि ऐसे ठाठ-बाठ तो बाहर भी नहीं हो सकते थे। बारह मोबाइल मिले वहां से। अभी आपने आपरेशन फ्लश आउट चलाया है जो कि फरवरी में खतम हुआ है। 70 मोबाइल, 44 सिम, गांजा, चरस, मादक पदार्थ, मैं समझता हूं, आवश्यकता आज इस बात की है कि 2006 का जो मॉडल जेल मैनुअल आपको केन्द्र सरकार ने भेजा है, उस पर जरा निगाह डालें आप। सभापति महोदय, आज जेलों की हालत बहुत खराब है।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं खतम कर रहा हूं। जेलों में जो क्षमता है, उससे 40 परसेंट ज्यादा कैदी हैं। 13,500 की जगह 22,400 हैं और मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा। उसमें सबसे बुरी बात, ये सजायाफ्ता और अण्डर ट्रायल कैदी, इन दोनों को एक साथ रखते हैं। सजायाफ्ता कैदी, उसमें कन्विक्टेड ओवरशेयर जो बनाते हैं, वह दुधारी गायें हैं जेल प्रशासन की। ये अण्डर ट्रायल को परेशान करते हैं। जब तक उसके परिजन पैसा न दे दें, तब तक यह खेल चलता रहता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कोई न कोई व्यवस्था निश्चित तौर पर होनी चाहिए।

मेड़ता में एक सजायाफ्ता कैदी ने पैसा नहीं दिया तो उसके नाखून खींच लिये। अखबारों में सारी चीजें आयी हैं। इस तरह की बात है। टोंक में तो कहना ही क्या, वहां जब यह बात चली, कलेक्टर ने एसीईओ, जिला परिषद् से जांच करायी, जांच में यह प्रमाणित हो गया। सभापति महोदय, पेटीएम मोबाइल एप से बैंक अकाउंट में सीधा पैसा दें, फिर उसके बाद मुलाकात सम्भव है। सीधा पैसा मोबाइल के पेटीएम से। उसके बाद जब यह जांच प्रमाणित हो गयी तो एक कमेटी और बनाकर इन्होंने बात खतम कर ली।

अंत में मैं यह कहूंगा कि हमारी जेलें राजशाही के समय की हैं। आज जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, गंगानगर, अलवर, नागौर, राजसमन्द, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़, इनकी जेलें सारी की सारी शहर के बीच में आ गयीं। अब जेलों के चारों तरफ भवन बन गये। आज जयपुर के भवनों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के ऊपर खड़ा होकर कोई मोबाइल फेंके तो जेल के अन्दर जाए, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इन जेलों के पुराने भवनों को बेचे और नये भवन बनाये। तब यह काम चलेगा।

सभापति महोदय, अंत में यह बात जरूर कहूंगा कि जेल की सुरक्षा के चक्र बढ़ाने चाहिए। भीनमाल में क्या हुआ? 16 फरवरी को रात को ही पहुंच गये, धड़, धड़, धड़, उसे बुलाएं अन्दर से, वह तो किसी तरह से बच गया, वरना जेल तोड़ देते अपराधी। यह पपला जब से पुलिस की गिरफ्त में फरार हुआ है, मैं एक बात का फिर धन्यवाद देना चाहूंगा, पपला एक बार फिर फरार हो जाता, पुलिस की मुस्तैदी से उसे फरार होने से बचाया और अभी यह जो आरएसी के कमल और एक महिला वसुन्धरा चौहान ने जो कहा, वे लुका को पकड़कर ले जाते। पार्वती नदी पर मिर्चें डाल दीं, बड़ी बहादुरी से उन्होंने काम किया।

अत: मेरी मांग है कि जेल मैनुअल को नये सिरे से बनाएं, जेल को आबादी के बाहर स्थानान्तरित करें, जेल की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध करें, मोबाइल-टेलीफोन न जाएं। जैमर चले थे 2010-11 में 2जी के और उसके बाद 3जी आ गया, 3जी के बाद 2018 में 4जी आ गया, ये जैमर क्यों नहीं लगते ताकि बात न हो पाये। बाडी स्कैनर जो एयरपोर्ट्स पर लगे हुए हैं, वे हर जेल में क्यों नहीं लगते? इस बात का प्रबंध करें। मैं समझता हूं, जिस प्रकार से जेलों को ऐशगाह बनाया गया है, यह दुर्भाग्यजनक है। मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि आप कुछ करें या न करें, आफिसर गैलेरी के लोग जो सुन रहे हैं, मैंने जो बातें कहीं, प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर कहीं। मेरा एक भी दृष्टांत अगर गलत हो तो आप मुझे जरूर कहिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पुलिस और कारागार की मांग पर अपनी बात रखने का मौका दिया। अभी मैं प्रतिपक्ष के उप-नेता का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को लेकर उनका सारगर्भित उद्‌बोधन सुन रहा था। माननीय सभापति महोदय, ''राम तेरी गंगा मैली हो गयी'', उसके हवाले से उन्होंने कहा। अब यह गंगा राजस्थान में तो है नहीं तो मैली जिस जगह हुई है, वहीं जाकर साफ करने का काम करना चाहिए।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के चेयरमैन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया के देशों में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 78वें स्थान पर है और उन्होंने

(श्री संयम लोढ़ा)

इस मुल्क में पिछले साल जो सर्वे कराया, देश के 36 फीसदी लोगों ने यह कहा कि रिश्वत के बिना भारत में कोई काम नहीं होता और देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री के इस मुल्क में इस बार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में 38 फीसदी लोगों ने यह कहा है कि रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता। मतलब पूरे मुल्क में 2 फीसदी इजाफा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, जो लोग यह समझते हैं कि रिश्वत एक सुविधा शुल्क है, पिछले साल के सर्वे में देश के 22 फीसदी लोगों ने यह कहा था कि रिश्वत सुविधा शुल्क है और इस बार लोकप्रिय प्रधान मंत्री के इस मुल्क में वह संख्या बढ़कर 26 फीसदी हो गई है। प्रतिपक्ष के उप नेता ने यह नहीं बताया कि विदेशी रिश्वत को लेकर जो जांच करने का मामला है, 2016 से 2019 के बीच में भारत सरकार ने विदेशी रिश्वत को लेकर कोई जांच नहीं की। यह भी उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने कहा है।

माननीय सभापति महोदय, ओईसीडी के जो 47 देश हैं, एक्सपोर्टिंग करप्शन 2020 के नाम से जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी की है उसमें विदेशी रिश्वत के खिलाफ सक्रिय रूप से सिर्फ चार देशों ने वह कानून लागू किया है और भारत उसमें नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हांगकांग और भारत ने पूरे चार में विदेशी रिश्वत को लेकर एक भी जांच नहीं करवाई है।

माननीय सभापति महोदय, हम लोग इमोशनल लेवल पर और मेंटल लेवल पर बैंकरप्ट हो चुके हैं। हम सिर्फ यह देखते हैं कि हमारा भला कैसे हो। किसी दूसरे के साथ क्या हो रहा है यह हमारा विषय नहीं है और इसी कारण से हमारी व्यवस्था, हम लोग, हमारा समाज पतन की ओर अग्रसर है लेकिन इन परिस्थितियों में हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा और मैं उम्मीद तो करता था कि प्रतिपक्ष के उप नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदन में आज की बहस शुरू की है, उनका बहुत लम्बा राजनीतिक जीवन है, सत्ता में भी रहे, प्रतिपक्ष में भी रहे हैं, आज जो मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की प्रतिबद्धता के कारण और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के हमारे डीजी और एडीजी की लीडरशिप के कारण राजस्थान में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बना है उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए।

अभी वे बात कर रहे थे डिजिटल वायल लागर की, जिसका मुख्य मंत्री जी ने बजट में ऐलान किया है और धारीवाल साहब को धमका रहे थे कि देख लेना। ये तो वह धारीवाल हैं जिनको लपेटना चाह रही थीं आपकी मुख्य

(श्री संयम लोढ़ा)

मंत्री और कांग्रेस के हजारों लोग वहां पहुंच गए थे जिन्होंने यह नारा लगाया था 'हाड़ौती का एक ही लाल, शान्ती धारीवाल', और आपकी हिम्मत नहीं पड़ी उनको पकड़ने की। आप उन्हें धमका रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह डिजिटल वायल लागर तक हम क्यों पहुंचे। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट किसको छोड़ा इन्होंने? राजस्थान के इस सदन में बैठे हुए इन 200 सदस्यों में से कोई यह कह सकता है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जो हमारी प्रशासनिक लीडरशिप है उसने किसी को भी बख्शने का काम किया है? उसने किसी को भी छोड़ने का काम किया है? क्या आईएएस, क्या आईपीएस, क्या आईजी, क्या डीआईजी, क्या एसई, क्या एक्सईएन, क्या पटवारी, अख़बार जब आप सुबह उठाकर देखते हैं तो मन खुश हो जाता है कि सबसे ज्यादा हमारा अवाम जिस बात से पीड़ित है, हमारी सरकार और हमारे अधिकारी रात और दिन उन लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने में लगे हुए हैं। लेकिन होता क्या है?

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। बीच में इंटरवीन नहीं करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): चोर लोग जो होते हैं वे रास्ते ढूंढ़ लेते हैं। माननीय सभापति महोदय, इन भ्रष्ट अधिकारियों ने नया तरीका निकाल लिया, व्हाट्सएप काल करते हैं, व्हाट्सएप पर बात करते हैं जिससे उसको रिकार्ड नहीं किया जा सके, उनको पकड़ा नहीं जा सके, उनका पीछा नहीं किया जा सके। मैं आज इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के अन्दर उन्होंने यह नई कड़ी जोड़ी है और इसके माध्यम से आने वाले वक्त में हर भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी के अन्दर एक भय पैदा होगा और राजस्थान की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्त शासन देने की दिशा में हम लोग अग्रसर हो सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं, हमारा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ट्रैप के जो अभियोग पंजीकरण हैं उनमें 2019 में सम्पूर्ण भारत के अन्दर दूसरे स्थान पर रहा है। चालान पेश करने में सम्पूर्ण भारत में दूसरे स्थान पर रहा है और कुल अभियोग दर्ज करने में भी सम्पूर्ण भारत के अन्दर दूसरे स्थान पर रहा है। क्या हम सबका दायित्व नहीं बनता कि ऐसे योग्य अधिकारियों की टीम को एक बार टेबल थपथपा कर उनको धन्यवाद और बधाई दें कि आपने हमारा गर्व से सीना चौड़ा कर दिया? पूरे

(श्री संयम लोढ़ा)

हिन्दुस्तान के अन्दर जब चारों तरफ दलदल का माहौल है, गिरावट का माहौल है, उस माहौल के अन्दर आपने इतनी मजबूती के साथ काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग इस बात से बहुत चिन्तित रहते हैं कि कहीं पर अन्वेषण में दिक्कत हो जाती है, ढीलमढाला जांच रह जाती है, कभी गवाह होस्टाइल हो जाते हैं, कभी पैरवी करने वाले वकील ढंग के नहीं होते। कई ऐसे कारण होते हैं जिनसे लोगों को सज़ा नहीं मिलती लेकिन 2020 के अन्दर हमारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के जो मुकदमे हैं उनमें 54.19 परसेंट सज़ा का प्रतिशत रहा है। यह भी उनकी बधाई का एक कारण बनता है, माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इतना ही नहीं, सिर्फ राजस्थान के हमारे अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने कार्यवाही की हो तो वह अलग विषय है पर हाल ही नवम्बर के 20 दिनों में हमारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यूनियन आफ इण्डिया के नौ अधिकारियों को पकड़ा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यहां तक आवाज आ रही है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इससे आप अंदाजा लगाइए कि लोगों की इस पीड़ा का समाधान करने की दिशा में किस तत्परता और किस लगन से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। मैं इस मौके पर यह भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कई चीजों को ढंग से देखने की जरूरत है, रिव्यू करने की जरूरत है और वह इसलिए जरूरत है कि उसको और बेहतर किया जा सके। जो पैंडेंसी आफ केसेज हैं, माननीय सभापति महोदय, 2014 में 2501 केस पैण्डिंग थे, 2015 में बढ़कर 2781 हो गये, 2016 में बढ़कर पैण्डिंग केसेज की संख्या 2938 हो गई, 2017 में 3025 हो गई, 2018 में 3062 हो गई, 2019 में 3056 हो गई और 2020 में तीन हजार से भी ऊपर उसका आंकड़ा है लेकिन पूरा फीगर मुझे मिला नहीं है। नम्बर आफ केसेज ईयरवाइज हैं उनमें 2014 में 418, 2015 में 333, 2016 में 271, 2017 में 290, 2018 में 278, 2019 में 232 और 2020 में 198 हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक फीगर और आपके सामने कोट करना चाहूंगा जो सज़ा के प्रकरणों का है। आलोचना तो किसी की भी की जा सकती है, लेकिन जब वर्ष-दर-वर्ष हम अगर आंकड़ों पर गौर करेंगे तो हमें लगेगा और हमें यह जानकारी मिलेगी कि हमारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग लगातार

(श्री संयम लोढ़ा)

बेहतर काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, 2014 में सज़ा के प्रकरणों की संख्या 75 थी, 2015 में 75, 2016 में 75, 2017 में 102, 2018 में 127 और 2019 में बढ़कर 142 तक पहुंच गई। माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से सज़ा का प्रतिशत भी मैं आपको निवेदन कर दूं ताकि हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता की जो चिन्ता है उस पर थोड़ा मरहम लग सके। माननीय सभापति महोदय, 2015 में सज़ा का प्रतिशत 46.29 था, 2016 में 46.87 हुआ, 2017 में हुआ 45.73 हुआ, 2018 में 46.69 हुआ और 2019 में अशोक गहलोत की सरकार में 54.19 और 2020 में 52.83 हुआ। अब आप बताइये, हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत, वसुन्धरा राजे से कितने बेहतर हैं, ये गवर्नेंस के फीगर, ये सज़ा का प्रतिशत, पैरवी के प्रति एक मानिटरिंग। ये सभी इसका आधार बनते हैं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन लोगों को देना चाहती है। जो लोग करप्ट हैं, उनके अन्दर भय पैदा करनी चाहती है और लोगों के काम सहजता से, सुगमता से आसानी से हो सकें, इस वातावरण का निर्माण करना चाहती है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं बरी के प्रकरणों का भी फीगर सुना दूं, ताकि हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता जो प्रदेश के लोगों की चिंता करते हैं, रात को आराम से सो सकें। माननीय सभापति महोदय, 2017 में बरी के प्रकरणों की संख्या 221 थी, 2018 में घटकर के 145 हो गई, वह 2019 में 120 हुई, कम हुई, 2019-20 में 50 तो आप किस आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने अपने काम का मूल्यांकन करने की चेष्टा नहीं की, अपने विभागीय काम का भी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से मूल्यांकन करने का प्रयास किया है और यह पाया कि राजस्थान के 11 जिलों के अन्दर एसीबी की जो टीम है, वह बेहतरीन काम नहीं कर रही है। उसको राजस्थान के डीजीपी ने नोटिस में लिया और इसको रिव्यू किया कि तमाम संसाधन, तमाम सुविधाएं देने के बाद भी दूसरे जिले बेहतर काम कर रहे हैं, 11 जिलों के लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं और अपने तरीके से, चाहे प्रेम से हो, पुचकार करके हो, नोटिस के हों, सज़ा के हों, उनमें इस बात की प्रेरणा पैदा करने की कोशिश की कि राजस्थान के दूसरे जिले जिस रूप में बेहतर काम कर रहे हैं, आप भी उसमें बेहतर काम

(श्री संयम लोढ़ा)

करें और खाली कोई पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को टार्गेट करके विभाग कार्यवाही कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है। हर विभाग नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, एडिशनल कमिश्नर, अधीक्षक उनके खिलाफ एक्शन हुआ। अवैध बजरी के मामलों को लेकर मामले दर्ज हुए अवैध ट्रांसपोर्टेशन को लेकर।

आप जो जेल का जिक्र कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, अजमेर की जेल में भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इफैक्टिव एक्शन लिया और जो जेलकर्मी केन्द्रीय कारागृह, अजमेर और अन्य सम्बन्धित लोक सेवकों द्वारा सजायाफ्ता कैदियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र की रचना कर, सजायाफ्ता एवं न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे कैदियों से जबरन अवैध वसूली कर आपस में बंटवारा करने का काम कर रहे थे, वहां 5 जेलकर्मियों सहित 13 लोगों पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने कार्यवाही की। अब जेल तक पहुंच गये और क्या चाहते हो आप? जेल के भीतर तक पहुंच गये।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से कामर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का तो आपको पता ही है कि किस रूप में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जोरदार तरीके से कार्यवाही की थी और 8 परिवहन अधिकारियों, 34 लोगों को नामजद किया, 8 परिवहन अधिकारियों को और आठ दलालों को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया।

अभी हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी जिक्र कर रहे थे, नेशनल हाईवे पर जो करप्शन हुआ, जो आईपीएस, दलाल वगैरह-वगैरह पकड़े गये। माननीय सभापति महोदय, आप अंदाजा लगाइये, कितना मुश्किल काम होता है, ऐसे ट्रैप करना, ऐसे पकड़ना। मैं तो गद-गद हूं इस तरीके से एक आरएएस ऑफिसर सीएम की वीडियो कांफ्रेस में बैठे हुए बात कर रही हैं और वीडियो कांफ्रेस में बैठे हुए डन कर रही हैं और उसको उन्होंने बाहर निकलते ही दबोच लिया, इससे बेहतरीन क्या होगा। पूरे राजस्थान के अन्दर एक संदेश गया और यह वातावरण बना कि राजस्थान की सरकार चाहे बड़े-से-बड़ा अधिकारी हो, आरएएस लेवल के अधिकारी हों, आईपीएस लेवल के अधिकारी हों, उन्होंने एक हिम्मत से कार्यवाही की।

मैं एक बात आपको शेयर करना चाहता हूं। जब मैं पहली बार एमएलए बना, हमारे कलेक्टर गड़बड़ आदमी थे। माननीय सभापति महोदय,

(श्री संयम लोढ़ा)

एसीडी की टीम ने अपना केस ढूंढा, पहुंच गये सिरोही और कलेक्टर के पीए को ट्रैप कर दिया। हमें यह जानकारी थी कि वह कलेक्टर माउंट आबू से पहले वाली रात को तीन लाख रुपये लेकर आया है। हमने प्रयास किया कि उसके घर छापा पड़े, तब जो डीजीपी थे, मैंने उनसे फोन करके कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कलेक्टर के गवर्नमेंट रेजिडेंस पर छापा नहीं मार सकते, नहीं पकड़ा गया। लेकिन उस मामले में फंसा वह, जो उसका पीए ट्रैप हुआ और ये बातें करते हैं बड़ी-बड़ी। इन्हीं की मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे ने उस कलेक्टर की अभियोजन स्वीकृति देने से मना कर दिया था 2017 के अन्दर।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताऊंगा कि 5 साल में किन-किन लोगों के खिलाफ आपने अभियोजन स्वीकृति देने से मना किया। खाली बड़ी-बड़ी, सिर्फ भाषण देने के लिए, यहां करने से कुछ नहीं होता है। जब शासन में बैठे होते हैं, सरकार का हिस्सा होते हैं, मंत्री होते हैं, तब हममें हिम्मत होनी चाहिए यह कहने की कि आप फलां अधिकारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं, जब डीओपी मांग रही है, जब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हो रहा है, तब तो हम ढीले पड़ जाते हैं। हम देखें, हमारा मंत्री पद भला और हम भले।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अपने काम में लोगों को पुलिस से लेने के लिए, अपने रूल्स बना रखे हैं और डिपार्टमेंट आफ पर्सनल ने 16 सितम्बर, 2011 को इसको नोटिफाई किया है। अब माननीय सभापति महोदय, थोड़ा-सा इसका अंश आपको सुनाना चाहता हूं, इसका Rule 7: Tenure. - (1) After the commencement of these rules all appointments to the posts as mentioned in column 2 of Schedule-I in the Anti Corruption Bureau shall be held by the person so appointed for a tenure ordinarily not exceeding two years which may be extended by the Director General or an officer authorized by him in this behalf for further term not exceeding one year at a time but the total tenure at a stretch shall not exceed six years in any case. अब मैं मंत्री जी, आपका ध्यान चाहूंगा कि आप इस रूल का वायलेशन किस आधार पर कर रहे हैं। क्या सरकार रूल की पालना करने के लिए बाध्य नहीं है, आपने 6 साल से ज्यादा कितने अधिकारियों को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अन्दर बैठा रखा है और आप जवाब दें, तब ही

(श्री संयम लोढ़ा)

आप घोषणा करना कि जितने भी इस रूल के वायलेशन में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में अधिकारी बैठे हुए हैं, आज ही आप उनको कार्य मुक्त करते हैं। वहां लम्बे समय से बैठे हुए, सड़ांध फैल रही है, उस सड़ांध पर कुछ चैक लगेगा। होता क्या है, आपके लम्बे समय से अधिकारी बैठे हुए होते हैं। वह कांस्टेबल ही खबर दे देता है, टीम आ रही है। वह सब-इंस्पैक्टर खबर दे देता है, टीम आ रही है और आपका ट्रैप फेल हो जाता है। आप जवाब दें तब बताना कि आपके कितने कांस्टेबल, कितने सब-इंस्पैक्टर, ऐसी सूचना देने के मामले में सस्पैंड हुए हैं? कितने लोग कार्यवाही के अन्दर बाधा बने हैं? हम ही रूल बनाते हैं, हम ही इसकी पालना नहीं करते हैं। यह जरूर है कि अगर उसका प्रमोशन हो जाता है तो फिर से वह आ सकता है, लेकिन विदाउट प्रमोशन, एक ही जगह पर अगर वह इस अवधि से ज्यादा रहता है तो नियमानुसार आप उसको नहीं रख सकते। मैं समझता हूं कि जो कार्मिक विभाग की ओर से रूल नोटिफाई किया है, इसकी पालना करने के लिए माननीय मंत्री जी, आप बाध्य हैं।

अब माननीय सभापति महोदय, मैं एक और बिन्दु की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप अगर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की कार्यवाही की तरफ निगाह डालेंगे तो बहुत से ऐसे विभाग हैं, जिनमें आप ट्रैप कर लो, जिनमें आप कुछ भी कर लो, वे आपको अभियोजन स्वीकृति देते ही नहीं हैं और उसमें आप हैल्पलैस हैं। आपने जो-जो प्रयास किये, उस सब का भी कोई नतीजा नहीं निकला। मैं आपको कार्मिक विभाग का परिपत्र जो 2001 में जारी किया है, उसका छोटा-सा अंश पढ़कर सुनाता हूं। 'भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राज्य सरकार को अवगत करवाया गया है कि विभागाध्यक्षों द्वारा कई उचित प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी करने एवं विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने से इनकार कर दिया जाता है जिसके कारण भ्रष्टाचार के निरंतर फैलते रहने की संभावना प्रबल होती है एवं सरकार की स्वच्छ, पारदर्शी एवं ईमानदार प्रशासन की छवि बिगड़ती है।'

यह 30 मई, 2001 को कार्मिक विभाग ने निकाला है और उसमें आपने प्रक्रिया निश्चित की है लास्ट में, 'जैसे ही कोई प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पुलिस विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु विभागाध्यक्षों को भेजे जाएं तो सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा उस प्रस्ताव पर, को समाप्त करने की स्थिति हो तो मुख्य सतर्कता आयुक्त का भी परामर्श लिया जाना चाहिए।'

(श्री संयम लोढ़ा)

उसके बाद में आपने क्या किया, यह 2001 का था और उसके बाद में आपने फिर 6 अप्रैल, 2002 में इसको क्लेरिफाई करते हुए नया आर्डर निकाल दिया तो फिर वो ही ढाक के तीन पात हो गये और आज आप वहीं आकर के खड़े हो गये। इसका मैं कन्क्लूडिंग पैरा पढ़ लेता हूं, अशोक सम्पतराम, सैक्रेट्री टू गवर्नमेंट का है - 'It would not be proper for the next higher authority to issue the sanction for prosecution where the competent authority is of the view that it is not a case where sanction for prosecution should be accorded.' तो मजे आ गये सबको और उस मजे आने का नतीजा यह हुआ कि वह नगरपालिका, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये जितने भी विभाग हैं इनकी जो अपोइंटिंग अथोरिटी है, ट्रैप करो, कुछ भी करो वह अभियोजन स्वीकृति देती ही नहीं है और फिर कुछ नहीं तो आप कोई इसका रास्ता ढूंढिये कि जब आपने ट्रैप किया है, रंगे हाथों पकड़ा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही तो होनी चाहिए बीस साल से, इक्कीस साल से हम लेकर के बैठे हुए हैं। अलग-अलग तरह के सर्कुलर हम निकालते रहते हैं और नतीजा कुछ नहीं आता है और फीगर उठा करके भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा मंत्री महोदय, आपका जो मूल विभाग है ये पुलिस, जेल और एसीडी में आप सिर्फ डेपुटेशन पर हो सिर्फ रिप्लाई देने के लिए। सबसे ज्यादा अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती है तो स्वायत्त शासन विभाग से नहीं मिलती और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा सबसे ज्यादा ट्रैप आफिसर भी होंगे तो आप ही के विभाग के होंगे। सबसे ज्यादा 16 की चार्जशीट होगी तो आप ही के विभाग की होगी लेकिन वो बड़े मजे से फील्ड में नौकरी कर रहे हैं। आपका यह होता है कि तीन साल बाद वह सैक्रेट्री लेवल की कमेटी है वो रिव्यू करेगी, वह बहाल करेगी, कुछ नहीं। वह तीन साल सस्पैंड भी नहीं रहता, उससे पहले ही नौकरी पर आ जाता है तो, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, चूंकि अध्यक्ष महोदय की कृपा से आज हम एसीडी पर चर्चा कर रहे हैं तो आपके खुद के विभाग की जो सबसे बड़ी कमी है उसको आप दूर करने की चेष्टा करेंगे। हालांकि माननीय सभापति महोदय, एक फरवरी को अभी एक शासन उप सचिव...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जरा एक मिनट। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि पिछले दो सालों में स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा कितने आदमियों को तो अभियोजन

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

स्वीकृति दे दी गई और कितने आदमियों को मना कर दिया गया? एक बात। यह सूचना जरा आप मुझे प्रोवाइड करवा दें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात आपने एक और कही, मैं उसके बारे में भी कहता हूं कि उसको भी अगर आप विस्तार से लिखकर के मुझे दे देंगे न तो मैं मालूम कर लूंगा और उसका जवाब दे दूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में कोई नागरिक यह नहीं मानेगा कि शान्ती धारीवाल, स्वायत्त शासन मंत्री को खुद के विभाग के बारे में जानकारी नहीं है। मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, आपके सब जानकारी में है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह बता देना कि किस-किस को नहीं दी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मुझे इसकी जानकारी देने की जरूरत ही नहीं है। आप तो खाली अभी फोन करके लिस्ट मंगवा लो कि आपके एसीडी के ट्रैप कितने हैं, पचास परसेंट से कम मिल जाए तो विधान सभा छोड़कर चला जाऊंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वो तो बात ठीक है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज। प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये फीगर सब मेरे देखे हुए हैं आपके, पर आप एट रेंडम पूछेंगे, मुझे कहें कि लाकर दो तो मैं कहां से दूंगा।

अभी ये जो कमेटी बनाई है एक शासन उप सचिव के दस्तख्त से एक फरवरी को कि 'मुख्य सतर्कता आयुक्त को प्रेषित अनावश्यक प्रकरणों की समीक्षा हेतु माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्नांकित अधिकारियों की एक स्टेट लेवल की कमेटी एसीडी के मैटर्स की समीक्षा के लिए गठित की जाती है।' इसमें आपने शासन सचिव गृह, एसीडी के डीजी, डाइरेक्टर डीएलबी और ज्वाइंट सैक्रेट्री ग्रामीण विकास कार्य रखा है। आपने फिर एक कोशिश की है लेकिन मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप खुद के विभाग में ही इस पर ध्यान दें जिससे निचले स्तर पर जो लोगों को दिक्कतें हैं उसका समाधान हो सके।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि एसीडी के अन्दर उप निदेशक, राजस्व का पद खाली है। लंबे समय से एक्सईएन का पद खाली है, कौन ओपिनियन देगा? क्या ये जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, ये टैक्निकल एक्सपर्ट हैं? क्या ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नालेज रखते हैं? और उससे भी ज्यादा जो फरियादी शिकायत लेकर के आता है कि मुझसे फलां आदमी इतने पैसे मांग रहा है, आप कहते हो कि तू ला पैसे, वो पचास हजार रुपये मांग रहा है तो पचास हजार रुपये उस आदमी को खुद को लेकर आना है और वह जाकर के उसको देगा, उस भ्रष्ट अधिकारी को और फिर उसके वह पचास हजार रुपये महीनों रुलते ही रहेंगे। वह पचास हजार रुपये जो कहीं से भी वह लेकर के आया है, पचास हजार हो, लाख हो, दो लाख, चार लाख हो, वो सालों उसको नहीं मिलेगा तो कृपा करो, आप ढाई लाख करोड़ का बजट पेश करते हो, एक रिवाल्विंग फंड दे दो इनको बड़ा दो-चार करोड़ रुपये का, ताकि ये एसीडी के अधिकारी उस फरियादी को दे दे कि ये पैसे यहां से ले जा तो यह आपकी बड़ी कृपा होगी और यह जो गुप्त सूचना फंड भी आपने एसीडी में एक बना रखा है, वह भी नीचे नहीं पहुंचता है। नीचे डिप्टी लेवल का आदमी, थानेदार लेवल का आदमी जब मुकदमे को बनाने की कोशिश करता है कभी गाड़ी देकर भेजता है, कभी किसी को खाना खिलाता है, क्या करता है वो गुप्त सूचना फंड का पैसा उसको नहीं मिलता है, वह जेब से ही भरता है तो इसकी भी कृपा करो, या तो इस गुप्त सूचना फंड की कोई आडिट रखो जिससे मालूम पड़े वरना बड़े अधिकारियों के स्तर पर ही ये गुप्त सूचना फंड निपट जाता है और इसके अलावा भी मैं विनती करूंगा आपसे कि प्रोसीक्यूशन में भी आप दो-चार अधिकारी अपने यहां रखो। स्पेशल कैसेज में सीबीआई जैसे केस आफिसर बनाती है वैसे ही जो इम्पोर्टेंट केस आपके हैं उसमें आप जो आपके डीजी बैठते हैं उस लेवल पर, डीआईजी लेवल पर आप अलग से अधिकारी रखिये प्रोसीक्यूशन के एक्स्ट्रा जिससे केसेज की पैरवी के अन्दर पर्टिकुलर केसेज के मामलों में आप उनको लगा सकें।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता बहुत केसेज का बता रहे थे। बीजेपी की सरकार ने 2014 में डीओपी के 9 और दूसरे डिपार्टमेंट्स के 43, कुल 52 ऐसे केसेज थे जिनमें एसीडी ने आपसे प्रोसीक्यूशन सैंक्शन मांगी और आपने नहीं दी। 2015 में अदर डिपार्टमेंट्स के 45 और डीओपी के 24, कुल 69 केसेज ऐसे थे जिनमें आपने प्रोसीक्यूशन सैंक्शन एसीडी को नहीं दी। 2016 में माननीय

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, अदर डिपार्टमेंट्स के 59 और डीओपी के 9, कुल 68 केसेज ऐसे थे जिनमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने प्रोसीक्यूशन सैंक्शन मांगी और बीजेपी की गवर्नमेंट ने नहीं दी। 2017 में अदर डिपार्टमेंट के 23 और डीओपी के 3, कुल 26 केसेज ऐसे थे जिनमें वसुन्धरा की सरकार ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को अभियोजन स्वीकृति नहीं दी और 2018 में भी 28 केसेज ऐसे थे और ये भी कोई, आप नाम गिना रहे थे, कोई छोटी-मोटी मुर्गियां नहीं थीं। आप नाम सुन लीजिये दो-चार के नाम पढ़ देता हूं, ज्यादा तो नहीं पढ़ूंगा। गिर्राज सिंह, आईएएस; गोपाल राम स्वामी, आरएएस; सांवरमल वर्मा, आरएएस; भूदर राम तंवर, एक्सईएन; जे.पी.के. जाखड़, माइनिंग इंजीनियर; फिर एसडीएम, एईएन, सीईओ, एसई, आरएएस, एडिशनल कलेक्टर, एसडीएम तो आप क्या कर रहे थे? गंगा मैली कर रहे थे या गंगा साफ कर रहे थे? जब सरकार में बैठे हुए हो तब तो आपके कर्म इस तरीके के हैं। 244 ऐसे मामले हैं जिनमें इन बेचारे अधिकारियों ने रात-दिन चप्पलें तोड़-तोड़कर पकड़े होंगे, किये होंगे, कागज बनाये होंगे, आपने यह क्या किया? इस तरीके से राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ नागरिकों की लड़ाई को पांच साल कमजोर करने का आपने काम किया। इसीलिये चुनाव से पहले नारे लग गये, 'मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुन्धरा तेरी...।'

माननीय सभापति महोदय, अब मैं मंत्री महोदय, आपसे जानना चाहता हूं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पिछले साल आपने मुकदमा दर्ज किया सैक्शन-7 और 20 बी में। एक केन्द्रीय मंत्री की रिकार्डिंग उसमें आयी। पैसे के लेन-देन को लेकर क्या हुआ? आपके एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के बुलावे में तो वह केन्द्रीय मंत्री हाजिर भी नहीं हुए और आपने उनके वाइस सैंपल की जांच तक नहीं करवाई। आपने भेज दिया एफएसएल के लिये जयपुर। उन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रोनिक डिवाइस, आपके पास जांच का सिस्टम ही नहीं था और आपने उस वाइस की जांच भी नहीं की और फिर यह सुझाव आया कि दूसरे किसी से करवा लो, तो वह उसमें मान्य नहीं था। आप बताना, इतना बहुचर्चित केस, जिसने पूरे राजस्थान को हिलाया, पूरे हिन्दुस्तान को हिलाया, आपने मुकदमा दर्ज किया, क्या कार्यवाही की? अभी तक आप उसको ठंडे बस्ते में डालकर क्यों बैठे हुए हो? माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ध्यान

(श्री संयम लोढ़ा)

देने की जरूरत है। सत्ता बदलने के साथ ही जिस तरह से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का मिसयूज़ होता है, वह बहुत ध्यान देने की जरूरत है।

मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2003 में सरकार बदली, गुलाब सिंह जी शक्तावत, छोगाराम बाकोलिया, सारे लोगों को बेमतलब के केस में बुक कर दिया और बाद में क्या हुआ उसमें? अभी एक ऐसा प्रकरण पिछली सरकार में जिसका कोई बेस नहीं था, गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू लोस नहीं हुआ, जमीन जिसकी थी, पट्टा हुआ, पट्टा खारिज हुआ, उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया। दो आईएएस आफिसर को बुक कर दिया। किसी भी जगह काम सेंक्शन हुआ है, उसको दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो क्या डिपार्टमेंट लेवल पर इसकी अथोरिटी नहीं है? जब विभागीय स्तर पर इसकी अथोरिटी थी तो किस आधार पर पिछली सरकार ने दो आईएएस आफिसर को इतने लंबे समय तक जेल की सींख़चों के पीछे खड़ा कर दिया और यह तो हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता थे धारीवाल साहब, नहीं तो इनकी तो आप पर भी नीयत खराब थी। यह तो हमको देखकर डर गये जो आपको उस लपेटे में नहीं लिया।

श्री सभापति: समाप्त करें प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दो मिनट। यह जोधपुर का जो मुकदमा था, हमारे विधायक जुगल काबरा, मुझे दुःख है उसका, उस अपमान की पीड़ा से वह जिंदा नहीं रहे, मर गये। हमारे दूसरे नेता राजेन्द्र सोलंकी छिपते फिरे और उनकी हाई कोर्ट से जमानत हो गई तो बदनीयती से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर खारिज करवाई और जेल की सींख़चों के पीछे उनको डाल दिया और कई महीनों तक वह गुजरात में छिपते फिरे और अब क्या हुआ, अब एफआर हो गई तो जिन अधिकारियों ने यह असत्य मुकदमा बनाया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? हमारे इतने निर्दोष लोगों को जेल की सींख़चों के पीछे सड़ा दिया, एक आदमी को मरना पड़ गया। इसमें भी क्या दोनों मुकदमे 109, 108, 2016 के हैं, इन छोटे कर्मचारियों का कोर्ट ने काग्नीजेंस लिया। क्यों? क्योंकि आपने फाइल में उनका अभियोजन स्वीकृति डाल रखी थी। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि आप उनको भी इससे बाहर कीजिए। जब बड़े लोग अगर दोषी नहीं हैं तो यह छोटे कर्मचारी किस आधार पर दोषी हैं।

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट जेल के बारे में लूंगा, खतम कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आप और हम सब जानते हैं कि हमारे स्कूल के टायलेट के क्या हाल हैं, हमारे हास्पिटल के टायलेट के क्या हाल हैं।

(श्री संयम लोढ़ा)

जहां रात दिन हम लोगों का आना जाना है। कभी जाकर जेल के टायलेट देखे हैं, कैसे हाल हैं उनके। किन परिस्थितियों में हम कैदियों को रख रहे हैं। किन अमानवीय हालात में रख रहे हैं। सभापति महोदय, कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता है। उसको उससे बाहर लाया जा सकता है। उसकी दूसरी क्षमता को विकसित किया जा सकता है लेकिन हमारी सरकार को इसमें प्राथमिकता देनी चाहिये कि जेल में जिस तरह के भी कैदी हैं, मानवीय आधार पर उनको ठीक माहौल हम देंगे, जिससे वह उससे बाहर आ सके। वरना जेल में भी उनको उसी तरह का माहौल मिलता है कि वह अपराध की दुनिया से बाहर नहीं आ पाते। माननीय सभापति महोदय, सिरोही की जेल शहर के बिलकुल बीचों बीच में है। अभी बीच में एक हत्या का आरोपी वहां से कूदकर भाग गया।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वह अंधेरे में किसी को मार देता, बीच मौहल्ले में है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री जी को और उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि एक मजबूती के साथ राजस्थान की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की दिशा में वह लगे हुए हैं और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों की पूरी टीम को राजस्थान की जनता की तरफ से बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-16 पुलिस और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर विचार रखने की अनुमति दी, उसका मैं आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एसीबी की तारीफ की। एसीबी की तो मैं भी तारीफ करता हूं कि एसीबी ने बहुत बेहतरीन काम किए और उन कामों की वजह से राजस्थान में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की मंशा पर पानी फिरता हुआ भी नजर आया। सभापति महोदय, अभी विधान सभा में मैंने सरकार से पूछा कि 2015 के बाद कितने ऐसे राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनको इस सरकार ने अभियोजन स्वीकृति देने के लिये मना किया। सभापति महोदय, उन आंकड़ों में 09.10.2020 को राजस्थान के एक प्रशासनिक अधिकारी की अभियोजन स्वीकृति देने से सरकार ने मना किया। 07.09.2020 को राजस्थान के प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति देने

(श्री रामलाल शर्मा)

से सरकार ने मना किया। 20.09.2019 को भी एक प्रशासनिक अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति देने से सरकार ने मना किया। 18.06.2019 को भी सरकार ने एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति देने से सरकार ने मना किया। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य चीख-चीखकर यह कह रहे थे और उन्होंने 2015 से लेकर 2018 तक बोला, लेकिन उन्होंने 2018 के बाद 2019 और 2020 का जिक्र क्यों नहीं किया। सिर्फ सदन में सनसनी पैदा करना उनका मकसद था।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार कैसा काम कर रही है, इसका प्रमाण पत्र हमें देने की आवश्यकता नहीं है, इसका प्रमाण पत्र तो सांगोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बार मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखे कि कोटा में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, इस गंगा को रोकने का काम आप कब करोगे। सरकार का प्रमाण पत्र तो सत्ता पक्ष के विधायक ही दे रहे हैं, हमें देने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय, जिस बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं, कई पुलिस महकमों में, परिवहन विभाग में भी एसीबी ने रेड डाली। परिवहन विभाग में भी भ्रष्टाचार के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। सभापति महोदय, मेरा दावा है आज भी राजस्थान में परिवहन विभाग में इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सड़कों पर खड़े हुए इंस्पैक्टर, इनके डीटीओ, इनके आरटीओ, एक भी गाड़ी ऐसी नहीं है, जिस गाड़ी का बिना सेवा शुल्क दिये हुए वह एक टोल से दूसरे टोल की ओर क्रास कर जाए। सभापति महोदय, मेरा यह भी दावा है कि राजस्थान में इन अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि सेवा शुल्क बिना ऊपर दिये हुए इनकी इतनी हिम्मत हो जाए। हिम्मत की दाद तो मैं इस बात की भी देता हूं कि परिवहन विभाग में किस तरीके से गाड़ियां लिस्टेड होती हैं। जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, उनकी गाड़ियों की लिस्टेड होकर, यह इस ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, इनको कोई चैक नहीं करेगा। यह कितने ही ओवरलोड से चले, इनके पास परमिट है या नहीं है, इनके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, उनको चैक करने की हिम्मत किसी अधिकारी की नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस महकमे में जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं, कोरोना के दौरान सबसे बेहतरीन अगर किसी ने काम किया तो वह

(श्री रामलाल शर्मा)

पुलिस महकमे ने किया। अपनी जान को जोखिम में डालकर पुलिस के अधिकारी, कर्मचारियों ने जब जनता के मन और मस्तिष्क में डर बैठा हुआ था, वह उनके डर को निकालने का काम कर रहे थे और इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा सभी लोग करते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसमें पुलिस की जो पहचान थी, उसमें भी सुधार हुआ है और लोगों के मन में पुलिस के प्रति एक अच्छी छवि बनी है। साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस से हम रिजल्ट की अपेक्षा तो करते हैं लेकिन सभापति महोदय, पुलिस महकमे को जितनी सुविधाएं उनके पास होनी चाहिये, क्या उतनी सुविधाएं हम उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं? आज भी राजस्थान में पुलिस थानों में जितनी नफरी होनी चाहिये, क्या हम उतनी नफरी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं? राजस्थान में आज भी इन्वेस्टीगेशन का पार्ट और कानून व्यवस्था का पार्ट, क्या इन दोनों पार्टों को हम अलग-अलग नहीं कर सकते? जो पुलिस में इन्वेस्टीगेशन का काम करते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इन्वेस्टीगेशन की फाइल को छोड़कर डंडा हाथ में लेकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये उनको जाना पड़ता है। आज राजस्थान में आवश्यकता है, इस 21वीं सदी में पुलिस में इन दोनों पार्टों को अलग-अलग करने की आवश्यकता है। इन्वेस्टीगेशन का पार्ट अलग रहे, समय पर अपराधियों को सज़ा मिले, जिसने एफआईआर दर्ज कराई है, उसको समय पर न्याय मिले। जब तक इस इन्वेस्टीगेशन के पार्ट को हम अलग नहीं करेंगे, तब तक समय पर न्याय मिलना मुश्किल है।

(14.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं दूसरा यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से अपराधों की संख्या बढ़ रही है। पहले चिह्नित लोग हुआ करते थे, चिह्नित क्षेत्र हुआ करते थे। मुखबिर की व्यवस्था थी, उसके आधार पर, जो घटनाओं को अंजाम देते थे, उनके बारे में लोगों को पहले से पता होता था कि यह अपराध अमुक व्यक्ति कर सकता है, अमुक स्थान पर रहने वाले लोग कर सकते हैं। आज अपराध कौन कर रहा है? घर के अन्दर छुपा हुआ व्यक्ति भी अपराध कर सकता है, किसी को पता नहीं।

जिस तरीके से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। सभापति महोदय, वास्तविकता यह है कि साइबर क्राइम में जिस तरीके से कई हजार किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति भी अपराध को अंजाम देने लग गया है। आज हमें

(श्री रामलाल शर्मा)

आवश्यकता है कि जिस तरीके से थानों के अन्दर आपने स्वागत कक्ष बना दिये, अच्छी बात है। सरकार ने बजट नहीं दिया, यह बहुत अच्छी बात है। सांसदों ने, विधायकों ने या स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं ने या रीको ने, जिनके औद्योगिक क्षेत्र चलते थे, उन्होंने आपके स्वागत कक्ष बनाये। बहुत अच्छी बात है। स्वागत कक्ष बनने के बाद क्या उनके अन्दर आपने माकूल व्यवस्था की? क्या वहां पर कम्प्यूटर उपलब्ध कराने का काम किया? क्या आपने वहां पर मैन पावर की भर्ती करने का काम किया? क्या इस साइबर क्राइम की रोकथाम करने के लिए, सी.ओ. सर्कल के ऊपर आप एक ऐसी इन्वेस्टीगेशन टीम गठित नहीं कर सकते। आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अन्दर कोई अपराध घटित होता है तो उसकी काल-डिटेल निकलवाने के लिए पहले एसपी आफिस के अन्दर सूचना दो, फिर एसपी आफिस की सूचना उस कंपनी के अन्दर जाएगी और फिर कंपनी उसकी सूचना एसपी को उपलब्ध करायेगी और फिर एसपी की सूचना नीचे सी.ओ. सर्कल पर आयेगी और फिर वह एसएचओ को हैंडओवर करेगा कि आपके मोबाइल की लोकेशन यह है, आपकी काल डिटेल यह है। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि यदि हम अपराधों में अंकुश लगाना चाहते हैं तो राजस्थान में प्रत्येक सीओ सर्कल पर इस साइबर क्राइम की रोकथाम करने के लिए एक ब्रांच स्थापित की जाए। आप जो भर्ती कर रहे हैं, पुलिस के अन्दर आप दो हजार भर्ती कर रहे हैं, पांच हजार की कर रहे हैं, दस हजार की कर रहे हैं, आप उसी के अन्दर क्यों नहीं डालते कि हम इतने एक्सपर्ट लेंगे। जो आई.टी. के जानकार हैं, उनकी हम इतनी भर्तियां करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारे सामने होंगी, उन चुनौतियों पर हम अंकुश लगा सकें।

सभापति महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन यह है कि आज प्राइवेट सेक्टर के अन्दर कोई लेबर यदि आठ घंटे से ज्यादा काम करती है तो उसको इन्सेंटिव मिलता है। दो घंटे का, चार घंटे का, पांच घंटे का, जो जितनी देर काम करेगा, उसका उतना इन्सेंटिव मिलेगा। पुलिस महकमे में आज भी 12 महीने की सैलेरी के अलावा एक महीने का इन्सेंटिव मिलता है। हार्ड वर्किंग करने के आधार पर एक महीने का। क्यों नहीं पुलिस को भी हम इसी तरीके से उनको मेहनत और परिश्रम के आधार पर मानदेय देने का काम करें, ताकि जिस तरीके की चर्चा और परिचर्चा सब लोग करते हैं, उसके ऊपर भी अंकुश लगाया जा सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री रामलाल शर्मा)

आज पुलिस के सामने एक नहीं, अनेकों चुनौतियां सामने हैं। सबसे बड़ी चुनौती, मैं राजस्थान पत्रिका को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने राजस्थान के अन्दर एक मुहिम चलायी कि 'शुद्ध के लिए युद्ध'। सभापति महोदय, आज भी एक व्यक्ति दूसरे के थप्पड़ मार दे, पुलिस के अन्दर परिवाद दर्ज होने के बाद में 323, 341 के अन्दर उसका चालान कोर्ट के अन्दर पेश होगा। न्यायालय के अन्दर उसका चालान पेश होने के बाद उसकी न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर अनेकों लोग ऐसे काम-धंधों के अन्दर लिप्त हैं, जो मिलावट के आधार पर लोगों को मारने का काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ पुलिस सख्त नहीं है। पुलिस यह कहती है कि यह कार्यवाही रसद विभाग करेगा, रसद विभाग कहता कि मेडिकल डिपार्टमेंट कार्यवाही करेगा, मेडिकल डिपार्टमेंट कहता है कि हम सैम्पल लेंगे, सैम्पल भेजेंगे, सैम्पल की रिपोर्ट पांच महीने में आयेगी। पांच महीने में तो वह सैम्पल ही फेल हो जाएगी। पांच महीने के बाद जो रिपोर्ट आयेगी, वह यह आयेगी कि साहब इसमें मिलावट नहीं थी।

सभापति महोदय, सरकार ने घोषणा की थी कि हम प्रत्येक जिला हैडक्वार्टर पर इन मिलावटों के लिए लेबोरेटरी की स्थापना करेंगे ताकि उनकी समय पर जांच हो सके। सरकार ने जिला स्तर पर लेबोरेटरी गठित करने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाया है। मैं चाहूंगा कि यह सरकार पूरे जिले में लेबोरेटरी स्थापित करे, समय पर जांच हो और उसकी रिपोर्ट आये और उसके बाद कार्यवाही हो सके। विधान सभा का सत्र चल रहा है। मैं सरकार से यह भी चाहूंगा कि आने वाले समय में आप क्यों नहीं ऐसा सख्त कानून लेकर आते हो? सभापति महोदय, भय बिना प्रीत नहीं होती। यदि भय बिना प्रीत नहीं है तो भय पैदा करना नितांत आवश्यक होगा। भय तभी हो सकता है, जब कानून का डर होगा। मैं चाहूंगा कि सरकार इसी सत्र के अन्दर कोई ऐसा कठोर कानून लेकर आये ताकि ऐसे मिलावट करने वाले.. सभापति महोदय, आज मिलावट कहां नहीं है? दूध आपको शुद्ध नहीं मिल रहा, पनीर आपको शुद्ध नहीं मिल रहा, मावा आपको शुद्ध नहीं मिल रहा, घी आपको शुद्ध नहीं मिल रहा, कोई ऐसी चीज नहीं है, जो आपको शुद्ध मिले। यहां तक कि आपको मसाले भी शुद्ध नहीं मिल रहे हैं तो आखिरकार इंसान के जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार कठोर क्यों नहीं है?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस तरीके से पुलिस की भूमिका बढ़ रही है। घरेलू झगड़े से

(श्री रामलाल शर्मा)

लेकर, नाली के झगड़े से लेकर हत्या तक की इन्वेस्टीगेशन में पुलिस की भूमिका है। पति-पत्नी में झगड़ा हो जाए, उसके अन्दर भी पुलिस की भूमिका। सड़क के अन्दर गड्ढा हो जाए, दुर्घटना घटित हो गयी, लोग वहां पर भी पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि पुलिस वाले आकर हमें आश्वासन देकर जाएं कि गड्ढा कितने दिन में ठीक होगा। जब पुलिस की भूमिका इतनी बड़ी है तो इस भूमिका को सकारात्मक रूप से हम किस तरीके से लोगों को रिलीफ देने के लिए काम में ले सकते हैं? आज आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस के ऊपर जो वर्क लोड बढ़ रहा है, उस वर्क लोड को देखते हुए, क्योंकि पहले की परिस्थितियां ये थीं कि गांवों में अगर कोई कहासुनी होती थी, झगड़ा होता था, पंच पटेल बैठकर उस विवाद को निपटाने का काम करते थे, लेकिन आज वे परिस्थितियां नहीं हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर पुलिस की जो वैकेंसी है, वह कांस्टेबल से लेकर शीर्ष पदों, वे सारी की सारी भर्तियां करने का काम सरकार करे।

सभापति महोदय, बड़े शहरों में एक अपराध जिस तरीके से हम सब देखते हैं, हुक्का-बार, सैलून का अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, जिस तरीके से आज राजस्थान में ये दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस का अभियान कुछ समय के लिए चलता है, ये अपराध कम होते हैं। उसके बाद इन अपराधों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, जो सैलून के अपराध हो रहे हैं, हुक्का-बार के अन्दर अपराध हो रहे हैं, मादक पदार्थों की तस्करी के जो अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों के लिए भी विशेष सैल गठित करके इन अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने का काम करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार शराब नीति के अन्दर परिवर्तन करके राजस्थान के अन्दर जो शराब माफिया समाप्त हुआ था, उसको पुन: जाग्रत करने का काम कर रही है। सभापति महोदय, जिस तरीके से आक्शन के आधार पर, नीलामी के आधार पर सरकार शराब की दुकानों का आबंटन करने जा रही है। यह आने वाले समय में सबसे बड़ी कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए हम सबके सामने चुनौती है। मैं चाहूंगा कि पुरानी व्यवस्था जो कि लाटरी की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को बनाये रखें, ताकि आम आदमी भी इस अपेक्षा और उम्मीद के साथ कि मेरे भाग्य में कोई रोजगार का अवसर मिल सकता है,

(श्री रामलाल शर्मा)

उसके आधार पर काम कर सके। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार शराब नीति के अन्दर जो परिवर्तन कर रही है, उस पर रोक लगाने का काम करे।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दैनिक भास्कर के संवाददाताओं ने कई दिनों तक मेहनत की, परिश्रम किया और उसके बाद राजस्थान की जनता को अवगत कराया कि किस तरीके से जनजाति क्षेत्र के अन्दर, किस क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र के अन्दर बिना मां-बच्चों की मानव तस्करी की जाती है। तस्करी के लिए उन्होंने मेहनत और परिश्रम करके उनके घर से लेकर जहां तक बेचान होता है वहां तक की पूरी रिपोर्टिंग करने का काम किया। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर बच्चों की तस्करी होती है। मानव तस्करी होती है। मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर भी सरकार कठोर कानून बनाकर इन घटनाओं के ऊपर अंकुश लगाने का काम करे।

सभापति महोदय, कई गुमशुदगियां आज भी कई थानों में दर्ज हैं। कई साल बीत जाने के बाद भी आज भी उन गुमशुदगियों का पता सरकार को नहीं है कि जो गुमशुदगी दर्ज हुई थी, आखिरकार वह व्यक्ति कहां पर है? मेरे क्षेत्र में भी दो गुमशुदगियां दर्ज हुई थीं। एक जोया, जो रामपुरा डाबड़ी की रहने वाली थी, पांच साल की बच्ची थी। 2009-10 के अन्दर एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी, आज दिन तक जोया का पता नहीं। एक भगवती देवी, जिसकी गुमशुदगी चौमूं थाने में दर्ज हुई थी, आठ साल हो गये, अभी तक उसका भी पता नहीं। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि गुमशुदगी के अन्दर जो बच्चे हैं, पुलिस उनको गम्भीरता से ले। आखिरकार कहां जाते हैं, कौन लेकर जाता है, किस तरीके से इन बच्चों का शोषण होता है, उसके ऊपर भी पुलिस ध्यान दे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी बातें कीं। वर्तमान सरकार से की, विगत सरकार से कीं। सभापति महोदय, आज भी राजस्थान के अन्दर जिस तरीके पुलिस के हाथ-पैर बांधकर राजस्थान की सरकार कहती है कि अब कार्यवाही करो। जब पुलिस के हाथ-पैर बांधकर सरकार कार्यवाही कराने की मंशा रखती है। बजरी माफिया, सरकार पुलिस को फ्रीडम दे, सरकार पुलिस को आजाद करे कि जहां पर अनैतिक कृत्य हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, बजरी का अवैध खनन हो रहा है, उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम पुलिस करे।

सभापति महोदय, विधान सभा चल रही है। कई माननीय सदस्यों ने

(श्री रामलाल शर्मा)

बजरी के ऊपर बात रखी कि किस तरीके से एक मिलाजुला खेल खेला जा रहा है। उसके बाद कार्यवाही होती है, चंद जेसीबी जब्त की जाती हैं, चंद ट्रैक्टर जब्त किये जाते हैं ओर उसके बाद इतिश्री हो जाती है। मैं चाहूंगा कि इस राजस्थान में बजरी के खेल पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को फ्री किया जाए और पुलिस उस पर कार्यवाही कर सके।

सभापति महोदय, एक अंतिम निवेदन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जेलों के अन्दर जिस तरीके से, सभी सदस्यों, हमारे उप नेता और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चिंता जाहिर की है, 101 परसेंट जेलों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। जो सुविधाएं आपको बाहर रहते हुए नहीं मिल सकती हैं, वे सुविधाएं आप जेलों के अन्दर प्राप्त कर सकते हो। सभापति महोदय, छोटी-छोटी धाराओं में, कुछ दिनों के लिए, चंद दिनों के लिए, जेल के अन्दर जाने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको वे किस तरीके से प्रताड़ित करके, उनके घर से पैसे मंगवाने का काम सिलसिलेवार चलता है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जितनी भी जेलें हैं, उन जेलों में सरकार जैमर लगाये, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाये और इस तरीके की संदिग्ध गतिविधियों के ऊपर अंकुश लगाने का काम करें।

सभापति महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की एसीबी अपना बेहतरीन काम कर रही है लेकिन एसीबी के भी हाथ पैर बांधकर सरकार उनसे रिजल्ट की अपेक्षा कर रही है, लेकिन वह रिजल्ट निकलकर आने वाला नहीं है। अंत में एक बात कहते हुए कि सरकार पुलिस महकमे को जितनी सुविधाएं देना चाहती है, उतनी सुविधाएं दे और पुलिस महकमे में काम करने वाले 2400 पे-ग्रेड के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि सरकार इनके वर्क को देखते हुए, इनकी मेहनत को देखते हुए, इनके परिश्रम को देखते हुए, इनकी पे-ग्रेड 3600 रुपये करने का काम करे। मेरे ख्याल से 3600 रुपये पे-ग्रेड करने के लिए सभी माननीय सदस्य भी सहमत हैं। इसलिए सरकार अपनी रिप्लाई देते समय इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए, माननीय शान्ती धारीवाल जी, माननीय गृह मंत्री जी के रूप में आप विराजमान हैं, कम से कम पुलिस महकमे के प्रति आप संवेदनशीलता रखते हुए अपने रिप्लाई के अन्दर इनकी पे-ग्रेड 3600 रुपये करने की आप घोषणा करें। सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या-16 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने स्वागत कक्ष बनवाये और थाने में तुरंत एफआईआर कटेगी। पहले थानों में लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी। लोग बाहर किसी थड़ी पर बैठते थे या किसी होटल पर बैठते थे या किसी पेड़ की छांव में बैठते थे लेकिन उसकी कोई पूछ करने वाला नहीं था। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने पूरे राजस्थान में हर थाने में स्वागत कक्ष खोलकर बहुत ही सराहनीय काम किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इसी के साथ ही पहले जो गरीब अनपढ़ लोग थाने में जाते थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं करता था। भले ही दस-दस दिन चक्कर मारते थे लेकिन उनकी एफआईआर नहीं कटती थी। अब संवेदनशील सरकार है, अब थाने में जाते हैं तो उनको एफआईआर काटनी है और जो भी फरियादी है, उसकी सुनवाई करनी है, यह हमारी सरकार का अच्छा डिसीजन है, अच्छा काम है।

इसी के साथ ही मैं टीएसपी क्षेत्र की बात करूंगा क्योंकि मैं आदिवासी जनजाति बहुल क्षेत्र से आता हूं। हमारे टीएसपी क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जो डेली काम पर जाते हैं, उनका पुलिस द्वारा चालान बनाया जाता है। चालान भी 200 रुपये का, 500 रुपये का। वह गरीब मजदूर जो बाजार में काम पर जाता है मोटरसाइकिल लेकर, 200 रुपये तो मुश्किल से कमाता है और पुलिस उनसे चालान के नाम पर या तो कभी चालान की रसीद काटती है या कभी लेनदेन करके यूं ही निपट लेती है। जो ऐसा हो रहा है तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खाली एससी/एसटी और गरीब व्यक्ति हैं, उनके ही ज्यादा चालान क्यों बनते हैं? दूसरे वर्ग के चालान नहीं बन रहे हैं। एसटी/एससी जो गरीब व्यक्ति हैं, उसके ही चालान बनाते हैं। दूर से देख लेते हैं कि ये व्यक्ति गांव से आ रहा है, उसको हाथ मारते हैं, रोक लेते हैं और चालान बनाते हैं। यह आपकी सरकार में भी हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पुलिस की बात कर रहा हूं। हमारी सरकार कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन ने जो इस तरह से रवैया अपना रखा है। मैं यह बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय जी, टीएसपी क्षेत्र में जो भी पुलिस की भर्तियां निकलती हैं, हमारे 80 परसेंट जनसंख्या ट्रायबल है, लेकिन हमारे जो पुलिस

(श्री गणेश घोघरा)

की विज्ञप्ति निकलती है, उसमें हमारे टीएसपी के एसटी के पद खाली 5 या 7 और जनरल वर्ग के 50, ये हमारे क्षेत्र के युवाओं में नाराजगी है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टीएसपी क्षेत्र में जो पुलिस की भर्ती निकले, उसमें संख्या बढ़ाई जाए जिससे हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, उनको नौकरी मिल सके। इसी के साथ थानों में, चौकियों में कई वर्षों से 5-5, 7-7 वर्षों से थानेदार वहां बैठे हुए हैं। सिपाही भी चौकियों में बैठे हुए हैं थानों में बैठे हुए हैं, 5-5 साल, 7-7 साल हो चुके हैं। मेरा निवेदन है कि उनको हटाया जाए क्योंकि फील्ड में लोगों से मिलना-जुलना हो गया है और उनसे कुछ भी छोटा काम होता है, उनसे बड़ी मोटी रकम वसूली की जा रही है। यह जनता की समस्या, क्षेत्र की समस्या मैं बता रहा हूं। यह मैं नहीं बोल रहा हूं यह जनता की, क्षेत्र की समस्या है।

माननीय सभापति महोदय जी, टीएसपी क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर पुलिस थानों में और चौकियों में थानेदार और सिपाही लगाए जाएं क्योंकि यहां बाहर के थानेदार और सिपाही लग रहे हैं, जो चौकियों में हैड कांस्टेबल लग रहे हैं, जो थानों में थानेदार या डिप्टी लग रहे हैं, इनकी भाषा न तो हमारे वाले समझ सकते हैं और हमारी वाली भाषा इधर वाले समझ नहीं सकते हैं। वागड़ी भाषा यहां के अधिकारी नहीं समझ सकते हैं तो जो फरियादी जाता है, वह फरियादी कुछ और कहता है और यहां के अधिकारी कुछ और समझते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि टीएसपी क्षेत्र में जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जैसे बांसवाड़ा के हैं, उनको डूंगरपुर लगाया जाए, डूंगरपुर के जो अधिकारी, कर्मचारी हैं, उनको उदयपुर लगाया जाए। इनका जिला चेंज किया जाए। अभी पता नहीं कौन-सी नियम प्रक्रिया बनायी है कि टीएसपी वाले हमारे जो भी एसएचओ हैं, थानेदार हैं, कर्मचारी हैं, उनको नोन-टीएसपी में डाला गया है। ये कौनसे नियम के अन्तर्गत डाला गया है? आखिर कब तक ऐसा चलेगा हमारे साथ? एसटी/एससी, ओबीसी, माइनोरिटी के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है और किया जा रहा है। ऐसा क्यों? हम संविधान की बात करते हैं लेकिन हमारे लोगों के साथ आज भी अन्याय हो रहा है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय जी, हमारी संस्कृति है, परम्परा है। हमारे घर में वार-त्यौहार में, पहले भी मैंने यह बात बताई है कि हमारे वार-त्यौहार पर एक-दो बोतल घर में रहती है। पुलिस वाले खाली दो बोतल ले जाकर उसको दस

(श्री गणेश घोघरा)

बोतल का झूठा मुकदमा बनाते हैं। ऐसा क्यों? वे कहते हैं कि हमारा टार्गेट है। ये टार्गेट कौन दे रहा है उनको? ये टार्गेट कहां से आ रहा है? लेकिन जो अंग्रेजी शराब है, जो गुजरात जा रही है, वहां इनका टार्गेट नजर नहीं आ रहा है लेकिन गरीब आदिवासी जो झोंपड़े में बैठा हुआ है, वह उसकी संस्कृति, परम्परा, मौत-मरण पर, शादी-ब्याह पर, ऐसा जो रखता है, हमारे पूर्वजों के पूजते हैं, धार लगाते हैं, वहां पर इनको दो बोतल की दस बोतल झूठा पानी डालकर, ऐसे मुकदमे झूठे बनाए हैं। आपसे निवेदन है कि ऐसे जो झूठे मुकदमे हमारे टीएसपी एरिये में लोगों पर लगाए हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाए।

सभापति महोदय, थोड़े दिन पहले ही कांकरीडूंगरी कांड हुआ था। वह पूरा राजस्थान, हिन्दुस्तान जानता है। वहां पर बाहर के लोग आए थे, बाहर से आए थे लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में उपद्रव हुआ था। अब वहां पर हाई वे के आस पास जो गरीब लोग हैं, जो कुछ जानते ही नहीं हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। उनको पुलिस झूठे मुकदमे में फंसा रही है। जो करने वाले थे, वे करके भाग गये। मेरा आपसे निवेदन है कि जो निर्दोष हैं, जो झूठे मुकदमे पुलिस ने किये हैं, वे मुकदमे वापस लिये जाएं, यह मेरा आपसे निवेदन है। सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा और मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये झूठे मुकदमे वापस लिये जाएं और हमारे क्षेत्र की जनता के साथ न्याय करें।

सभापति जी, हमारे कांकरा दर्रा है, शिशोद है, माचू घामड़ा है, बलवाड़ा है, वहां आए दिन पथराव होता है। मैंने भी पुलिस को कई बार कहा कि आप यहां पर गश्त लगाएं लेकिन वहां पर लूटपाट, चोरी की घटनाएं घट रही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि शिशोद, सतीरामपुरा और कोटाना, यहां पर शिशोद में थाना और कोटाना, सतीरामपुरा और बलवाड़ा, यहां पर चौकी खोली जाए तो हमारे क्षेत्र में थोड़ी शांति बनी रहेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक जैसलमेर के पोकरण की घटना है, वहां आदिवासी की जमीन का कोई मामला था। उस आदिवासी ने थाने में जाकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि वह दलित था, आदिवासी था और जो पूंजीपति, पैसे वाले थे, उनको छोड़ दिया। यह कहां का न्याय है? एसटी/एससी, ओबीसी और माइनोरिटी के साथ न्याय होना चाहिए, यह मैं आपसे मांग करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-16 व मांग संख्या-17, पुलिस, कारागार पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार राजस्थान में पुलिस अपराध बढ़े हैं, अनियंत्रित हुए हैं, वह आप लोगों के सामने हैं। आम लोगों में भय का माहौल है। चोरी-डकैतियां बढ़ी हैं, चित्तौड़गढ़ की बात करूं, पिछले काफी समय से शहर में चोरियां भी बढ़ीं, डकैती भी बढ़ी है। काफी व्यवस्था बिगड़ी है। उसका कारण है, पुलिस में भर्तियों का कम होना। पुलिस की काफी टाइम से भर्ती नहीं हो पाई, तो पुलिस की भर्ती भी होनी चाहिए। काफी थानों में संख्या कम है, यह भी एक बड़ा रीजन है।

माननीय सभापति महोदय, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, बलात्कार के अत्याचार बढ़े हैं। पूरे राजस्थान में कभी भी, कोई भी अख़बार, पत्रिका खोलो, भास्कर खोलो, सबसे पहले बलात्कार और भ्रष्टाचार की बू आती है। सरकार को देखना चाहिए, क्या कंडीशन है। मैं एंटी करप्शन को धन्यवाद देता हूं उन्होंने पूरे राजस्थान में चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आरएएस हो या कोई अधिकारी हो, उन्होंने जिस प्रकार शिकंजा कसा है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं, पर सरकार ने उन पर भी नकेल कस रखी है। उनको भी थोड़ी खुली छूट देनी चाहिए। राजस्थान में बजरी माफिया पनपा है, मेरे चित्तौड़गढ़ में भी बजरी के टोकन दिए जाते हैं, नाम से टोकन जारी हो रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करते हुए, पुलिस अपने आपमें बंधी हुई है। पुलिस की नीचे से ऊपर तक मंथली भी बंधी हुई है, आप उसकी भी जांच करवाएं। आजकल, सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा, जिस प्रकार व्हाट्सएप काल होते हैं, वह दर्ज भी नहीं हो पाते हैं। व्हाट्सएप काल पर कैसे क्या हो सकता है, उसके बारे में भी आप बात करें, जानकारी लें।

माननीय सभापति महोदय, भू माफियाओं ने पूरे राजस्थान में पैर पसारे हैं, मेरे चित्तौड़गढ़ में भी भू माफियाओं का बहुत संकट बढ़ा है। पुलिस के द्वारा खड़े रहकर ज़मीनों को खाली करवाना, पुलिस में अपराधी प्रवृतियों के लोग हैं, इस प्रकार की जमीनें खाली करवा रहे हैं, कैसे क्या हो सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करें। धार्मिक जगहों की रजिस्ट्री हो रही है, उसके बारे में भी चर्चा करें, देखें, सोचें, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में भी चर्चा करें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

माननीय सभापति महोदय, तस्करी की बात करें, हमारे वहां नारकोटिक्स विभाग हो या एनडीपीएस का मामला हो, एनडीपीएस के मामले पिछले कार्यकाल में, दो सालों में काफी बढ़े हैं। उसके पीछे रीजन यह है कि वहां के अधिकारी उन लोगों से मिले हुए हैं। उसके अलावा पुलिस में एक सबसे कठिन कानून है धारा 29 में। धारा 29 का नाम जोड़कर कहीं अफीम पकड़ते हैं या तस्करी पकड़ी जाती है, एक नाम, दो नाम, तीन नाम, दस नाम, ऐसे नाम लिए जाते हैं। उनसे काफी मोटी रकम वसूल की जाती है। अपन कानून बनाने वाले हैं, धारा 29 को कैसे खतम कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करें। धारा 29 के नाम से काफी लोगों से वसूल करके, एनडीपीएस में उनको फंसाया जाता है। एनडीपीएस के नाम से लोग डरते हैं, क्योंकि 8-8,10-10 साल की सज़ा होती है, उसके बारे में चर्चा करे। कानून के तहत, कैसे उसको पाबंद कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करें।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना काल के बाद पुलिस ने चालान बनाए, शहर में जाओ या गांवों में जाओ, थाने के बाहर निकलने के बाद, कोई आदमी शहर से गांव में जाता है तो उसको 200 रुपये तेल के, पैट्रोल-डीजल लेकर जाने पड़ते हैं और 200 रुपये उसको चालान के लिए लेकर जाना पड़ता है। पुलिस उनको टार्गेट देती है कि इतने चालान आपको बनाने ही बनाने हैं। गांव का किसान, हर आदमी 200 रुपये का चालान देकर जाता है, इसके बारे में आप सोचें। मास्क वगैरह, सब तरह से फिट होने के बावजूद भी, उसका 100-200 रुपये का चालान काटा जाता है। उसको कैसे पाबंद किया जाए, कैसे रोका जाए, उसके बारे में भी चर्चा करें।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी घटना है, यह ब्याजख़ोरों, रसूखखोरों की हो रही है। चित्तौड़गढ़ शहर में ऐसे काफी कांड हुए कि दस, पन्द्रह, पचास परसेंट, ब्याज के पैसे लिए जाते हैं, थाने में जाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। एंड में या तो फांसी पर लटक जाते हैं या पूरे परिवार को जहर खाना पड़ता है, इस बारे में भी आप चर्चा करें। रसूखदारों, ब्याजख़ोरों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, उस बारे में भी चर्चा करें।

पुलिस थानों में 3-3, 4-4, 6-6, 12 महीने में एफएसएल रिपोर्ट आती हैं किसी भी क्राइम के लिए। समय बीतने के बाद, केस रफा-दफा हो जाता है। ऐसी व्यवस्था करें कि एफएसएल रिपोर्ट भी जल्दी आ जाए।

माननीय सभापति महोदय, आज आम तस्करों के पास सफारी, इनोवा

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

ऐसी गाड़ियां हैं, राजस्थान में पुलिस में जीप या छोटी गाड़ियां हैं, अपराधी प्रवृति के लोगों के लिए, तस्करों के लिए यह गाड़ियां सही नहीं हैं। आधुनिक हथियार उनको उपलब्ध करवाएं और लग्जरी गाड़ियां उपलब्ध करवाएं ताकि वह तस्करों से कम्पीटिशन कर सकें, तस्करों को पकड़ सकें, इस प्रकार की आप चर्चा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं होम गार्ड्स की बात करूं। होम गार्ड्स को 12 महीने ड्यूटी दी जाए। उनका पालन पोषण कैसे कर सकें, इसके बारे में सोचें। राजस्थान द्वारा जारी एल-1, एल-5 तक रिक्त पदों पर होम गार्ड, जवानों को लगाया जाए।

(14.27 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान होम गार्ड जवानों की सेवा अवधि 55 से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए। राजस्थान होम गार्ड जवानों का अन्य राज्यों की भांति 50 प्रतिशत आरक्षण किया जाए। राजस्थान होम गार्ड जवानों की नवीनीकरण प्रथा पर अंतिम विराम लगाया जाए। राजस्थान होम गार्ड जवानों को वैलफेयर फंड, ईएसआई, पीएफ का लाभ दिया जाए। होम गार्ड की यह सभी मांगें काफी समय से हैं, इनकी भी आप पूर्ति करवाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिस प्रकार भ्रष्टाचार की स्थिति बढ़ी है, उसमें लगाम कैसे लगाई जा सकती है, एंटी करप्शन अच्छा काम तो कर ही रही है, पर उनको नियंत्रण में कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करें।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार नगरपालिका व यूआईटी में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बारे में चर्चा करें। भूमाफियाओं के बारे में चर्चा करें। जिला परिषद्, पंचायती राज में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करें। भ्रष्टाचार में अभियोजन स्वीकृति काफी टाइम से नहीं मिल पा रही है, काफी केसेज हम लोगों के वहां के भी हैं। अधिकारी काफी टाइम से बचे हुए हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की बात करूं। परिवहन विभाग के इंस्पैक्टर वगैरह रोड पर खड़े रहते हैं। हम एमएलए, एमपी कहीं जाते हैं, कोई अधिकारी या आम लोग भी कहीं जाते हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में उनको ऑनलाइन कम्प्यूटराइज करें या कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बारे में भी कुछ करें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सालय में भ्रष्टाचार, बिजली में भ्रष्टाचार, इन सभी पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में विचार करें।

जेल के बारे में कहना चाहूंगा। जिस प्रकार जेल बंदियों की संख्या बढ़ी है, आधुनिक जेल कैसे कर सकते हैं, उसमें बदलाव करें। आम लोग बिना कारण भी जेल जाते हैं, दूसरे भी जा सकते हैं, वहां टायलेट की क्या व्यवस्था है, बाथरूम की क्या व्यवस्था है, जेल नफरी की क्या व्यवस्था है, उसके बारे में सोचें, क्या कर सकते हैं, इस बारे में व्यवस्था करवाएं।

अध्यक्ष महोदय, बंदियों के खुले शिविरों की व्यवस्था करवाएं। बंदियों की समय पर रिहाई की व्यवस्था करवाएं। बंदियों को कारावास कालीन अवकाश की व्यवस्था, पैरोल पर कराएं। विचाराधीन बंदियों की पुनरीक्षण की व्यवस्था कराएं। कारागार में उद्योग की व्यवस्था कराएं। कारागार में शैक्षणिक कार्यक्रम की व्यवस्था करवाएं। बंदियों को शिक्षा कैसे प्राप्त हो, उसकी व्यवस्था करें।

मैं चित्तौड़गढ़ की बात करूं तो चित्तौड़गढ़ में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहां अभी हमारे एस.पी. साहब दीपकजी भार्गव लगे हैं। उनको मैं धन्यवाद दूं, उसके बाद काफी कंट्रोल हुआ है, स्थिति काफी अच्छी हुई है वर्ना पूरे चित्तौड़गढ़ में भ्रष्टाचार की व्यवस्था काफी बिगड़ी है। इस भ्रष्टाचार पर भी आप आल-ओवर व्यवस्था करते हुए कैसे लगाम लगाएं, पुलिस की कानून-व्यवस्था, इनकी नफरी की व्यवस्था करवाएं। आपने मुझे मांग संख्या 16 व 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सबको मालूम है कि आज हमारे पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंहजी की डैथ हो गई और अभी उनका फ्यूनरल इलाहाबाद में हुआ है। हम शोकाभिव्यक्ति व्यक्त करेंगे और उसके बाद आधा घंटा हम हाउस को एडजोर्न करेंगे।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धाजंलि

अंशुमान सिंह, श्री, पूर्व राज्यपाल, राजस्थान व गुजरात

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं राजस्थान एवं गुजरात के पूर्व राज्यपाल श्री अंशुमान सिंह के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री अंशुमान सिंह का जन्म 7 जुलाई, 1935 को इलाहाबाद में हुआ। आपने बी.ए. एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री अंशुमान सिंह अप्रैल, 1998 से जनवरी, 1999 तक गुजरात तथा जनवरी, 1999 से मई, 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। इस दौरान आपने राज्य के विकास के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायिक सेवा से जुड़े श्री सिंह इलाहाबाद जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे। श्री सिंह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे। श्री सिंह राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रशासनिक न्यायाधीश तथा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रहे। आप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी सभापति रहे। आप भारत सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे।

सरल व्यक्तित्व वाले श्री सिंह जन समस्याओं के निराकरण के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री अंशुमान सिंह का दिनांक 8 मार्च, 2021 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।)

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.33 बजे आधे घंटे के लिये स्थगित हुई)

(15.03 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-16 एवं 17 पर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह अपना भाषण प्रारम्भ करें, उससे पहले मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि यह रिटायर आई.जी. बोल रहा है या एक एम.एल.ए. बोल रहा है?

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): एम.एल.ए. बोल रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एम.एल.ए. बोल रहा है या पुलिस का पूर्व अधिकारी बोल रहा है? उसी हिसाब से हम नोट करेंगे न।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उनके अनुभवों का लाभ लेने दो।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16-भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एवं मांग संख्या 17-कारागार पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, यह भ्रष्टाचार हमारे लिए भी और पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। भ्रष्टाचार देश के विकास को अवरुद्ध करता है, समाज में पक्षपात को बढ़ावा देता है। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो देश के विकास के लिए होते हैं, उनमें भ्रष्टाचार के कारण से उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है, लोगों के काम समय पर नहीं होते हैं और यह एक इस तरीके की बीमारी है जिसका इलाज चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हो, चाहे पक्ष के माननीय सदस्य हो, सभी मिलकर हम विचार करें तो इसको अगर पूरी तरह से खतम नहीं कर सकते तो कम से कम इस पर अंकुश लगाने में हम कामयाब हो सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, सदन में चर्चा इस बात की नहीं होनी चाहिए कि बी.जे.पी. सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ करता था और कांग्रेस में ज्यादा है या कांग्रेस में अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार खतम हो गया और सारा सब कुछ पहले ही होता था। माननीय सभापति महोदय, सदन में चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि जिन संस्थाओं को भ्रष्टाचार को रोकने का दायित्व

(श्री लक्ष्मण मीणा)

दिया हुआ है, उन संस्थाओं को हम किस तरीके से मजबूत बनाएं, उनके किस तरीके से कानूनों में बदलाव लाया जाए ताकि वह अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सके और इस कलंक पर कुछ नियंत्रण लगाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, जहां पर बात आती है प्रोसीक्यूशन सैंक्शन की, प्रोसीक्यूशन सैंक्शन समय पर नहीं मिलती या मिलती ही नहीं है। केसेज कोर्ट से वापस ले लिये जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, इन सब चीजों के लिए भी हम पोलिटिशियन ही जिम्मेदार हैं। एक केस को कामयाब करने में, उसको लाजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने में एक अधिकारी को बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है, सरकार के बहुत सारे संसाधन उसमें लगते हैं। उसके बाद उस केस के प्रोसीक्यूशन के लिए वह सम्बन्धित अधिकारी को जाता है लेकिन वहां पर, यह कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि वह हम ही लोगों की वजह से चाहे वह वोटों की वजह हो, जाति की वजह हो, इतना दबाव बनाया जाता है कि बहुत से ऐसे केसेज जिन में रैडहैंडेड पकड़े गये हैं, आफिस में रिश्वत लेते हुए पकड़े गये हैं उनकी प्रोसीक्यूशन सैंक्शन नहीं दी जाती है और प्रोसीक्यूशन सैंक्शन अगर दे भी दी तो जब अंडर ट्रायल है तब भी उनको बड़े-बड़े ओहदों पर बैठा दिया जाता है, इससे संदेश यह जाता है कि कितना भी भ्रष्टाचार कर लो अगर मेरी जाति या मेरा समाज या मेरे पास वोट बैंक है तो मैं जिनको सपोर्ट करूंगा तो उनका दबाव बनाकर मैं निश्चित रूप से इससे बाहर निकल जाऊंगा तो इस तरीके की अगर टेंडेंसी रहेगी तो मेरे ख्याल से यह भ्रष्टाचार बढ़ता ही जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, हम कभी नहीं सुना करते थे कि आल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी, वे भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लेकिन मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को एवं उनकी टीम को कि अभी वे लोग भी काफी संख्या में पकड़े जा रहे हैं और ऐसे-ऐसे केस बनाए हैं जो दूसरे लोगों के लिए एक चेतावनी होगी, दूसरे लोगों को एक नसीहत मिलेगी कि इस तरीके के केसेज में नहीं पड़ा जाए।

हमारे माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष ने जो बताया, फीगर्स दिये, निश्चित रूप से आपके फीगर सही हैं, आफिशियल फीगर सही हैं। सिरोही से आने वाले हमारे माननीय सदस्य, वह डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अपन को इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। अपन को एक मत से यह करना चाहिए कि इस तरीके की यह चीजें नहीं हों, कैसे इन पर अंकुश लगायें?

माननीय सभापति महोदय, सीआर.पी.सी. की धारा-197 में प्रोटेक्शन मिला हुआ है सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को लेकिन इसमें गहराई से जाएं,

(श्री लक्ष्मण मीणा)

इसका अध्ययन करें तो इसलिए नहीं मिला हुआ प्रोटक्शन कि आप आफिस में बैठे बड़े ओहदे पर और वहां पर ही आप रिश्वत लें। माननीय सभापति महोदय, यह सीआर.पी.सी. की धारा-197 का जो प्रोटक्शन है इसमें भी संशोधन करने का इस सदन को विचार करना चाहिए ताकि ऐसे केसेज में, धारा-197 सीआर.पी.सी. का उनको प्रोटक्शन ही नहीं मिले।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो-तीन चीजें और इसके बारे में कहना चाहूंगा। आपने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को यह सारा जिम्मा दे दिया कि आप जाइए और सारे समाज के अन्दर व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसको खतम कर दीजिए।

माननीय सभापति महोदय, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक हरेक जगह, हरेक महकमे में, हमारे सब माननीय सदस्य जानते हैं कि भ्रष्टाचार है और कई-कई महकमे तो ऐसे हैं कि सिग्नेचर करने के लिये कलम भी तभी उठायी जाती है कि उसकी टेबल पर कुछ रख नहीं दिया जाता है। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जिसमें गिने-चुने अधिकारी हैं, संसाधन नहीं है, उनके पास में चौकियां कम हैं और जो स्टाफ है, वह भी अपर्याप्त है। मैं मेरी तरफ से आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि आप इसको थोड़ा और शक्तिशाली बनाइए। कुछ और कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है तो संशोधन करिये।

माननीय सभापति महोदय, जो कोर्ट के मामले हैं। केसेज सालों-दर-सालों पैंडिंग रहते हैं। वह इसीलिए पैंडिंग रखे जाते हैं कि टाइम पर गवाह नहीं आएगा। प्राइवेट गवाह है तो उनको गुमराह कर लिया जाएगा और जब तक वह गवाह मर जाएगा, कई ऐसे लोग होते हैं जब उसकी डैथ हो जाएगी, फिर उनके खिलाफ कोई गवाही देने वाला ही नहीं होगा। इस तरह वह आसानी से बरी हो जाते हैं। मेरा सरकार से, आपके माध्यम से इतना ही अनुरोध है कि कम से कम दो-चार चीजें, जो आप कर सकते हैं, जैसे प्रोसीक्यूशन सैंक्शन में किसी तरह का विलम्ब नहीं किया जाए। दूसरा, जो डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं, वह बनाकर टाइम बाउंड ट्रायल होना चाहिए ताकि जो दोषी है, उसको सज़ा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे केसेज हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, जो कई बार पकड़े गये, फिर वापस सर्विस में वह आ गये। हम यह किस्से रोज अखबारों में पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब तक इनको सर्विस से हटाने का प्रावधान नहीं होगा। मेरा तो यही सुझाव है कि अगर किसी के खिलाफ

(श्री लक्ष्मण मीणा)

केस दर्ज हो जाता है तो in the interest of the Nation and in the interest of the Public, उनको स्टेट में ही डिसमिस कर देना चाहिए ताकि दूसरों के लिये बहुत बड़ी नसीहत हो सके कि वह भ्रष्टाचार करने से पहले दस बार सोचे।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर ए.सी.बी. का स्टाफ है, उसको इंसेंटिव भी देना चाहिए, क्योंकि उसी तनख्वाह में इतनी मेहनत नहीं करेगा, ए.सी.बी. के स्टाफ को काफी मेहनत करनी पड़ती है। जैसा सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इनका जो सीक्रेट सर्विस फण्ड है, उसमें बढ़ोतरी की जाये, इनके संसाधनों में भी बढ़ोतरी की जाये और ज्यादा चौकियां खोली जायें, इनको ज्यादा इंसेंटिव दिया जाये और जो अच्छा काम करने वाले अधिकारी हैं, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़े।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की अभी ए.सी.बी. की जो टीम है, वह बहुत ब्रिलियंट टीम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। यह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, सरकार को भी अपना काम करना चाहिए। यह प्रोसीक्यूशन सैंक्शन के लिये लेकर जाते हैं तो उनको ज्यादा दिनों तक लम्बित नहीं रखना चाहिए। मेरी यह समझ में नहीं आता, माननीय सभापति महोदय, जब एक काम्पीटेंट पुलिस आफिसर ने केस का इन्वेस्टीगेशन कर लिया, कानूनी राय ले ली और सब कुछ करके एवीडेंसेज जुटा लिये, उसके बाद किसी एक ऐसे अधिकारी के पास प्रोसीक्यूशन सैंक्शन के लिये जाता है, जिसको कानून की कुछ जानकारी नहीं है और वह उसको डिनाई इसलिए कर देता है, या तो उसके ऊपर पोलिटिकल प्रेशर है या कोई और दूसरा कारण होता है तो इस तरीके से नहीं हो। माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं, इसके लिये कोई कार्यवाही की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा नैक्सस है, जो अभी चल रहा है, बजरी माफिया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। माननीय सभापति महोदय, मैं बस्सी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, जो बनास नदी है, उसकी सारी बजरी जो आ रही है, उसकी मैक्सिमम गाड़ियां बस्सी के थ्रू आ रही हैं। हम सरकार से गुजारिश करते रहते हैं, सरकार के पास इतने संसाधन रोड्स बनाने के लिये देते हैं, गांवों की रोड्स की दुर्दशा इन हैवी लोडेड वाहनों ने इतनी कर दी है, उस पर कोई कोग्नीजेंस नहीं ले रहा। यहां ए.सी.बी. के शीर्ष अधिकारी भी विराजमान हैं, मंत्रीजी भी विराजमान हैं। कृपया आप इन अधिकारियों को

(श्री लक्ष्मण मीणा)

निर्देश दें कि इस तरीके के नैक्सस को तोड़ें और जो बजरी माफिया है, पुलिस का जो गठजोड़ है, जो ओवरलोड वाहन होते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं तो ए.सी.बी. उनके खिलाफ भी जबर्दस्त तरीके से कार्यवाही करे, ताकि कुछ न कुछ रिलीफ पब्लिक को मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा भी आप चाहे नीचे से ले लें। एक ग्राम विकास अधिकारी है, उससे लेकर ऊपर तक जितने भी कार्य हो रहे हैं, आपकी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार पैसे दे रही है, उन योजनाओं में भयंकर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये ए.सी.बी. के पास कोई साधन ही नहीं हैं। वह केवल बड़े-बड़े आफिसेज हैं, उन्हीं पर निगरानी रखती है तो इसके लिये भी सरकार को कुछ विचार करना चाहिए ताकि उनके कार्यों की गुणवत्ता ठीक हो, भ्रष्टाचार कम हो। आज जो सड़कें बन रही हैं, उनमें जबर्दस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। 30-30, 35-35 प्रतिशत बी.एस.आर. से बिलो रेट देकर ठेकेदार काम कर रहे हैं और वह काम इतना घटिया क्वालिटी का होता है कि वह 15 दिन के बाद में ही रोड समाप्त हो जाती है तो इस पर भी अगर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यवाही करता है तो निश्चित रूप से पब्लिक को बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं कारागार विभाग के बारे में भी अपने कुछ सुझाव आपके माध्यम से देना चाहूंगा। यह निश्चित है माननीय उप नेता प्रतिपक्ष ने भी जैसे अपने स्पीच में बोला था कि जितनी भी जेलें हैं, वह शहरों के बीचों-बीच आ गयीं और शहर के बीचों-बीच आने की वजह से उनकी सुरक्षा खतरे में है और उनको शहर से कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर शिफ्ट करना चाहिए ताकि उस जमीन का सदुपयोग किया जा सके और उस जमीन के पैसे से ही जेल विभाग को काफी सरसब्ज बनाया जा सकता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इन जेलों में बहुत ही आपराधिक गतिविधियां होती हैं। वहां शराब की भी सप्लाई होती है, मोबाइल भी दिये जाते हैं। वहां पर क्राइम करने की प्लानिंग होती है और वहां से वह लोग अपनी गैंग को चलाते हैं। इसके लिये भी बहुत जरूरी है कि सरकार कुछ करे। यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है।

माननीय सभापति महोदय, जेलों का जो स्टाफ है, एक तरफ तो उनको बहुत ही कम सैलेरी मिलती है, रहने के लिये जेल विभाग के पास

(श्री लक्ष्मण मीणा)

आवास नहीं हैं, वह पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, साथ ही संख्या पूरी नहीं है। इस वजह से भी जेलों की सुरक्षा को बहुत ज्यादा खतरा है। इस पर राज्य सरकार विचार करें और उनको ज्यादा सैलेरी दे, उनको ज्यादा सुविधा दे और इस तरीके से जेलों के अन्दर जो गतिविधि हो रही है, उसकी रोकथाम के लिये जो भी नई टैक्नोलोजी है, उसको अपनाकर उनकी गतिविधियों को रोका जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस और जेल की मांग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज के समय में जिस प्रकार जेलों में मोबाइल के द्वारा जो क्राइम हो रहे हैं, वह जगजाहिर हैं। समाचार पत्रों में रात दिन हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसके ऊपर नियम बनाने वाला यह जो मंदिर है, न्याय का मंदिर विधान सभा, इसके अन्दर ऐसे नियम क्यों नहीं बनवाते हैं कि निश्चित तौर पर कोई मुल्जिम को पकड़ने के लिये कौनसा मुल्जिम कहां हैं, आप तुरंत उसका मोबाइल ट्रैस करके मुल्जिम को पकड़ लोगे। मुझे यह समझ में नहीं आता है जब जेल के अन्दर जो मोबाइल चल रहे हैं, उसको पुलिस नहीं पकड़ सकती है, क्या कारण है? यह सब मिलीभगत से होता है, यह मिलीभगत बंद होनी चाहिए।

सभापति महोदय, आज जितने भी जो क्राइम हो रहे हैं वो 50 परसेंट क्राइम जेल में बैठे हुए अपराधी बाहर वालों के गैंग के द्वारा हो रहा है और यह गैंग पनपाने का काम पुलिस के द्वारा हो रहा है। हमें पुलिस को अच्छे कार्य के लिए, उनको अच्छे संसाधन देने चाहिए। हम सब मांग करते हैं लेकिन कम से कम उनकी नीयत को तो सुधारने का काम होना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आप प्रमोशन दे देते हो। कोई एक दूसरे की सिफारिश लेकर आ जाते हैं कि साहब, यह तो मेरा भतीजा है, साहब, मेरा चाचा है, इसका तो करना ही पड़ेगा, वह कार्य बंद होना चाहिए, तब जाकर के उस गरीब को न्याय मिल पायेगा। ऐसा मेरा आप सब से निवेदन है।

जिस प्रकार आज जो सट्टा बाजार चल रहा है, सट्टा बाजार जगजाहिर है। सट्टा बाजार की पुलिस के पास में मंथली पहुंचती है तभी जा करके वो

(श्री शंकर सिंह रावत)

सट्टा चल पाता है और सट्टा कौन-कौन लगाता है, वो भी उसको पता है। अधिकारी बिलकुल हफ्ता लेकर के और निश्चित तौर के ऊपर सट्टे पर जा रहे हैं और जिस गरीब ने सट्टा लगा लिया, पहली बार गया, दूसरी बार गया और कोई आदतन सट्टाबाज भी है, वह हारने के बाद फांसी पर लटकने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसी का बेटा जाता है, किसी का भाई गया है, वो पूरा परिवार उसको रोता है लेकिन अगर हमारी नीयत कुछ साफ हो जाए कि हम इस कानून के अन्दर सुधार करके यह कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर उनका बेटा भी बच सकता है, उनका पति बच सकता है, उनके परिवार का जो सदस्य फांसी पर लटकने वाला है वो बच सकता है। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है कि कानून के अन्दर सुधार हो।

साइबर क्राइम जितना जगजाहिर हो रहा है, अगर पुलिस चाहे तो निश्चित तौर पर सब कार्य बंद हो सकते हैं। आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अन्दर कहीं ले लिया जाए, कलेक्टर एक जगह बैठा रहता है लेकिन उसका पटवारी हर क्षेत्र में घूम रहा है, कौन आदमी वहां पर अतिक्रमण कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो टोटल रिपोर्ट उसकी जानकारी में होती है। पुलिस भी अगर चाहे, एस.पी. जिले में एक जगह बैठता है लेकिन पुलिस का बीट प्रभारी हर बीट के ऊपर है। बीट इतना लम्बा-चौड़ा नहीं होता है कि उसमें घूम नहीं सकता हो। बीट के अन्दर 24 घंटे के अन्दर वहां पर क्या घटनाएं घटी हैं, कौन से परिवार का मैम्बर और किसका बेटा, किसका पोता कौन बदमाश है, यह बीट प्रभारी की नजर में है लेकिन वो स्वयं अपने कार्य के प्रति अच्छा कार्य नहीं करते हुए उस पर भी उसको प्रोत्साहन देने के लिए कहता है, उसकी पीठ थपथपाने का काम कर देगा, कल क्या हुआ, मैं बैठा हूं डर मत, जब तक मैं हूं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वाह रे वाह साहब। तो उसकी पीठ थपथपाने का काम बीट प्रभारियों के द्वारा बंद होना चाहिए। उनका जो काम करने का है कि अपराध कैसे हो रहे हैं, उसकी नीयत साफ हो, गवर्नमेंट तनख्वाह इसी बात की देती है कि वो उसके थानेदार को जाकर कहे, उसके सीआई को जाकर कहे और वह रिपोर्ट ऊपर एसपी तक पहुंचे कि फलां जगह पर यह बात, ऐसी घटना घट रही है।

आजकल नौजवान, बेरोजगारों के कदम अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, गैंग्स बन रही हैं, बिना पुलिस की मिलीभगत के गैंग पनप नहीं सकती। सभापति महोदय, अगर बीट प्रभारी अच्छा कार्य करने लग जाए तो पूरे

(श्री शंकर सिंह रावत)

राजस्थान के अन्दर किसी भी कोने में कोई भी अपराध इस प्रकार का गैंग्स के द्वारा नहीं हो पाता। यह बात गारंटीड है। अभी हमारे गृह मंत्री महोदय जवाब देंगे, आप इस बात का भी करें कि बीट प्रभारी के कार्य के अन्दर सुधार होना चाहिए, गड़बड़ वहां से होती है। पटवारी एक जगह से गड़बड़ करता है तो कलेक्टर की रिपोर्ट भी गड़बड़ ही मानी जाएगी ऊपर से क्योंकि वह पटवारी के साइन से आया है, वो उसके बिहाफ पर तुरन्त साइन करेगा। बीट प्रभारी ने कह दिया ओके तो एस.पी. तो तुरंत कहेगा बिलकुल ओके है। इसमें सुधार होना चाहिए।

बजरी के अन्दर बजरी गिरोह, बजरी उद्योग, सभापति महोदय, यह एक तरह का भ्रष्टाचार का भी उद्योग है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। आज राजस्थान की जनता, जो भी मकान बनाने वाला है वो आज दुःखी हो रखा है और बजरी उतनी ही जा रही है जो दस साल पहले बजरी काम में आ रही थी, मकान उतने ही बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बजरी की कमी से कहीं निर्माण कार्य बंद हो गये हों लेकिन महंगे और उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के मामला हो रहा है। बजरी की गाड़ियां जहां से आ रही हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि बिना पुलिस की मिलीभगत के वे गाड़ियां आ-जा रही हैं? उसमें भी हमारे पुलिस की मिलीभगत है, यह भ्रष्टाचार भी बंद होना चाहिए।

आज एसीडी की बात करें, मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्यावर के अन्दर अमृतकौर अस्पताल के ऊपर जो काम्प्लेक्स बन रहा है, जो मात्र 40 फीट की रोड नहीं है उसके ऊपर इतना बड़ा काम्प्लेक्स बन रहा है। दो साल पहले अवैध तरीके से नक्शे डीएलबी के अन्दर, वहां से नक्शे पास हुए और अवैध नक्शे पास होने के बाद में, नगर परिषद् ने मना कर दिया कि यह नहीं होगा लेकिन यहां से हरी झंडी मिल गयी और हरी झंडी मिलने के बाद में बिना सैट बैक छोड़े हुए आज धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है। वहां पर शराब की दुकानें, ठेले, मरीजों को निकलने की जगह नहीं है। नगर परिषद् को कार्यवाही करने के लिए लिखा कि इस पर कार्यवाही करिये, नगर परिषद् के द्वारा जवाब आता है कि इसकी फाइल एसीडी के अन्दर जमा है। एसीडी को नगर परिषद् के द्वारा चार-चार लेटर लिखे गये, उसका जवाब नहीं आया और एसीडी कहती है कि कार्यवाही चल रही है। अब दो साल से कार्यवाही चल रही है, सभापति महोदय, यह एसीडी के अधिकारियों के द्वारा उनको आश्वासन दे

(श्री शंकर सिंह रावत)

दिया गया कि जब तक हम फाइल नहीं देंगे, निर्माण कार्य धड़ल्ले से चलने दो और रात दिन कार्य चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय, कैसे हम शहर को अच्छा रख पायेंगे, कैसे एरिये में अच्छी कानून की व्यवस्था दे पायेंगे? इसके ऊपर भी आप सोचिये। एसीडी दो साल में कौनसा क्या चैक कर रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या कार्यवाही कर रहे हैं? कागजों को कुचर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, जेबें भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यह जो अवैध काम्प्लेक्स बन रहा है सिर्फ और सिर्फ एसीडी और वह काम्प्लेक्स मालिक के द्वारा बनवाया जा रहा है और शहर के अन्दर आने-जाने वाले आम जनता वहां से गुजर रही है वो उनको बद्दुआ दे करके निकलती है।

सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार का जो खेल चल रहा है इन खेलों के ऊपर, एसीडी के ऊपर भी लगाम होनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन भी लगा था, उस समय मैंने मंत्री महोदय से भी निवेदन किया था, 295 के अन्दर भी बताया था। मैंने कहा कि यह एसीडी के द्वारा जो खेल हो रहा है इस फाइल को तो कम से कम वापस भिजवा करके उस जनता को तो राहत दिलाओ, न्याय तो दिलाओ। आपने कार्यवाही करने के लिए लिखा है उसको फाइल के लिए लेकिन, मंत्री महोदय, अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि तुरंत एसीडी से फाइल मंगवाई जाए और गलत तरीके से जो नक्शा डीएलबी की दुकान ने पास किया है, उसको तुरंत निरस्त करके और वापस बंद होना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

सभापति महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारे पुलिस के अधिकारी भ्रष्ट हैं और बदमाश हैं। मैं यह कह रहा हूं कि आज जवाजा के अन्दर जो एस.एच.ओ. लगा हुआ है, हमारे वहां पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार था, अब यह अधिकारी के आने के बाद, मैं उसकी तारीफ करके, मेरा कोई केस नहीं है उसके लिए कोई मदद करने के लिए बोल रहा हूं, न्याय को न्याय बोलना पड़ेगा, अच्छे को अच्छा और काणे को काणा बोलना सीखना पड़ेगा। वो अधिकारी आने के बाद, थोड़ी दूर एक चाय की होटल है, चाय वाले के पास में वो फरियादी जायेगा, वहां कुछ ऐसा दे देगा, फिर वह जाकर सिपाही को बुला लेगा अन्दर आ जा। उसके द्वारा वो ही केस दर्ज होते हैं, उसी के ऊपर कार्यवाही होती है, जैसी वह होटल वाला चाहेगा और वह सिपाही चाहेगा, वैसी कार्यवाही होगी। कागज में क्या चाहिए वह नहीं चाहिए, वह उसको नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिल पा रहा था। यह अधिकारी आने के बाद जवाजा के

(श्री शंकर सिंह रावत)

अन्दर, मैं उस अधिकारी की तारीफ करता हूं और मैंने कहा भी है कि आप तारीफ के लायक हो। एक अपराधी बैठा था थाने के अन्दर और वह ऐसे बैठा था, अपनी टांग को ऊपर ले करके कुर्सी पर, यह जो नया थानेदार आया, उसने एक ठोकर मारी और वह नीचे जाकर के गिरा। वह आया कि, साहब, थानेदार तो बहुत बदमाश आ गया तो मैं भी जब वहां गया तो मैंने उसको शाबाशी दी, मैंने कहा थानेदार जी, आपको शाबाशी देता हूं। अपराधी इस प्रकार से थाने के अन्दर टांग पर टांग रखकर के बैठे और एस.एच.ओ. निकल रहा है, यह समझ में नहीं आता। कानून कोई चीज होती है, बैठने के लिए कोई शर्म होती है, कम से कम खड़े होकर के उसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है और टांग पर टांग लगा करके बैठा है क्योंकि उसको तो मालूम है कि हिस्सा दे रहा हूं न। किस बात का मेरे से सम्मान चाह रहा है? उसने कानून व्यवस्था सुधारी है। मैं तारीफ करना चाहता हूं। जितनी भी दुकानें चल रही थीं, सारा बंद करके उसने एक नियम बना दिया कि जो भी फरियादी रिपोर्ट लेकर के आएगा, डायरेक्ट आए और एसएचओ से बात करें, मैं कार्यवाही करूंगा। मैं मुकदमा करूंगा। इसके लिए निश्चित रूप से तारीफ भी करनी चाहिए। अच्छे लोगों की तारीफ करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, झूठे और बदमाश जो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसते हैं, वह सरकार में कैसे बच जाते हैं? हमारे अजमेर में एस.पी. तक ट्रैप हुए हैं। इस तरह की दुकानें लग रही थीं कि थाना वसूली करेगा। किस थानेदार को कौनसे थाने में लगना है, बोलो। थाने की रेट्स बनी हुई हैं। वह ऊपर एस.पी. तक जाता है। यह दुकान पकड़ी किसके द्वारा गई? वहीं पर जनता के द्वारा पोल खुली। मैंने इस मामले में विधान सभा में भी कहा है।

माननीय सभापति महोदय, अभी भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अगर हम कदम नहीं बढ़ाएंगे, कानून नहीं बनाएंगे तो इसमें आगे कुछ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार ऑनलाइन पैसे आने में हमारी केन्द्र सरकार ने कार्य किए हैं, अनिवार्य रूप से उसका जीरो बैलेंस पर खाता खुलवाकर के जो कार्य किया है, उस गरीब का हो, चाहे मजदूर का हो, वह पैसा पूरा का पूरा वहां पहुंचता है। उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही भ्रष्टाचार पर अगर आप कानून बनाओगे, कदम आगे बढ़ाओगे तो उस पर लगाम लगेगी। बजरी माफिया बंद होगा। बजरी पर जनता बहुत ही दुःखी है। इस पर तो न्याय करके मंत्री महोदय को कोई न कोई कदम उठाना चाहिए।

(श्री शंकर सिंह रावत)

माननीय सभापति महोदय, जो बीट प्रभारी हैं, उस कार्य को जब तक नहीं करेंगे, यह पूरे राजस्थान का होगा, मेरे अकेले का ही नहीं होगा। जब तक सरकार उस पर कानून बनाकर के सख्ती नहीं करेगी, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे, अपराध रुकेगा नहीं।

आज अजमेर जिले के अन्दर किसका मर्डर कराना है, क्या कराना है, बिच्छू गैंग, क्वालिस गैंग, कोबरा गैंग, कौन-कौनसी गैंग हैं। कितनी गैंग्स का नाम लें। यह गैंग बनाई किसने हैं?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): पुलिस ने बनाई हैं। पुलिस की थपथपी से यह गैंग्स बनी हैं। इन पर अंकुश लगना चाहिए। कानून के अन्दर थोड़ी सख्ती करो। अच्छे नियम बनाओ ताकि यह बंद हों। आम गरीब जनता शान से, आजाद देश के अन्दर आजादी से जी सके, ऐसे कानून बनने चाहिए। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र।

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का नारेबाजी करते हुए प्रवेश)

बैठिए। बैठिए। अपने स्थान पर जाइए। स्थान पर जाइए। माननीय सदस्य, क्या हो रहा है यह? विराजिए। सीट पर पधारिए आप।

धरना

(सदन कूप में भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का धरना)

माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय नेता प्रतिपक्ष। क्या हो रहा है यह? आप स्थान पर विराजिए। स्थान पर पधारिए। कम से कम नेता प्रतिपक्ष से तो बात कर लो। उठाया मुंह और चल पड़े सीधे ही।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का धरना समाप्त)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आ गई आपके मन की बात।

श्री सभापति: अनुशासन भी है कि नहीं थोड़ा बहुत। इनसे तो सलाह कर लेते। विराजिए आप। विराजिए। आपके नेता खड़े हैं। आप विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति जी, वास्तव में इनको परेशानी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।

श्री सभापति: नहीं, ठीक है, समस्या जो भी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी ने भी इस विषय को प्राथमिकता दी और माननीय एक सदस्य को इस विषय पर बोलने को भी दिया और बाकी जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया, उनके नाम भी उसमें सम्मिलित थे और सरकार को भी आग्रह किया कि अगर एक पानी मिल जाएगा तो फसल बच जाएगी। उस सारे क्षेत्र में जिस प्रकार से एक तरह का असंतोष फैल रहा है, उस पर कंट्रोल होगा। मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्यों की भावनाएं सरकार तक पहुंची हैं।

श्री सभापति: सरकार के भी संज्ञान में आ गया और एक बार जिस विषय पर चर्चा हो गई, उस पर दुबारा चर्चा करने का वैसे भी कोई अर्थ नहीं होता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आपने सही कहा है कि चर्चा हो गई परंतु आज पूरा हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला बंद पड़ा है। सरकार की तरफ से वक्तव्य आ जाए तो पूरी बात साफ हो जाएगी।

श्री सभापति: माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी थी। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में इनको इनवाल्व कर लिया। अब बात समाप्त हो गई। दुबारा फिर आप क्यों कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप सरकार को निर्देश दे दें।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उस वक्त जो भी निर्देश दिए, वह सारी बातें हो गईं एक बार। एक बार जब विषय पर चर्चा हो गई तो दुबारा सदन में चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं होता। नियमों में भी ऐसा प्रावधान है कि एक बार चर्चा इस पर हो चुकी है। प्लीज, सहयोग करें। आप विराजिए। श्री जगदीश चन्द्र ...(व्यवधान) प्लीज, माननीय गौड़ साहब। प्लीज, सहयोग करें। विराजिए आप। प्लीज, माननीय गौड़ साहब। विराजिए। विराजिए। शांति रखें थोड़ा। माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया। उनको बोलने दें। विराजिए आप। कुछ सीख लीजिए। माननीय जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर विचार रखने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह निश्चित रूप से राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान के लिए भी इंपोर्टेंट विषय है। भ्रष्टाचार की जिस तरीके से सीमाएं

(श्री जगदीश चन्द्र)

बढ़ रही हैं और जिस तरीके से व्यापक रूप से समाज में फैल रहा है, यह चिंता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार जब से बनी है, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी इस मामले को लेकर के बहुत ज्यादा गम्भीर हैं। आज राजस्थान के एसीबी डिपार्टमेंट में करीब 16 अधिकारी हैं। एक डीजी, एक एडिशनल डीजी लेवल के अधिकारी हैं, 3 आईजी लेवल के हैं, 4 डीआईजी हैं, करीब 6 एसपी लेवल के हैं और बाकी पूरा अमला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा लंबे-चौड़े आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। आंकड़े राठौड़ साहब ने बड़े ही विस्तृत रूप से प्रस्तुत किए हैं। आंकड़ों में राठौड़ साहब की मास्टरी भी है। यह मेरे ही जिले के रहने वाले हैं। मैं इनकी बात को रिपीट नहीं करना चाह रहा। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि 2019 में 245 प्रकरणों का न्यायालय में चालान किया गया और 102 को चार्ज शीट दी गई। 2020 में 239 का ट्रायल चल रहा है और 43 में चार्ज शीट दी गई है। ट्रैप और रेड्स का जहां तक सवाल है, 2020 में अवैध तरीके से अपार सम्पत्ति जिन्होंने अर्जित की है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उसमें गजेटेड, नोन गजेटेड सारे अफसर शामिल हैं। करीब 8 प्रकरण गजेटेड अधिकारियों के खिलाफ हैं और 9 प्रकरण नोन गजेटेड अधिकारियों के खिलाफ एसीबी ने दर्ज किए हैं। 2020 में ब्यूरो ने 313 प्रकरणों में जो रिश्वत के मामले में रंगे हाथों पकड़े गए, ट्रैप किए गए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। करीब 70 गजेटेड और 243 नोन गजेटेड के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

माननीय सभापति महोदय, पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में 15 गजेटेड और 19 नोन गजेटेड अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही एसीबी ने की है। एसीबी अपने तरीके से राजस्थान में पिछले 3-4 महीने से अभियान चला रही है। वह बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और एसीबी के तमाम अधिकारियों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। पहली बार राजस्थान में 2018 के बाद में जब से सरकार बनी है, 2013 और 2018 के बीच में चर्चा मैं नहीं करूंगा। वह आप भी जानते हो कि किस तरीके से राजस्थान का सबसे बड़ा माइंस का घोटाला इसी प्रदेश में हुआ था। एसीबी ने क्या कार्यवाही की, वह भी आपके सामने है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता और उप नेता यहां बैठे हैं। दिल्ली में सीबीआई एक संस्था है हिन्दुस्तान की। सारी की सारी स्टेट्स, सारी की सारी संस्थाएं उस पर ट्रस्ट करती हैं। पिछले 6 महीने से भारत सरकार सीबीआई में स्थाई डायरेक्टर अपोइंट नहीं कर पाई जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। इसी सरकार की सीबीआई में जो डायरेक्टर थे अस्थाना, जिनके खिलाफ गुजरात में क्या था, किस तरीके से उठाकर के उनको दिल्ली में बनाया गया, यह भी पूरा देश जानता है। मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2018 में जो संशोधन किया गया दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट में, धारा 17 के बारे में, उसकी सैंक्शन और नोन सैंक्शन का, डिपार्टमेंट के हैड से जो परमिशन लेने की बात थी, उस पर दुबारा संशोधन करने की आवश्यकता है। आज डायरेक्ट एसीबी में कोई कम्प्लेंट करता है तो एसीबी का जवाब यह होता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम सिर्फ पैसे लेने-देने के मामले में मुकदमा दर्ज करते हैं। आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज करते हैं। इस एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है। सवाल इस बात का है कि भारत सरकार क्या राज्य सरकार के बारे में कानून बना सकती है? लॉ एंड आर्डर स्टेट का सब्जैक्ट है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने फैडरल सिस्टम पर एक और अटैक किया 2018 में, जिस तरीके से कृषि कानून को सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकार का अधिकार छीनकर कानून बनाया, उसी तरीके से एंटी करप्शन का जो कानून है, यह स्टेट का हिस्सा है, स्टेट का पार्ट है। इसमें राज्य सरकार परिवर्तन करके संशोधन करें ताकि प्रभावी ढंग से एसीबी काम कर सके।

एसीबी का आईना राज्य सरकार है और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, जनता में एक संदेश जाए कि ईमानदार और पारदर्शी सरकार राजस्थान में काम कर रही है और लोगों में आत्मविश्वास बढ़े। करप्शन एक सामाजिक बुराई है, यह व्यक्ति विशेष मामला है, कोई व्यक्ति करप्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता फिर भी सरकार की एक संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि इस पर अंकुश लगाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई, प्रिंसिपल आफ द नैचुरल जस्टिस, यह जुरिस्प्रुडेंस का बेसिक प्रिंसिपल है। अगर जस्टिस डिले किया जाता है तो जस्टिस डिनाई करने की श्रेणी में आता है, इसलिए सरकार इस पर विचार

(श्री जगदीश चन्द्र)

करके स्पीडी ट्रायल की शुरुआत करे ताकि मामले को कम से कम अंतिम छोर तक अपन ले जा सकें। पिछले साल-डेढ़ साल के अन्दर जिस तरीके से शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा भी की थी ई-गवर्नेंस के माध्यम से डिजिटल वाइस लागर स्थापित करने की, एनक्रिप्शन के जरिये करप्शन को पकड़ने की बात की है, वह स्वागत योग्य है। मैं समझता हूं कि एक इलेक्ट्रोनिकी ही जरिया है करप्शन को पकड़ने का, बाकी तो कोई जरिया ही नहीं है आपके पास में क्योंकि जैसे ही एसीबी का डिपार्टमेंट कोई कार्यवाही करने की कोशिश करता है कहीं न कहीं से न्यूज लीक हो जाती है। इन्हीं के अधिकारी, इन्हीं के नीचे का सबोर्डिनेट स्टाफ कहीं न कहीं इस बात की सूचना कर देता है कि आपके यहां रेड पड़ने वाली है, इससे भ्रष्ट व्यक्ति विजिलेंट हो जाता है। सरकार की मंशा पर शक नहीं किया जा सकता, सरकार की मंशा बिलकुल ठीक है लेकिन सवाल इस बात का है कि जो रेड करने के बाद में प्रोसीक्यूशन सैंक्शन करने की बात आती है, उसमें डिले निश्चित रूप से चिंता का विषय है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले लम्बे समय से एसीबी का जो ढांचा है, मेरे हिसाब से इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जिस तरीके से एसीबी को एक्टिवेट करना चाहिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा, माननीय धारीवाल साहब बैठे हैं, आप बिलकुल माडर्न तरीके से भारत सरकार का काम करने का तौर तरीका उसके जरिये नहीं करके आपको अलग से एस्टेब्लिशमेंट डवलप करना पड़ेगा राजस्थान के अन्दर, अलग से आपको टेक्नोलोजी के माध्यम से एसीडी को एक्टिव करना पड़ेगा। अब ये ही तो व्यक्ति, ये ही तो पुलिस के लोग हैं, ये ही एसीबी के लोग हैं, पुलिस में से एसीबी में लोग जाते हैं, जब सरकार बदलती है, सरकार में जो पुलिस अधिकारी मौजूदा पोस्टों पर बैठे हैं, जैसे ही सरकार बदलेगी वो तुरंत एसीबी के लिए दरख्वास्त लगाएंगे कि एसीबी में जाना चाहता हूं। उस अधिकारी पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने आर्गनाइजेशन बनाए हैं उसी तरह से अलग से इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट हो, अलग से उसकी भर्ती हो, अलग से उसके लोग हों, ताकि वो ढंग से काम कर पाएं, इसका प्रभावी ढंग से लोगों में संदेश जाए कि एसीबी ठीक ढंग से काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे एसीबी के अधिकारियों में बहुत ही

(श्री जगदीश चन्द्र)

एक्सपीरियंस्ड अधिकारी हैं, जिन्होंने सीबीआई में भी काम किया है। ये सीबीआई के तौर तरीकों को भी जानते हैं, मैं जानता हूं कि किस तरीके से काम करते हैं। इनकी नीयत ठीक है, काम करने का तौर तरीका ठीक है पर सवाल इस बात का है कि नीचे का जो सबोर्डिनेट स्टाफ है, मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूं कि उस पर कम से कम गौर करें, ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, लम्बे समय तक चर्चा इस बात की कर रहे थे कि किस तरीके से राजस्थान में अधिकारियों के नाम लिए गए थे कि फलां-फलां अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के साथ-साथ राजस्थान के बाहर भी नजर डाल लीजिए, जहां-जहां इन लोगों की सरकार है, वे भी देखें कि कौन-कौनसी सरकारों में क्या-क्या गुल खिले हैं। गुजरात की बात करूं आपसे, मैं हरियाणा की बात करूं आपसे, हरियाणा में खेमका नाम का एक व्यक्ति आईएएस आफिसर है, इसी सरकार ने, हरियाणा की मौजूदा सरकार ने छह दफा ट्रांसफर किया उस ईमानदार अफसर का, उसकी इसलिए ट्रांसफर-पोस्टिंग कर दी गई कि वह ईमानदारी से काम कर रहा है, वह सरकार के खिलाफ बोल रहा है। सरकार के खिलाफ बोलना किसी की ईमानदारी पर शक नहीं कर सकते लेकिन आपने एक मेलाफाइड इंटेंशन के माध्यम से कि सरकार के भ्रष्टाचार को रोकने की वह कोशिश कर रहा है और उसका ट्रांसफर पोस्टिंग आप लोग कर रहे हो, यह बिलकुल नहीं होना चाहिए। राजस्थान सरकार की जो नीयत है, राजस्थान सरकार के मुखिया का पहला एजेंडा था, जीरो टोलरेंस भ्रष्टाचार को, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने प्रभावी ढंग से उस पर काम भी किया है, जिसके रिजल्ट सामने भी आपके आ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि एसीबी को और ज्यादा ताकत देनी चाहिए भ्रष्टाचार पर हम लोग अंकुश लगा सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं जेल के बारे में दो-तीन मिनट आपसे लूंगा। जहां तक जेल का सवाल है, 1955 का जेल मैन्युअल एक्ट है, अब तक उसी ढर्रे पर चले आ रहे हैं। 1955 में क्या स्थिति थी जब एक्ट बना था और आज क्या स्थिति है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर सरकार इस पर विचार करे। जेलों की स्थिति यह है कि जेल शहरों के बीच आ गई है। हमारे गंगानगर में सेंट्रल जेल को शहर से बाहर शिफ्ट करने की जरूरत है, शहर में उसके लिए जगह कम पड़ रही है। इसके साथ-साथ जिस तरीके से हीनियस क्राइम करने वाले मुल्जिम जो जेलों में होते हैं, जो बंदी हैं,

(श्री जगदीश चन्द्र)

वे किस तरीके से आपरेट करते हैं, यह भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि किसी हीनियस क्राइम के मुल्जिम की जब पेशी होती है कोर्ट के अन्दर तो 50 पुलिस के सिपाही, 50 अफसर उसके साथ जाते हैं और पूरा एक दिन एक व्यक्ति के पीछे वेस्ट हो जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि उनको वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की कोई व्यवस्था करे ताकि किसी हीनियस क्राइम वाले मुल्जिम को जेल से बाहर न जाना पड़े। उसकी सुनवाई, कोर्ट का जो ट्रायल चलता है उसकी वही जेल से ही सुनवाई हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ हाई सिक्योरिटी जेल की बात है, गंगागनर की सेंट्रल जेल, गंगानगर बोर्डर पर है, अन्तरराष्ट्रीय सीमा भी है और अन्तरराज्यीय सीमा भी है, इसलिए वो जेल, बहुत ही सेंसिटिव कैदी हैं, बड़े-बड़े क्राइम किए हुए लोग हैं। कई बार तो वहां से मुल्जिम को शिफ्ट करना पड़ता है, जोधपुर शिफ्ट करना पड़ता है, अलवर में शिफ्ट करना पड़ता है, कहीं दूसरी जेल में शिफ्ट करना पड़ता है। गंगानगर में एक नई सेंट्रल जेल आप बनाएं और हाईटेक जेल, जिसमें बंदियों के प्रति मानवता का भी ध्यान रखना पड़ेगा, महिला कैदियों की स्थिति क्या है, शौचालय की क्या स्थिति है, पानी पीने की क्या व्यवस्था है। इसके साथ-साथ एक वैल्यु बेस्ड कैदियों को काउंसलिंग करने के लिए एक एजुकेशन प्लान करना चाहिए। जो परमानेंट, आदतन अपराधी हो गए हैं, जिनका अपराध छूट नहीं पा रहा है, मैं समझता हूं कि अध्यात्म के जरिये इस चीज को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे हमको फायदा हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज महिला दिवस भी है और हमारी महिला साथियों ने हमें कहा भी है कि सरकार को स्पेशल महिला दिवस पर घोषणा करनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस स्टेशंस पर जहां महिला पुलिसकर्मियों की कमी है, उनको पूरा करें। मेरे सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र में पुलिस थाना, सादुलशहर, हिन्दूमल कोट, चूनावड़, कोनी, जहां महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत कम है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि उन थानों को ध्यान रखते हुए, बड़े थानों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा क्राइम के थाने हैं, बोर्डर के थाने हैं, वहां कृपा करके लगाने की कोशिश करें।

श्री सभापति: समाप्त करें। (व्यवधान) विषय पर आएं, विषय पर बोलें आप।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सेंसिटिव जगह हैं, एक तो खेरूवाला और दूसरा अबोरिया, ये दोनों बोर्डर की जगह है जहां पर पुलिस चौकी एस्टेब्लिश करने की जरूरत है ताकि अन्तरराष्ट्रीय सीमा से जो क्राइम होता है, क्रिमिनल्स आते हैं, उनको रोकने की हम कोशिश करेंगे, आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस पर जरूर ध्यान दे सरकार। आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इस बात के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, हालांकि पुलिस से जुड़ी हुई बहुतसी बातें जेहन में थीं पर आज स्पेशल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर बात रखने के लिए अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी है। पिछले कई महीने से हर रोज सुबह अख़बार में आता है कि एसीडी ने कार्यवाही की। फलां पटवारी, फलां थानेदार, फलां एएसआई, फलां, फलां, फलां, पकड़े जा रहे हैं। यह बात तो ठीक है, माननीय सभापति महोदय, बहुत जोर की मजबूती से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है पर दूसरे कालम में शर्म भी आती है। आजादी के 70 साल बाद हम कैसे जाहिल होते जा रहे हैं? एसपी रैंक के आईपीएस आफिसर, आरपीएस आफिसर, आरएएस आफिसर, जिनसे पूरा राजस्थान और पूरा हिन्दुस्तान उम्मीद करता है कि समाज को दिशा देंगे, परंतु यूं लग रहा है, जब शुरू-शुरू में पैट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते थे और लोग धरने-प्रदर्शन-जुलूस निकालते और पुतले जलाते थे, आजकल सुबह-सुबह रोज आता है कि आज फिर दाम बढ़ गए, दाम बढ़ गए तो पुतले जलाने, विरोध करना बंद कर दिया। ये जो रोज-रोज रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं, लोगों की शर्म-सी उतरती जा रही है कि क्या, कुछ नहीं बिगड़ता। हनुमानगढ़ में कार्यवाही करने जाना है, जयपुर से टीम जा रही है, गंगानगर से टीम जा रही है, चूरू से टीम जा रही है, हनुमानगढ़ की टीम में क्या लीकेज है? गंगानगर में कार्यवाही करने जा रही है तो पता नहीं कहां, कहां से टीमें जा रही हैं, लीकेज तो व्यवस्थाओं में है। ये तो बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं कि व्यवस्था में कोई अफसर ढंग से लग जाए या मूंड

(श्री बलवान पूनियां)
मुंडाकर लग जाए कि अपने को तो करना है, धुन बनाकर। मैं सारे साथियों से अपील करना चाहता हूं। अभी मेरे से पहले एक साथी बोल रहे थे कि थानों में बंधियां हैं, चली आ रही होंगी, अपने तो तोड़ो, अपने तो तोड़ने के लिए आगे आओ, बंधी में अपने भी तो कहीं डाल लेते होंगे हाथ, नहीं तो क्या सवा सात सौ करोड़ जनता में से दो सौ लोग जो प्रदेश के लिए कानून बनाते हैं, प्रोटोकोल है कि सारे अफसर हमारे प्रोटोकोल में रहते हैं, क्या हिम्मत है एक एमएलए और मंत्री और उसके विधान सभा क्षेत्र में यूं कोई दुकान लगा ले और सरेआम लगा ले, कैसे लगा सकता है? यह आज की नहीं चली आ रही है, इन सबको हमें तोड़ने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मेरी तो सीधी-सीधी दो-तीन छोटी-छोटी बातें हैं, ये एसीडी में कचरा उठाकर अफसर यहां भी बहुत लगा रखे हैं। मेरे गोगामेड़ी में थाने में एक एफआईआर हुई। ठेके पर झगड़ा हो गया। जिन्होंने झगड़ा किया, वे लोग एसीबी में फाइल ले आये लास्ट में।

श्री सभापति: आप सीधे-सीधे विषय पर बात करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): हां, मैं इसी विषय पर आ रहा हूं। एसीबी ने जांच की है साहब। जांच के बाद क्या हुआ, जो मुल्जिम थे, वे तो निकल गये और सीधे-सादे लोग फंस गये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जनरल डिबेट नहीं है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): एसीबी में भी ऐसे लोग घुसे हुए हैं साहब। जो धुनकर के लगे हुए हैं वे तो ठीक हैं, चीजों को पकड़ रहे हैं, पर जो गलत अफसर घुसे हैं, उनकी भी छंटनी करने की जरूरत है। इनके हर ब्लाक स्तर पर अलग से थाने बनाने की भी जरूरत है। सीधी-सी बात है रिकार्डिंग करके फिर बताएं कि साहब, फलां आदमी पैसे मांग रहा है, फलां अफसर पैसे मांग रहा है, हर किसी में यह अक्ल थोड़े ही होती है, हर किसी के इतने सोर्स थोड़े ही होते हैं। वे थोड़े ही चूरू, गंगानगर चले जाएंगे। वे तो वहां ब्लाक स्तर पर कोई चीज उपलब्ध हो तो ही बता पाएंगे।

सभापति महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि यदि हमें वास्तव में इन चीजों में आगे बढ़ना है तो इनमें संसाधनों की, अच्छे अफसरों की जरूरत है। बाकायदा इसके लिए भर्ती निकले। एसीबी के लिए भर्ती निकले कि इसमें वैल टैलेंटेड लोग आएं। आज तो साइबर क्राइम है, जेल में बैठे-बैठे अपराधी गैंग चला रहे हैं, यह इसीलिए हो रहा है कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है। आज यह

(श्री बलवान पूनियां)

बहुत बड़ी लूट है। हर जगह पुलिस में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं कि ठगी बढ़ रही है साइबर क्राइम की, इसलिए इस महकमे में भी वैल ट्रेन्ड लोग शामिल किये जाएं ताकि जो सरकार की मंशा है भ्रष्टाचार को रोकने की, उसे पूरा किया जा सके और इसीलिए यह बहस रखी गयी है।

सीएम साहब ने पिछली बार तो खुली छूट दी कि साहब, आप एफआईआर दर्ज करें। रिकार्ड में यह आया होगा कि क्राइम बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी एमएलए को शायद थाने में यह फोन नहीं करना पड़ता कि एफआईआर दर्ज करें। परिवादी जाता है, एफआईआर दर्ज होती है। मुझे तो अनुभव नहीं है। मेरे क्षेत्र में तीन थाने लगते हैं, एक साल में मैंने एक फोन किया हो। अब दूसरी बार जब यह बात आयी कि भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए सदन में बहस हो तो फिर जगह-जगह एसीबी की टीमें बनें, उनमें वैल ट्रेन्ड स्टाफ लगे और जो दागी लोग हैं, वे इसमें शामिल न हों, वरना इसकी मंशा खराब हो जाती है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, न्याय का सिद्धांत है, ''सौ मुल्जिम बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष मुल्जिम नहीं बन जाए'', इस सिद्धांत से भी काम करना है, वरना जिस नेचुरल जस्टिस की हम बात करते हैं, नैसर्गिक न्याय की हम बात करते हैं, वह बात अधूरी रह जाती है। मेरा निवेदन है कि हमें भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगानी है, भ्रष्टाचार के प्रकरणों की तथ्यात्मक जांच करके उनकी कार्यवाही भी कम्प्लीट करनी है, उन्हें सज़ा तक भी लेकर जाना है ताकि लोगों में यह मैसेज जाए कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगेगी।

दूसरा, तहसील मुख्यालयों पर एसीबी के कार्यालय खोले जाएं और दागी अफसरों को उनमें शामिल नहीं किया जाए। मैं आपका ध्यान जेल पर दिलाना चाहूंगा। सभापति महोदय, 2006 में किसान आंदोलन में मुझे जेल जाना पडा। हो सकता है इस सदन में कई लोग जेल में गये हों, कोई किसान आंदोलन में गया होगा, कुछ लोग किन्हीं दूसरी एफआईआर में भी गये होंगे। धरती पर अगर कहीं नरक है तो जेल है। मैंने देखा है। हालांकि, मुझे अलग से रखा गया, क्योंकि मैं किसान आंदोलन में गया था। मैंने चूरू की जेल में देखा, वहां जेल के बड़े दरवाजे के भीतर एक और राज है। छोटी जेल थी। थोड़े-से कैदी थे, पर उनका भी सरगना था। वहां जो भी नया बंदी आता था, उसको अन्दर घुसते ही चार चपेट मारता था। फिर पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता यहां न्याय की जगह पर, कुर्सी पर आप

(श्री बलवान पूनियां)

बैठे हैं, आपके सामने बोल रहा हूं। पता नहीं कहां से मैसेज वायरल होता, दूसरे दिन वह बंदी हंसता। मैंने उससे पूछा, कल तू रो रहा था, आज हंस रहा है। वह बोला, आज सैटिंग कर दी मैंने। मैंने पूछा, किसकी सैटिंग कर दी? वह बोला, जो भीतर मुझे पीट रहा था, उसकी, यानी उसने उसे पैसे दे दिये और उसने फिर उसे सुविधाएं दे दीं। साहब, बहुत बड़ा भेदभाव है, बहुत बड़ी लूट है भीतर। मैं 2006-07 की बात कर रहा हूं। मैं 6 महीने जेल में रहा था और दो जेलें देखी थीं मैंने। जिस नोहर जेल की चर्चा यहां पहले भी सदन में आयी थी, फिर मैं उस जेल में गया 15 दिन। मैंने वहां यही नंगा नाच देखा। साहब, हमें एक सभ्य समाज के रूप में आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। आज जरूरत इस बात की है कि जेल में सबसे पहले तो एक लाइब्रेरी हो।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): और उस लाइब्रेरी में यह पढ़ाया जाए कि तू इस धरती पर क्यों आया है, तेरा रोल क्या है? जेल की रातें बहुत लम्बी होती हैं। मैं एक बोरी किताबें पढ़कर आया था। रात के दो बजे से पहले कभी नींद नहीं आती थी। पढ़ने वाले तो पढ़ते भी हैं। माहौल बनाने की जरूरत है। जैसे कोटा की जेल में, उदयपुर की जेल में अच्छी लाइब्रेरीज बताते हैं। मैं तो नहीं गया, पर दो कैदी किसान आंदोलन में गये थे। वहां बहुत किताबें हैं। खेल के लिए वहां बाकायदा कोर्ट बने हुए हैं। बहुत से लोग सुधरते हैं साहब। इसी कंसेप्ट से जेलें बनी हुई हैं कि जो लोग समाज में दिशाहीन हो गये, जो भटक गये, उन्हें एक जगह नियोजित रखा जाएगा और वहां उन्हें ऐसा माहौल दिया जाएगा, जिससे उन्हें यह लगे कि समाज में तो हमारा दूसरा रोल है। मैं समझता हूं, इन सभी चीजों को गम्भीरता से लेते हुए हमारी सरकार और हमारे प्रशासनिक अधिकारी मनुष्य की मनुष्यता को आगे बढ़ाने के लिए, अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

सभापति महोदय, बात तो आपकी ठीक है कि विषय से हट रहा हूं, पर साहब, जो नौजवान रोजाना मांग पत्र देते हैं, सदन में हम नहीं बताएं तो फिर हम कहां बताएं? होम गार्ड के जवान रोजाना मांग पत्र देते हैं कि साहब, हमें रोजगार दिया जाए। हमें सौ दिन रोजगार मिलता है, हम चाहते हैं कि पूरे साल हमें रोजगार मिले। उन्हें दूसरी भर्तियों में इस बात का कंसेशन मिले कि वे वर्दीधारी हैं, उन्हें ड्यूटी करने का अनुभव है। मैं पुलिस के जवानों की भी

(श्री बलवान पूनियां)

मांग करता हूं। पिछली बार हमने मांग की, आप सब लोगों ने और सरकार ने हमारी मांग को पूरा किया, जवानों को रोडवेज में दो सौ रुपये में फ्री यात्रा मिल गयी, लेकिन उसमें छोटा-मोटा यह आ गया कि साहब, डीलक्स में नहीं मिल रही, सुपर-डीलक्स में नहीं मिल रही। अब एक आब्स्ट्रक्शन और लगा दिया कि साहब, पांच-छह फालतू नहीं चढ़ेंगे। साहब एक जगह से ड्यूटी से जवान छूटे हैं 50-60, इसलिए उन्हें ये कंसेशंस दिये जाएं।

साहब, एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, जो थाने में तैनात पुलिसकर्मी हैं, जो अब भर्ती हए हैं या आगे हों, उनके लिए साइबर क्राइम के लिए प्रशिक्षण पुलिस करे ताकि ज्यादा से ज्यादा साइबर क्राइम पर रोक लगे और सिपाहियों की ग्रेड-पे 2400 की बजाय 2800 की जाए। मैस अलाउंस 2500 रुपये प्रतिमाह किया जाए। आपने मुझे सुना, आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्री पुखराज गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, आज सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण पाइंट भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अभी जो सिस्टम है, उसमें भ्रष्टाचार एक कैंसर का रूप ले चुका है। अभी जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम है, डीजी साहब और उनकी टीम को और सरकार को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अभी भ्रष्टाचार के एक चैनल के रूप में आरएएस, आरपीएस और आईएएस को पकड़ा और उन पर कार्यवाही की।

इसके साथ ही मैं एक बात और करना चाहूंगा। सरकार ने यह बात कही, सरकार की भ्रष्टाचार के ऊपर 'जीरो टोलरेंस' की नीति है। जीरो टोलरेंस की बात करने के अकार्डिंग न तो एसीबी आफिस में स्टाफ है, न अधिकारी हैं और न जिला स्तर पर एक-एक आफिस खुला हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि जीरो टोलरेंस की सरकार अगर बात करती है, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना चाहती है तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की चौकियां उप-खण्ड स्तर पर खोली जानी चाहिए ताकि जो लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गये हैं, वे ईजीली उन्हें एप्रोच कर सकें, शिकायत कर सकें, उनसे बात कर सकें।

(श्री पुखराज)

(16.00 बजे)

दूसरा, जो केस रजिस्टर्ड हैं, उन केसों का एक निश्चित समयावधि के अन्दर निस्तारण होना चाहिए। अभी सरकार ने जो रेड हैंडेड केस होते हैं, रेड हैंडेड केस होने के बाद एफआईआर दर्ज करने की अनुमति के लिए जयपुर भेजते हैं, हैडक्वार्टर से अनुमति मिलती है और फिर एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद उसकी फिर जांच होती है। इतना समय लगाने के बाद फिर जब चालान होता है तो उसमें भी बहुत लम्बा टाइम लगता है। 10-12 साल, 15 साल तक उस केस का निस्तारण नहीं होता है। उसमें भी सरकार ने एक रास्ता निकाल लिया कि जो अधिकारी रेड हैंडेड हैं, सस्पेंड हैं, उनके तीन साल पूरे होते ही उनको वापस फील्ड के अन्दर पोस्टिंग दे दी जाती है। मैं समझता हूं कि इस टाइप का जो सिस्टम है इसको खतम करना चाहिए और जो अधिकारी रेड हैंडेड ट्रैप हो रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, उनको सीधा बर्खास्त करने की कार्यवाही होनी चाहिए ताकि समाज के अन्दर भ्रष्टाचार मुक्त समाज का मैसेज जाए और अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच में भी इसका भय हो।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि बहुत सारे केसेज कर्मचारियों की आपसी रंजिश की वजह से हो जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, इसी के सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सुजानगढ़ का एक मुकदमा नम्बर 87/2016 है, उसके अन्दर कर्मचारियों की आपसी रंजिश की वजह से एक ऐसे कर्मचारी को मुल्जिम बना दिया जिसकी वहां पोस्टिंग नहीं है। वह कर्मचारी 2013 में वहां पोस्टेड था, फरवरी, 2013 में उसका ट्रांसफर हो गया। 2016 के अन्दर शिकायत होती है, शिकायत की जांच होती है और 2016 में उसका मुकदमा दर्ज होता है जिसमें उसको मुल्जिम मानकर जिस इंजीनियर के टाइम पीरियड में वह काम नहीं हुआ, वह प्लाट खाली था, उस इंजीनियर से रिपोर्ट ली गई थी कि उस टाइम पीरियड में वह प्लाट खाली था और उसके बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ लेकिन कर्मचारियों की आपसी रंजिश की वजह से उनको अभियुक्त बनाकर चालान कर दिया और पिछले पांच साल से वह सफर कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इस टाइप के जो झूठे मुकदमे हैं जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मचारियों को डालकर उनके विरुद्ध जो कार्यवाही की जाती हैं, उनका तुरन्त निस्तारण होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बात करना चाहूंगा कारागार

(श्री पुखराज)

के ऊपर। कारागृह की जो व्यवस्था है, उसमें भी नफरी बढ़ाने की जरूरत है। जेल प्रहरियों की नफरी कम है, उसको बढ़ाएं और उनकी सैलेरी के लिए भी जो सरकार ने एक डिसीजन कर रखा है कि उनकी तनख्वाह भी एक पुलिस कांस्टेबल के बराबर हो, उस पर भी आदेश करें। कारागृह की बात करें तो जितने भी गिरोह कारागृह के अन्दर बैठे हैं और बाहर जो अपराध हो रहे हैं, उनका 60 परसेंट अपराध जो गिरोह जेल में बैठे हैं, वे कराते हैं। चाहे तस्करी हो रही हो, चाहे किसी का मर्डर हो रहा हो, चाहे कहीं डकैती करवानी हो, चाहे और किसी तरह का कोई जुर्म करवाना हो तो जो अन्दर गिरोह बैठे हैं, वे ही अन्दर से संचालित कर रहे हैं। इस तरह से यह जो भ्रष्ट व्यवस्था बनी हुई है, उसमें सुधार की जरूरत है, यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की बात आती है तो सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं वे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो कर्मचारी हैं, चाहे रेवेन्यू विभाग का हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे और किसी विभाग का कर्मचारी हो, सबसे ज्यादा भ्रष्ट सिस्टम वहां से शुरू हो रहा है इसलिए इस पर सख्ती की जाए और सख्त कानून बनाया जाए ताकि भोले-भाले ग्रामीणों का लूटे नहीं, उनके काम हों और वे भ्रष्टाचार के इस सिस्टम की भेंट न चढ़ें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16-पुलिस व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो व कारागार पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

लोकतंत्र में सरकारें जनता के वोटों द्वारा चुनी जाती हैं। जनता ऐसी आशा व आकांक्षा से वोट करती है व सरकार चुनती है कि सरकार राज्य में स्वच्छ, पारदर्शी व भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देगी। जन-प्रतिनिधि भी जनता से चुनाव में वादा करते हैं कि हमें जिताकर जन-प्रतिनिधि बनाया तो हम निर्भीकता से काम करेंगे, स्वच्छ, पारदर्शी व भ्रष्टाचाररहित प्रशासन देंगे, लेकिन सरकारें बनने के बाद वादे वादे ही रह जाते हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम सरकारें नहीं लगा पातीं और स्वच्छ, पारदर्शी व भ्रष्टाचाररहित प्रशासन सपना ही रह जाता है। इससे जनता अपने आप में ठगी हुई महसूस करती है।

राजस्थान में सरकार चुने जाने के बाद दो वर्ष से भ्रष्टाचार चरम

(श्री जोराराम कुमावत)

सीमा पर है। आम आदमी का किसी सरकारी विभाग में बिना पैसों के कुछ काम होता ही नहीं है। अधिकारी हो या बाबू, लोगों को एक काम के लिए बार-बार चक्कर कटाते हैं। नियमों का हवाला देकर फाइलों में अड़ंगा लगाते हैं व काम को गलत बताते हैं और वही गलत काम जब पैसे देते हैं तो सही हो जाता है। राजस्थान की नगरपालिकाएं, नगर परिषदें, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। नगरपालिकाओं में ईओ. के पद पर ई.ओ. रैंक के अधिकारी नहीं लगाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, कनिष्ठ लिपिकों, आर.आई. रैंक के कर्मचारियों की नियुक्तियां स्वायत्त शासन विभाग कर रहा है जिससे नगरपालिका, नगर परिषदों में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और शासन व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। नगरपालिकाएं भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई हैं। यही हालत राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की भी है।

सभापति महोदय, वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो समय-समय पर शिकायत दर्ज होने पर भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध ट्रैप करवाने की कार्यवाही करता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में सरकार द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों, अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलती जिससे ट्रैप हुए अभियुक्त पुन: बहाल हो जाते हैं। सरकार ट्रैप हुए सभी अभियुक्तों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति देकर उनके विरुद्ध अभियोजन चलाये तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकतर अभियुक्तों को सज़ा नहीं मिलती जिससे इन भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलन्द हैं। अत: रिश्वत प्रकरण में पकड़े हुए भ्रष्ट अधिकारियों को सज़ा दिलाने की आवश्यकता है व नौकरी से हटाने की कार्यवाही भी सरकार को करनी चाहिए। रिक्त पदों पर बहुत से युवा अभ्यर्थी लाइन पर लगे हुए हैं और वे नौकरियों के लिए इंतजार में खड़े हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का स्वतंत्र कैडर बनाये जाने की आवश्यकता भी है। भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई देरी से होती है। भ्रष्टाचार से जुड़े लम्बित मामलों की जांच त्वरित गति से कराने की आवश्यकता इस समय है। उप खण्ड और तहसील स्तर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के थाने खोलने की आवश्यकता भी है। दागी अफसरों की प्रतिनियुक्ति व नियुक्ति नहीं की जाए तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके उनको अच्छी

(श्री जोराराम कुमावत)

जगह फील्ड पोस्टिंग देने की भी आवश्यकता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में सरकार के साथ में पुलिस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

राजस्थान की पुलिस बहुत मजबूत है, सक्षम है, सेवा भावी है। कोरोना के समय पुलिस की सेवा और कार्यप्रणाली को सभी ने देखा और परखा। घटना, दुर्घटना में भी पुलिस की मानवता सामने आती है। यदि सरकार पुलिस को निष्पक्ष काम करने की छूट दे दें तो मैं समझता हूं कि पुलिस न्याय करेगी, स्वच्छ एवं भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देगी, लेकिन सरकार का डंडा पुलिस को निष्पक्ष काम करने में आड़े आता है। आज पुलिस की हालत बेहद निराशाजनक है। मैं मेरे पाली जिले की बात करूं तो वहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। वहां कई तरह के माफिया पनप गये हैं। भू-माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया, सूद व ब्याजखोर माफिया, गैंगवार, लूटमार, डकैती, महिलाओं पर दिनोंदिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, एससी/एसटी पर भी अत्याचार बढ़ रहे हैं, मन्दिरों में रोजाना चोरियां हो रही हैं, बंद घरों के ताले तोड़कर के चोरियां हो रही हैं, बाइक चोरियां हो रही हैं, बोलेरो चोर गिरोह भी सक्रिय है, हत्याएं हो रही हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): पाली जिले में पिछले दो साल में बीस से पच्चीस हत्याएं हुई हैं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में, पाली तहसील में दयालपुरा गांव का एक किसान, मांगीलाल, जस्साराम बंजारा, भांट..

श्री सभापति: अपने विषय पर रहें आप। जनरल डिबेट नहीं है आज। भ्रष्टाचार पर बोलिए, सीधे-सीधे विषय पर बात कीजिए आप, जनरल डिबेट मत बनाइये इसे।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): भ्रष्टाचार और पुलिस के सम्बन्ध में ही।

श्री सभापति: नहीं है तो बन्द करिये, समाप्त करिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): दो छोटे-छोटे निवेदन हैं।

श्री सभापति: हां, मुझे पता है नया आदमी है। विराजिए आप। श्री बलजीत यादव।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय, दो छोटे-छोटे निवेदन हैं।

श्री सभापति: आप मंत्री महोदय से मिलकर, अपनी बात जो कुछ है, लिखकर देना। माननीय उप नेता महोदय, जितना बोला है, वह तो पढ़कर के बोला है, अब ये थाने खुलाने की इनकी बात यहां चर्चा करने की नौबत कहां आ गई है? विराजिए, विराजिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): दो मिनट, सभापति महोदय, मैं पुलिस के सम्बन्ध में ही बात कर रहा हूं और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में ही बात कर रहा हूं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की जानकारी देना चाहूंगा कि वहां एक किसान जो दयालपुर गांव का निवासी है, मांगीलाल, जस्साराम जी बंजारा, भाट है। उनकी 16 तारीख को खेत की रखवाली करने शाम को सात बजे गया, लेकिन दूसरे दिन सुबह तक..

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्री बलजीत यादव। अंकित नहीं होगा।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज इंटरवीन न करें। श्री बलजीत यादव। माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-16 व 17 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, चाहे कोई पक्ष का हो, विपक्ष का हो और मैं कहूं चाहे राजस्थान में किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, कम से कम इस बात पर तो दिखावे के लिए चाहे वह विरोध कर दे, इस बात पर तो सहमत होगा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी भ्रष्टाचारियों को तो सपोर्ट नहीं करते। सभापति महोदय, पिछले कुछ दिनों से कुछ-कुछ बड़ी मछलियां भी गिरफ्त में आने लगीं एसीबी के, इसका थोड़ा-सा मैसेज अच्छा गया, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। सभापति महोदय, रोज विधान सभा आते हैं, पक्ष के विपक्ष के साथियों के विचार सुनते हैं और दिमाग शाम तक बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है और रात को एनॉलजिन लेकर के सोना पड़ता है, सिरदर्द हो जाता है। क्या सही और क्या गलत, समझ में ही नहीं आता। सभापति महोदय, 80 किलो वज़न था एमएलए बनने से पहले और 65 किलो वज़न रह गया, इसी चिंता में और सवा घंटे दौड़ लगाता हूं। जानते हैं हमारे साथी भी, पर समझ ही नहीं पा रहा

(श्री बलजीत यादव)

कि इस सिस्टम का क्या किया जाए। कभी-कभी तो देखकर लगता है कि जैसे पूरा सिस्टम ही सड़ गया है। अब आज प्रवचन हो रहे हैं, एंटी करप्शन के ऊपर, बड़े-बड़े विचार दिये जा रहे हैं। सभापति महोदय, मेरे समझ में नहीं आता, जो सत्ता में होता है, विपक्ष में आते ही इतना जोर का संत-महात्मा बन जाता है, बस पूछो नहीं। ऐसा लगता है कि अगर वह सत्ता में आ जाए तो सब कुछ साफ ही कर देगा। पहले मैं सोचता था, देखता था रामायण में, कोई असत्य बोलता था तो वह मर जाता था। अगर अब गलती से सतयुग आ जाए तो जनसंख्या अपने आप ही कम हो जाए।

एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, दूर करें भ्रष्टाचार, दूर करें भ्रष्ट्राचार। सभापति महोदय, मैं तो जरा सी बात कह रहा हूं, इस सदन में बहुत छोटा आदमी हूं, मुझे ज्यादा ज्ञान भी नहीं है। सिर्फ नीयत का सवाल है, मिनिस्टर और उसका सैक्रेटरी दो आदमी अगर चाह लें उस विभाग में, तो क्या मजाल कोई माई का लाल एक रुपया भी भ्रष्टाचारी लेकर चला जाए। एंटी करप्शन ब्यूरो, कितना स्टाफ है, किस-किस को पकड़ लेगी एंटी करप्शन ब्यूरो, हरेक भ्रष्टाचारी को पकड़ना एंटी करप्शन ब्यूरो का ही काम है, ऐसे तो बिलकुल ही नहीं चल सकता। गलत काम कहीं भी हो रहा है, आप रोक सकते हो, लेकिन नहीं रोकेंगे और सभापति महोदय, कभी कहते हैं स्वतंत्रता दो, कभी कहते हैं ये दो, कभी कहते हैं, उसका हस्तक्षेप। मैं तो काफी हद तक आशावादी व्यक्ति होते हुए भी, यूं निराश होने लगा हूं कि भला सुधार होगा तो कैसे होगा। मैंने खूब इस पर गहन चिंतन किया और मैंने देखा इस सृष्टि का नियम है, सभापति महोदय, कि ताकतवर, ताकतवर को ताकत देता है। जैसे कहते हैं न, दोस्ती बराबर वालों में होती है और जब तक नीचे के व्यक्ति को ताकत नहीं दी जाएगी, तब तक सुधार नहीं हो सकता।

सभापति महोदय, मेरा मानना है कि चाहे कोई व्यक्ति कैसे भी बोल दे, लेकिन कोई भी इंसान दुनिया का हो, वह सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करता है तो अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्यार करता है। बड़े व्यक्ति खुद सुरक्षित रहते हैं, उनके बच्चे सुरक्षित हैं, उनका परिवार सुरक्षित है, खतरा मोल लेने के लिए और लड़ने के लिए कहा जाता है कमजोर व्यक्ति को और उस कमजोर व्यक्ति की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं, कोई उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी नहीं, हमें इस बात की चिंता नहीं कि उसके परिवार का गुजारा होगा तो कैसे होगा।

(श्री बलजीत यादव)

सभापति महोदय, मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम यह चाहते हैं कि गुण्डागर्दी रूके, हम यह चाहते हैं पुलिस तंत्र बहुत मजबूत हो, लेकिन उसी पुलिस में अलग-अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग नियम बनाकर रखते हैं।

सभापति महोदय, यदि सबसे ज्यादा शोषण किसी का होता है तो इस पुलिस के कांस्टेबल का होता है, जो एंटी करप्शन ब्यूरो में आता है, उस कांस्टेबल को हम भेजते हैं कि जाइए पहले सत्यापन करके आइए। एक अकेले कांस्टेबल को हम दे देते हैं, वाइस रिकार्ड करके ले आइए आप। पड़ते, लौटाते कहीं जाइए आप, कहीं आइए, कहीं खाइए, आप जाने आपका काम जाने, अधिकारी के पास एप्लीकेशन आई, अधिकारी ने उसको एक टैप रिकार्डर दे दिया और जाइए आप रिकार्ड करके ले आइए। उसका कितना खर्चा होगा, कोई चिंता नहीं है।

सभापति महोदय, प्रत्येक विभाग में प्रमोशन होते हैं, वरिष्ठता के आधार पर हो जाते हैं। आरपीएस का प्रमोशन होता है वरिष्ठता के आधार पर, आईपीएस का प्रमोशन होता है वरिष्ठता के आधार पर। कांस्टेबल है, उसको कहते हैं तेरा प्रमोशन होगा, तुझे इम्तिहान देना पड़ेगा, इम्तिहान भी एक बार नहीं लेंगे, अब अगर आप रह गये तो दुबारा इम्तिहान दे, फिर तीसरी बार है तो फिर आपका इम्तिहान लेंगे, चाहे तो बूढ़ा हो जा, तुझसे इम्तिहान लेते रहेंगे, पढ़ता भी रहे, तुझे सोने भी नहीं देंगे, तुझे बैठने भी नहीं देंगे, 24 घंटे ड्यूटी भी लेंगे और फिर तुझसे इम्तिहान भी लेंगे और फिर भ्रष्टाचारियों को पकड़कर ला। सभापति महोदय, उसका परिवार भूखा मर रहा है। सातवां वेतन आयोग लागू होगा, लेकिन तुझे लाभ नहीं देंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आज जो विषय है, उसी पर चर्चा करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): उसी विषय पर आ रहा हूं। सभापति महोदय, उसी पर आ रहा हूं। जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे, भ्रष्टाचार पर चर्चा के कोई मायने नहीं है, जब तक मूल में नहीं जाएंगे।

अपन उसी से कहते हैं कि भ्रष्टाचार को रोकना है। सभापति महोदय, भ्रष्टाचार दो तरह के लोग करते हैं। एक भ्रष्टाचार वह करता है जिसको ऐशो आराम करना होता है, जिसको भोग विलास का शौक होता है और एक भ्रष्टाचार वह करता है जो सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाहता है। सभापति महोदय, जब उसको तनख्वाह नहीं दे रहे आप, भ्रष्टाचार रोकने के लिए भेज रहे हैं, उसको कहते हैं कि खाकर भी तू आजा, होटल पर भी तू खा, दे कुछ

(श्री बलजीत यादव)

नहीं रहे तो ऐसा तो नहीं है कि वह अपने परिवार को तो कुएं में पटक देगा और आपके लिए, आप कह रहे हो, प्रवचन दे रहे हो कि जा बेटा, जा भ्रष्टाचार मिटाना है, सीएम साहब ने कहा है मिटाना है। वह जानता है उस आईपीएस को, एकाध अपवाद को छोड़ दो तो आप जब तक उसको यह विश्वास नहीं दिलाएंगे कि आपको पूरा पैसा मिलेगा, आपकी सुरक्षा की गारंटी, आपके परिवार की गारंटी और आप इसके ऊपर काम करिये ईमानदारी से, तब तक वह नहीं करेगा, सभापति महोदय। अपन कितने ही प्रवचन दें, भाषणों से पेट नहीं भरता है।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अब यही प्राब्लम है, सभापति महोदय। मैं माफी चाहूंगा मेरी बात का कोई बुरा लगा हो लेकिन मैं फिर भी यह कहना चाहता हूं कि दोहरा व्यवहार कहीं भी रखा जाएगा तो भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। भ्रष्टाचारी होता है, उसका किसको पता नहीं होता है, किसको नहीं पता। एंटी करप्शन ब्यूरो रेड-हैंडेड पकड़ती है उसको, उसकी वाइस होती है। मैंने देखी है कार्रवाई मैंने कइयों को ट्रैप भी करवाया है। उसकी वाइस होती है, काम पैंडिंग होता है और रंगे हाथों रेड-हैंडेड पकड़ा जाता है, कलर आ जाता है, सब कुछ आ गया। अब उसको क्यों नहीं डिसमिस करते आप जॉब से? अब कहते हैं कि उसकी जांच करेगा अगला अधिकारी और 99 परसेंट लोग बरी हो जाते हैं और उसी फील्ड में आ जाते हैं, उसी जगह आ जाते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): तो क्या कारण है वह आ जाते हैं, कैसे आ गए वे? उसको फील्ड पोस्टिंग मिल जाती है, वापस लूट-खसोट चालू हो जाती है। सबको पता रहता है। मैंने जिसको ट्रैप करवाया, वही आदमी फिर फील्ड में लगा हुआ है। क्या बिगाड़ लिया मैंने उसका। वह वापस आ गया। मेरी दुश्मनी और हो गई उससे जिंदगी भर की और पुलिस से दुश्मनी, कहते हैं कि दोस्ती भी इनकी खतरनाक है और दुश्मनी भी बुरी। इनसे तो जितनी दूरी रखें भगवान उतना ही सही है।

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): तो इसलिए मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री जी से कि पिछली बार एक मांग मानी थी कि रोडवेज का पास का किया था उन्होंने। मैं चाहूंगा कि बड़ा दिल रखें। सभापति महोदय, इज्जत सबसे ज्यादा प्रिय है

(श्री बलजीत यादव)

और समाज का व्यक्ति इज्जत से रहे। अगर शरीफ आदमी ने किसी को गुस्से में रैकारा बोल दिया न तो पुलिस ऐसे जाएगी जैसे कोई आतंकवादी हो। भरकर गाड़ी, उठा लाओ, उठा लाओ और पता लगा इज्जतदार है तो उसके घर के घेरा डाल देगी कि अब तेरे को जीने नहीं देंगे, जैसे कोई दाऊद इब्राहिम आ गया और जो गुंडा है न, वह किसी को चाकू मारकर आ गया तो अगर कोई थाने में रिपोर्ट लिखाने जाएगा तो मैं सच कह रहा हूं, एसएचओ कहेगा कि वह तो गुंडा है अब क्या करें। वह देखेगा कि इसको कैसे न कैसे टाल दूं और दूसरी तरफ गुंडे को सूचना मिल जाएगी कि तेरा मामला है, कोई राजीनामा वगैरह कर ले। मतलब यह हालात हैं, उसको सीरियस नहीं लेगा और फिर अगर सिफारिश करेंगे तो क्या कहेगा कि सरकार, वह तो गुंडा है, क्या बिगाड़ें उसका। इसका मतलब शरीफ का बिगाड़ोगे आप, इसलिए सब कुछ इज्जतदार के ऊपर लागू है, सब कुछ गरीब पर लागू है, सब कुछ मिडिल क्लास पर लागू है, बड़े लोगों पर कोई कुछ लागू नहीं है। सभापति महोदय, इसलिए जब तक ईमानदारी से हम उस नीचे वाले व्यक्ति की चिंता नहीं करेंगे, जब तक हम वास्तव में अन्दर से साफ नहीं होंगे, सभापति महोदय, तब तक कोई रास्ता साफ नहीं होगा और आपने हिस्ट्री में देखा होगा क्रांतियां जब भी हुई हैं वह इसी सड़े हुए सिस्टम से तंग आकर हुई हैं क्योंकि सहन करते-करते आदमी की सहनशक्ति जवाब दे जाती है तो विस्फोट होता है इसलिए वह विस्फोट न हो। मुझे कई बार डर लगने लगता है कि...

श्री सभापति: कृपया सहयोग करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, बस खतम कर रहा हूं। इंपोर्टेंट बात कह रहा हूं, बस दो ही मिनट में कर रहा हूं। मुझे रात को सपना आया कल ही सभापति महोदय, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। आप मेरी पीड़ा समझ जाएंगे, कल रात को ही आया।

श्री सभापति: पीड़ा की अपन दोनों घर बैठ करके बात करेंगे, यहां तो सब्जैक्ट पर बात करें आप।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, बस खतम कर रहा हूं। सभापति महोदय, इसी पर कर रहा हूं, सब्जैक्ट पर ही कर रहा हूं क्योंकि यह चर्चा थी एंटी करप्शन की।

श्री सभापति: सब्जैक्ट पर बोल नहीं रहे हो। यहां कोई घर की बात करनी है अपने को?

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, पुलिस पर चर्चा थी उससे रिलेटेड ही कह रहा हूं।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करिये, ऐसे नहीं।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, सुनने पर आप शायद मान जाएंगे। इसी पर बोल रहा हूं मैं वह।

श्री सभापति: मैं आपकी पीड़ा को बहुत व्यक्तिगत रूप से समझ रहा हूं।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, इसी पर चर्चा के लिए बोल रहा हूं। बस दो ही तो मिनट मांगी है फिर कभी काट लेना, सभापति महोदय, फिर कभी काट लेना। सभापति महोदय, मैंने देखा सपने में कि भ्रष्टाचार से तंग आकर...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सपना तो सुन लो साहब, कहीं सपना टूट न जाए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): हां, टूट न जाए। तो सभापति महोदय, मैंने सपना देखा।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। विराजिये अब आप।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): भ्रष्टाचार से तंग आकर पब्लिक सारे एमएलएज के घर पर भाटे फेंक रही थी और कह रही थी कि तोड़कर घुस जाओ और सारे आईएएस, आईपीएस को दौड़ा-दौड़ा कर ठोक रही थी और एसपी के कांस्टेबल दे रहा था बटाबट। बोल रहा था कि बहुत गाली सुनी तेरी हमने।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें। श्री अमृतलाल मीणा।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, एक होम गार्ड की मांग करना चाहता हूं कि इनको 12 महीने ड्यूटी दी जाए और यह बैल्ट वाली भर्तियों में 50 परसेंट इनको भी ले लिया जाए। सभापति महोदय, नौकरी पर रख लिया। हम बेरोजगारों की चिंता कर रहे हैं लेकिन इनको पूरी नौकरी ही नहीं दे रहे हैं। इस होम गार्ड को ड्यूटी पर ले लिया, उसको लगता है कि मैं नौकरी लग गया, उसको आधे दिन घर भेज देते हैं आधे दिन रखते हैं। बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो यह नौकरी पर लग गया, पुलिस की नफरी कम है तो कम से कम इसको थाने में ले लो, 15 दिन थाने में भेज दो इसको तो यह भी काम कर लेगा।

श्री सभापति: सहयोग करें, माननीय सदस्य। प्लीज सहयोग करें। विराजिये अब आप।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): तो यह पुलिस की फोर्स की जैसे ट्रेनिंग होती है मानवता से इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और कारागार पर चर्चा हो रही है। हम इसे जनरल डिबेट नहीं बनाएं। आपकी विधान सभा क्षेत्र की कोई भी प्राब्लम हो, यदि है तो आप व्यक्तिश: मिलकर माननीय मंत्री महोदय को अपनी तरफ से जानकारी दें लेकिन जो विषय तय किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा, उस पर ही आप चर्चा करें। श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सम्माननीय सभापति महोदय जी, मैं मांग संख्या-16, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और मांग संख्या-17, कारागार के सम्बन्ध में बोलना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय जी, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के बारे में सब कुछ कहा गया है। अधिकतर सदस्यों ने इस विभाग की प्रशंसा भी की। बहुतों ने इनके तौर-तरीकों का विरोध भी किया। सही व्यक्ति है नहीं यह भी बात कही। मेरा यह कहना है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में अधिकतर प्रकरणों में सजा न होने की बात ज्यादातर आई है और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का स्वतंत्र कैडर बनाने के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक स्वतंत्र कैडर हो। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा प्रदेश में जीरो टोलरेंस नीति के तहत कार्यवाही होनी चाहिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दागी अफसरों की प्रतिनियुक्ति व नियुक्ति नहीं करनी चाहिए अगर कोई अधिकारी भ्रष्ट है। प्रदेश में कर्मियों के विरुद्ध आपसी रंजिश के कारण भी कई बार जैसे मेरी शिकायत कर दी कि इसको फंसा दो, तो उसकी वजह से भी इसमें कई अधिकारी इस प्रकार से करते हैं। मेरा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों...(व्यवधान)... गीत-वीत अपना नहीं है। गीत वाले तो इधर हैं ये। कर्मियों के कार्य पर निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्यवाही कर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा लोक सेवक, सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले प्रमाणित हो जाने के बाद भी सेवा से पृथक नहीं करते हैं, यह बिलकुल गलत है। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार

(श्री अमृतलाल मीणा)

के आरोप में घिरे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों का विरोध, आमजन की समस्या का निराकरण करने के लिए सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े जाने वाले राज्य कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और भविष्य में कभी उन्हें फील्ड में पोस्टिंग नहीं दी जानी चाहिए। एसीबी द्वारा ट्रैप किए गए कार्मिकों को नौकरी से तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

माननीय सभापति जी, मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में भी एसीबी का कार्यालय खोला जाए और यह भी कहना चाहूंगा कि जहां बहुत से विभागों की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा रिपोर्ट जाने के बाद भी चाहे अवैध बजरी परिवहन का मामला हो, खनन का हो, राजस्व का हो, पुलिस व वन विभाग के कर्मियों के खुले गठजोड़ से मासिक बंधी बंधी हुई है जिसकी वजह से इस एसीबी में केस जाने के बाद भी भाई-भतीजावाद, जैक-चैक से उनको बचा लिया जाता है। यह नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही के पश्चात् प्रकरणों में भ्रष्ट अधिकारी को बचाने के उद्देश्य से न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के बाद भी उच्च स्तर के दोषियों को बचाने का प्रयास किया जाता है, यह भी गलत है। मैं यह भी कहूंगा कि आज की तारीख में पूरे राजस्थान में बजरी माफिया से परेशान हैं।

भू-माफियाओं पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, उन पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है। पुलिस विभाग में पुलिस के द्वारा ही भ्रष्टाचार पर कार्यवाही नहीं हो रही। पंचायती राज में आज की तारीख में, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद् में इतना भ्रष्टाचार होता है जिससे सही तरीके से विकास का काम जमीन पर नहीं उतर पा रहा है। राजस्व विभाग में भी आज पटवारी से लेकर सारे अधिकारी, आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक कलेक्टर पकड़ा जा रहा है, आपका एसडीओ पकड़ा जा रहा है। पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी, जिले का मालिक पकड़ा जा रहा है। उनको तत्काल टर्मिनेट कर देना चाहिये ताकि आने वाले समय में लोगों को पता लगे। चिकित्सा विभाग में भी बहुत बड़ा मामला है। आज कोरोना के नाम से भ्रष्टाचार के नाम पर इतना मामला बढ़ रहा है कि आपको क्या कहें, इस पर भी कंट्रोल नहीं है। पीएचईडी विभाग में भी आप देखें, पाइप को खरीदने के लिये, किसी मशीनरी को लगाने के लिये बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, वह एसीबी में लम्बित है। सबसे बड़ा परिवहन विभाग में, हमारे गृह मंत्री जी रवाना हो

(श्री अमृतलाल मीणा)

गये, उन्होंने कल परसों फोटो खिंचवाया था। सुबह तो बस का उद्घाटन कर रहे हैं और शाम को वह अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, पूरा राजस्थान अचम्भे में हो गया, पूरे हिन्दुस्तान में अख़बार में आया कि हमारे गृह मंत्री जी सुबह बसों को हरी झंडी बता रहे हैं और शाम को वही अधिकारी पकड़ में आ रहे हैं, वही बसें। यह जीरो टोलरेंस की बात है।

नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषदों में, मेरा एक बहुत बड़ा सुझाव है, कई थाने अलग-अलग क्षेत्र में हैं। मेरे वहां का एक थाना है, उसकी तहसील तो सराड़ा लगती है और कोर्ट लगता है खेरवाड़ा और जेल होती है डूंगरपुर। थाने अधिकतर एक ही तहसील में दर्ज किये जाएं। थानों का परिसीमन करके थाने की सीमा उसी तहसील में होनी चाहिये ताकि राजस्व सम्बन्धी हो तो तहसीलदार, एसडीओ के पास जाए और कोर्ट सम्बन्धी हो तो उसी तहसील में हो। अलग-अलग तहसील नहीं होना चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

अब मैं एक बात जेल के बारे में बताना चाहूंगा कि जेलों में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हालांकि हमको जाने का मौका नहीं मिला है, बलवान जी को मिला है। वहां बहुत बड़ी सैटिंग होती है। प्रदेश के कारागारों पर सीसी टीवी कैमरे लगाये जाने चाहिये। जेल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल के वेतनमान को समान करने का निर्णय होने के उपरांत भी आज तक लागू नहीं हुआ, यह भी बहुत बड़ा रोष है। आज जितने भी माननीय सदस्यों ने इस मांग पर बात कही है, सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि जेलें हमारे शहर के बीचों बीच आ गई हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): उनको बाहर करने की सख्त जरूरत है, नहीं तो जैसे राठौड़ साहब ने कहा ऊपर से कोई फेंक देता है, कोई मोबाइल भी फेंक देता है। आज सभी जेलें शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में शहर के बीचों बीच आ गई हैं। इसी प्रकार मेरे सलूम्बर क्षेत्र में उप कारागार है, उसको शहर से बाहर किया जाए, यह मेरी बहुत ही विशेष अपील है, प्रार्थना है। सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि जेल को शहर के भीड़भाड़ इलाके से बाहर किया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपके भी होगा, आपके वहां जेल है या नहीं? आपके विधान सभा क्षेत्र में जिले की होगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय रहते बाहर बनवा दी मैंने।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): बहुत बढ़िया रहा साहब, ऐसी हमारी भी जैक लगाइए, गृह मंत्री जी विराजमान हैं, वह बाहर तो करें कम से कम। इसमें सबसे बड़ी बात मोबाइल की है। जितने बड़े मोबाइल आपके पास नहीं मिलेंगे, उतने बड़े-बड़े मोबाइल उनके पास मिल जाएंगे, लैपटाप से लेकर सारे और उसी में कारस्तानी होती रहेगी। मोबाइल के माध्यम से नशीली दवाइयां भी आ रही हैं, बीड़ी सिगरेट भी आ रहे हैं, पान गुटका भी आ रहा है, नोनवेज भी आ रहा है, वेज भी आ रहा है, रात को छूट भी जाते हैं और सुबह पांच बजे वापस आ जाते हैं, यह बहुत बड़ी घटना है। माननीय गृह मंत्री जी, जेलों में जो पावरफुल कैदी है वह जेलर से सैटिंग करके बाहर जाता है और सुबह पांच बजे वापस प्रवेश कर जाएगा, यह बहुत बड़ी घटना है, सभी जेलों में है। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): ...(व्यवधान) इसका मतलब आपको पता है। धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और कारागार। आज का दिन 8 मार्च जो कि विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधी आबादी महिलाओं की होती है। मां एक ऐसा शब्द है, जिसमें सारे रिश्ते समाहित हैं। प्रदेश की सभी महिलाओं को मैं मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूं और हमारे यहां एसपी भी महिला है, उन्हें भी मैं बहुत-बहुत बधाई देती हूं।

सभापति महोदय, कोरोना महामारी फैली, हवाई जहाज बंद हुए, ट्रेनें बंद हुईं, बसें बंद हुईं, जो इंसान उड़ रहा था, भाग रहा था, वह भी बंद हुआ। राहें सूनी थीं, हवाएं भी सूनी थीं, सांसें भी सूख रही थीं, निगाहें भी डरी हुई थीं। धरा भी सूनी थी, संसार की सोच भी सूनी थी। वाह रे मेरे राजस्थान की पुलिस, एक प्रहरी के रूप में खड़ी थी। सड़कें राही के बिना सूनी रहीं, बाजार की दुकानें ग्राहकों के बिना बंद पड़ी थीं। मौत के डर की छाया सिर पर खड़ी थी लेकिन मेरे राजस्थान की पुलिस हर जगह खड़ी थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस कविता के रचयिता कौन थे, यह बता दो आप। यह किसने लिख कर दी है, यह बताओ।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नो, नो, कौन से एडिशनल डीजीपी ने लिखकर दी है, नाम बताओ उनका।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): डीजीपी लिख सकते हैं तो धारा 102 और 103 लिख सकते हैं, उन्हें कविताएं लिखना नहीं आता। 2013 से लेकर आज तक मेरा विधान सभा का रिकार्ड उठाकर देखें, जो भी कविता लिखी शकुन्तला रावत ने लिखी, मन के भाव से लिखी और देखकर कार्यशैली पर लिखी। आप कहें तो आप पर भी लिख दें, कैसी प्रस्तुति करते हैं आप।

पहले भारत देश ईमानदारी में प्रथम था। भारतीय इंसान धार्मिक, सच्चे और ईमानदार पाये जाते थे। यहां तक अपने कर्म, कर्तव्य और फर्ज के लिये अपनी और अपनी संतान की कुर्बानी तक देते थे। कई ऐसे उदाहरण पाये जाते हैं। सभापति महोदय, पूरे भारत देश में क्या हो रहा है, सबसे पहले देश के प्रधान मंत्री के भाषण में कालाधन शब्द आता था लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, सभापति महोदय, वह कालाधन कहां गया, किसके खाते में गया, अब वह सफेद हो गया क्या? दुबारा वह शब्द भाषण से ही गायब हो गया। 15 लाख महिलाओं के खाते में डालने की बात थी।

श्री सभापति: आप सीधे-सीधे विषय पर बात कीजिए। आप उत्तेजना पैदा मत कीजिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, सीधे विषय पर करूंगी। भ्रष्टाचार कहां गया, यह भारत में छा गया। बीजेपी की सरकार ने ज्यादा बढ़ा दिया था, उसको वर्तमान राजस्थान की सरकार के एसीबी के अधिकारी समेटने का काम कर रहे हैं। (व्यवधान) सभापति महोदय, यह तय हुआ था कि जो बीच में बोलेगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, इन्हें निकालिए आप। भ्रष्टाचार पर ही बोल रही हूं, यह जहां से नीचे उतर कर आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो शब्द एक ऐसा है जिसको सुनते ही कर्मचारी, अधिकारी कान खड़े कर लेते हैं लेकिन आज का युग समझ से परे होते जा रहा है। इस पर पिछले पांच वर्षो से कंट्रोल नहीं था, अब हो रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस का एक पार्ट है। सभापति महोदय, पुलिस डिपार्टमेंट एक वृक्ष है और यह उसी के पार्ट हैं। कई बार आपसी रंजिश के कारण भी पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में किसी को फंसाने की भी रंजिश कर लेते हैं और गलती नहीं होती, फिर भी उसे फंसाने का कार्य हो जाता है और वह इतना डरा हुआ हो जाता है कि वह आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाता है। ऐसे केसों की जांच करके उनका तुरंत निस्तारण करने की

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

आवश्यकता है। अगर रिकार्ड उठाकर देखें तो पिछले साल में कितने पकड़े गये थे, लेकिन वर्तमान सरकार में चाहे बजरी माफिया हो, चाहे भू-माफिया हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो, किसी भी श्रेणी का हो, एसीबी विभाग ने सराहनीय कार्य किया है। इसे स्वतंत्र कैडर बनाना चाहिए और पूरे डिपार्टमेंट को मुख्य मंत्री महोदय और सरकार ने जिस तरीके से वर्तमान में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता के तहत एसीबी सभी पैंडिंग केसों को तुरंत समाप्त करे। विभाग में यातायात की सुविधाएं नहीं हैं, चाहे सीआई हो, एडिशनल हो, तो सरकार की तरफ से इन्हें अवेलेबल कराया जाए, जिससे कि एसीबी को कार्यवाही करने में परेशानी नहीं हो। भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह बढ़ रहा है, इसको थैरेपी की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जेलों में जो खतरनाक मुजरिम होते हैं और जो सुधर सकते हैं, उन्हें अलग-अलग रखने की आवश्यकता है। जेलों में थोड़े दिनों के लिए जो अपराधी जाते हैं, छोटे-मोटे अपराधी हैं, उन्हें अलग रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वे बड़े अपराधियों की संगत में नहीं पड़ सकें। प्रत्येक जेल में जैमर हों, सीसीटीवी कैमरे हों, जिससे कि ये जो बाहरी चीजें वहां पर जाती हैं, उन पर रोक लग सके और छोटे कैदियों का शोषण नहीं हो। सभापति महोदय, प्रशिक्षण शिविर लगने चाहिए जिससे कि कई कैदी जो सुधरने के मूड में होते हैं, उनका दिमाग अन्य कामों में लग सके और जब सज़ा से छूटकर जाएं तो वे अपना कोई कार्य कर सकें।

सभापति महोदय, प्रदेश की सभी जेलों में जो शौचालय और बैरक हैं, वे भी बढ़ाने की आवश्यकता है। जो जेल प्रहरी हैं, उनकी वेतन विसंगतियां हैं। कई बार वे कागज पर कागज देते रहते हैं कि हमारी इस तरह की विसंगतियां हैं, उनके लिए बैठकर, अधिकारियों से चर्चा करके उन विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है जिससे कि वे खुशी से अपनी ड्यूटी कर सकें। कांस्टेबल की कम से कम थर्ड ग्रेड के बराबर 3600 ग्रेड-पे करने की आवश्यकता है।

(16.42 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

होम गार्ड की ड्रेस एक-सी होती है, एक लाइन होती है और काम भी एक जैसा होता है तो क्यों नहीं, हम उनका पूरे एक वर्ष का नियमितीकरण करें, जिससे उनका खर्चा भी चल सके और उन्हें आगे किसी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़े। जेलों में कार्यरत जो ड्राइवर और प्रहरी लगाये जाते

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

हैं, उन्हें भी नियमित करने की आवश्यकता है और सबसे अधिक जेलों में जो पद खाली पड़े हैं, चाहे अधिकारियों के हों, कर्मचारी के हों, उन्हें भरने की भी आवश्यकता है, जिससे कि जो खाली पद हैं, वे भरे जाएं। जेल में ड्यूटी हो, चाहे भ्रष्टाचार में हो, जिनकी विशेष ड्यूटी लगती है, उनको विशेष भत्ता दिये जाने की सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि वे अपनी ड्यूटी खुशी से कर सकें, आगे आकर कर सकें।

जो सभी जेलें हैं, जहां-जहां भी हैं, उनके अधीक्षकों को बुलाकर, एक शिकायत पेटी रखनी चाहिए कि किसी कर्मचारी की, किसी अधिकारी की, किसी तरह की अपनी पर्सनल कोई शिकायत है तो वह आकर स्वतंत्र रूप से अधिकारियों से मिल सके और अपनी बात को रख सके और ऐसी बातों का तुरंत समाधान होना चाहिए, जिससे कि जो इस डिपार्टमेंट में आत्महत्याएं करते हैं, कई डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उन चीजों पर भी रोक लगेगी। पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। पुन: बहाल करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, जो स्टेशनरी भत्ता होता था, वह भी पिछली सरकार ने बंद कर दिया, उसे भी शुरू करने की आवश्यकता है। (व्यवधान) पता है, हंस रहे हैं, पिछली बार जेलों में क्या हुआ था? क्या-क्या कांड हुए थे? कम से कम ऐसे कांड तो नहीं हो रहे हैं। जेल के कैदियों को जब कांस्टेबल पेशी पर ले जाते हैं तो उसके पांच का राइडर लगाया है। कई बार बहुत सारे कैदियों को एक साथ ले जाना पड़ता है तो इस राइडर को भी हटाकर समाप्त करने की आवश्यकता है। कोरोना काल हो या किसी तरह का कोई भी संकट जब भी आता है, परिवार की परवाह किये बिना 24 घंटे ही नहीं, कई-कई दिनों तक पुलिस डिपार्टमेंट ने ड्यूटी दी, चाहे कहीं झगड़ा हो, प्राकृतिक आपदा हो, चाहे अप्राकृतिक हो, ऐसी कार्यशैली को देखते हुए, इन्हें सुविधा देने की आवश्यकता है। पुलिस कर्मियों को क्वार्टर मिलें। राजस्थान पुलिस का जो दस से पन्द्रह वर्ष का नियम है, उसको भी कम किया जाए, जिससे कि वह अपने घर के आस-पास में नौकरी कर सकें और विशेष परिस्थिति में पुलिस कर्मियों को अटैचमेंट में उनके घर के नजदीक लगाने की सुविधा हो। आज महिला दिवस है। सभापति महोदय, घोषणा कर दें कि प्रत्येक महिला पुलिस कर्मी को क्वार्टर देना अनिवार्य हो। सभापति महोदय, धन्यवाद, राम-राम।

श्री सभापति: श्री सुरेश सिंह रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या

(श्री सुरेश सिंह रावत)

16 और 17 पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पुलिस का स्लोगन है - 'आम जन में विश्वास और अपराधियों में खौफ' लेकिन वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे तो आम जन में खौफ और अपराधियों में विश्वास, इस डगर पर राजस्थान पुलिस चल रही है। माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार का आलम तो यह है कि आज प्रदेश के अन्दर अधिकतर, कोई भी गैरकानूनी काम होता है तो वह पुलिस की पनाह के बिना नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति गैरकानूनी काम करना चाहता है तो वह सम्बन्धित पुलिस थाने में सैटिंग बैठाता है, उसके बाद वह काम चालू करता है। माननीय सभापति महोदय, हमारे थानों की स्थिति यह है कि वहां पर कोई एसएचओ लगता है तो एसएचओ लगने से पहले वह सोचता है कि कौनसा थाना अच्छा है? अच्छे थाने का मापदंड यह है कि जिस थाने की सबसे अधिक मासिक वसूली होती है, उसको आज के टाइम में अच्छा थाना माना जाता है।

माननीय सभापति महोदय, तीर्थराज पुष्कर में पिछले कुछ सालों से नशे का कारोबार तीव्र गति से बढ़ रहा है और आज के समय में नशे के कारोबार ने भी अपना अलग-अलग रूप ले लिया है। माननीय सभापति महोदय, आपको जानकार आश्चर्य होगा कि घोड़े को बेहोश करने का एक इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन को भी आजकल लोग नशे के रूप में काम में लेने लग गये और हमारे पुष्कर के अन्दर भी कई इस तरह की वारदातें मिलीं, लेकिन पुलिस वालों से मिलीभगत करके इस मामले को रफा-दफा कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में विस्तृत छानबीन हो और जो दोषी तस्कर हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आज बजरी का मुद्दा, राजस्थान के अन्दर बजरी को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया कि बजरी का अवैध खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस के लोग, मैं सबके लिए नहीं बोलता, बहुत सारे पुलिस कर्मी अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण आज राजस्थान के अन्दर बजरी का अवैध खनन जोरों पर है। बहुत सारे पुलिसकर्मी तो ऐसे हैं कि उन्होंने तो दूसरा काम करना ही छोड़ दिया और वे खुद भी इस धंधे के अन्दर इन्वाल्व हो गये और अंधाधुंध

(श्री सुरेश सिंह रावत)

बजरी का अवैध खनन करा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, चाहे अवैध शराब का मामला हो। चाहे हाईवे पर डीजल चोरी का मामला हो, अभी हमारे ग्राम तबजी के अन्दर एलपीजी सिलेंडर से अवैध रूप से रीफिल करते हुए एक मामला सामने आया, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो पुलिस की शह पर भी वह काम हो रहा था। माननीय सभापति महोदय, चाहे वाहन चोरी का मामला हो, चाहे मादक तस्करी का मामला हो, चाहे जमीनों पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे का मामला हो। सारे के सारे मामले, पुलिस की शह के बिना नहीं होते। राजस्थान की जब पूरे देश के अन्दर परिकल्पना करते थे तो एक शांत प्रदेश के रूप में गिना जाता था लेकिन आज जैसे ही हम सुबह उठते हैं। उठते ही, अख़बार में सबसे पहले अपराध की खबर ही मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। आज गैंग के रूप में अपराधियों ने अपने पैर पसारने स्टार्ट कर दिये हैं, चाहे छोटे-छोटे गांव ले लें। माननीय सभापति महोदय, मेरे पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में हाल ही का एक वाकया है, एक सराधना ग्राम पंचायत है। वहां पंचायती राज का चुनाव हुआ था।

श्री सभापति: प्लीज, आप सब्जैक्ट पर बोलें। आपका समय समाप्त हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि दो मिनट दें, फिर समय नहीं मिलेगा।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मैं तो उसी सब्जैक्ट पर बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, सराधना ग्राम पंचायत के अन्दर जिसने सरपंच का चुनाव जीता और जो प्रत्याशी पराजित हुआ, उसने उस सरपंच की हत्या करने के लिए गांव के ही दो लोगों को दस लाख, दो मकान और दो दुकानों की सुपारी दी। भ्रष्टाचार का आप ये आलम देखेंगे कि रामगंज थाने के अन्दर जब इनको पकड़ लिया और पुलिस के संज्ञान में आ गया कि ये मामला हत्या का है। यह सरपंच की हत्या करने के लिए दो पिस्टल खरीद कर लाए हैं, लेकिन उन्होंने अपराधियों से सांठगांठ करके उनसे पैसा लेकर, उस मामले को अवैध हथियार का मामला बताकर मामले को वहां पर ही रफा दफा कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, जब वह जेल से छूट कर आए, तब आपस में उनके झगड़ा हुआ तो कल जाकर मांगलियावास थाने के अन्दर मामला दर्ज हुआ। आज कम से कम एक हजार लोगों ने अजमेर एसपी के जाकर धरना दिया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें। माननीय मंत्री महोदय

(श्री सुरेश सिंह रावत)

भी विराज रहे हैं, डीजीपी साहब भी विराजमान हैं तो मैं आपसे मांग करता हूं कि इस मामले के अन्दर कठोर से कठोर कार्यवाही जो भी दोषी पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ की जाए।

आज आप देखेंगे तो जेल के अन्दर अपराधी बैठ कर, अजमेर के अन्दर कम से कम एक साल के अन्दर दस ऐसे वाक़ये हो गये कि वहां जेल के अन्दर बैठकर एक संगठित अपराध के रूप में बाहर से अवैध वसूली कर रहे हैं। कोई भी आदमी नया जेल के अन्दर जाता है तो उससे अवैध वसूली करते हैं और बाहर अपना आदमी खड़ा रखते हैं कि ये आदमी है, नंबर पकड़, इसको दस हजार रुपये दे दे तब जाकर वह शांति से रह पाता है। ऐसे मामलों में हमको कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा पुष्कर विधान सभा क्षेत्र अजमेर शहर का पेरीफेरी एरिया में है। वहां अधिकतर लोग मजदूर लोग हैं। मजदूर आदमी, गरीब आदमी सुबह मोटर साइकिल लेकर अपने घर से निकलता है और अपना व अपने परिवार का पेट पालने के लिए जब वह शहर के अन्दर जाता है तो शहर के अन्दर घुसने से पहले सम्बन्धित थाने की पुलिस उसको रोकती है और उससे अवैध पैसा वसूल करती है या चालान काटती है। जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि साहब हम क्या करें? हमको टार्गेट दे रखा है। एक डायरी पकड़ा देते हैं कि ये डायरी कहीं से भी काट कर ला, शाम तक इतने चालान चाहिए, किसी से भी ला। यह अवैध वसूली का काम, कम से कम पुलिस के द्वारा गरीब मजदूरों को इससे बख्शना चाहिए। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा हमारे अजमेर में बहुत सारे अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ ये कार्यवाही हुई लेकिन सरकार में या तो वह मामले लम्बित हैं या उनको अभियोजन चलाने की स्वीकृति नहीं दी। हम सब सदस्यों ने, अधिकतर सदस्यों ने ये बात रखी, इसके बारे में भी कोई न कोई प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार समय के साथ-साथ सभी विभागों के अन्दर तीव्र गति से फैल रहा है। अलग-अलग प्रकार के, नाना प्रकार के ये रूप लेता जा रहा है। इसको सिर्फ हम भ्रष्टाचार विभाग के भरोसे ही नहीं छोड़ सकते। इसके लिए हमें व्यापक कार्ययोजना बनानी चाहिए। हर विभाग के साथ कोई न कोई ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिससे भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त किया जा सके क्योंकि आज के समय में

(श्री सुरेश सिंह रावत)

भ्रष्टाचार कैंसर के साथ-साथ बिलकुल हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रहा है, हमारे प्रदेश की जड़ों को खोखला कर रहा है। माननीय मंत्री महोदय, बैठे हैं, पुलिस के अधिकारी भी हैं। कोई न कोई व्यापक योजना बनाकर इस समस्या को हमें जड़ से खतम करना चाहिए। प्रत्येक दवाइयों की दुकान में टेबलेट के रूप में नशे की बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं। कम से कम इस पर भी कोई न कोई प्रभावी कार्यवाही करके दवाइयों की दुकान पर इस तरह की टेबलेट नहीं मिले, इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। आपने बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्रसिंह गुढा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर 6.00 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 16 व 17 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। भ्रष्टाचार की बात चल रही है और जो बहस 40 साल पहले होनी चाहिए थी, पुलिस-पुलिस के नाम पर, पुलिस डिपार्टमेंट का तो नंबर भ्रष्टाचार में बहुत पीछे रह गया है और दूसरे डिपार्टमेंट बहुत आगे चले गये हैं। मैं मेरी बात शुरू करूं—

''हर डाल पर उल्लू बैठा है,
परिणाम गुलिस्तां क्या होगा,
जब एक ही उल्लू काफी है,
बर्बाद गुलिस्तां करने को।''

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढा)

मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जिसके अन्दर भ्रष्टाचार न हो। बहस यह होनी चाहिए कि ईमानदारी कहां बची है? चाहे हमारे सदन को ले लो, चाहे आप किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट को, आईएएस को ले लो, आईपीएस को ले लो, किसी भी ए से लेकर जेड तक, अब हम जो चुनाव लड़ते हैं, सबसे पहले तो हमारा फाउण्डेशन है कि हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव आयोग के जो नियम हैं कि इतने पैसे में हमारा चुनाव होना चाहिए। कोई दो-चार परसेंट का तो मैं कह नहीं सकता, एक-दो परसेंट, बाकी हम उस नियम का सौ परसेंट उल्लंघन करते हैं और हमारा चुनाव सारा का सारा दो नंबर के पैसे से ही होता है। हम जिस पार्टी से आए हैं, उसमें तो और भी, शुरुआत ही वहीं से होती है। अब तो वह चीज सभी ने ही सीख ली है। दूसरी पार्टियों में भी वह चीज़ें चल गयी हैं। लोग पैसे देकर ही टिकट लेते हैं और फिर पैसे देकर ही वोट लेते हैं।

सभापति महोदय, ईमानदारी की बात है, मेरे पास एक 15-16 साल का बच्चा आया चुनाव में, बोला भाई साहब मेरे पास वोट हैं 24, रुपये लूंगा 40 हजार। मैंने कहा तेरा खुद का ही वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कहां से लेगा, बोला आपको उससे क्या मतलब है? आपको वोट गिनवाकर डलवा दूंगा। मैं बताना चाह रहा हूं कि हम जो भ्रष्टाचार के ऊपर बोल रहे हैं मेरी जानकारी के हिसाब से हम भी इसके लिए परफेक्ट नहीं है कि हमें इस पर बोलने का अधिकार है या नहीं है। भ्रष्टाचार पर तो वह बोले जो खुद ठीक हो। तब उसकी बात का काफी आगे तक असर होता है। मेरी जानकारी के हिसाब से हर किसी को पता है कौनसा आईपीएस अफसर भ्रष्ट है और कौनसा आईपीएस ईमानदार है? इसकी लोगों में चर्चा रहती है। थानों की भी चर्चा रहती है और आईएएस की भी रहती है। हां, मंत्रियों का भी रहता है। सबका रहता है। पहले वाली सरकार का भी रहता है। सबको पता है, सबको पता है, हमारे अन्दर कौन भ्रष्टाचारी है? हमारे मंत्रियों का भी है साहब। बहस लंबी हो जाएगी, नहीं तो एक-एक का नाम बता दूं यहां।

सभापति महोदय, मुझे बोलने का समय देना, सबका एक-एक का बोल दूंगा। पिछली के भी बोल दूंगा, अब वालों का भी बोल दूंगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक-एक का नाम ले दूंगा, पिछले का और अभी का। मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक्साइज के अन्दर मूल दुकान होती है शराब की, उसके अलावा ब्रांचें कैसे चलती हैं? बाकी क्या चलता है? यह सारी जो बातें हो

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढा)

गई हैं, उनको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। सबको पता है। इसके बाद में एसीबी की बात हम करें, आईएएस भी पकड़े गये, आईपीएस भी पकड़े गये और इसके लिए मैं एसीबी को धन्यवाद देता हूं। शानदार काम किया है। लेकिन एसीबी के अन्दर जो आईपीएस पकड़ा जाना चाहिए था, दो-चार दिन में पकड़ा जाता, उसी की पोस्टिंग एसीबी में हो जाती है। अब वह पकड़ने वाला बन गया। बस के अन्दर पहले चलते थे, आज कल तो लोग अपने निजी वाहनों में चलने लग गये। जिनको सीट नहीं मिलती, खड़े रहते हैं, वह भाषण देते हैं कि महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए भी शर्म नहीं आती, जवान बैठे रहते हैं। उसी को जब सीट मिल जाती है तो उसका अलाप बंद हो जाता है, चुप हो जाता है वह। जिसको मौका नहीं मिलता है, वही ईमानदार है। जिसको मौका मिल गया, वह सारे के सारे हमाम में, जो भी है।

सभापति महोदय, मैं तो आपको भ्रष्टाचार की बताना चाह रहा हूं, एक दिन जब हम सूर्यागढ़ होटल में थे तो पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री भरत सिंह जी से मैंने पूछा साहब ये भ्रष्टाचार खतम हो सकता है क्या? मैंने इनसे निवेदन किया, मेरी जानकारी के हिसाब से इनसे पूछा, फिर लास्ट में रिजल्ट जीरो आया तो उसके बाद मैंने सोचना बंद कर दिया। आज बात चल रही थी तो मैं तो भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए खड़ा भी नहीं हुआ हूं। मैं तो इसलिए खड़ा हुआ हूं कि जेल के अन्दर से रंगदारियां हो रही हैं। मेरे झुन्झुनूं के अन्दर, चूरू के अन्दर और बाकी दूसरे जिलों के अन्दर जेल के अन्दर से लोग बाहर लोगों को तनख्वाह के ऊपर रखकर चोरियां करवा रहे हैं। बेरोजगारों को 15 हजार रुपये, 10 हजार रुपये, 20 हजार रुपये महीने की तनख्वाह देते हैं और वे बाहर चोरियां करते हैं।

मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति मेरे पास राजगढ़ की कोर्ट के अन्दर एक अजय जैतपुरा के मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने सरेआम गोलियां मारी गयीं। उसके अन्दर एक प्रदीप स्वामी, वह उसके अन्दर बच गया। एक मात्र गवाह था, दो लोग थे उसमें इंजर्ड, वह बच गये। बचने के बाद उनको राजस्थान की पुलिस ने सिक्योरिटी दी। अजय जैतपुरा जिसको कोर्ट के अन्दर सरेआम शूट किया, उसका जो एविडेंस था, वह अपनी जिन्दगी की गुहार लगा रहा था कि उसकी सिक्योरिटी हटा ली गयी। अन्दर जो क्रिमिनल होते हैं, उनको पता है कि ये एविडेंस हमारे खिलाफ जाएगा तो किसी न किसी मुकदमे में इसको फांसों। उसको कोई दूसरा मुकदमा हुआ और

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढा)

पुलिस ने उसको 120(बी) के अन्दर मुल्जिम बनाया, पहले उस मुकदमे का चालान हो गया, मुकदमा कोर्ट में चला गया। फिर उस मुकदमे में वापस वहां से उच्चाधिकारियों के द्वारा वह फाइल वापस आती है

(17.00 बजे)

राजगढ़ के अन्दर कोर्ट में, लॉरेंस गैंग ने, दूसरी गैंग ने, जिन्होंने हत्या करवाई, उनके सम्पर्क से उस अजय जैतपुरा को, प्रदीप जैतपुरा को 120 (बी) के अन्दर मुलजिम बनाया जाता है, उसकी सिक्योरिटी हटाई जाती है। उसके बाद, उसकी धर्मपत्नी जो पंचायत समिति सदस्य है, वह मेरे पास भी आई, मैं उच्च अधिकारियों के पास उसको लेकर गया कि इसको सिक्योरिटी दिलवाओ नहीं तो मर जाएगा। उसको सिक्योरिटी नहीं, मर जाएगा तो फिर मरने के बाद उस मुक़दमे की एविडेंस का क्या होगा, जो मजिस्ट्रेट के सामने सरेआम गोली मारी, उसके बाद अजय जैतपुरा को मारने के लिए चार और लोगों को छूट कर देते हैं। उसके 18 गोली लगती हैं। वह जेल में अन्दर बैठे-बैठे, बाहर लोगों को पैसे देते हैं, बाहर वाले लोग आराम से क्राइम करते हैं। आतंक का माहौल है। जनप्रतिनिधि उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते।

जेल वाले मामले में, मैं जहां तक समझता हूं, पिछले बीजेपी के राज में, उनकी मेहरबानी से, एक रास्ता रोकने के प्रकरण में मैं भी 40 दिन अन्दर रहकर आया। मुझे पहले का भी एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यह तो सारी की सारी काल्पनिक बातें कर रहे हैं, मैं आपको ओरिजिनल बातें बता रहा हूं। इनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है।

सभापति महोदय, जेल के अन्दर जो गरीब, कमजोर लोग हैं, उनके लिए तो वह जेल है। बाकी संगठित गैंग है उनके लिए, जेल के प्रहरी तो बीपीएल हैं, होम गार्ड भी बीपीएल हैं। जैसे नरेगा में 100 दिन का काम देते थे, मुख्य मंत्री जी ने इनके लिए भी 200 दिन के लिए कह दिया था। होम गार्ड के लिए भी 200 दिन करा दो। भ्रष्टाचार की बहस का ज्यादा मतलब नहीं है। इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 20-30 साल पहले पैसा आता था तो लोग कहते थे कि किस तरह का पैसा है। पैसा होने से बड़ा आदमी नहीं होता था। बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बड़ा आदमी। जिसके पास घर छोटा, गाड़ी छोटी वह आदमी छोटा। जिसके पास नहीं है वह आदमी खलास। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि समाज का नजरिया भी बदल गया। हम लोग तो फिर भी पांच साल से चुनाव लड़ते हैं, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार का आता

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढा)

है तो वह पंचवर्षीय योजना में निकल जाता है, लेकिन अधिकारियों का तो निकलता भी नहीं है क्योंकि ये तो 35 साल वाली योजना लेकर आए हैं। इनके इनकमिंग ही इनकमिंग है, आउट गोइंग है ही नहीं।

सभापति महोदय, मैं ऐसे आईपीएस को जानता हूं, जब वह नौकरी में लगा तब उसके पास कुछ नहीं था, आज आईजी कुर्सी पर बैठे हैं और हजार-हजार करोड़ के आदमी है साहब, किसी को पता नहीं क्या। हजार-हजार करोड़ रुपये के आदमी बन गए आईपीएस। उनके सारे धंधे हैं, माइनिंग है, क्रेशर है, दादागीरी से, प्रभाव से, क्या-क्या कर रहे हैं, हम किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने सुना है +++ है, यहां कुछ नहीं होता। इधर वाले बैठे हैं, यह तो पांच साल में जनता की परीक्षा पास करके आते हैं, लेकिन वह उधर बैठे हैं, वह कौनसी परीक्षा पास करते हैं, एक कम्पीटिशन। उसके बाद, उनका हर किसी को पता है। हर किसी को पता है, इस बहस का कोई मतलब नहीं है। होम गार्ड की चिंता कर लेना।

श्री सभापति: कृपया, अब समाप्त करें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: नरेन्द्र नागर जी।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मांग संख्या 16 व 17 पर चर्चा हो रही है। अभी माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि भ्रष्टाचार पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं जो चिंता कर रहा हूं, सबसे बड़ी चिंता ही आज के समय भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उसकी जड़ें खोखली करना बड़ा मुश्किल है। कोई ईमानदार अफसर हो या ईमानदार नेता हो, सब सोचते हैं कि कैसे न कैसे भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए। अधिकारी भी सोचता है कि इस भ्रष्टाचार का अंत होना चाहिए, परन्तु धीरे-धीरे करके वह भी कमजोर होता जाता है। उसको सहयोग नहीं मिलता है, इसलिए वह धीरे-धीरे कमजोर होता है। आज एक ईमानदार नेता है वह ईमानदारी से चुनाव लड़ता है, सामने वाला करोड़ों रुपये खर्च करके, जनता को पैसा लुटाकर, कहीं दुरुपयोग करके, चुनाव जीत जाता है। उसके मन में बड़ी पीड़ा होती है, टीस होती है कि मैं ईमानदारी से चुनाव नहीं लड़ता तो आज मैं चुनाव नहीं हारता।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि आज पूरे राजस्थान

(श्री नरेन्द्र नागर)

में, आप सबको पता है, हमें भी पता है, अभी कुछ माननीय सदस्य बता रहे थे कि हर जगह यह तय होता है कि इस थाने की क्या है, इस पोस्टिंग की क्या है, कोई फील्ड पोस्टिंग है, फिर चर्चा चलती है कि मलाईदार विभाग। अगर आप सेवा करने आए हैं तो फिर आपको मलाईदार से क्या लेना-देना, आपको तो ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से नौकरी करनी है, सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है, आपको उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, फिर मलाईदार से क्या मतलब है। इस प्रकार की भावना के साथ काम करता है। ईमानदार अफसर होता है तो ईमानदार होने की वजह से, उसको कहीं न कहीं पुरस्कार भी मिलना चाहिए। कहीं न कहीं उसको पुरस्कार भी मिलता है। कहीं स्थिति यह भी आती है कि वह पूरे समय में, मुश्किल से दो-तीन महीने से ज्यादा किसी पोस्ट पर नहीं रहता है, बार-बार उसका परिवर्तन होता रहता है, यह वास्तव में जमीनी हकीकत है। जीरो टोलरेंस के माध्यम से सरकार की मंशा है, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे पूर्व की सरकार हो, सरकार भी चाहती है कि भ्रष्टाचार का अंत हो। उसके बाद रोजाना भ्रष्टाचार के इतने केस विभाग बना रहा है, इस विभाग को जितना धन्यवाद दो, उतना कम है। उसके बाद भी इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। अब कौनसा विभाग बच रहा है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, कोई सा भी विभाग ले लीजिए। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता, तो आज अपन कहां पहुंच जाते, देश और प्रदेश कितनी तरक्की और उन्नति कर जाता, इसके लिए किसी ने सोचा भी नहीं होगा।

आज अपन एक काम करते हैं और पांच साल के बाद उस काम का अंत हो जाता है और फिर वह काम दुबारा उसी जगह से शुरू हो जाता है। कोई आज एक भवन बनाता है, वह भवन 10-15 साल बाद जीर्ण-शीर्ण अवस्था में आ जाता है और वापस उतनी ही स्वीकृति निकालने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार वर्तमान के जो हालात हैं, वह आपसे किसी से छुपे हुए नहीं हैं।

सभापति महोदय, आज तकनीकी युग है, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बना दी, बहुत सारी चीज़ें बना दी। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं, कि कोई ऐसी मशीन बनाओ, जो सबके मशीन लगे कि यह अधिकारी ईमानदार है, यह भ्रष्टाचारी है। नेताओं के भी पार्टियां लगाएं। अभी हमारे गुढा साहब कह रहे थे कि हम जिस पार्टी से जीतकर आए वह पार्टी ही ऐसी है। आप जिस पार्टी से जीतकर आए हैं, आप तो खुद ही कह रहे हैं, पर हमारी भी

(श्री नरेन्द्र नागर)

कहीं कमियां हैं, तो हमारी पार्टी के नेता हैं उनको हम सुझाव देंगे कि ऐसे ईमानदार आदमियों को आप टिकट दो, ताकि निश्चित रूप से पार्टी का नाम हो। जिस उद्देश्य के साथ, जिस सोच के साथ पार्टी ने जन्म लिया है, पार्टी जिसके साथ काम कर रही है, पार्टी में इस तरह की विचारधारा के लोग हैं, हम कहेंगे निश्चित। अधिकारी भी इस प्रकार के हों। सबको पता है।

हम भी 200 माननीय सदस्य बैठे हैं, इतने मंत्री बैठे हैं, वर्तमान हो या पूर्व, सबको पता है, कौन ईमानदार है, कौन भ्रष्टाचारी। जितने अधिकारी बैठे हैं, उनका भी अपने को मालूम है कि कौन ईमानदार है, कौन भ्रष्ट, सबको पता है। पता होने के बाद भी क्या स्थिति बनती है, आप सबको पता है। एक मुखिया अगर ईमानदार हो तो निश्चित रूप से उस पर रोक लगती है। हकीकत है, उस पर रोक लगती है। बिलकुल तो रोक नहीं लग सकती, पर रोक जरूर लगती है। एक अधिकारी ईमानदार है तो वह क्या करें, रात भर कहां तक दौड़ें, किस-किस की रात भर चैकिंग करे कि कौन गश्त कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आजकल मशीन लगती है जिसमें कम से कम चार किलोमीटर पहले ही पता लग जाता है कि कितनी स्पीड है, स्पीड कंट्रोल मशीन। पता चल जाता है कि कितनी स्पीड से चल रही थी। ऐसी कोई मशीन हो, जो सब तरफ लगे और पता चले कि वास्तव में हो क्या रहा है, जब जाकर इससे मुक्ति पा सकते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है।

हर आदमी की आवश्यकता इतनी हो गई, हर आदमी चाहता है कि मैं हेलीकाप्टर में उड़ूं, 100-200 करोड़ की गाड़ी में बैठूं, आदमी ऊपर देखता है। आदमी जिस दिन नीचे देखने लग जाएगा, चाहे वह नेता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जिस दिन वह नीचे देखने लग जाएगा कि मेरे से नीचे रहने वाला कितना सुखी है, तो यह भ्रष्टाचार भी मिट सकता है। कितना ही अरबपति-करोड़पति नेता हो, अधिकारी हो, फिर भी रात को किसी को नींद की गोली खानी पड़ती है। वह मजदूर जिसके पास कुछ नहीं है, दो रुपये किलो के गेहूं लेकर, बड़ी मुश्किल से इस समय, उसने गुजारा चलाया, उसके देखिए, कितनी बढ़िया नींद आती है। जीवन में सबसे बढ़िया वही है। सबका यही है, इस प्रकार से काम हो। सबको पता है प्रदेश की स्थिति यह है। यहां बैठे रहने वालों को भी सोचना चाहिए, अपन भी सोचें, जनता को भी सोचना चाहिए। आज यदि अधिकारी भ्रष्ट है और जनता यदि ईमानदार हो जाए तो अधिकारी क्या करेगा। अधिकारी चाहे तो एक दिन, दो दिन, चार दिन चक्कर कटा सकता है,

(श्री नरेन्द्र नागर)

वह लगातार थोड़े ही आपको चक्कर कटा सकता है। जनता यदि ईमानदार है, विधायक का कोई चुनाव लड़ता है, एक बार हार गया, दुबारा तो जनता को याद आएगी कि यह ईमानदार है, अपन ने इसको गलत हराया। एक बार हार गए, पर अपन अगली बार यह सोचे कि एक बार हार गया, अगली बार पैसे खर्च करें, तो जीत जाएंगे। निश्चित रूप से इस प्रकार की स्थिति हो तो यह प्रदेश आगे बढ़ सकता है।

इसके साथ कारागार, मेरे को तो अनुभव नहीं है। मेरे खिलाफ तो आज दिन तक इस राजनीतिक जीवन में कोई एक मुकदमा भी नहीं है। कोई रास्ता जाम का भी मुकदमा नहीं है। इस राजनीति में कोई आरोप भी नहीं है। तीसरी बार आया हूं, कोई आरोप भी नहीं है कि दो रुपये का भी कोई आरोप हो। इस प्रकार के बहुत सारे यहां, हमारे भरतसिंहजी साहब भी बैठे हैं, हाड़ौती के बहुत सारे एम.एल.ए. बैठे हैं।

जिस प्रकार से कारागृह की चर्चा भी हो रही है तो कारागृह में हकीकत है, क्योंकि सुनते हम भी हैं, हमारे पास भी फोन आते हैं। कोई न कोई किसी का मिलने वाला जेल चला जाता है, कोई गलती से चला जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें भी अपराध तय हो गया, अपराध तो बाद में तय होता है, सभापति महोदय। पर जब वह जेल चला गया तो उसके लिये, कि एम.एल.ए. साहब आप फोन करिये, कहीं इसको दिक्कत नहीं हो, इसको परेशानी नहीं हो। मैंने कहा, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कहते हैं, नहीं साहब, दिक्कत होती है वहां पर। यदि किसी की सिफारिश होती है तो उसके लिये कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको कुछ नहीं कहेंगे। उसके कोई पैसा नहीं लगता, नहीं तो हर चीज का पैसा लगता है।

अपराध, अपन सब पेपर में भी पढ़ते हैं, सबमें पढ़ते हैं, कितने अपराध वहां से होते हैं। कितनी गैंग्स वहां से चल रही हैं। अब तो धीरे-धीरे, पिछली सरकार ने जिस प्रकार से दारू की स्थिति, आप सबको पता है, अधिकारी की स्थिति सबको पता है। मतलब जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, सबको पता है। चाहे रेत हो, चाहे बजरी हो, चाहे आज शराब माफिया हो, दारू हो, कहां बिक रहा है, कौनसी नम्बर एक की दुकान है, कौनसी नम्बर दो की दुकान है। क्या स्थिति है, आप सबको पता है।

सभापति महोदय, अच्छी बहस तो यही है, बहस का सार्थक परिणाम तभी होगा जब हम सब इसके लिये वास्तव में काम करें, एक प्रण लें, चाहे

(श्री नरेन्द्र नागर)

अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नेता हो कि हम वास्तव में इस प्रदेश को ईमानदारी से चलाना चाहते हैं। सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: श्री किसनारामजी।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। आज पुलिस विभाग पर चर्चा चल रही है। प्रदेश के मुखिया ने, हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र में भी यह कहा था कि सुशासन, जवाबदेह और पारदर्शी शासन देंगे। उसी के अनुरूप मैं सबसे पहले पुलिस विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस पूरे विश्व में, पूरे देश में, प्रदेश में कोरोना नाम की जो महामारी आई, इस महामारी में मानव मात्र की जीवन की रक्षा में पुलिस का जो सहयोग रहा, पुलिस के बीट कांस्टेबल का सहयोग रहा, वह एक ऐतिहासिक सहयोग रहा है, वह तारीफ-ए-काबिल सहयोग रहा है।

सभापति महोदय, इस महामारी में मानव मात्र के जीवन के कल्याण के लिये कई तरह की बातें होती हैं। मानव मात्र के जीवन की रक्षा सबसे पहले होती है। आज पुलिस विभाग, सबको मालूम है कि क्राइम कई तरह के बढ़ गये। आज साइबर क्राइम अलग से हो रहा है, तरह-तरह की बेरोजगारी की वजह से, अपराध बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण बेरोजगारी भी है। बेरोजगार नौजवान क्षणिक अपराध करके बैठ जाता है। यह भी आज क्राइम बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण रहा है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, मैं सार्वजनिक जीवन में आया हूं, जहां तक मेरा समझना है कि इस राजनीतिक जीवन में ऐसा कोई ईमानदार, ऐसा कोई साफ-सरीखा नेता इस जीवन में कोई आ नहीं सकता, जिसके पिछले कार्यकाल में इस भ्रष्टाचार की विंग को मजबूत किया गया। आज अपन दूसरा रूप दे रहे हैं कि पकड़े गये, पकड़े गये, आई.ए.एस. पकड़े गये, आई.पी.एस. पकड़े गये। वे पकड़े नहीं गये, पारदर्शी सुशासन की सरकार से पकड़े जा रहे हैं, इसका कारण यह है। इसलिये सरकार को इसका धन्यवाद देना चाहिए भ्रष्टाचार के केस ज्यादा इसलिये बढ़ रहे हैं कि सरकार जागी हुई है, सरकार पारदर्शी है, इसलिये ये पकड़े जा रहे हैं। सरकार जागरूक है, इसलिये ये ज्यादा से ज्यादा केस पकड़े जा रहे हैं।

(श्री किसनाराम विश्नोई)

माननीय सभापति महोदय, जहां तक पुलिस का सवाल है, हम लोग मारवाड़ से आते हैं, अधिकतर इलाका ढाणियों में बसता है, जहां कोई अपराध की घटना होती है या चोरी की घटना होती है, पुलिस को पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। कच्चे रास्ते होते हैं, छितराई ढाणियों में पूरा इलाका बसता है। उसमें भी मेरा आपके माध्यम से एक सुझाव होगा कि पुलिस की गाड़ियों की व्यवस्था बढ़ाई जाए और साथ ही साथ पुलिस चौकियों की व्यवस्था भी बढ़ाई जाए ताकि छितराई ढाणियों में, जो दूर-दराज की, सुदूर की ढाणियां हैं, वहां भी पुलिस को पहुंचने में कम से कम समय लगे क्योंकि ढाणियों में, न तो वहां कोई सी.सी.टी.वी. कैमरे होते हैं, डामर सड़कों का भी अभाव होता है, इसलिये चोर चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं। अत: वहां थोड़ी नफरी भी बढ़ाई जाए और वाहन भी बढ़ाये जाएं, मारवाड़ क्षेत्र में जहां ग्रामीण ढाणियों में लोग बसते हैं।

इसके अलावा मैं यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि अपराध की जांच की विंग अलग होनी चाहिए और कानून-व्यवस्था की विंग अलग होनी चाहिए, ताकि काम ढंग से हो। कानून-व्यवस्था, शांति व्यवस्था के लिये विंग काम करते हुए सडनली पुलिस पहुंचती रहे और जांच अधिकारी का काम केवल जांच का होना चाहिए ताकि इस काम को करने में गति हो। पैंडेंसी भी कम से कम हो। यह भी मेरा आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, सुझाव रहेगा।

जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस भ्रष्टाचार निरोधक विंग को राजस्थान प्रदेश में मजबूती दी है, वह पूरे देश में उदाहरण है राजस्थान प्रदेश का भ्रष्टाचार निरोधक विभाग। आज भय जरूरी है। किसी चोरी को करने में अगर ब्यूरोक्रेट में भय नहीं है, कर्मचारी में कोई भय नहीं है, चोरी करने में, भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाले में भय नहीं है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आज माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में, सरकार के नेतृत्व में भयपूर्ण वातावरण है। अगर किसी ने बदमाशी कर ली तो ट्रैप हो जाएंगे, यह भयपूर्ण वातावरण पूरे प्रदेश में बना हुआ है।

आज निश्चित रूप से अपराध बढ़े हैं। पहले एक समय था, किसी गरीब आदमी के साथ कोई घटना घट जाती थी, उसके मन में एक संकोच भाव होता था कि मैं थाने जाऊंगा, मेरी रिपोर्ट लेंगे अथवा नहीं लेंगे। आज कोई भी जाता है, उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी

(श्री किसनाराम विश्नोई)

आये। यह भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने व्यवस्था की है, उसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

साथ ही साथ, सभापति महोदय, जिस तरीके से होम गार्ड के लोग, जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी, एस.एच.ओ. होम गार्ड के जवान को जहां खड़ा करते हैं, रात भर वह जागता हुआ वहां घरों की, लोगों की, होम गार्ड भी लोगों के चैन की नींद लेने में बहुत बड़ा सहायक है। इसलिये होम गार्ड को भी स्थायी करने के लिये कार्यक्रम चलाया जाए, स्थायी करने का फैसला करने का भी आपके माध्यम से सरकार को मैं सुझाव देना चाहूंगा। होम गार्ड की नफरी भी बढ़ा दी जानी चाहिए। होम गार्ड भी चोरी रोकने में बहुत बड़ा एक सहायक सिद्ध हो रहा है। इनकी नफरी भी बढ़ाई जाए, इनको स्थायी करने का भी किया जाए, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और कानून-व्यवस्था मजबूत हो सके।

साथ ही साथ, मैं कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देकर, सभापति महोदय, मेरे लोहावट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हाल ही में सी.ओ. कार्यालय खोलने की घोषणा की है, माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगा। मेरे लोहावट कस्बे का जो पुलिस थाना है, वह कस्बे के अन्दर है, मेरी मांग है कि जो स्टेट हाई-वे है वह उस पर खोला जाए ताकि गांव और ढाणियों में त्वरित कार्यवाही के लिये पुलिस सडनली पहुंच सके। यह भी मेरा आपके माध्यम से सुझाव रहेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामप्रतापजी कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 16 -भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मांग संख्या 17-कारागृह पर चर्चा है।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि भ्रष्टाचार करवाने में नेताओं का और सरकारों का दोष है, यह स्वीकार करने में कतई परेशानी नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस थानों के अन्दर आज सरकार ने जो व्हीकल उपलब्ध करवा रखे हैं, उनकी गति क्या है। पुलिस जब तफ्तीश करने जाती है तो हवलदार और सिपाही भी बिना जीप के तफ्तीश करने नहीं जाते। वह पैसा कहां से आएगा, वह पैसा भ्रष्टाचार से ही आएगा। अगर वाकई में पुलिस थानों में भ्रष्टाचार बंद करना है तो एक तो जो दलाल हैं, भ्रष्टाचार यूं नहीं होता, यह एंटी करप्शन, तो हर टाइम दिनेश एम.एन. अधिकारी जैसे नहीं हो सकते।

(श्री रामप्रताप कासनियां)

मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार ने इस समय काफी बड़े-बड़े लोगों के ऊपर हाथ तो डाले हैं परंतु अभी तक उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही नहीं हुई है। कहीं पर तो सरकार चालान करने की परमिशन नहीं देगी, खैर, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। जो सही काम हुआ है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जो किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि थानों के अन्दर जो सर्टिफाइड दलाल हैं, कुछ चुनिंदा लोग थानों के अन्दर होते हैं जो पुलिस के लिए पैसा लेने का काम करते हैं और वह जो मुलजिम है या चाहे मुस्तगिस है, उसको साथ में ले जाकर और उदाहरण के तौर पर दस हजार रुपये उसके सामने दे दिये तो वह तीन अपने वापस लेकर आएगा थानेदार से। सत्तर-तीस का रेशो है। दलाल है, खनिज विभाग में दलाल है। आज मेरे क्षेत्र में दुनिया भर की चूना जिप्सम की चोरी होती है, कहीं पर भी पकड़ो, ए.सी.डी. वाले जाओ, कोई जाओ, कोई रोकथाम नहीं है, हजारों ट्रक रोजाना अवैध खनन हो रहा है, सरकार को रायल्टी नहीं मिल रही है और अवैध खनन हो रहा है, यह भी एक भ्रष्टाचार है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, यह हाल हर जगह पर है। जेल के अन्दर भी मुलजिम जो पुराने बैठे हैं, जो 20 साल के हैं या कोई पांच-छह साल से हैं तो दलाली का काम जेल के अन्दर से ही करते हैं। उनके माध्यम से ही सारा काम हो रहा है। दलाल जो है वह जब तक रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं हो सकता और कुछ हमें भी दिल पर पत्थर रखना चाहिए कि अमुक अधिकारी की पोस्टिंग करवानी है तो यह करना पड़ेगा, वह करना पड़ेगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, हम भी कुछ सुधरें। हमें भी सुधरना चाहिए अगर वाकई में भ्रष्टाचार बंद करना है तो यह डिजायर प्रथा टोटल बंद करो। जो ईमानदार अधिकारी है, जो ईमानदार अफसर है, उसको आप प्रोत्साहित करो। पूरे प्रांत के अन्दर यह पता लग जाए कि फलां आदमी ने यह कार्य किया है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं दिनेश एमएन., इस तरह के जो अधिकारी हैं उनको प्रोत्साहित करो ताकि पब्लिक में यह पता लगे कि यह फलां अधिकारी/कर्मचारी ईमानदार है, इसको सरकार प्रोत्साहित कर रही है, जनता प्रोत्साहित कर रही है। खाली बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं बहुत बड़ा तीस मार खां हूं, मेरे क्षेत्र में एक पटवारी है मलिक नाम का। बड़ोपल गांव के अन्दर हजारों बीघा घग्घर फ्लड की जमीन, हजारों बीघा, जो एक्वायर की हुई

(श्री रामप्रताप कासनियां)

थी घग्घर फ्लड में, उसके इंतकाल में खातेदारी दर्ज कर दी। सैकड़ों काश्तकार जेल में जाकर आये हैं और वह पटवारी मलिक जो है, वह जेल में गया, जमानत करवा ली और पैसे में इतनी ताकत है कि वह पटवारी आज भी, केस पैंडिंग है और उसकी पोस्टिंग सूरतगढ़ तहसील में ही वापस है। मैं हैरान हूं कि करोड़ों रुपये उस पटवारी के साबित हो गये, विभागीय जांच है, एंटी करप्शन की नहीं है, उसको सस्पैंड कर दिया, सैकड़ों काश्तकार जेल में चले गये परंतु वह पटवारी जो है, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, आज भी उसके खिलाफ केस पैंडिंग है और सूरतगढ़ में पोस्टिंग है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह बात असत्य हो तो जो मर्जी आये, वह सज़ा भुगताने के लिए तैयार हूं।

मैं ज्यादा लम्बा बोलूंगा कोर्ट का और काफी उसने जो प्रयोग किया है पटवारी ने, वह पैसे के बलबूते पर सारा काम हुआ है। लोग भ्रष्टाचार क्यों नहीं करेंगे? इस तरह के लोग वापस, मेरे से पूर्व वक्ता यह बता रहे थे कि जो लोग भ्रष्टाचार के अन्दर पकड़े गये वह आज भी फील्ड पोस्टिंग में क्यों हैं? उनको तो दुबारा देखनी ही नहीं चाहिए वह जगह। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वाकई में भ्रष्टाचार के खिलाफ ...(व्यवधान) क्या दे दिया? मेरी स्पीड ही खराब कर दी।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमें वाकई के अन्दर अगर भ्रष्टाचार को खतम करना है तो पहले तो मैं मेरे दिल के अन्दर यह झांकू कि मैं कैसा हूं? यह हमें सोचना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज कोई हालात नहीं है, मुझे रोना आता है, पांच-पांच, छह-छह करोड़ रुपये बोलियां लगाकर चेयरमैन बनते हैं नगरपालिका में। यह प्रजातंत्र है? भ्रष्टाचार सरेआम हो रहा है, खुले आम हो रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर यह न तो शोभा आपको देता है और न ही इधर वालों को ही देता है। यह कोई भी सही व्यक्ति चाहे कितना ही ईमानदार हो, वह पिटकर मर जाए, इस तरह के माहौल के अन्दर नगरपालिका, प्रधान, जिला परिषद् का चुनाव नहीं जीत सकता। हां, विधान सभा और लोक सभा चुनावों में पैसा बहुत ज्यादा काम नहीं करता। अगर पैसा ज्यादा काम करता तो मैं इस विधान सभा में नहीं आ सकता था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सन् 2003 के अन्दर, सारा सदन इसका साक्षी है, सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। मेरे खिलाफ कोई कमी नहीं रही पैसा बहाने

(श्री रामप्रताप कासनियां)

की लेकिन फिर भी जनता ने पैसे को ठोकर मारी। आज भी जनता के अन्दर पैसे का बोलबाला लोक सभा और विधान सभा चुनावों में बहुत कम काम करता है। करता है कुछ, यह भी मैं मानता हूं, पर इतना ज्यादा नहीं करता है। छोटे चुनाव जो है, भैयाजी, वह बड़े कठिन हो गये। पैसे वाले तीन-तीन बार लगातार चेयरमैन बन रहे हैं, एक ही एक परिवार के, उनमें कोई योग्यता नहीं है। एक तो व्यक्ति होता है योग्यता वाला, सेवा करके आता है, वह पब्लिक का दिल जीतकर आता है, पर भ्रष्टाचार के माध्यम से यह जो चुनावों के अन्दर भ्रष्टाचार फैला है, यह इस देश के, प्रदेश के लिए कोई शोभाजनक बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित करे ताकि जो भ्रष्टाचारी है, उनको देख-देखकर वह अपने आप में ही शर्म महसूस करने लग जाए और या फिर यह दलाल है, यह इंगित करो। उदाहरण के तौर पर जैसा मेरा क्षेत्र है तो मुझे पता है कि थाने के दलाल कौन हैं, तहसील के कौन हैं, सब पता है। हर क्षेत्र के अन्दर दलाल हैं। रेवेन्यू के अन्दर दलाल हैं। जेलों में दलाल हैं। थानों के अन्दर दलाल हैं। कैसे पकड़ोगे आप? मेरे जैसे बैठे हैं कर्म करने वाले बहुत और उनको हिस्सा और मिलता है। यह सत्तर-तीस वाली बीमारी सुनी है क्या आपने? मैंने मेरी आंखों से देखी है। तीस परसेंट दलाल के और 70 परसेंट आगे वाले के, इस तरह की व्यवस्था चल रही है। अगर सरकार वाकई में भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है तो प्रथम तो थानों के अन्दर साधन मुहैया कराओ। मंत्रीजी का दौरा है, जयपुर से चले और नए-नए मेरे जैसे बन जाए, क्यू.एस.टी. ही पास करवा दो, अब क्यू.एस.टी. करवा दी आगे थाने वाले, अब गाड़ियां हैं नहीं तो थाने वाले किसी बड़े आदमी के पास जाएंगे और अच्छी सी गाड़ी मांगकर लाएंगे कि मंत्रीजी का दौरा है, गाड़ी दो दिन के लिए दे दीजिए तो अब वह दो दिन गाड़ी देने वाला गलत काम करवाएगा किससे? थानेदारजी से, पुलिस से तो इस तरह की जो व्यवस्था है, इस पर आप वाकई में गम्भीरता से रोक लगाओ चाहे हमें कुछ भी करना पड़े।

दूसरा सोर्स, मुझे पता है पैसे की आवश्यकता है। मैंने इस सदन में एक उदाहरण दिया था, मैं विषय से अलग बोल रहा हूं। मैंने जो बेसहारा पशुओं के लिए सरकार को सुझाव दिया था कि आप शराब पर टैक्स लगाओ, खनिज पर टैक्स लगाओ, सौन्दर्यीकरण के साधनों पर लगाओ, सरकार ने वह

(श्री रामप्रताप कासनियां)

टैक्स लगा दिये। माननीय सभापति महोदय, पर वह पैसा जहां पर लगना चाहिए था, वहां पर नहीं लगा। मेरे कहने का भावार्थ है कि आप इन पुलिस थानों में सुधार करने के लिये कोई टैक्स लगाओ, कुछ भी करो और उस समय विपक्ष ने आपको यह कहा था कि आप पूरा टैक्स लगाओ, यह इंतजाम करो, विपक्ष आपके साथ है। माननीय गुलाबजी ने यह कहा था।

श्री सभापति: माननीय समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): समाप्त ही है मेरा तो। मैं अंत में सरकार से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे जेल है, चाहे पुलिस है, चाहे रेवेन्यू है, सब जगह, और मैं यह नहीं कहता कि अकेले आप ही दोषी हो, हम सब हैं। अगर इसमें कोई सुधार हो सकता है तो पहले इस सदन में, हम 200 लोग बैठे हैं, यह संकल्प करें। मजाल है, किसी की हिम्मत है, कोई भ्रष्टाचार कर जाये। हम पहले संगठित होकर यह संकल्प लें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने काफी लोगों की चर्चा सुनी है। आज भ्रष्टाचार पर बात हो रही है। ए.सी.बी. ने काफी अच्छे काम किये हैं। यह भी नहीं कह सकते कि सभी खराब काम किये हैं, पर कुछ काम ऐसे कर देते हैं कि उनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट, पूरी सरकार की बदनामी होती है। जैसे अभी बारां कलेक्टर की गिरफ्तारी हुई, दौसा एस.पी. की गिरफ्तारी हुई और एक आई.जी. लक्ष्मण गौड़ की गिरफ्तारी नहीं हुई। यह बीच का क्या खेल है? एक तरफ तो पुलिस की, ए.सी.बी. की वाहवाही हो रही है कि अच्छे काम कर रही है और दूसरी तरफ कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार कर रहे हैं और कुछ को छोड़ रहे हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मामला सैटिंग का या लेनदेन का हो जाता है, उसको तो अपन फ्री कर देते हैं या कोई अच्छी अप्रोच वाले नेता की सोर्स होती है, उसको आप बचा देते हैं। हमने दिनेश एम.एन.जी. का नाम सुना है, आज तक हमने शक्ल तक नहीं देखी। वह करौली एस.पी.

(श्री गिर्राज सिंह)

भी रहे थे, बहुत अच्छा काम किया था। आज भी पूरे प्रदेश में एक नाम है। मैं उनको जानता नहीं। नाम सुना है कि बहुत अच्छा काम करते हैं पर मैं जानता हूं कि कुछ लोग उन पर नाजायज काम कराने के लिये दबाव बनाते हैं। कहीं न कहीं तो लोग बीच में गड़बड़ करते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जिन्हें फील्ड में रहना चाहिए, जहां भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, वह लोग तो आफिस में लगे हुए हैं, उन्हें कहीं भी लगाया हुआ है और जो छंटे हुए एक से एक नंबर वन के चोर आते हैं, इधर से उधर लगा दो, एक को मैं ले जाऊंगा, एक को कोई दूसरा आएगा वह ले जाएगा, कोई तीसरा ले जाएगा।

हमारे माननीय मंत्रीजी धारीवाल जी बैठे हुए हैं। वह जब इस मांग पर जवाब दें तो आज यह थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि लक्ष्मण गौड़ को क्यों बचाया? वह कितना बड़ा ईमानदार है? उसका इतिहास ले लो आप। बारां कलेक्टर के दलाल पकड़े गये तो बारां कलेक्टर की गिरफ्तारी हो गयी। दौसा एस.पी. के दलाल पकड़े गये, उनकी गिरफ्तारी हो गयी। आई.ए.एस. जायसवाल और खनिज सचिव, सिंघवीजी तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पर मैं यह पूछ रहा हूं, गृह मंत्रीजी कि जब आप जवाब देंगे तो इसका मुझे जवाब चाहिए कि इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्यों इसकी पैंडिंग की गयी? क्या राज है इसके अन्दर, यह आज सदन से क्लियर जवाब चाहिए और बाकी तो बैठे रहो, बोलते रहो, बकते रहो, आप पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या मतलब है यहां पर आने का? हम लोगों को क्यों यहां पर सुबह से शाम तक बैठाते हैं? जब किसी चीज का अगर आप जवाब ही नहीं देना चाहते तो क्या मतलब है? उसकी गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी? अगर वह ईमानदार है तो उसकी फील्ड में पोस्टिंग लगा देनी चाहिए। क्यों आपने उसको वहां आफिस में पटक रखा है, उसको पोस्टिंग दे दो अगर वह ईमानदार है तो। अगर चोर है तो जैसे और लोगों को सज़ा मिली है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। कोई आई.जी. है, उसको भी आपने ऐसे ही लगा दिया। तमाम तरह के लोग हैं, आपकी समझ में नहीं आ रही है कि आप दोगला खेल खेलते हैं। एक तरफ आप ईमानदारी की दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप ऐसा कर रहे हैं तो यह दो तरह के खेल क्यों? काम करना है तो ठीक से करो, सबके साथ एक-सा काम करो और नहीं करना है तो फिर क्या मतलब कि एक तरफ तो ईमानदारी की मोहर ठोक रहे हैं कि सरकार के अच्छे काम हैं। अपनी सरकार की हम खुद ही बदनामी करें तो इसमें मतलब क्या है?

(श्री गिर्राज सिंह)

मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे चोर लोग हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार करें। ऐसा एक कानून बनना चाहिए कि ये इतनी बड़ी-बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपये महीने की सैलेरी ले रहे हैं, इतना पैसा यह डकार रहे हैं, ऐसे लोगों को आपको घर बैठाना चाहिए। इन आई.ए.एस. और आई.पी.एस ने पूरा देश लूट लिया, पूरा प्रदेश लूट लिया। आप इन्हीं को बचाते चले जाते हैं। कोई मेरे पास आ गया, मैंने उसकी मदद कर दी। कोई दूसरे के पास पहुंच गया तो उसने मदद कर दी। यह खेल नहीं होना चाहिए, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। जो-जो लोग भ्रष्टाचार में पकड़े गये हैं, उन सभी लोगों को आप जेल में डालो। यह नहीं कि एक पर मेरी मेहरबानी हो गयी तो मैं बचा लूं, दूसरे पर किसी और की मेहरबानी हो गयी तो और कोई बचा ले। सबके साथ आप एक-सा काम करें।

माननीय सभापति महोदय, कुछ लोग जेल में से गुंडागीरी करते हैं। मेरे धौलपुर जिले का एक मोरली गांव का धर्मेन्द्र लुक्का है। उसने मेरे से और हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा को भी गाली बकी थी और बंदूक लहरा-लहराकर धमकी दे रहा था। धमकी तो हमें जीवन में कई बार मिलती रहती है, इनसे हम पर कोई फर्क नहीं है। हम न तो कभी डरे हैं, न डरने वाले हैं। मुकाबला किया है, करते रहेंगे। वे लोग बस में जा रहे थे तो उन लोगों को छुड़ाने के लिये कुछ गुंडों ने मिर्च और हथियार लेकर बस में चढ़े और बस में मिर्च फेंकी। उस बस में सवारी बैठी थी। यह घटना पांच-छह दिन पहले की है और पुलिस गार्ड वाले थे, वह तारीख पेशी पर भरतपुर में लेकर जा रहे थे। सभी पुलिस वालों पर वह हावी हो गये और उसको छुड़ा लिया। बस में एक आर.ए.सी. का जवान था, उसने हिम्मत दिखाकर कोशिश की। उसी बस में एक वसुन्धरा चौहान नाम की महिला थी। उस महिला ने उन गुंडों का डटकर मुकाबला किया और उस महिला ने दो गुंड़ों का वहां पर पटक दिया और उनसे हथियार छुड़ा लिये। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि उस महिला को आज महिला दिवस है, आज ही उसकी सब-इंस्पैक्टर पद पर पोस्टिंग कर दी जाये। प्रदेश में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा महिला दिवस पर।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि अगर यह दो लोग नहीं होते तो इतना बड़ा गुंडा होता, आज आनंदपाल जैसे तमाम लोग भाग-भागकर क्राइम करते थे, इसी तरह से वह भी क्राइम करता। उस महिला और आर.ए.

(श्री गिर्राज सिंह)

सी. वाले की मदद से ही आज वह गुंडे पकड़ में आये। उन्होंने इतनी फायरिंग की थी कि पास के खेतों में काम करने वाले लोग भी भाग गये।

माननीय सभापति महोदय, जो भ्रष्टाचार पर हम बात कर रहे हैं, जेल पर बात कर रहे हैं, जेल से उनका नेटवर्क था। जेल का सिस्टम क्या है? जो लोग जेल में बैठे हैं और जेल से इतनी बड़ी सैटिंग हो रही है कि गुंडे जेल में आने के बाद भाग रहे हैं और भागने के बाद में इतनी बड़ी सैटिंग कर रहे हैं। तमाम तरह के इंतजाम होने के बाद भी वह लोग जेल से भागने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं न कहीं मोबाइल फोन से बात हो रही है, तमाम लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, लोगों से गाली-गलौज की जाती है तो ऐसे में माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे जो लोग हैं, जो जेल में गुंडागीरी कर रहे हैं, उन लोगों पर कोई न कोई अंकुश लगाना चाहिए। भ्रष्टाचार के कारण, जो चोर लोग हैं, इनके लिये कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि बदनाम तो होते हैं नेता लोग कि नेता खा गये, नेता खा गये, नेता कुछ नहीं खा रहे हैं। कुछ लोगों के पैसे ज्यादा खर्च होते होंगे, मुझे पता नहीं है। मैं पहला चुनाव लड़ा तब मेरे छह-साढ़े छह लाख के करीब खर्च हुए थे, दूसरे में करीबन 14 लाख रुपये के आस-पास खर्च हुए थे और अब भी मैं चुनाव जीता हूं तो मात्र 20 लाख रुपये में जीता हूं। ऐसे नहीं है कि सभी जगह पैसे का चलन चलता हो। कहीं भी ऐसा नहीं है, पैसे का कोई अंत नहीं, अपन चाहें जितना खर्च कर लें। अपन जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। हम कम खर्च कर सकते हैं तो कम करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि इधर वाले तो बदनाम होते हैं और माल खाते हैं उधर वाले। ये लोग तो खर्च भी करते हैं। उधर वालों का तो कोई खर्चा ही नहीं है। सरकारी गाड़ी मिल रही है, सत्ता में रहे या विपक्ष में, यह तो पांच साल के बाद सत्ता से उतर जाता है तो कोई राम राम नहीं करता है और यह पूरे पांच साल कमाते रहते हैं, कहीं भी चले जाओ, पोस्टिंग तो मिलेगी, ठीक-ठाक गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, सब प्रकार की सुविधा मिलेगी, बिजली, पानी, सब फ्री की सुविधा है तो बदनाम तो इधर वाले होते हैं और मजे मार रहे हैं उधर वाले। इधर वाले कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। जब तक इधर वाले नहीं चाहेंगे तब तक उधर वाले गड़बड़ नहीं कर पाएंगे, अकेले इनके हाथ में है क्या? यह तो सिर्फ अपने मुंह से कहेंगे, फोन से कह देंगे, इसके अलावा उनके पास तो

(श्री गिर्राज सिंह)

कुछ है नहीं। करने वाले, कलम चलाने वाले पावर तो इधर वालों के पास है तो, सभापति महोदय, जब उधर वाले नहीं करेंगे तो इधर वाले कुछ भी नहीं करेंगे, सुधारने की जरूरत है वह इधर वालों की है।

जो चोर लोग हैं उन चोर लोगों पर कार्यवाही करनी चाहिए। भ्रष्टाचार से जनता इतनी परेशान है कि लोग आफिस के चक्कर लगा-लगा करके परेशान हो जाते हैं हालांकि यह हमारे सामने वाले बी.जे.पी. वालों की देन है। माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, यह कर दूंगा, यह कर दूंगा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यही कराते हैं, +++ इनके पास वह पैसा कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है वह पैसा? इन्होंने हर जगह सरकार पटक दी। कहीं कर्नाटक में, कहीं मध्य प्रदेश में, कहीं गोवा में हर जगह भ्रष्टाचार की जड़ तो ये हैं इधर वाले हमारे सामने वाले बैठे हैं। सबसे ज्यादा देश के अन्दर जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है केन्द्र से लेकर राज्य तक, जब ही आपकी यह हालत हुई है। अभी आप आगे देखना, अभी आप देख रहे हैं न सत्ता का मजा कि 2023 में हम चुनाव जीतेंगे, आप तो भूल जाओ इस 2023 के चुनाव को। (व्यवधान) होटल में क्या खर्चा है, खाना तो हम घर पर भी खाते हैं, खाना वहां खाया है। होटल में क्या खर्चा है? खाना घर पर भी खाते हैं, खाना तो हम धौलपुर की बजाय जयपुर में रहते हैं तो खाना जयपुर में भी खाते हैं। आप भी जयपुर में रह रहे हैं, आप खाना कहां से खा रहे हैं और होटल में हमने क्या किया है?

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): और अपनी तनख्वाह का पैसा खर्च किया है। सभापति महोदय, जो भ्रष्टाचार की जड़ है वह हमारे सामने वाले हैं। धारीवाल जी, मैं आपसे बार-बार जरूर निवेदन कर रहा हूं कि आज मुझे हर हालत में इस लक्ष्मण गौड़ पर जवाब चाहिए कि इसको बचाने के पीछे क्या राज है सरकार का? कौन है यह, इसकी कितनी गहरी जड़ें हैं? इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? इसके बाद में जो मुकदमे हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई और इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? यह आई.ए.एस. से बड़ा है? तमाम तरह के आई.ए.एस. भी तो जेल में गये तो इन लोगों को क्यों बचाया जा रहा है? यह मुझे जवाब चाहिए। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द जी मीणा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, मुझे थोड़ी सी मांग करनी थी।

श्री सभापति: अब हो गया, हो गया।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि जिस महिला के लिए मैंने मांग की, उसके आर्डर हो चुके हैं। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की बात चल रही है। हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच रहा है, चाहे आप राजस्व विभाग में देख लो, माइनिंग विभाग में देख लो, पुलिस विभाग में देख लो। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है इसको समाप्त करने के लिए आपसे मैं आग्रह करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो दलाल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके विभिन्न थानों में फोटो लगे हुए हैं, हिस्ट्रीशीटर हैं, ऐसे लोग पुलिस थाने चला रहे हैं तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि कि मेरे विधान सभा के प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया गया कि मुकदमा नंबर 104/2010 एवं 145/2015 पुलिस थाना कोटड़ी में दर्ज प्रकरणों में पुलिस ने जुर्म प्रमाणित माना। सरकार ने मेरे को यह जवाब दिया लेकिन, सभापति महोदय, ऐसे हिस्ट्रीशीटर लोग जो थाने चला रहे हैं, माइनिंग विभाग के अधिकारियों को चला रहे हैं उनके इशारे पर अवैध काम हो रहे हैं। इन मुलजिमों को दस साल होने के बाद में भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, इसमें निश्चित रूप से बचाने का प्रदेश सरकार संरक्षण प्रदान कर रही है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की जड़ को, प्रदेश सरकार ही अपराधियों को संरक्षण दे रही है, पुलिस लाचार है। पुलिस अधिकारी माननीय डी.जी. साहब, माननीय एमएन साहब विराजे हुए हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत मिल चुका हूं, इन्होंने अच्छे अफसरों की नियुक्ति की और मुकदमों में निस्तारण भी किया, न्याय भी किया लेकिन प्रदेश सरकार के इशारे पर कार्यवाही नहीं होती है। दस साल के बाद भी इनमें कार्यवाही नहीं होती है। इतना ही नहीं, चार महीने बाद, 2010 का मुकदमा था उसमें कार्यवाही नहीं

(श्री गोपी चन्द मीणा)

हुई, हमारे एक सरपंच जिसकी 70 साल की एज है वो रास्ते में जा रहे थे, इन पर जानलेवा हमला किया गया और इस मुकदमे में मेन मुलजिम को निकाला गया और इतना ही नहीं, हमारे क्षेत्र में अनेक घटनाएं ऐसी हो गईं जो थानों में 10-10, 15-15 मुकदमे और मुकदमे को ट्रांसफर करवा कर सीआईडी, सीबी में डलवा देते हैं, कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्यवाही चाहता हूं और यह किन के इशारे पर हो रहा है? माननीय सभापति महोदय, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि +++ इस मुकदमे में मुलजिम हैं और सरकार अब तक गिरफ्तार नहीं कर रही 10 साल के बाद भी। मैं आपसे न्याय चाहता हूं। प्रदेश की जनता में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, अपराधी को गिरफ्तार करेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश में भ्रष्टाचार समाप्त होगा। मैं गृहमंत्री जी से चाहता हूं कि मुकदमा नंबर 104/2010 और 145/2015 में गिरफ्तारी करने का आश्वासन दें। मेरी इतनी ही बात है। मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री भरत सिंह जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 17 कारागार पर माननीय मंत्री महोदय जी के जवाब देने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति जी, मांग संख्या 16 पुलिस और पुलिस में भी भ्रष्टाचार के ऊपर जो चर्चा हो रही है, उसमें शामिल होकर मैं अपने विचार आपके समक्ष रख रहा हूं।

यह देश जब 1947 में आजाद हुआ तो भ्रष्टाचार कोई विधान सभा

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

या पार्लियामेंट में डिस्कस करने का मुद्दा नहीं था। हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि सभी ईमानदार लोगबाग थे और जनता का पूरा विश्वास था। आज 2021 स्वतंत्रता के सात दशक बाद हम चुने तो जा रहे हैं मगर जनता का विश्वास बहुत कम लोगों पर बचा है और यह प्रजातंत्र के लिए चिंता का विषय है।

2020 में पूरे विश्व में कोरोना फैला, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने लग कर कोरोना का वैक्सीन तैयार किया और वह लग रहा है और विधान सभा में भी आज के दिन वैक्सीन लगा रहे हैं ताकि कोई बीमार नहीं हो। कोरोना की बीमारी से एक व्यक्ति बीमार होता है, जिसके कोरोना होता है वह बीमार होता है, उसकी मृत्यु होती है, इस भ्रष्टाचार से पूरा समाज मर रहा है और लोगों का विश्वास प्रशासन करने वाले, शासन करने वाले के प्रति कम हो रहा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने शासन संभाला और तीसरा बजट पेश किया, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण दिये, उसको मैंने अनेक बार पढ़ा और उसके ऊपर जब मुख्य मंत्री जी जीरो करप्शन की बात करते हैं, जीरो हरेसमेंट की बात करते हैं, गांधीजी के सिद्धांत की बात करते हैं, गांधी जी के सात पापों का जिक्र करते हैं, कहते हैं सिद्धांत विहीन राजनीति को पाप मानते हैं तो उस दृष्टि से देखते हैं कि सिद्धांत राजनीति के बचे कहां है? मुख्य मंत्री जी इस बात को जानते तो क्यों इन भाषणों में लिख रहे हैं? और मैं उनको साधुवाद दूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा कि वे महसूस करते हैं कि अगर हमने इन बातों को जीवित नहीं रखा तो यह समाज और यह व्यवस्था चलेगी ही नहीं, इसलिए उन्होंने साहस किया है और इन बातों का उल्लेख किया है। मैं जब प्रश्न करता हूं तो लोग कहते हैं कि अपनी पार्टी को कठघरे में खड़ा कर रहा है। प्रश्न पार्टी को कठघरे में खड़ा करने का नहीं है, प्रश्न यह है कि उन बातों के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है जिससे यह पूरी व्यवस्था कमजोर हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने 2019 में एक प्रश्न किया था कि जो पिछला शासन था बीजेपी का, 2014 से 2018 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कितने लोगों को पकड़ा? 3 हजार से कुछ कम लोगों को एसीबी ने पकड़ा। जो चौंकाने वाली बात थी, उन लोगों के जब नाम देखे कि किस-किस को पकड़ा, समाज का कोई वर्ग नहीं बचा आईएएस, आईपीएस, कमिश्नर, प्रधान, सरपंच,

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

जिला प्रमुख, यूआईटी के चेयरमैन, जुडिशियरी के, सारे लोग इसमें पकड़े गए। प्रश्न होता है कि इस व्यवस्था को रोकेंगे कैसे? मैं आखिर में बोल रहा हूं। मेरे से पहले अनेक वक्ताओं ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए। माननीय गृह मंत्री, सुझाव आपने नोट किए हैं और आप जवाब देंगे। मैं वह बात नहीं दोहराऊंगा जो लोग-बाग़ पहले कह चुके हैं, सुझाव दे चुके हैं। समस्या इतनी गम्भीर है कि केवल बोल देने से ही उसका यहां समाधान नहीं दिखता।

मैं आपसे दो छोटी सी मांग करता हूं जिसमें सरकार को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। एक तो यह कि हर थाने में यह व्यवस्था है कि जो गुंडा किस्म का व्यक्ति है, उसकी तस्वीर थाने में चिपकी रहती है। क्यों चिपकाते हैं? आने वाले थानेदार को मालूम पड़े कि इन-इन लोगों का ध्यान रखना, ये चोर हैं। आप सचिवालय में एक ब्लैक बोर्ड बनाइए। आप इन लोगों की कहीं भी पोस्टिंग करें, मुझे उससे एतराज नहीं क्योंकि सिफारिश करने वाले हममें तैयार बैठे हैं।

मैंने तो प्रश्न ही लगाए थे, जो लगे भी नहीं पूरी तरह से लेकिन सिफारिश करने वाले मेरे पास आए कि आपकी इस अधिकारी से क्या नाराजगी है? मैं उस अधिकारी को जानता नहीं। अगर मेरी व्यक्तिगत नाराजगी होती तो व्यक्तिगत कारण से लगाए होते। मैंने प्रश्न इसलिए लगाए, मुझे लगता है कि इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा होनी चाहिए। सिफारिश करने वाले पहले आ गए और यही बीमारी है।

(17.52 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

आज जो हमारी राजनीति की नाव चल रही है, वह भ्रष्टाचार के दरिया में चल रही है। मुख्य मंत्री जी की या कोई भी जो शासन का नेतृत्व कर रहा है, उसकी नीयत अपनी जगह सही होगी, मगर जो दरिया है वह भ्रष्टाचार का है और उसकी सिफारिश, पैरवी करने वाले अनेक लोग-बाग़ हैं। मुखिया जो शासन का है, वह अगर काम करना भी चाहता हो, उसके सामने अनेक परेशानियां और मजबूरियां बन जाती हैं।

मैं आपसे एक मांग कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। जो शासन सचिवालय है, उनमें उन सब भ्रष्ट लोगों को जो पकड़े गए हैं, एक ब्लैक बोर्ड बनाइए और उस पर उनकी तस्वीर चस्पा करिए, जैसी थानेदार थाने में करते हैं। उसके गृह जिले में भी करिए। उसके बाद जो

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

सिफारिश करते हैं कि इनको लगा दीजिए, आप लगाएं, एक वेबसाइट तैयार करिए एसीबी में, उस वेबसाइट में वह सारे भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी जो पकड़े गए हैं, जिनके केस चल रहे हैं, उन सबको लिस्ट करिए ताकि हर नागरिक उसको पारदर्शिता के साथ देख सके कि यह लोग-बाग़ हमारे राजस्थान में इन-इन केसेज में भ्रष्टाचार में लिप्त हुए और यह अब अमुक-अमुक जगह पोस्टेड हैं। इससे सिफारिश करने वाले को भी थोड़ी शर्म महसूस होगी।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर समस्या है। इसको कोई सीधा वैक्सीन जैसे कोरोना का है, उस तरह का कोई वैक्सीन नहीं लग सकता कि यह ठीक हो जाए, मगर इतने से प्रयास राजस्थान की सरकार ने कर लिए तो यह देश में एक मिसाल होगी।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी बहुत सहजता से कह दिया कि 'न खाऊंगा और न खाने दूंगा' आपसे पूछता कौन है? कौन आपसे पूछकर खा रहा है? हमारे कोटा में नारकोटिक्स का कमिश्नर, जो मुखिया था। भारत सरकार को रिप्रजेंट कर रहा था। कितना खा गया? फिर जो मैम्बर आफ पार्लियामेंट, आपके साथी, जो आपने जिम्मेदार पोस्टों पर बैठाए हैं, जिनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं और उस पद की मर्यादा को देखते हुए ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सुनो इधर आकर के।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): उसके बाद माथा ठनकता है कि क्या इससे व्यवस्था चलेगी? क्या खाने और नहीं खाने दूंगा की बात का कोई मतलब रहा है? इन सब बातों को देखकर मैं कहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी एक तो आप इसको चस्पा करें।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा जो पकड़े जाते हैं, उसी दिन, पहले दिन ही उसको बर्खास्त करें। वह केस जीतकर आ जाए तो उसको वापस नौकरी में ले लें। इतने से दो सुझाव हैं मेरे आपसे। मेरा आपसे यही अनुरोध है।

एक बात और, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को मुखिया नहीं बनाया जाए। यहां पर पीएचईडी मिनिस्टर मौजूद नहीं हैं। मगर पीएचईडी का मुखिया, ग्रामीण रूरल डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर 10 लाख की रिश्वत लेते हुए 2016 में जेल में गया। उसको पीएचईडी ग्रामीण, करोड़ों की योजनाओं का मुखिया बना दिया। इससे तो भट्टा बैठ जाएगा।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि ठोस सुझाव दो। उसी दिशा में दे रहा हूं। उन्होंने यह भी पूछा था कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री किसने बहाई? गंगा कहां से बही? अब वह जो गंगोत्री का स्रोत है, वह मुझे विधान सभा में दिख नहीं रहा, नहीं तो मैं बोलता उसके बारे में। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16-पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग और मांग संख्या 17-कारागार पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। बड़ा ही गम्भीर और ज्वलंत मुद्दा है, जिस पर आज आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मेरे से पूर्व वक्ता अपने-अपने सुझाव आज सुबह से लेकर अभी तक लगातार दे रहे हैं। मैं नया सदस्य हूं। अभी भरत सिंह जी बोल रहे थे, जिनके विचारों से हम सहमत भी हैं और आदर-सम्मान भी करते हैं। ये जो भी बात बोलते हैं बड़ी अच्छी लगती है।

यह देश धार्मिक आधारों पर चलने वाला देश है। पहले पन्ने पर लिखा आता है कि 'समरथ को नहीं दोष गुंसाई' माननीय गृह मंत्री जी भी यहां विराजमान हैं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह कागज मेरे पास आया है। राजस्थान सरकार में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? जिसके अन्दर लंबी-चौड़ी लिस्ट आपने भेजी है। आज तक 121 प्रकरण आईएएस, आईपीएस, आरएएस और आरपीएस के खिलाफ पैंडिंग पड़े हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह तो सिर्फ 2010 से लेकर 10 साल के अन्दर 121 प्रकरण हैं, जिनको लेकर यह पैंडेंसी है। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यानाकर्षित भी करना चाहूंगा कि आज भ्रष्टाचार जैसे बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा थी और बड़ा अच्छा लगता कि मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण यहां पर उपस्थित होते। भ्रष्टाचार कोई अलग से एक डिपार्टमेंट का मुद्दा नहीं है। कानूनों के अन्दर यदि सरलीकरण करें तो हम कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बारे में सोच सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं छोटी-सी बात आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि खान विभाग के अन्दर किसी को

(श्री नारायण बेनीवाल)

खनन पट्टा जारी होता है, रेवेन्यू का सारा जो सिस्टम है वह ऑनलाइन है लेकिन वह एक पन्ना वन विभाग में भेजते हैं कि क्या यह क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है? बड़े दु:ख की बात है, ऐसी बात मुझे सदन में नहीं कहनी चाहिए कि सिर्फ उस पन्ने के, उस माइनिंग की स्वीकृति चाहने वाला व्यक्ति जिसका सारा डेटा उस विभाग में मौजूद है, आपने इंटरनेट से जोड़ दिया, आप कह रहे हो कि किस-किससे जोड़ दिया लेकिन उस एक चीज के लिए उसको 10 से 20 हजार की रिश्वत देनी पड़ती है। इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को इसके बारे में अवगत कराना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ा जो मामला है, एसीडी का स्वतंत्र कैडर होना चाहिए। एसीडी के अन्दर जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं वह कई लोगों का ध्यान सिर्फ इसलिए रखते हैं कि जब आप इस सीट पर आओ, तब मेरा ध्यान रखना। यह कटु सत्य बात है। इस कारण इसका स्वतंत्र कैडर होना बहुत जरूरी है।

प्रकरणों की पैंडेंसी, आज कई प्रकरण ऐसे हैं जो 20-20, 25-25 साल से पैंडिंग पड़े हैं। इनकी पैंडेंसी के बारे में कोई न कोई ठोस कार्य हो। एक निश्चित समयावधि इसके अन्दर तय हो। समय सीमा निर्धारित हो। परिवादों में एफआईआर को निपटाने के लिए कोई न कोई ठोस कार्ययोजना विभाग बनाए।

(18.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, जीरो टोलरेंस की बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। जीरो टोलरेंस बहुत सुंदर शब्द है, माननीय मुख्य मंत्रीजी की भी इच्छा है और सुबह से मैं देख रहा हूं, उधर से जिन्होंने भाषण दिया वो भी जीरो टोलरेंस चाहते हैं और हमारी तरफ से भी जिन्होंने भाषण दिया वो भी जीरो टोलरेंस चाहते हैं। यदि ईमानदारी से मिलकर जीरो टोलरेंस की बात सोचें तो निश्चित रूप से यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हम जीरो टोलरेंस की तरफ बढ़ सकते हैं क्योंकि एक आदमी परिवाद दर्ज करता है, अब वह परिवाद पाँच साल पैंडिंग हो जाता है, उसके बाद वह न्यायालय चला जाता है और न्यायालय आदेश देता है कि इस परिवाद के अन्दर एफआईआर दर्ज की जाए, फिर वह एफआईआर दस साल पैंडिंग पड़ी होती है। तब तक वह कर्मचारी या तो रिटायर हो जाता है या ईश्वर के पास चला जाता है तो ऐसे मामलों के अन्दर

(श्री नारायण बेनीवाल)

कहीं न कहीं ठोस कोई योजना बने जिससे जीरो टोलरेंस की सरकार की जो मंशा है, उस मंशा पर कहीं न कहीं सोच सकें।

माननीय सभापति महोदय, कई वक्ताओं में अच्छे-अच्छे विचार भी व्यक्त किए, कइयों ने सरकार की ऑनलाइन एफआईआर की बड़ी तारीफ की। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सदन के अन्दर एक पार्टी की नीति से ऊपर उठकर ऐसी कोई बहस करें, ऐसे कोई सुझाव दें जिससे कहीं न कहीं व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो। माननीय सदस्यों को शायद इसके बारे में ध्यान नहीं है, मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के एक सांसद और केन्द्रीय मंत्री को एफआईआर के लिए लोक सभा की प्रिविलेज कमेटी का सहारा लेना पड़ा। प्रदेश के डीजी और चीफ सैक्रेटरी को दिनभर वहां खड़ा रहना पड़ा। इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती। आपके ही कई मंत्री और विधायक, आप सबको पता है कि एक एफआईआर के लिए उनको धरना देना पड़ा। सिर्फ कानून की बातें और अखबारों में आने से यह देश अब सुधरने वाला नहीं है क्योंकि 72 73 साल हो गए हैं, पिछले वालों ने सबने ही प्रयास किए होंगे कि देश सुधरे। अब हमारा भी यह नैतिक कर्तव्य है, हम भी चाहते हैं कि मिलकर कोई ऐसी ठोस कार्ययोजना आप लाओ कि हम भी आपके साथ हों, निश्चित रूप से जीरो टोलरेंस और माननीय मुख्य मंत्रीजी जो कह रहे हैं, आप भी करते हैं, संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की बात करते हैं, आप लोग ईमानदारी से सब साथ देंगे तो हम भी आपके साथ अच्छे कार्यों की तारीफ भी करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, खानों का घोटाला हुआ पिछले कार्यकाल में, अब एक चीज मेरे आज तक समझ में नहीं आई, चूंकि मैं नया विधायक हूं, उधर से कोई बात होती है तो ये कहते हैं कि आपके उस नेता ने यह किया था, आपके नेता ने ऐसा कहा था। आपने आयोग बनाये, आपने मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई, आपको पता था कि उस आईएएस ने भ्रष्टाचार किया या किसी नेता ने किया, तो उन आयोगों का क्या हश्र हुआ? आपने क्यों नहीं उनको जेल में डाला? मुख्य मुद्दे यही हैं। इन चीजों पर जब तक सकारात्मक तरीके से बहस नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो काम पारदर्शी तरीके से कर पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, यदि कारागार की बात करें तो कारागार के बारे में अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने सब बताया कि 70 साल से ज्यादा पुराना

(श्री नारायण बेनीवाल)

एक्ट है उसके अन्दर भी कहीं न कहीं सुधार की जरूरत है। वीसी के माध्यम से पेशी, हमारे अधिकतर माननीय सदस्य यही बात कहते हैं कि खूंखार आतंकवादी, हार्डकोर जो अपराधी हैं, उनकी वीसी के मार्फत यदि हम पेशी करवाने की कार्ययोजना बना सके तो बहुत बड़ा सरकार का पैसा बचेगा और कई बार लॉ एंड आर्डर की स्थिति भी खराब हो जाती है, उससे भी हम बच सकते हैं। रिक्त पड़े पदों को भरने की कार्यवाही, जेलों के हालात ठीक नहीं हैं, बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं, आधारभूत सुविधाएं, कई जेलों की कैपेसिटी 40 की है और वहां पर आपने 100 कैदी रख रखे हैं तो आधारभूत ढांचा भी सुधारा जाए। जेल प्रहरियों के वेतन में विसंगतियां हैं, जब तक जॉब का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक आप पूरा आउटपुट किसी कर्मचारी से आप ले नहीं सकते। इसके अलावा कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर हों। कई माननीय सदस्यों ने जब इस पर अपने सुझाव दिए तो आरपीएससी के घोटाले हुए, कर्मचारी चयन बोर्ड के घोटाले हुए।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा बजरी माफिया के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आज अगर खान मंत्रीजी यहां पर होते तो बजरी माफिया की बात तो हम कर रहे हैं लेकिन यह माफिया क्यों पनपा? नियमों में सरलीकरण नहीं है, हम एम सेंड नीति की बात भी करते हैं, बजरी पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। बजरी की खुदाई नहीं होगी लेकिन हमारा पुल भी बनेगा, सरकार घोषणा कर रही है कि पुल भी बनेगा, सड़क भी बनेगी तो बजरी कहां से आएगी? इसके अन्दर कहीं न कहीं हमें एसएलपी दायर करनी हो, कि प्रकृति भी बचे और बजरी भी आम व्यक्ति को उपलब्ध हो क्योंकि इसकी सारी की सारी मार आम व्यक्ति को पड़ रही है। पांच छह हजार में जो बजरी का ट्रक आता था उसके पचास साठ हजार रुपये आम व्यक्ति को भुगतने पड़ रहे हैं, बड़े माफिया पनप गये, आज बड़े दु:ख की बात है कि एक एक थाने की बंधी, बड़े बड़े अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि राजस्थान पत्रिका ने बहुत बड़ा स्टिंग भी उस पर चलाया था कि पचास पचास लाख रुपये की एक एक थाने की बंधी हो गई, तो कहीं न कहीं हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि नियमों में सरलीकरण हो और ऐसे जो जन विरोधी, कई बार ऐसा होता है कि सरकारें और ऊपर शासन में बैठे लोग जन विरोधी आर्डर भी पास कर देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी बैठे हैं, आपके जो

(श्री नारायण बेनीवाल)

परिपत्र जारी हैं, चाहे फील्ड पोस्टिंग के बारे में हो कि हम दागी अफसरों को फील्ड पोस्टिंग नहीं देंगे। आज एसीडी में कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं। यदि कोई बड़ा व्यक्ति, आईएएस, आरएएस पकड़ा जाता है उसको आप एक साल के अन्दर वापस बहाल कर देते हो, वहीं कोई पटवारी या टीचर या कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसको आप तीन साल तक बहाल नहीं करते तो ये जो असमानताएं हैं वो समाज के अन्दर अच्छा संदेश नहीं दे रही हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन गृह मंत्रीजी से करूंगा कि जो सुझाव हैं उनमें कहीं न कहीं आमूलचूल परिवर्तन की बातें जिससे हम देश को और इस प्रदेश को धीरे धीरे, क्योंकि यह सही बात है कि 100 परसेंट जीरो टोलरेंस शब्द सुनने में अच्छा लगता है लेकिन अभी तो आपके इसका 100 का स्कोर चल रहा है, इसको यदि 50 पर भी ले आए तो कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि सरकार ने ईमानदारी से काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस में दो विंग की बात हमेशा आई है कि एक विंग लॉ एंड आर्डर की हो और दूसरी इन्वेस्टीगेशन की। अभी चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही कि एनडीपीएस की धारा 29 जिसको लेकर बहुत बड़ा शोषण आम व्यक्ति का किया जाता है, बड़ा भारी भरकम भ्रष्टाचार इसके अन्दर किया जाता है तो कहीं न कहीं ऐसे सेक्शन जो अंग्रेजों के जमाने के हैं, उनमें कहीं न कहीं रिव्यू होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं तबादला नीति की बात भी करूंगा। तबादला नीति भी बने इस प्रदेश के अन्दर, आईएएस, आईपीएस को लेकर कांस्टेबल तक की बने। कई बार देखने को मिलता है कि अच्छा व्यक्ति जब जाता है और वह काम करने की उसकी बड़ी लगन होती है और वह बड़ी मेहनत से काम करता है, लेकिन एक महीने बाद ही उसका वहां से तबादला हो जाता है और उसका भार पब्लिक पर पड़ता है। इस तबादला नीति के बारे में भी मैं माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पीलीबंगा से आने वाले विधायक महोदय ने बहुत अच्छी बात कही, डिजायर प्रथा के बारे में। हम तो जब बच्चे थे तब गंगानगर और हनुमानगढ़ में डिजायर प्रथा के बारे में सुनते थे। वहां से चलकर ही पूरे प्रदेश में फैली। यह डिजायर प्रथा बंद होकर अच्छे व्यक्तियों की पोस्टिंग आप थाने, कचहरी, तहसील, कोर्ट जहां भी हो, अच्छा व्यक्ति वहां पदस्थापित होगा तो आम व्यक्ति को निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा।

(श्री नारायण बेनीवाल)

इस चीज से अपन मना नहीं कर सकते। यह आर्थिक युग है, यह कोई सतयुग नहीं है, पहले अलग तरह से एक रेपुटेशन समाज में मिलता था, अब आर्थिक युग है, आदमी के संसाधनों को देखकर उसको इज्जत मिलती है समाज के अन्दर, तो उन चीजों को देखकर भी व्यक्ति करप्शन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। माननीय मंत्रीजी, पुलिस के डीजी साहब भी यहां पर बैठे हैं, गेनाराम प्रकरण, नागौर का एक बहुत बड़ा हुआ। पुलिस का सिपाही पुलिस की कार्य विधि से असंतुष्ट होकर उसने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली तो ऐसे संवेदनशील मामले में अपने को कोई किसी का दबाव न मानकर ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए कि आने वाले दूसरे लोग उसको देखें, सोचें और आइंदा ऐसा करने से पहले सौ बार उसको सोचना पड़े तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह भी मांग करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, खूंखार अपराधियों से लोहा लेते हुए कई लोग शहीद हो जाते हैं पुलिस के लोग तो पुलिस के परिवार को शहीद का दर्जा भी मिले। जैसे हमारे कांस्टेबल खुमाराम का मामला हुआ था। ऐसे प्रकरणों में शहीद का दर्जा मिले। साइबर क्राइम के अन्दर संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है। संचार माध्यमों के साथ साथ ह्यूमन इंटेलीजेंस जिसकी चौकियां बंद कर दीं। माननीय मंत्रीजी से मांग करूंगा कि ह्यूमन इंटेलीजेंस का बहुत बड़ा रोल प्रदेश की कानून व्यवस्था में होता था, ह्यूमन इंटेलीजेंसी को भी वापस पुनर्जीवित करने के लिए कोई आप निश्चित रूप से घोषणा करें।

पुलिस जवानों को अच्छे वेतन भत्ते और जवानों का पे ग्रेड 2400 से 2600 करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो, यह कोई जनरल डिबेट नहीं है। समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): होम गार्डों के स्थायीकरण और पुलिस थानों और पुलिस लाइनों में भी जवानों के लिए फिटनेस सेंटर बने, यह सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि पुलिस का जवान चुस्त दुरुस्त दिखता था। उसमें कहीं न कहीं कमी आई है तो मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसमें घोषणा करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सोरी, सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 17 कारागार से शुरू करता हूं। सभापति महोदय आज पुलिस के अन्तर्गत यह मांग सदन के सामने रखी गयी है। माननीय सदस्यों ने बहुत ही उत्साह, गम्भीरता, सक्रियता और सज्जनता के साथ बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं उन सुझावों के लिए मेरे विपक्ष के सभी साथियों और मेरे इन नौजवान, नौजवान क्या मेरे सब साथियों को, नौजवान ही हैं, मैं तो बुजुर्ग आदमी हूं तो मेरे लिए तो नौजवान ही हैं सब, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। कोई भी सरकार जितने भी सुझाव प्राप्त होते हैं, उन सब पर अमल नहीं कर सकती, लेकिन मैक्सिमम सुझावों पर अगर कोई सरकार अमल करती है तो निश्चित तौर पर प्रशासन की कार्य व्यवस्थाओं में सुधार होता है।

मैं माननीय सदस्यों का इस बात के लिए भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कटौती प्रस्ताव उनके द्वारा दिये गये हैं मैंने उनका जवाब भिजवाने की हरसम्भव कोशिश की है और जिनके पास नहीं पहुंचे हैं उनके पास एक या दो रोज में जरूर पहुंच जाएंगे। राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी की वर्तमान सरकार ने दो साल पूरे कर लिये हैं और दो साल के इस पीरियड में मैं फख्र के साथ कहता हूं कि जेलों की व्यवस्था में जो सुधार आज तक हुआ है वह पिछली बार कभी नहीं हुआ। हमने मुख्य मंत्री जी की जीरो टोलरेंस की नीति पर अमल करने का हरसम्भव प्रयत्न किया है।

सभापति महोदय, जेल प्रशासन ले लें। भ्रष्टाचार की कई बातें आयीं। मिलीभगत की भी कई बातें आयीं। आपराधिक प्रवृत्तियों की भी कई बातें आयीं। मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि ये बातें खतम नहीं हुई हैं और न ही ये खतम होंगी। ये खतम यूं नहीं होंगी कि आपको ध्यान होगा, दुष्यन्त की महारानी शकुन्तला जब महल से नीचे उतरकर नदी में नहाने गयी तो उसके हाथ की अंगूठी नदी में गिर गयी। वह बह गयी और बहकर एक मछली के पेट में चली गयी। एक रोज वह मछली मछुआरे की पकड़ में आ गयी। उसने जब उसे चीरा तो उसे अंगूठी मिल गयी। अंगूठी मिल गयी तो वह एकदम उत्तेजित हो गया। उसे लगा कि इतनी कीमती अंगूठी है तो किसी न किसी को तो बताऊं अपनी बात। उसी के बराबर में दुष्यन्त की मालिश करने वाला एक जमादार रहता था। उसने उसे तरकीब से बताया। बताया तो जमादार समझ गया, यह अंगूठी तो मेरी देखी हुई है कहीं न कहीं और आखिर में जब उसने दिमाग लगाया कि यह तो महारानी शकुन्तला की

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

अंगूठी है तो उससे रहा नहीं गया और वह दूसरे रोज दुष्यन्त की मालिश करने के लिए गया। दुष्यन्त से उसने कहा कि मैंने ऐसी एक अंगूठी देखी है। इस पर दुष्यन्त ने कहा कि तू अंगूठी लेकर आ। जब वह लेने गया तो मछुआरे ने कहा, पैसे लूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। उसने पैसे की डिमाण्ड की। डिमाण्ड बहुत ज्यादा थी। महल से पैसा लेकर आया। उसे पैसा दिया और पैसा देकर वह अंगूठी ली। अंगूठी लेकर वह जब दुष्यन्त के पास पहुंचा तो वहीं एक पण्डित बैठे हुए थे। ब्राह्मण देवता थे। ज्योतिष का ज्ञान था। जमादार ने उस अंगूठी को दुष्यन्त को दिया और महारानी को बुलाया। महारानी ने पहचान लिया कि यह मेरी अंगूठी है। ज्योतिष महाराज ने कहा कि इसमें इसका कसूर नहीं है। यह जो आपके लड़के का आपका नाम रखा है 'भरत' तो इस +++ ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इसे कार्यवाही से निकाला जाए। ये पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। +++ यह बात कर रहे हैं। हमारी संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यहां राजा हरीशचन्द्र की बातें कही जाती हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। (व्यवधान) आसन पैरों पर है। विराजिए। सहयोग कीजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, यह जो रैफरेंस में इन्होंने +++ का नाम उसके साथ जोड़ा है, मैं सोचता हूं अगर आसन को अच्छा लगता है...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह मैंने नहीं जोड़ा है। आप मेरी भी बात सुन लें। ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं और यह मेरी स्टोरी नहीं है। बाकायदा उन पुरानी किताबों में लिखा हुआ है जो दुष्यन्त के टाइम की लिखी हुई थीं। उनमें लिखा हुआ है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपका मतलब क्या है? आप यह कहना चाहते हैं कि +++ नाम इसीलिए है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं मेरा मतलब समझा देता हूं आपको। फिर आप उसके बाद में जवाब दीजिएगा।

श्री सभापति: विराजिए आप। +++ का जो नाम लिया गया है, मैं उसे विलोपित करने का निर्देश देता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैंने इस बात को रैफर इसलिए किया है कि जितने भी बोलने वाले थे, चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के, एक ने भी यह नहीं कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। मैं भी यही कह रहा हूं। मैं भी तो यही कह रहा हूं। कम हो चाहे बेसी हो, यह भ्रष्टाचार है और यह यहीं नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों में भी है। हम से भी ज्यादा है। मेरी बात का बुरा मत मानिए। ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं। जैसे उप-नेता महोदय कहते हैं न कई बार, ''यह मैंने नहीं कहा, यह आपके आंकड़े बता रहे हैं।'' तो मैं भी वही बातें बता रहा हूं जो ऋषि-मुनियों ने लिखी हुई हैं।

सभापति महोदय, जेल में मोबाइल, निषिद्ध वस्तुएं और जेलों में आपराधिक गतिविधियों के संचालन के लिए जितना अंकुश यह सरकार लगा सकती थी, लगाया है। यहां तक कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने 21 नवम्बर, 2020 से 'आपरेशन फ्लश आउट' चलाया। आप छाती पर हाथ धरकर कह दें कि आपरेशन फ्लश आउट से भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगी? यह आपने भी स्वीकार किया है अपनी बात में। गत चार हफ्ते की अवधि में आपरेशन फ्लश आउट के अन्तर्गत सराहनीय और प्रभावी कार्यवाही की गयी।

निम्न जेलों में अभियान के अन्तर्गत 01 मार्च, 2021 तक 8,808 सघन तलाशियां ली गयीं तथा तलाशी के दौरान 124 मोबाइल पकड़े गये। 82 सिम, 30 चार्जर, 31 ईयरफोन, 18 डेटा केबल, अफीम, चरस आदि निषेध किये गये हैं। आपराधिक कृत्य, भ्रष्टाचार और मिलीभगत में लिप्त स्टाफ को चिह्नित भी किया गया। उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी की गयी। तीन कार्मिकों को बर्खास्त भी किया गया। 25 कर्मियों को निलम्बित भी किया गया तथा कुल 99 के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गयी। इसी के साथ-साथ 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायतन स्थानान्तरित भी किया गया।

सभापति महोदय, आदरणीय राठौड़ साहब ने वह बात उठायी थी कि हार्डकोर बन्दियों को जेलों में पूरा आराम दिया जाता है और शायद आपने लॉरेंस का नाम भी लिया था। दो-तीन का नाम लिया था तो ज्यादा ये जानते हैं न उनको, मैं थोड़े ही जानता हूं। जेल के आतंक के पर्याय बने 69 हार्डकोर बन्दियों का कम्फर्ट जोन से अन्यत्र जेलों में स्थानान्तरण किया गया और

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

उनको उपलब्ध कराई जा रही अनधिकृत सुविधाओं पर भी रोक लगाने का हर सम्भव प्रयत्न किया गया। वे कौन लोग थे, यह मैं आपको बताता हूं जिनको हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में भेजा गया। लॉरेंस, लॉरेंस के बाबत आपने एक बात कही थी, आपको ध्यान होगा कि वह जेल में बैठा-बैठा भी अपने व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहा है, यह भेज रहा है, वह भेज रहा है, वह पुरानी बात थी, वह पुराना रेफरेंस था, अभी का नहीं था। जब से वह जेल में गया उसके बाद के वक्त का नहीं था। धर्मेन्द्र सिंह लुक्का, जो भरतपुर जेल से अभी हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया है। लॉरेंस विश्नोई की पुरानी फोटो थी, 2.11.2020 को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया और उसके गुर्गे जो फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं। फेसबुक पर अपलोड वे गुर्गे कर रहे हैं ताकि वे अपनी दुकानदारी चलाते रहें और अवैध वसूली करते रहें।

आपने एक बात और भी कही कि जेल में जितनी क्षमता है उससे ज्यादा कैदी भर रखे हैं। मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि क्षमता के मात्र 97 परसेंट कैदी हैं। 22614 की क्षमता है और उसके अगेंस्ट में 21967 ही कैदी हैं। एक बात यह भी आपके द्वारा कही गई कि शौचालय की कमी है। अखिल भारतीय मानक के अनुसार 8 बन्दियों पर एक शौचालय होना चाहिए जबकि राजस्थान में 6 बन्दियों के ऊपर एक शौचालय है। राठौड़ साहब, अब इससे ज्यादा तो आपके भाषण की गलतियां और क्या पकड़ूं। आपने यह बात बतायी कि लोकायुक्त 23 महीने के बाद में आपने बनाया। आपने कब बनाया था? आप ही बता दो। आपसे आधे वक्त में ही हमने बना दिया, आपने तो लोकायुक्त काफी बाद में जाकर बनाया था और केन्द्र में आज तक नहीं बना। केन्द्र में तो सबका लोकायुक्त एक ही है न वो।

श्री सभापति: कृपया शांत रहें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्रत्येक जेल में एक शिकायत पेटिका रखी हुई है और माननीय विधायकगणों को यह स्वतंत्रता है कि वे जाकर उस शिकायत पेटिका को खुलवाकर देख सकते हैं कि कितनी शिकायत प्राप्त हुई कितनी नहीं हुई। उससे आपको कम्पेरिजन हो जाएगा कि 2013 से 2018 तक क्या होता था और 2019 से लेकर 2021 तक क्या होता है। जेल मैन्युअल का भी आपने कहा कि विभाग के द्वारा जेल मैन्युअल नया बनना चाहिए। प्रारूप बन चुका

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
है और राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है। मैं बोलता-बोलता भटक गया और आपकी दूसरी बातों पर आ गया।

आपराधिक कृत्य, भ्रष्टाचार, मिलीभगत में लिप्त स्टाफ को चिह्नित कर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करने का तो मैंने आपको बता ही दिया और 69 का यह भी बता दिया। सारी, मैं रिपीट कर गया। इस अभियान में आपराधिक कृत्यों में लिप्त 128 से अधिक जेलकर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की गई है। जैसा नारायण जी ने कहा कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत भी करना चाहिए तो अभियान में अच्छे काम करने वाले 150 कर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया। कैदियों के आरामदायक जीवन एवं अपराधियों से गठजोड़ की सम्भावना को समाप्त करने से पुलिस को मदद भी मिल रही है। ऐसे अभियान चलाकर जेलों में कठोर अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया ताकि अपराधियों के गठजोड़ पर लगाम लगाई जा सके।

सभापति महोदय, कोरोनाकाल में नियमित न्यायालय की पेशियां बन्द हो गईं। बन्द होने के दौरान 25 जेलों में वी.सी. के माध्यम से मई, 2020 से लेकर जनवरी, 2021 तक 12422 बन्दियों की पेशी भी करवाई गई और इस बात के भी प्रयास किये जा रहे हैं कि जेलों में वी.सी. के द्वारा न्यायालय की सुनवाई की व्यवस्था को बढ़ाया जाए। इस व्यवस्था में 96 जेलों तक ई-पेशी के विस्तार का प्रयास भी किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन आफ ई-प्रिजन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कारागार विभाग को 5 करोड़ 46 लाख का अनुदान भी दिया गया है। इसके लिए 5 करोड़ 46 लाख दिया गया है। उक्त अनुदान की राशि 10 केन्द्रीय कारागृहों में, 26 जिला कारागृहों में, 7 महिला बन्दी सुधार गृहों में और 40 खुला बन्दी शिविर, कुल मिलाकर 145 के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर, डैस्कटाप सिस्टम, लैपटाप, फिंगर प्रिंट स्कैनर, मल्टी फंक्शन प्रिंटर, कियोस्क, यूपीएस उपलब्ध कराये जाएंगे।

पूरे देश में जेलों की संख्या में राजस्थान तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमने ही कोई तीसरे पर पहुंचा दिया हो, प्रयास आपके भी रहे हैं, बहुत अच्छे प्रयास रहे हैं आपके। सभी जेल 100 प्रतिशत ऑनलाइन हैं और 2005 के पश्चात् सभी रिकार्ड ऑनलाइन किए गए हैं। प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम पर 15 लाख 48 हजार प्रविष्टियां प्राप्त की जा चुकी हैं और विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम पर 8 लाख 28 हजार प्रविष्टियां प्राप्त की जा चुकी हैं। ई-प्रिजन के कार्य में भी राजस्थान अग्रणी रहा है। ई-मुलाकात,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

वीडियो कालिंग का प्रारम्भ 01.04.2020 से प्रारम्भ कर दिया गया है और राजस्थान ही पूरे देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां कोरोना महामारी के दौरान भी बन्दियों के परिजनों से वीडियो कालिंग की सुविधा दी गई। प्रत्येक बन्दी अपने परिवार के चार आदमियों से पांच मिनट तक लगातार बात कर सकता था। प्रत्येक बन्दी, प्रत्येक दिन, इतनी बड़ी सुविधा कभी नहीं मिली होगी। प्रत्येक बन्दी प्रतिदिन पांच मिनट तक अपने परिवार के चार आदमियों से बातचीत कर सकता था। कोरोनाकाल में 81936 मुलाकातें प्रविष्ट की गई हैं। भारतवर्ष में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके सभी कारागृहों में ई-मुलाकात संचालित है और यह देश का प्रथम राज्य है।

Prison inmate calling system, बंदी जेल में स्थित पीसीओ से अपने चार रिश्तेदारों, यह बात बता चुका हूं, सारी रिपीट कर गया। योजना प्रारम्भ, 47109 बंदियों को सुविधा दी गई, जिसमें प्रति सप्ताह 2 लाख 10 हजार मिनट वार्ता की गई। बंदी कल्याण के लिए नई योजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं। जेलों की अतिरिक्त भूमि पर, जेलों की किस प्रकार से अपनी खुद की इनकम हो, ताकि जेलों के अन्दर का इन्फ्रास्ट्रक्चर जो है, वह किस प्रकार से मजबूत हो सके, तो जेलों के पास जो एक्स्ट्रा भूमि है, उसमें कुछ न कुछ इस तरीके का प्रयास किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है, जिससे कि जेलों की आमदनी हो जाए।

मिसाल के तौर पर, जयपुर में बाकायदा पैट्रोल पम्प खोल दिया गया है, जेलों के द्वारा, उस पैट्रोल पम्प को चलाने वाले भी बंदी हैं और जितनी आमदनी आती है, वह सारी की सारी जेल के सुधार के लिए, जेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगाई जाती है। बंदीकर्मियों को कोरोना वारियर्स का दर्जा दिया गया है। जो बंदीकर्मी थे, उनको कोरोना वारियर्स का दर्जा दिया गया और कोरोना ड्यूटी करते वक्त, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 50 लाख रुपये देने की मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, 50 लाख रुपये देने की।

2855 स्टाफ बंदी, जो कोरोना से संक्रमित हुए, पूरे राजस्थान में उनकी संख्या थी 2855, यह होने के बावजूद भी प्रोटोकाल की सख्ती से पालना करवाई गई और आज हमें कहते हुए खुशी है कि कोविड संक्रमित स्टाफ व बंदियों की संख्या राजस्थान की पूरी जेलों में शून्य है। बंदियों को पूरी मजूदरी मिले, इसके लिए नियोजित बंदियों की मजदूरी में लगभग 20

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

प्रतिशत वृद्धि की गई है, इसे सामान्य श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के समान कर दिया गया है। मुख्य मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय और लिया है 2 फरवरी, 2021 को, जैसा आपने बता ही दिया। खैर, आप मान भी गये कि राहुल गांधी भी कोई चीज है। हां आप मान गये न, राहुल गांधी भी है कोई चीज, वे तीनों के तीनों पाइंट आ गये इसमें।

श्री सभापति: शांत रहें, प्लीज। बोलने दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पहले यह पाबंदी थी कि सफाई का काम सिर्फ हरिजन ही करेगा, उसको हटा दिया गया है। भोजन बनाने का काम ब्राह्मण का, कुलीन वर्ग का ही कोई व्यक्ति करेगा, उसको हटा दिया गया है। इसी तरीके से व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर क्रिमिनल माना जाता था जैसे आपका साठिया होता है, कंजर होता है, और बताओ न, कौन-कौनसी हैं। ऐसी कई जातियां हैं, जिनको जाति के नाम से क्रिमिनल यह मान लिया जाता है, तो वह भी हटा दिया गया है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जेल के बारे में सारा ही आप राजेन्द्र राठौड़ साहब से क्यों पूछ रहे हो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये मुझसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। ये क्या बात हुई साहब वाह, ज्यादा जानकारी होगी तो उनसे पूछूं। तीनों प्रावधान हटा दिये गये हैं। इसके कारण जातिगत आधार पर बंदियों को काम के बंटवारे में असमानता और भेदभाव प्रतीत होता था, कारागृहों में जाति व धर्म के आधार पर असमानता नहीं रहेगी।

जेल विभाग, जेलों के सुधार की दृष्टि से देश में अग्रणी रहा है। टाटा ट्रस्ट आफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2020। आपने भी एक रिपोर्ट का हवाला दिया था, मैं आपको दूसरी रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं। टाटा ट्रस्ट आफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, 2020 में जेल सुधारों की दृष्टि से राजस्थान को पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गत वर्ष यह रैंक 12वीं थी, मतलब 2019, 2018 नहीं, 2019, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि बजट की घोषणा में उन्होंने कैदियों के रहने के लिए बैरक, भोजनशाला, शौचालय इत्यादि की मरम्मत, उनके सुदृढ़ीकरण, 40 खुले बंदी शिविरों में 240 आवासों का निर्माण, 26 जिला कारागृहों में एम्बुलेंस व सुरक्षा उपकरण

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जैसे 'Non Linear Junction Detector' आदि उपलब्ध कराने और अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के सुदृढ़ीकरण के लिए 31 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत मंजूर की है।

राज्य के समस्त जेलों में बंदी क्षमता 22897 है, जिसके विरुद्ध 21967 बंदी निरुद्ध हैं। पिछली भाजपा सरकार के समय जेल में बंद कैदियों के आपराधिक गठजोड़ के द्वारा अपराध के कई मामले सामने आए हैं और इस पर लगाम लगाने के लिए हम राज्य की जेल व्यवस्था के निरंतर सुदृढ़ीकरण की ओर अग्रसर हैं। लगातार नवाचारों के द्वारा जेलों में सुधार की एक नई मिसाल पेश की है। आज हमारी कारागार व्यवस्था देश में सर्वोत्तम है।

इसके साथ-साथ, आज महिला दिवस है। महिला दिवस पर राजस्थान की सरकार ने एक इतना महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, धौलपुर की बहादुर बेटी, वसुन्धरा चौहान को राज्य सरकार ने पुलिस उप-निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति देने का निर्णय किया है। मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर, महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वसुन्धरा के अदम्य साहस व शौर्य को सम्मान देते हुए इसकी मजूंरी दी है।

जैसा आपको पूरी स्टोरी याद है, बोलने की जरूरत नहीं है कि 3 मार्च को क्या-क्या हुआ था। उसने बदमाशों को पकड़कर उसको छोड़ने को धर्मेन्द्र ऊर्फ लुक्का जो आया था, उसको छोड़ा नहीं, पकड़ लिया उसको, गिरफ्तार करके उसको।

मैं निवेदन कर रहा था आपको, सुधार गृहों में महिला बंदियों के सुधार के लिए ये जो प्रयास किये जा रहे हैं, वे निम्न प्रकार हैं- महिला बंदियों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मसाला चक्की, आटा गूंथने की मशीन, सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। जेलों के उद्योग को इससे बढ़ावा मिलेगा। महिला बंदी सुधार गृहों को रेफ्रीजरेटर, दवाइयां, दूध रखने हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे।

अब विश्व महिला दिवस पर, महिला बंदियों हेतु विशेष कार्यक्रम के प्रयास, जो आज होंगे, विशेष डाइट, आज बेहतरीन खाना मिलेगा, लजीज, रंगीन कपड़े पहनने की आज छूट होगी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों रंगोली, मेहंदी, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, परिवारजनों से दूरभाष पर 5 मिनट से बढ़ाकर 15 मिनट बात की जाएगी, वीसी की सुविधा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

उपलब्ध कराकर अपने परिजनों से वार्ता के समय की सीमा 5 मिनट से बढ़ाकर 15 मिनट कर दी गई है। सराहनीय कार्य करने वाली महिला बंदियों को पुरस्कृत भी किया गया है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, एक और प्रपोजल मैं देना चाहता हूं। हालांकि यह कोई सरकार के द्वारा दिया गया प्रपोजल नहीं है, लेकिन मेरे मन में यह बात आई है, क्योंकि ज्यादातर माननीय सदस्यों ने कहा था कि जेल शहर के बिलकुल बीच में आ गई है, वहां से जेल को हटाना चाहिए। टावर लगे हुए हैं, जैमर काम नहीं करता, वगैरह-वगैरह। इस प्रकार की कई समस्याएं आती रहती हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नई जेल बनाने के लिए जहां पर भी, जेल प्रशासन लोकल बाडी से, मुझसे जमीन मांगेगा, बहुत ही कंसेशनल रेट पर उनको दी जाएगी। प्राथमिकता के तौर पर उनको अलाट की जाएगी। अब इस जेल के मामले में जो माननीय सदस्य बोले हैं, वह करीब-करीब एसीबी के बाबत भी बोले हैं तो वह जो भी कुछ बोले हैं उनका एक साथ ही नाम ले लूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज विराजिये। अंकित नहीं होगा किसी का भी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: विराजिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जेल का था ...(व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा किसी का। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कर रहा हूं मैं, अभी जेल चालू की है। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। विराजिये। माननीय सदस्य, आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। विराजिये। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं। आप विराजिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप काफी वरिष्ठ हैं। विराजिये आप। प्लीज सहयोग करें। इनको जवाब तो देने दें अपना।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): 000

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: शांति रखें। बोलने दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आज मांग संख्या-16, पुलिस के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की सदन में चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूं। माननीय सदस्यों ने बहुत ही उत्साह, बहुत ही गम्भीरता और बहुत ही सक्रियता के साथ इस मामले में जो बहस की है, उससे निश्चित तौर पर सरकार को बहुत अच्छे-अच्छे सुझावों की प्राप्ति हुई है। बहुत अच्छेअच्छे सुझाव आप लोगों के द्वारा दिए गए हैं और हमारा प्रयत्न होगा कि हम उन सुझावों को अपनाते हुए इस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को और मजबूत करें। कटौती के जो प्रस्ताव आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उनमें से काफी कुछ के जवाब तो मैंने भिजवा दिए हैं और कुछ रह गए होंगे तो निश्चित तौर पर एक या दो रोज में आपको प्राप्त हो जाएंगे लेकिन मैं यह बात फख्र के साथ कहना चाहता हूं, बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी ने एसीबी की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए जिस तरीके से जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई, ठीक उसी तरीके से उस पर काम करते हुए अपने आप को समर्पित किया है, उस नीति के प्रति समर्पित किया है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आये हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण स्थापित करने के लिए जीरो टोलरेंस की नीति अपनाकर सरकार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी कर रही है। पिछले 2 वर्षों में कुल मिलाकर ट्रैप के 609 केसेज, पद के दुरुपयोग के 122 केसेज, आय से अधिक सम्पत्ति के 46 केसेज रजिस्टर्ड किए गए हैं, जबकि पिछली सरकार के 2 वर्षों में ट्रैप के 539, कम नहीं थे, यह भी ठीक थे, अच्छी संख्या थी लेकिन फर्क है। हमारे टाइम पर ज्यादा हुए हैं, आपके टाइम पर कुछ कम हुए हैं। 27 आय से अधिक सम्पत्ति के केसेज भी रजिस्टर्ड किए गए। कहने का मतलब यह है कि लास्ट 2 सालों में न केवल तुलनात्मक दृष्टि से ट्रैप के 15 परसेंट ज्यादा केसेज रजिस्टर्ड हुए हैं बल्कि गुणात्मक दृष्टि से भी ज्यादा प्रभावी कार्यवाही की गई है। गजेटेड

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आफिसर के खिलाफ 224 केस दर्ज किए गए हैं जिनमें भारत सरकार के अधिकारी भी शामिल हैं। इस साल भारत सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी बल्कि एक तो सीबीआई का भी था, सीबीआई, जिसको आप लगाते हो न इधर उधर, वहां लगाओ, वहां लगाओ, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, वह हमने ही पकड़ लिया उसको। इसमें भारत सरकार के अधिकारी भी शामिल थे। इस साल 2 महीनों में एसीबी द्वारा 57 ट्रैप की कार्यवाही की गई जिसमें आरपीएस अधिकारी व आरएएस अधिकारी भी शामिल हैं। संस्थागत भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए विभाग ने ठोस कार्यवाही की जिसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति के खिलाफ, कलेक्टर बारां के खिलाफ, तत्कालीन एसपी दौसा के खिलाफ, एसडीएम दौसा, एसडीएम बांदीकुई के विरुद्ध नेशनल हाईवे के निर्माण के कार्य में रिश्वत मांगने के विरुद्ध कार्यवाही की गई। भरतपुर के पुलिस निरीक्षक से 5 लाख रुपये की रिश्वत की राशि मांगने पर तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर कोलोनाइजेशन, प्रेमाराम परमार, आरएएस, बीकानेर के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। बाकी के मामले में जांच जारी है, तफ्तीश जारी है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये आप। बीच-बीच में नहीं बोल सकते आप। प्लीज, इनको अपना कमप्लीट करने दें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोशिश यही की जाएगी...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: यह परम्परा नहीं रही है, माननीय सदस्य। आप विराजिये। आप काफी वरिष्ठ हैं, विराजिये। कुछ परम्पराएं सीखिये। प्लीज सहयोग करिये। विराजिये आप। विराजिये।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, परम्पराएं नहीं रही हैं बीच में इंटरवीन करने की। माननीय मंत्री को अपनी बात कम्प्लीट करने दें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब मेरी भी तो बात सुन लो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: माननीय चीफ व्हिप, अपने लोगों को कहते नहीं हो आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सदस्य, कभी भी किसी भी धारा के केस की तफ्तीश का टाइम मुकर्रर नहीं होता है...

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, आसन की तरफ। आप क्यों इनवाइट करते हैं उनको?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्योंकि फैक्ट्स आते रहते हैं, मामला एफआर तक पहुंचता है लेकिन फिर कोई नये फैक्ट्स आ जाते हैं, एडिशनल फैक्ट्स आ जाते हैं तो फिर वह मामला खुल जाता है तो इसलिए तफ्तीश में वक्त लगता है। तफ्तीश कभी मुकर्रर नहीं होती है, उसका एक वक्त नहीं होता है, उसका वक्त तय नहीं होता है। फिर दूसरी बात यह है कि कोई भी बात हो, उसमें हाई कोर्ट भी बीच में आ जाता है कि आगे नहीं बढ़ोगे, कोरेसिव एक्शन नहीं लोगे, यह नहीं लोगे, वह नहीं लोगे। इस तरह की कई दिक्कतें आती हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो वाजिब होगा, निश्चित तौर पर यह गहलोत सरकार वह काम करके रहेगी। आमजन निर्भीक होकर के भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी शिकायतें एसीबी में दर्ज कराएं, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2020 में टोल फ्री जैसा आपने कहा था राठौड़ साहब, याद होगा आपको। आपने कहा था कि किससे कहें, कैसे कहें, कहां जाकर के कहें तो मुख्य मंत्री जी ने टोल फ्री दी है। टोल फ्री हैल्पलाइन नंबर-1064 सेवा शुरू की है जिस पर 3572 काल आ गए हैं और उनमें से 980 शिकायतें रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में थीं। 980 शिकायतें आउट आफ 3572, जिन पर 10 ट्रैप कार्यवाही करके केस रजिस्टर कर दिया गया है। इसी के साथ-साथ मुख्य मंत्री जी ने एक और व्यवस्था की है, इसी के साथ-साथ व्हाट्सएप हैल्पलाइन नंबर 94135 02834 भी शुरू किया गया है जिस पर शिकायतकर्ता टैक्स्ट मैसेज, वीडियो मैसेज भेज सकता है। अब तक इस हैल्प लाइन पर 6124 संदेश आये हैं, जिनका सत्यापन करके 28 ट्रैप किये गये हैं और इन दोनों की मानिटरिंग वरिष्ठ

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

अधिकारियों के द्वारा उच्च स्तर पर की जा रही है। पुराने पैंडिंग केसेज के निस्तारण की स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। न्यायालयों के द्वारा स्टे लगा दिये जाते हैं। अभियोजन स्वीकृति में देरी का भी एक कारण होता है। सम्बन्धित विभागों के द्वारा वांछित रिकार्ड समय पर उपलब्ध नहीं करवाया जाता, यह सब बातें होती हैं, लेकिन प्राथमिकता से केसेज को निपटाने के लिये समयबद्ध लक्ष्य किया जा रहा है। ताजा दर्ज होने वाले केसेज की निरन्तर मानिटरिंग करके उनको निपटाने के लिये टाइम बाउंड प्रोग्राम और टार्गेट दिया, जिसके परिणाम भी अच्छे आने लगे हैं। भ्रष्टाचारों के प्रकरणों के लिये राज्य में 17 विशिष्ट न्यायालय कार्यरत हैं। भ्रष्टाचार के मामलों का प्रोसीक्यूशन(विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा पैरवी की जाती है। अभियोजन अधिकारी और ब्यूरो के अधिकारियों के बीच जो सामंजस्य पहले नहीं था, उसको स्थापित करने का हर सम्भव प्रयत्न किया गया है और इस वर्ष केस आफिसर स्कीम को भी प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जायेगा जिससे दोषियों को शीघ्र सज़ा मिल सके। लास्ट ईयर कुल 56 केसेज में 71 आरोपियों को सज़ा सुनाई गई, जिसमें 61 पब्लिक सर्वेंट और 10 प्राइवेट व्यक्ति हैं। पब्लिक सर्वेंट में से 6 राजपत्रित अधिकारी और 55 अराजपत्रित कर्मचारी हैं। कुल सज़ा का परसेंटेज, जिसके लिये आप कह रहे थे, मेरे ख्याल से संयम लोढ़ा जी ने भी आखिर में कही थी यह बात कि परसेंटेज किस तरीके से बढ़ा है, सज़ायाफ़्ता का परसेंटेज बढ़कर 52.82 परसेंट हो गया। यह कम महत्वपूर्ण चीज नहीं है, यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है।

मैं सदन को कुछ इंपोर्टेंट केसेज की जानकारी देना चाहता हूं। जैसे मोहनलाल स्वर्णकार जो सहायक वाणिज्यिक अधिकारी कोटा में थे, 5 वर्ष के कठोर कारावास व 50 लाख का जुर्माना और आय से अधिक सम्पत्ति के लिये न्यायालय ने उन पर 2,12,513 रुपये का और दो भूखण्ड और एक दुकान को फोरफिट किया है। गीता देवी, अध्यक्ष नगरपालिका मंडल आबूरोड को 3 वर्ष के साधारण कारावास के साथ-साथ 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। चन्द्रभान जाखड़, सीटीओ, वाणिज्य कर विभाग को 2 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। ज्ञानचन्द व्यास, विकास अधिकारी को पीसी एक्ट के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये का जुर्माना तथा धारा 13 (1) (डी) 12/2 पीसी एक्ट, 1988 में 5 वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रुपये का अर्थ दंड भी दिया गया है। गेरीलाल

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

शर्मा, श्रम कल्याण अधिकारी, अमर सिंह खींची, श्रम निरीक्षक को पीसी एक्ट, 1988 में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।

अब सवाल आता है यहां पर यह कहा गया कि उस गरीब आदमी के पास जिसका काम करवाने के लिये एक अधिकारी ने पैसा मांगा और उसके पास पैसा नहीं है, वह पैसा दे नहीं सकता, काम होगा नहीं तो यह पहली बार, फर्स्ट टाइम इस प्रकार की व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है जिसमें लोक सेवक रिश्वत मांगते हैं लेकिन गरीबी के कारण प्रबल इच्छा होते हुए भी ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़वाने के लिये रिश्वत राशि का प्रबंध नहीं कर पाते। इस समस्या का निराकरण करने के लिये, यह शायद आज प्रतिपक्ष के नेता ने भी बोला था, क्यों साहब, बोला होगा न आपने? ध्यान ही नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सब ध्यान है, आपको सुन रहा हूं ध्यान से, आप बोले जाओ।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब, मैं तो यह कह रहा हूं कि आपने बोला तो आपका जवाब तो दे दूं मैं। मैं तो बहुत सम्मानपूर्वक जवाब दे रहा हूं आपका। (व्यवधान) कई सदस्य बोले थे, शायद आप भी बोले। इस समस्या का निराकरण करने हेतु एक करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड बनाया जाना प्रस्तावित है जिसके तहत अत्यंत गरीब परिवादी को सत्यापन के बाद ट्रैप हेतु राशि उपलब्ध कराई जाकर न्यायालयों से राशि छूटने के बाद इसी फंड में वापस जमा करा दी जायेगी।

इसी के साथ-साथ मुख्य मंत्री जी का एक आदेश और मैं पढ़कर बता देता हूं आपको, उसमें बहुत ज्यादा क्लीयर हो जायेगा। 5.12.2019 को मुख्य मंत्री जी के द्वारा यह आदेश दे दिये गये थे। लोक सेवक से अपने वैध कार्य करवाने हेतु सम्पर्क करने पर लोक सेवक के द्वारा रिश्वत की मांग की जाती है। किसी व्यक्ति के द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत करने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही, परिवाद व मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। ब्यूरो में करवाने के पश्चात् परिवादी का सम्बन्धित विभाग में कार्य विचाराधीन रहता है। रिश्वत का पैसा दे दिया और पकड़ा भी दिया, पकड़ा देने के बाद उस गरीब

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आदमी का काम उस डिपार्टमेंट में उलझा हुआ था, वह नहीं हो पा रहा तो बाकायदा मुख्य मंत्री जी ने ड्यूटी लगाई है कि उसका काम करवाने की जिम्मेदारी एसीबी की है। कहीं ऐसा न हो कि अफसर को रिश्वत में पकड़वाने में सारा का सारा दफ्तर नाराज हो गया हो और उसका काम नहीं हो रहा हो। उसको रिवाल्विंग फंड भी दिया जायेगा और उसका काम भी करवाया जायेगा, इस प्रकार का यह आदेश निकाला गया।

ब्यूरो के अधिकारियों के पास ट्रैप व भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये अभी जो तकनीकी संसाधन उपलब्ध हैं, वह बहुत पुराने हैं। अब नई तकनीकी के ज्यादा प्रभावी संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके लिये 59 इकाइयों को नये तकनीकी उपकरण, संसाधन उपलब्ध कराने के लिये 59 लाख रुपये का बजट व मुख्यालय को इसी कार्य के लिये 10 लाख रुपये का विशेष बजट भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

श्री बिहारीलाल (नोखा): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए आप। प्लीज सहयोग करें, विराजिए, विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कुछ बातें इस प्रकार की आई हैं, जैसे एक महत्वपूर्ण सवाल सांगोद से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा प्रश्न के माध्यम से जोधाराम गुर्जर का उठाया गया था और उस रोज आसन की तरफ से कुछ इस प्रकार की व्यवस्था हो गई कि मैं भी पूरा जवाब नहीं दे पाया और जैसा उत्तर आप चाहते थे, वैसा उत्तर आप सुन भी नहीं पाये। उसमें मेरा इतना-सा-निवेदन है, इसमें कोई दोराय नहीं कि जोधाराम गुर्जर के खिलाफ जो भी केस बनाया गया वह बिलकुल वाजिब बनाया गया और तत्कालीन डीजी के द्वारा उसको बर्खास्त भी कर दिया गया और बर्खास्त करके उसको नौकरी में भी नहीं लिया गया लेकिन बर्खास्तशुदा आदमी को एक अधिकार और होता है कि वह उसकी अपील कर सकता है और वह अपील होती है होम कमिश्नर के पास। होम कमिश्नर ने सिर्फ इतना-सा देखा कि क्या इस जोधाराम गुर्जर को डीजीपी के द्वारा सुनवाई का मौका दिया गया था या नहीं दिया गया था? मोटे तौर पर आज हम देखते हैं कि हाई कोर्ट में जितने भी केसेज जाते हैं जिसमें सुनवाई का मौका दिये बगैर आपने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया...

(19.00 बजे)

मान लीजिए कोई अतिक्रमण है, सड़क पर अतिक्रमण है, बगैर नोटिस

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

के तोड़ दिया तो वह फट से जाता है कि साहब, मुझे तो सुनवाई का मौका ही नहीं दिया और वह स्टे हो जाता है। हालांकि वह स्टे टैम्परेरी होता है। होम सैक्रेटरी ने एक आर्डर यह पास किया कि डीजीपी के इस आर्डर को तो अपास्त किया जाता है, लेकिन डीजीपी को यह अधिकार है कि पुन: इसको नोटिस देकर, सुनकर, उसका फैसला करे। कुल मिलाकर बात इतनी-सी थी कि उसको नौकरी पर नहीं लिया गया और न ही उसको जोइन करवाया गया।

दूसरी बात, संयम लोढ़ा साहब ने एक बात उठायी कि एसीबी में दर्ज प्रकरण 129/2020 आरोपीगण थे, इसमें संजय जैन, गजेन्द्र सिंह, केन्द्रीय मंत्री के द्वारा पैसे का लेन-देन कर लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास के आरोपों के सम्बन्ध में, जो वर्तमान में अन्वेक्षणाधीन है। मैं एसीबी के अधिकारियों से कहूंगा कि इसमें तेजी से जांच करें। आपने यह भी कहा था कि एसीबी में पदस्थापित कर्मियों के द्वारा सूचनाएं लीक करने के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो एक कांस्टेबल को निलम्बित भी किया है। एक उप अधीक्षक, एक पुलिस निरीक्षक और एक हैड कांस्टेबल स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध पीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किये गये हैं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, काफी हो गया है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दो-चार मिनट, इनका जवाब दे दूं साहब।

एसीबी में अभियोजन के अतिरिक्त अधिकारी स्थापित करने के बाबत उप निदेशक, अभियोजन के दो पद हैं, उनमें से एक पद सृजित किया गया है और दूसरा सृजित किया जा रहा है। इसमें और तो कोई खास बात नहीं है। एक मुख्य यह बात भी उठकर आयी थी, जैसा संयम लोढ़ा साहब ने भी कहा था कि नियमों के तहत 6 साल से ज्यादा अगर कोई आदमी एसीबी में काम कर रहा है तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि उसके खुद के सैल्फ इंटरेस्ट जाग्रत हो जाते हैं और पहचान इस सर्कल में हो जाती है, इसलिए उनको हटाते रहना चाहिए।

दूसरी बात यह भी उठी थी कि एसीबी में जितने भी अधिकारी लगाये जाएं, वे एक तरह से निष्पक्ष हों, ईमानदार हों और जिनमें कार्य करने की निष्ठा हो, जिस कार्य के लिए उन्हें सरकार के द्वारा पोस्ट किया गया है, उस कार्य के प्रति समर्पित हों। वे इन बातों को देखते हुए लगाये गये। अभी तक ज्यादातर अधिकारी लगे, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे-अच्छे अधिकारी लगे।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

चाहे त्रिपाठी साहब थे, डक साहब थे, मनोज भट्ट साहब थे, अजीत सिंह थे, वे चार साल रहे लेकिन चार महीनों के लिए उस नवदीप सिंह को लगाने वाली कौनसी सरकार थी? यह नवदीप सिंह तो वह आदमी था कि जितने भी 640 केस हैं, जिन्होंने इतनी रिश्वत नहीं खायी, उतनी तो वह अकेला ही खा गया। उसको लगाने वाली कौनसी सरकार थी? उसका जिम्मेदार कौन है? कोई सरकार यदि एसीबी में ऐसे अधिकारियों को लगाती है तो सरकार की जनता में क्या रेपुटेशन रहेगी और क्या रही, यह मैं पूछना चाहता हूं? खास तौर पर तत्कालीन गृह मंत्री जी की ज्यादा जिम्मेदारी है कि अगर इनके हाथ में कुछ नहीं था तो कम से कम एतराज तो कर ही सकते थे। एतराज तो करते। घोषित डकैतों को लगा दिया। एम.एन. दिनेश और कहां सोनी जी? लाहौल विला।

अंत में, सभापति महोदय, मैं आपसे सिर्फ इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं। अब बातों को जानने में तो कोई फायदा नहीं, साहब। 2014 और 2015 में लोक सेवकों को जो आपने स्वीकृति नहीं दी, उनकी संख्या 62 थी और 2016, 2017 एवं 2018 में जिन लोगों को आपने अभियोजन की स्वीकृति की मनाही की, वह संख्या 92 थी। इन दो सालों में 2019 और 2020 में कुल मिलाकर हमने सिर्फ 28 लोगों की मनाही की है, सिर्फ 28 की। आपकी 62 थी और हमारी 28 है। इसी प्रकार से अभी जो स्वीकृति जारी की गयी है, वह आप देखिये। 61 स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं।

मैं संयम लोढ़ा साहब की एक और बात पर आ जाता हूं। खतम कर रहा हूं, अब कुछ बचा भी नहीं है। आपने कहा था कि अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के केसेज हैं तो वे हैं, स्वायत्त शासन विभाग। मैंने आपके 39 में से 8 विभाग छांटे हैं। कार्मिक विभाग में 40, राजस्व विभाग में 38, पंचायती विभाग में 54, पुलिस विभाग में 20, चिकित्सा विभाग में 13, स्वायत्त शासन में 22, ऊर्जा विभाग में 18 और शिक्षा विभाग में 12, ये वे हैं जो डबल डिजिट के हैं। अब सवाल यह रहता है कि जो 22 केसेज आपने स्वायत्त शासन में बताये, तो आपको ध्यान होगा, कानून आपने भी पढ़ा होगा या पढ़ लेना या मैं कह रहा हूं तो उसी में समझ जाना कि म्युनिसिपल बोर्ड को ही अधिकार होता है कि म्युनिसिपल बोर्ड स्वयं नियुक्ति करने का अधिकार जिसको है, जो म्युनिसिपल जिस आदमी को नियुक्ति देता है, उसकी अभियोजन स्वीकृति भी वही देता है, यहां का डीएलबी नहीं देता या यहां का मंत्री नहीं देता।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने भी यही कहा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप आखिर में वही कहते हो, जो मैं कहता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय अनुदान की मांग संख्या 16-पुलिस व मांग संख्या 17-कारागार के पारण होने तक बढ़ा दिया जाए?

श्री सभापति: क्या सदन का समय बढ़ाया जाए।

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारण होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मांग संख्या 16-पुलिस और मांग संख्या 17-कारागार को पारित किया जाए।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 पुलिस का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 74,33,32,35,000 (चौहत्तर अरब तैंतीस करोड़ बत्तीस लाख पैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 17 कारागार का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17-कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री सभापति)

निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,19,18,98,000 (दो अरब उन्नीस करोड़ अठारह लाख अठानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 09 मार्च 2021 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19:11 बजे मंगलवार, दिनांक 09 मार्च 2021 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

पशुपालकों हेतु पशुपालन की संचालित योजनाएं

199. श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या प्रदेश में पशुपालकों को पशुपालन के लिए ऋण देने की योजनाएं संचालित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कुल कितनी गौशालाएं संचालित हैं? क्या सरकार आवारा पशुओं के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में पशुपालकों को पशुपालन करने के लिए वर्तमान में गोपालन विभाग की "कामधेनू डेयरी योजना" तथा भारत सरकार की नाबार्ड के माध्यम से उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन योजना संचालित है। इनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में वर्तमान में 07 गौशालाएं हैं।

जी नहीं। सरकार द्वारा गौशालाएं नहीं खोली जाती हैं। गौशालाओं की स्थापना एवं संचालन स्वयंसेवी संस्थान/स्थानीय निकाय/ट्रस्टों द्वारा किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

सूरजगढ़ में तारबंदी योजना के आवेदन

207. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार द्वारा काश्तकारों (सीमान्त, लघु) को अपनी फसल को आवारा पशुओं से बचाव के लिये तारबंदी योजना चलायी जा रही है? यदि हां, तो उक्त योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के कितने काश्तकारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने पंजीकृत काश्तकारों को तारबंदी के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई? वर्ष 2020-21 का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना में सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने काश्तकार अनुदान से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन (एनएफएसएम आयल सीड्स, केन्द्रीय प्रवर्तित योजना 60:40) के अन्तर्गत सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर कांटेदार/ चैनलिंक तारबंदी कार्यक्रम लिया जा रहा है। जिसमें कम से कम 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल हो एवं 3 कृषकों का समूह हो। तारबंदी हेतु पेरीफेरी (परिधि) कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु. 40,000/- (चालीस हजार रुपये) जो भी कम हो, प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय है।

वर्ष 2020-21 में सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में तारबंदी योजनान्तर्गत 25 काश्तकारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, तारबंदी कार्यक्रम सामुदायिक आधार पर होने के कारण 25 में से 4 पात्र कृषकों के एक समूह की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(2) वर्ष 2020-21 में विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में तारबंदी

(कृषि मंत्री)

योजनान्तर्गत 25 काश्तकारों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है, तारबंदी कार्यक्रम सामुदायिक आधार पर होने के कारण 4 पात्र कृषकों के एक समूह की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कार्य पूर्ण होने पर वित्तीय स्वीकृति जारी कर अनुदान जारी किया जायेगा।

(3) जी हां। वर्ष 2020-21 में विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ में तारबंदी कार्यक्रम अन्तर्गत 4 पात्र कृषकोंएक समूह की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कार्य पूर्ण होने पर वित्तीय स्वीकृति जारी कर अनुदान जारी कि या जायेगा।

जैतारण में डीएमएफटी फण्ड से स्वीकृत कार्य

208. श्री अविनाश (जैतारण): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला पाली में डीएमएफटी की बैठक वर्तमान सरकार के गठन के बाद कितनी बार आयोजित की गयी? अंतिम जिला बैठक कब हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में विगत दो वर्ष में उक्त फण्ड में कितनी राशि खनिज अभियंता कार्यालय सोजत व जिला कलेक्ट्रेट पाली में जमा हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले सहित विधान सभा क्षेत्र जैतारण में विगत दो वर्षो में डीएमएफटी फण्ड की कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये? स्वीकृत कार्य का नाम, गांव, राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार डीएमएफटी की जिला बैठक आयोजित कर उक्त विधान सभा में विकास कार्य स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में वर्तमान सरकार के गठन के बाद राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के अन्तर्गत मैनेजिंग कमेटी की बैठक चार बार हुई, अंतिम बार बैठक दिनांक 29.10.2020 को हुई। गवर्निंग काउंसिल की अंतिम बार बैठक दिनांक 28.09.2018 को आयोजित हुई।

(खान मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण सहित पाली जिले की डी.एम.एफ.टी. राशि जिले हेतु संधारित पी.डी. खाते में जमा होती है एवं यह खाता जिला कोष कार्यालय में संधारित किया जाता है। विगत दो वर्षों में जैतारण विधान सभा क्षेत्र में डी.एम.एफ.टी. फण्ड में जमा राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. वर्ष 2018-2019 5229 लाख रुपये

2. वर्ष 2019-2020 4540 लाख रुपये

(3) पाली जिले में विधान सभा क्षेत्र जैतारण सहित विगत दो वर्ष 2018-2019 व 2019-2020 में डी.एम.एफ.टी. फण्ड से 9490.43 लाख रुपये के 191 कार्य स्वीकृत किए गए। स्वीकृत कार्य का नाम, गांव, राशि सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नवीनतम संशोधित प्रावधानों के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जैतारण में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं वहां के निवासियों के कल्याण हेतु गवर्निंग काउंसिल की बैठक प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में शीघ्र आयोजित कर उसमें विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

सादुलपुर में कृषकों को ऋण वितरण हेतु प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति

209. श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में कृषकों के ऋण वितरण हेतु प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त कर ऋण वितरण करने का विचार रखती है? क्या सरकार पूर्व में नियुक्त हुए अध्यक्ष, व्यवस्थापक द्वारा ऋण नहीं देने का विकल्प जारी रखना चाहती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं।

· केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जाता है।

· ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र कृषक सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समिति में ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन करता है जिसे समिति

(सहकारिता मंत्री)

नियमानुसार स्वीकार कर ऋण वितरण करती है।

- समिति द्वारा ऋण आवेदन स्वीकृति/अस्वीकृति की समस्त कार्यवाही 10 दिवस में पूर्ण करनी होती है। 10 दिवस में समिति द्वारा कोई स्वीकृति अथवा अस्वीकृति नहीं की जाती है तो आवेदक का ऋण आवेदन समिति स्तर से स्वीकृत मानते हुए बैंक शाखा द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जाती है।
- जिन कृषकों के ऋण आवेदन समिति द्वारा अस्वीकृत किये जाते हैं, वे कृषक अपनी परिवेदना बैंक शाखा स्तर पर प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी परिवेदना की जांच जीआरए (Grievance Redressal Authority) द्वारा की जाती है तथा जीआरए द्वारा अनुशंसा किये जाने पर समिति द्वारा ऋण स्वीकृति हेतु पुनः विचार किया जाता है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की निजीकरण की नीति में परिवर्तन की कार्ययोजना

210. श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में राजस्थान रोडवेज बहुत अधिक घाटे में है? यदि हां, तो उक्त की वर्तमान वार्षिक आय एवं घाटे का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त के संचालन के लिए सरकार की ऋण लेने की योजना है? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में रोडवेज की आय होने वाले व्यय से बहुत कम है? यदि हां, तो ऋण का भुगतान किस प्रकार किया जायेगा?

(4) क्या यह भी सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजस्थान रोडवेज का निजीकरण किया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त नीति में कुछ परिवर्तन किया है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम घाटे की स्थिति में है। वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की तुलनात्मक घाटे की स्थिति परिशिष्ट "1" पर एवं निगम की वर्तमान आय एवं घाटे की स्थिति का विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(परिवहन मंत्री)

(2) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु राशि 500 करोड़ रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। निगम द्वारा लिये जाने वाले ऋण राशि का पुनर्भुगतान वाहन संचालन से प्राप्त आय एवं राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान राशि के सहयोग से किया जायेगा।

(4) जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का निजीकरण नहीं किया गया है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नागौर में जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में प्राप्त शिकायतें

211. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जिला नागौर में विगत दो वर्षों में जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठक कब-कब हुई तथा उक्त में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई व कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया व कितनी शेष हैं? पंचायत समितिवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नागौर जिले में विगत दो वर्षों में जिला स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की बैठकें दिनांक 10.01.2019, 08.08.2019, 12.09.2019, 14.11.2019, 12.12.2019, 11.06.2020, 09.07.2020 एवं 13.08.2020 को आयोजित हुई। उक्त अवधि में कुल 88 शिकायतें प्राप्त हुई व 72 शिकायतों का निस्तारण किया गया एवं 16 शिकायतें शेष हैं। पंचायत समितिवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर ग्रामीण में भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

212. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री फूल सिंह मीणा)

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं व उक्त केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के क्या-क्या प्रावधान हैं व किस आधार पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने केन्द्रों के स्वयं के भवन हैं तथा कितने किराये के भवनों में चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार किराये के भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए नए भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में 192 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 17 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार खोले जाते हैं। मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में विभागीय भवनों में 143, सरकारी स्कूल में 12, सामुदायिक भवन में 8, पटवार भवन में 2, धार्मिक भवन में 1, अन्य नि:शुल्क भवनों में 6 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 37 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं।

(4) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

जसवन्तपुरा (जालौर) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का संचालन

213. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर के जसवन्तपुरा उप खण्ड मुख्यालय पर स्वीकृतशुदा आईटी.आई. का भवन बनकर तैयार है? यदि हां,

(श्री नारायण सिंह देवल)

तो उक्त आई.टी.आई का भवन कब और कितनी लागत की राशि से बनकर तैयार हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भवन निर्मित होने के उपरान्त भी अनुदेशकों के अभाव में अब तक स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने हेतु संस्थान को शुरू नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त संस्थान में अनुदेशकों की नियुक्ति कर उक्त को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि आई.टी.आई. संस्थान प्रारम्भ नहीं होने से रख-रखाव के अभाव में उक्त निर्मित भवन जीर्ण-शीर्ण होता जा रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त के रख-रखाव हेतु कितनी राशि कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जालौर जिले के जसवन्तपुरा उप खण्ड मुख्यालय पर स्वीकृतशुदा आईटी.आई. का भवन बनकर तैयार है। सार्वजनिक निर्माण विभाग से दिनांक 20.02.2020 को भवन का चार्ज विभाग द्वारा ले लिया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के कम्प्लीशन सर्टिफिकेट अनुसार सिविल कार्य में राशि रुपये 8,65,52,994 रुपये की लागत आई है। परिशिष्ट- 01.

(2) जी नहीं। वर्तमान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जसवंतपुरा (जालौर) के निर्मित भवन में ही प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेशित किया है। सत्र 2020-21 में 03 व्यवसाय क्रमश: इलैक्ट्रीशियन-16, कोपा-21 एवं वेल्डर-1 प्रशिक्षणार्थी को प्रवेश दिया गया है।

राज्य के समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित एककों में अनुदेशकों के रिक्त पद का कार्य गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से सुनिश्चित किये जाने की अनुमति जारी की जा चुकी है। (परिशिष्ट-02) अनुदेशकों की नियमित भर्ती के संदर्भ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं। आई.टी.आई. संस्थान वर्तमान में जसवन्तपुरा में नवनिर्मित भवन में ही संचालित किया जा रहा है। अत: रखरखाव का अभाव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

आदर्श नगर में श्रमिक डायरी हेतु कैम्प लगाने की योजना

214. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में कितनी श्रमिक डायरी बनी हुई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के सभी श्रमिक वर्ग के लोगों की श्रमिक डायरी बनाई जा चुकी है? यदि नहीं, तो पात्र एवं वंचित लोगों की श्रमिक डायरी बनाने हेतु क्या कार्ययोजना है? इस हेतु कब व कहां कैम्प लगाने का कार्यक्रम है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) श्रमिक डायरी से सम्बन्धित योजनाएं जैसे कि शुभ शक्ति योजना के अन्तर्गत आवेदन कर चुके प्रार्थियों को भुगतान करने हेतु सरकार द्वारा कोई समय सीमा तय की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आादर्श नगर में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक शामिल हैं। जयपुर शहरी क्षेत्र में पंजीकृत लगभग 1.17 लाख श्रमिकों का क्षेत्रवार वर्गीकरण विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में उक्त विधान सभा क्षेत्र के 610 श्रमिक पंजीकृत हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत केवल भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों का ही पंजीयन किये जाने का प्रावधान है।

पंजीयन हेतु नियमित रूप से चौखटियों तथा बड़े निर्माण स्थलों पर जाकर श्रमिकों को ऑनलाइन पंजीयन करवाने हेतु जागरुक किया जाता है। माह अगस्त, 2020 से मिशन मोड में पंजीयन अभियान प्रारम्भ किया गया है। दिनांक 20.02.2021 को प्रदेश सहित जयपुर जिले में विभिन्न चौखटियों पर जाकर जानकारी दी गई। विभाग के मोबाइल एप पर भी पंजीयन हेतु आवेदन तथा आवेदन की वस्तुस्थिति पता करने की सुविधा उपलब्ध है। भविष्य में भी नियमित रूप से निर्माण श्रमिकों को जानकारी दी जायेगी।

(3) मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सहायता आवेदनों को नियमानुसार योजना में उल्लेखित पात्रता एवं शर्तों के अनुसार फीफो पद्धति

(राज्य मंत्री, श्रम)

से यथाशीघ्र निस्तारित किया जाता है। मण्डल में उपलब्ध सीमित संसाधन एवं कोष की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय संवेदनशील योजनाओं के आवेदन जैसे सिलिकोसिस, मृत्यु सहायता, प्रसूति, शिक्षा एवं टूलकिट योजनाओं के आवेदनों को प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है। अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में मण्डल कोष की अनुकूल स्थिति होने पर चरणबद्ध रूप से निस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बागवानी को बढ़ाने की योजना

207. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में बागवानी (फूलों एवं फलों) को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान में कौनसी योजना कब से संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2019 से अब तक बागवानी को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कार्य किये गये तथा कितना अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में बागवानी (फूलों एवं फलों) को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान में संचालित योजनाएं एवं योजना प्रारम्भ वर्ष का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**योजना प्रारम्भ वर्ष**
1	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	वर्ष 2005-06 से लगातार
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	वर्ष 2007-08 से लगातार
3	राज्य योजना	वर्ष 1989-90 से लगातार
4	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	वर्ष 2015-16 से लगातार

उक्त योजनाओं के तहत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु देय अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जनवरी, 2019 से जनवरी, 2021 तक उद्यान विभाग द्वारा उक्त योजनाओं में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के तहत दिये गये अनुदान का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कौनेसा (बसेड़ी) में नवीन पशु चिकित्सालय की स्थापना

208. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी की ग्राम पंचायत कौनेसा गांव में नया पशु चिकित्सालय खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। नवीन पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

बांदीकुई में भामाशाह पशु बीमा योजना के लाभार्थी

209. श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में विगत पांच वर्षों में भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत कितने पशुओं का बीमा किया गया एवं कितने लोगों को लाभान्वित किया गया? वर्षवार व लाभार्थीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पशुपालन विभाग में भामाशाह पशु बीमा योजना वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ हुई तथा सितम्बर, 2018 तक संचालित रही।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में विगत पांच वर्षों में भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत बीमा किये गये पशुओं की संख्या एवं लाभार्थियों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चाकसू में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने की कार्ययोजना

210. श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में कुल कितने पशु चिकित्सालय, पशु उपकेन्द्र कहां-कहां स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में वर्तमान में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। नवीन पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले में डीएमएफटी योजना के तहत सड़कों का निर्माण

211. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 से वर्ष 2018 के दौरान जिला नागौर में डीएमएफटी की राशि को आवश्यकतानुसार खर्च नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? वर्षवार जमा राशि, निर्धारित लक्ष्य, अपूर्ण लक्ष्य तथा क्षतिग्रस्त माइन्स सड़कों व पीसीयू गणना सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार डीएमएफटी फण्ड का निर्धारित समय सीमा में आवश्यकतानुसार उपयोग नहीं करने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए जमा डीएमएफटी फण्ड का जिले की क्षतिग्रस्त माइन्स सड़कों के निर्माण एवं अन्य निर्धारित प्रयोजनार्थ व्यय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं किन-किन योजनाओं में तथा कितनी-कितनी राशि व्यय किये जाने की कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उपलब्ध राशि में से आवश्यकतानुसार राशि व्यय की गई है।

नागौर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन अधिसूचना दिनांक 09.06.2016 से किये जाने के पश्चात् वर्षवार जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	वर्ष	डीएमएफटी के तहत प्राप्त राशि (लाखों में)
1	वर्ष 2016-17	239.98
2	वर्ष 2017-18	885.96

नागौर जिले में राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के प्रावधानों के अन्तर्गत करवाये जाने वाले कार्य/व्यय के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए हैं। नागौर जिले में खनन यातायात के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की पीसीयू गणना सहित सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 में निर्धारित समय सीमा परिभाषित न होने से कोई समय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है। नागौर जिले में वर्तमान में डी.एम.एफ.टी. के तहत सड़कों के निर्माण हेतु 4930.11

(खान मंत्री)

लाख के कुल 83 कार्य तथा अन्य प्रयोजनार्थ कुल 1418.74 लाख के कुल 137 कार्यों के प्रस्ताव मैनेजिंग कमेटी को प्राप्त हुए हैं। भविष्य में शीघ्र ही गवर्निंग काउन्सिल की बैठक बुलाकर उक्त प्रस्तावों पर विचार होने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर में पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान

212. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर शहर में वर्तमान में कितनी गौशालाएं पंजीकृत हैं एवं उक्त में कितना गौधन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पंजीकृत गौशालाओं को सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है? यदि हां, तो 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2020 तक किस-किस गौशाला को कब-कब, कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए कोई नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में वर्तमान में 8 गौशाला पंजीकृत हैं जिनमें 3092 गौधन हैं।

(2) उक्त पंजीकृत गौशालाओं में केवल 2 गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में गौवंश के संरक्षण के लिए राजस्थान गौसंरक्षण एवं निधि नियम, 2016 प्रचलित है तथा इसके अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों में उल्लेखित प्रावधानों को पूर्ण करने वाली गौशालाओं को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि 90-90 दिवस के दो चरणों में दिये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजनान्तर्गत लाभान्वित पशुपालक

213. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजनान्तर्गत दुग्ध संकलन पर अनुदान से जिला सिरोही में कितने पशुपालकों को 2020-21 में लाभान्वित किया गया? तहसीलवार सूची मय अनुदान राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में उक्त अवधि में कितने पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजनान्तर्गत दुग्ध संकलन पर अनुदान से सिरोही जिले में वर्ष 2020-21 में लाभान्वित पशुपालकों का तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**तहसील का नाम**	**लाभान्वित दुग्ध उत्पादकों की संख्या**	**अनुदान राशि रुपये**
1	शिवगंज	324	7,94,996
2	सिरोही	दुग्ध संकलन नहीं हो रहा है।	
3	पिण्डवाड़ा	177	4,34,250
4	आबूरोड़	दुग्ध संकलन नहीं हो रहा है।	
5	रेवदर	405	9,93,670
	कुल	**906**	**22,22,916**

(2) सिरोही जिले में उक्त अवधि में 1389 दुग्ध उत्पादक सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया, तहसीलवार निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**तहसील का नाम**	**आवेदन पत्रों की संख्या**
1	शिवगंज	655
2	सिरोही	227
3	पिण्डवाड़ा	191
4	आबूरोड़	07
5	रेवदर	309
	कुल	**1389**

(गोपालन मंत्री)

संघ कार्यक्षेत्र की आबूरोड एवं सिरोही तहसील में दुग्ध संकलन नहीं होने के कारण दुग्ध उत्पादकों को रुपये 2/- प्रतिलीटर दुग्ध अनुदान राशि से लाभांन्वित नहीं किया गया, किन्तु मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न पत्र क्रमांक M-01007/5/2020-Admin-1/KCC दिनांक 28.05.2020 (छाया प्रति संलग्न प्रदर्श-1) के क्रम में आरसीडीएफ कार्यालय के पत्रांक 3762-83 दिनांक 01.06.2020 (छाया प्रति संलग्न प्रदर्श-2) एवं भारत सरकार के पुन: पत्र क्रमांक M-01007/5/2020-Admin-1/KCC दिनांक 27.07.2020 (छाया प्रति संलग्न प्रदर्श-3) के क्रम में आरसीडीएफ कार्यालय के पत्रांक 13868-89 दिनांक 29.07.2020 (छाया प्रति संलग्न प्रदर्श-4) एवं भारत सरकार के पुन: पत्र क्रमांक M-02022/14/2020-CDD दिनांक 24.09.2020 (छाया प्रति संलग्न प्रदर्श-5) की अनुपालना में आरसीडीएफ के कार्यालय पत्रांक 22710-33 दिनांक 24.09.2020 (छाया प्रति संलग्न प्रदर्श-6) की अनुपालना में किसान क्रेडिट कार्ड योजना में समस्त दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित किये जाने के क्रम में आबूरोड व सिरोही क्षेत्र की बन्द समितियों के दुग्ध उत्पादकों के केसीसी आवेदन पत्र स्वीकार कर बैकों में जमा करवाये गये हैं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सुमेरपुर में अनाज भंडारण हेतु नये गोदामों का निर्माण

214. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में किसानों के अनाज भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण किस-किस ग्राम पंचायत में किया गया है एवं इसके निर्माण पर कितना-कितना व्यय हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों पर गोदामों का निर्माण करवाया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार वंचित ग्राम पंचायतों पर गोदाम निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के गोदामों में किसानों की फसलों को रखा गया है? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में किस-किस गोदाम में कितनी-कितनी फसल रखी गई? उक्त गोदामों से विभाग को कितना-कितना किराया प्राप्त हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के 44 ग्राम पंचायतों में से 42 ग्राम पंचायतों की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में खाद बीज आदि के भण्डारण हेतु कुल 96 गोदाम का निर्माण कराया हुआ है। ग्राम पंचायतवार गोदाम निर्माण की स्थिति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इन 96 गोदामों के निर्माण में 412.75 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 44 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत हैं जिनमें से पावेश्वर व बामनेरा नई समितियां गठित होने से भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण गोदाम से वंचित हैं। गोदाम से वंचित जीएसएस में भूखण्ड की उपलब्धता पर गोदाम निर्माण किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) जी नहीं। इन गोदामों में किसानों की फसलों को नहीं रखा गया है। गोदामों को खाद बीज आदि के भण्डारण हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त गोदामों से विभाग को कोई किराया प्राप्त नहीं हो रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

छबड़ा में ऋण माफी योजना से लाभान्वित किसान

215. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में वर्ष 2019 व 2020 में किसानों का कर्जा माफ किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी बैंक का, किन-किन किसानों का कितना-कितना कर्जा माफ किया गया? नाम व ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. बारां के माध्यम से वर्ष 2019 में कुल 6141 किसानों का रु. 40.52 करोड़ एवं वर्ष 2020 में कुल 278 किसानों का रु. 2.25 करोड़ का कर्जा माफ किया गया। उक्त विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में प्राथमिक भूमि विकास बैंक बारां द्वारा वर्ष 2019 मे शून्य एवं वर्ष 2020 में 160 कृषकों का 152.11 लाख का ऋण माफ किया गया। नामवार तथा पंचायतवार सूची क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीगंगानगर में राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थी

216. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य को ऋण वितरण के समय राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा जाना आवश्यक है? यदि हां, तो वर्ष 2019 से जनवरी, 2021 तक श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक में कितने किसानों का बीमा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला श्रीगंगानगर के कितने किसानों को क्लेम जारी किया गया है एवं कितनी राशि का भुगतान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के निर्णयानुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य को ऋण वितरण के समय राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा जाना आवश्यक है। वर्ष 2019 से जनवरी, 2021 तक श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक में 72,356 किसानों का बीमा किया गया है।

(2) श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा बीमा कम्पनी को प्रेषित क्लेम्स में से वर्ष 2019 से जनवरी, 2021 तक जारी किये गये क्लेम्स की विगत निम्नानुसार है:-

- 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक (वर्ष 2018-19) राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की क्रियान्विति श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के माध्यम से की गयी थी। उक्त योजना के नियमानुसार प्रीमियम प्रेषण की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के दौरान कृषक सदस्य बीमा योजना से जुड़े हुए थे। श्रीगंगानगर बैंक द्वारा श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को 32 दावे राशि रुपये 320.00 लाख के प्रेषित किये गये जिनमें से बीमा कम्पनी द्वारा 17 दावे राशि रुपये 170.00 लाख के भुगतान किये गये। 8 दावे राशि रुपये 80.00 लाख के खारिज किये गये तथा शेष लम्बित 7 दावे राशि रुपये 70.00 लाख का निस्तारण प्रक्रियाधीन है।
- वर्ष 2019-20 में बीमा कम्पनी का चयन नहीं हो पाने के कारण योजना की क्रियान्विति नहीं हो सकी।

(सहकारिता मंत्री)

· वर्ष 2020-21 में श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा बीमा कम्पनी को एक दावा प्रेषित किया गया है, जो कि निस्तारण हेतु प्रक्रियाधीन है।

कैथून में यात्री प्रतीक्षालय बस स्टैण्ड के निर्माण की जांच

217. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला कोटा के कैथून में स्थित यात्री प्रतीक्षालय बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य कब और कितनी लागत से हुआ?

(2) उक्त जिले के कैथून में स्थित यात्री प्रतीक्षालय बस स्टैण्ड की मियाद कितने वर्ष है?

(3) क्या उक्त जिले के कैथून में स्थित यात्री प्रतीक्षालय बस स्टैण्ड को जर्जर घोषित किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त की गुणवत्ता जांच कराई गई? यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले के कैथून में स्थित यात्री प्रतीक्षालय बस स्टैण्ड का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राशि रुपये 9.56 लाख व्यय कर दिनांक 02.01.1999 में पूर्ण किया गया ।

कोटा जिले के कैथून में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का कोई बस स्टैण्ड/यात्री प्रतीक्षालय नहीं है ।

(2) भवन के नियमित रख-रखाव एवं आवश्यक मरम्मत की स्थिति में सामान्यत: भवन की मियाद 80 वर्ष मानी जाती है।

(3) जी नहीं। कोटा जिले के कैथून में स्थित यात्री प्रतीक्षालय बस स्टैण्ड को अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत कोटा के पत्र दिनांक 01.08.2019 द्वारा जर्जर एवं असुरक्षित घोषित कर नगरपालिका कैथून द्वारा गिराये जाने की अनुशंषा मात्र जिला कलेक्टर, कोटा को की गई है। संयुक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 14(47) पीडब्ल्यू/2013 दिनांक 09.09.2013 के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिपोर्ट पर किसी असुरक्षित सरकारी भवन को गिराने के आदेश के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत है।

थानागाजी उपखण्ड मुख्यालय पर नवीन बस स्टैण्ड का निर्माण

218. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड मुख्यालय थानागाजी में बस स्टैण्ड का अभाव होने के कारण यात्रियों को वर्षों से असुविधा हो रही है?

(2) क्या सरकार उक्त उपखण्ड मुख्यालय पर नया बस स्टैण्ड निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपखण्ड मुख्यालय थानागाजी पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का बस स्टैण्ड नही है।

(2) निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण थानागाजी में भूमि क्रय कर बस स्टैण्ड का निर्माण करवाना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है। थानागाजी में परिवहन निगम को उपयुक्त स्थान पर नि:शुल्क भू-आबंटन होने तथा निर्माण हेतु बजट उपलब्ध करवाये जाने पर बस स्टैण्ड का निर्माण निगम द्वारा कराया जा सकता है।

रावला मण्डी (अनूपगढ़) में बस स्टैण्ड का पुनर्निर्माण

219. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की तहसील रावला मण्डी स्थित रोडवेज बस स्टैण्ड का पुनर्निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की तहसील रावला मण्डी में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्वामित्व का कोई बस स्टैण्ड नही है । रावला मण्डी में बस स्टैण्ड ग्राम पंचायत रावला (08PSD-B) का है। विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की तहसील रावला मण्डी स्थित रोडवेज बस स्टैण्ड का पुनर्निर्माण करने का विचार नहीं है।

सीमावर्ती जिलों में उर्दू अध्यापकों के रिक्त पद

220. श्री अमीन खां (शिव): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री अमीन खां)

(1) सीमावर्ती जिला बाड़मेर-जैसलमेर, बीकानेर में कितने मदरसे पंजीकृत हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंजीकृत मदरसों में से आधुनिक शिक्षा कितने मदरसों में दी जा रही है? मदरसा व पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सीमावर्ती जिलों में उर्दू अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीमावर्ती जिला बाड़मेर में 350, जैसलमेर में 148 एवं बीकानेर में 86, कुल 584 मदरसे राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत हैं। पंचायत समितिवार मदरसों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) उक्त सभी 584 पंजीकृत मदरसों में आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। पंचायत समितिवार मदरसों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) सीमावर्ती जिलों में उर्दू अध्यापकों के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण निम्नांकित है:-

क्र.सं.	**सीमावर्ती जिला**	**स्वीकृत पद**	**रिक्त पद**
1.	बाड़मेर	79	32
2.	बीकानेर	73	17
3.	जैसलमेर	89	37
	कुल	**241**	**86**

पंचायत समितिवार संख्या विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

चूरू में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

221. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के अन्तर्गत जिला चूरू में कुल कितने कार्य कब स्वीकृत हुए स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण हुए तथा कितने अपूर्ण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत चूरू में सद्भावना चौक स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो कब? उक्त स्वीकृत कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यक्रम में चूरू के एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय, पारख उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी स्वीकृतियां जारी की गई थीं? यदि हां, तो कब? उक्त स्वीकृत कार्यों को कब तक पूरा किया जाना था? विलम्ब के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अन्तर्गत चूरू जिले में वर्ष 2018-19 में 70 कार्य व 2019-20 में 01 कार्य, कुल 71 कार्य स्वीकृत हुए जिनमें से 51 कार्य पूर्ण, 9 कार्य प्रगतिरत एवं 1 कार्य अप्रारम्भ है तथा 10 कार्यों को निरस्त किया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(2) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला चूरू कस्बा चूरू में सद्भावना मण्डप भवन निर्माण कार्य दिनांक 08.03.2019 को स्वीकृत किया गया। कार्य आदेश के अनुसार उक्त सद्भावना मण्डप निर्माण का कार्य दिनांक 24.02.2022 तक पूर्ण किया जाना है। विवरण परिशिष्ट-"2" पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) वर्ष 2019-20 में एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा वर्ष 2018-19 में राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय पारख बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृतियां जारी की गई हैं। उक्त सभी निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट-"3" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जहाजपुर में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार का वितरण

222. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन कर बच्चों के लिए पोषाहार वितरण किया जा रहा है? यदि

(श्री गोपी चन्द मीणा)

हां, तो उक्त क्षेत्र में कौन-कौनसे संवेदक उक्त का कहां-कहां पर वितरण कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या संवेदकों से नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित कर पोषाहार वितरण का कार्य करवाया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन कर बच्चों के लिए पोषाहार वितरण किया जा रहा हैं।

परियोजना स्तर पर संवेदकों से आपूर्ति नहीं ली जा रही है। वर्तमान में कोविड 19 के कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न के रूप में साबुत सामग्री में गेहूं व चावल भारतीय खाद्य निगम से एवं चना दाल नैफेड से क्रय कर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(2) परियोजना स्तर पर संवेदकों से किसी प्रकार की निविदा आमंत्रित नहीं की जा रही है क्योंकि विभाग द्वारा कोविड 19 के कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न के रूप में साबुत सामग्री में गेहूं व चावल भारतीय खाद्य निगम से एवं चना दाल नैफेड से क्रय कर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

जोधपुर में महिला एवं बालकों के विकास की संचालित योजनाएं

223. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान में प्रदेश के महिला एवं बालकों के विकास हेतु कौन-कौनसी योजना संचालित की जा रही है? उक्त योजनाओं पर वर्ष 2019-20 में व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जोधपुर में उक्त योजनान्तर्गत किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कितने महिला एवं बालकों को लाभान्वित किया जा रहा है एवं प्रति इकाई कितनी राशि व्यय की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन दो विभाग संचालित हैं जो क्रमश: महिला अधिकारिता एवं समेकित बाल विकास सेवाएं हैं।

महिला अधिकारिता विभाग द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान, सशक्तीकरण, स्वावलम्बन, शिक्षण, कौशल, सामर्थ्य एवं सुरक्षा हेतु संचालित विभिन्न योजनाएं एवं 2019-20 में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा गर्भवती, धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं एवं 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, संदर्भ एवं रेफरल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2019-20 में उक्त योजनाओं पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(2) जिला जोधपुर में उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्रवार लाभान्वितों का विवरण एवं प्रति इकाई व्यय का विवरण परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

दौसा में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की कार्ययोजना

224. श्री मुरारी लाल (दौसा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाडी केन्द्रों पर कहां-कहां पर कार्यकर्ता, सहयोगिनी एवं सहायिका कार्यरत हैं एवं कहां-कहां पर पद रिक्त हैं? आंगनबाड़ी केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन उपलब्ध नहीं हैं?

(4) विधान सभा क्षेत्र दौसा के किन-किन राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं हैं?

(5) क्या यह सही है कि सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में 247 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्ता, सहयोगिनी एवं सहायिकाओं के कार्यरत एवं रिक्त पदों का केन्द्रवार विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) 247 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 57 विभागीय भवन में, 149 अन्य सरकारी भवन में तथा 41 किराये के भवन में संचालित हैं।

(4) विधान सभा क्षेत्र दौसा के जिन राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं हैं, का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(5) वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक है।

भारत सरकार स्तर से नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्थिति में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जाती है। मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

मेड़ता के पंचायत मुख्यालयों पर खेल मैदान

225. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पंचायत समिति मुख्यालयों पर खेल मैदान का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो जिला नागौर के किन-किन पंचायत समिति मुख्यालयों पर निर्माण कराया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के पंचायत समिति मुख्यालयों व ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर खेल मैदान निर्माण करवाए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले में निम्न पंचायत समिति मुख्यालयों पर युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा खेल मैदान निर्माण कार्य करवाये गये हैं:

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

1. नागौर जिला मुख्यालय।
2. मकराना।
3. डीडवाना।
4. खींवसर।
5. कुचामन सिटी।
6. नावां।

(2) जी हां। सरकार द्वारा बजट की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेल मैदान निर्माण का निर्णय किया जाता है।

वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक-सांसद निधि/ जनप्रतिनिधि/ जन सहयोग/सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

टोंक में पायका योजना में खेल स्टेडियमों का निर्माण

226. श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला टोंक में 5000 आबादी के ग्रामों में पायका योजना के तहत खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु कितनी राशि जिला परिषद्, टोंक को कब आबंटित की गई तथा उक्त योजना के तहत कितने ग्रामों में खेल स्टेडियम बनने थे और कितने बनकर तैयार हो गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में खेल स्टेडियम के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि अपर्याप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पायका योजना के तहत खेल स्टेडियम निर्माण हेतु जिला परिषद्, टोंक को आबंटित राशि एवं चयनित ग्रामों की सूचना निम्न प्रकार है:-

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>वर्ष</th><th>आवंटित राशि</th><th>चयनित ग्राम (पंचायत समिति)</th></tr>
<tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2007-08</td><td>150000.00</td><td rowspan="4">1 बनस्थली (निवाई)
2. झिलाई (निवाई)
3. देवलीगांव (देवली)
4. दूनी (देवली)
5. राजमहल (देवली)
6. बनेठा (उनियारा)
7. भासू (टोडारायसिंह)
8. पचेवर (मालपुरा)
9. टोरडी (मालपुरा)
10. लावा (मालपुरा)
11. डिग्गी (मालपुरा)
12. लाम्बाहरिसिंह (मालपुरा)
13. राजपुरा (मालपुरा)
14. पीपलू (टोंक)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2009-10</td><td>637500.00</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2011-12</td><td>637500.00</td></tr>
<tr><td>4.</td><td></td><td>142500.00</td></tr>
</table>

उक्त 14 ग्रामों में खेल स्टेडियम बनाये जाने थे, जिनमें से 13 ग्रामों में खेल स्टेडियम बन गये।

ग्राम देवलीगांव (देवली) में भूमि विवादित होने के कारण स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ जिसकी राशि विभाग को लौटा दी गयी है।

(2) जी नही। पायका योजना मार्च, 2014 में बन्द हो गई है।

झालावाड़ में शुभशक्ति योजना की बकाया राशि का भुगतान

227. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत दो वर्षों में जिला झालावाड़ में शुभशक्ति योजना में कितनी छात्राओं को राशि मिल चुकी है व वर्तमान में कितने समय से कितनी छात्राओं की राशि लम्बित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि के बकाया होने के क्या कारण हैं? अब कब तक उक्त भुगतान कर दिया जायेगा? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में स्वीकृत शुभशक्ति के आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। शुभशक्ति योजना 01.01.2016 से प्रारम्भ की गई थी। वर्तमान में उक्त योजना के अन्तर्गत झालावाड़ जिले में लम्बित आवेदनों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) सर्वप्रथम में मण्डल की सीमित वित्तीय स्थिति को देखते हुए मानवीय संवेदनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिलिकोसिस, मृत्यु सहायता, प्रसूति, छात्रवृत्ति, टूलकिट योजनाओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है। अन्य योजनाओं यथा शुभशक्ति योजनाओं के आवेदनों का निस्तारण मण्डल में वित्तीय स्थिति अनुकूल होने के उपरान्त चरणबद्ध रूप से करने का निर्णय लिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर में पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को सहायता

228. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला नागौर में कितने पंजीकृत प्रवासी श्रमिक हैं, जो जीवन यापन के लिए देश के अन्य हिस्सों में मजदूरी करते हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त श्रमिकों को (कोरोना आपदा के कारण) आर्थिक व खाद्य सामग्री की सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो अब तक उक्त जिले के कितने श्रमिकों को क्या-क्या सहायता दी गई और कौन-कौनसी योजनाएं उक्त के लिए लागू की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस बिन्दु की सूचना श्रम विभाग में संधारित नहीं की जाती है।

(2) श्रम विभाग से संबंधित नहीं है।

अजमेर में शुभशक्ति योजना से लाभान्वित बालिकाएं

229. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला अजमेर में शुभशक्ति योजनान्तर्गत माह जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2020 तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेश सिंह रावत)

(2) उक्त योजना से कितनी बालिकाएं लाभान्वित हुईं व कितनी बालिकाओं को आवेदन फार्म जमा करवाने के उपरान्त अब तक लाभान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बालिकाओं को अब कब तक उक्त योजना से लाभान्वित कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अजमेर में शुभशक्ति योजना अन्तर्गत माह जनवरी, 2017 से दिसम्बर, 2020 तक प्राप्त आवेदनों का ब्लाकवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना में योजना प्रारम्भ होने की तिथि अर्थात् 01.01.2016 से अजमेर जिले में 28.02.2021 तक स्वीकृत व लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उपकर राशि के रूप में प्राप्त मण्डल कोष फिलहाल पर्याप्त नहीं है। अत: वर्तमान में मण्डल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए मानवीय संवेदनाओं की दृष्टि से सर्वप्रथम सिलिकोसिस, मृत्यु सहायता, प्रसूति, छात्रवृत्ति, टूलकिट योजनाओं का ही प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है।

(3) मण्डल की वित्तीय स्थिति अनुकूल होने के पश्चात् उक्त योजना के लम्बित आवेदनों में भुगतान चरणबद्ध रूप से करने का निर्णय लिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

होम गार्डों की ड्यूटी का निर्धारण

230. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने होम गार्ड कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त होम गार्डों से महीने में 30 दिन की ड्यूटी नहीं ली जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त होम गार्डों से महीने में 30 दिन ड्यूटी लेने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में नामांकित होम गार्ड जवानों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-"अ" के अनुसार है।

(2) जी नही। भारत सरकार की नीति अनुसार मांगकर्ता विभाग विभिन्न राजकीय/संस्थान/उपक्रमों/पुलिस की मांग के अनुसार प्रदेश के जिला स्तर पर गृह रक्षकों को ड्यूटी के समान अवसर प्रदान करने हेतु विभागीय रोटेशन प्रणाली के अन्तर्गत नियोजित किया जाता है।

उक्त नियोजित गृह रक्षकों को प्रत्येक माह में ड्यूटी की उपस्थिति अनुसार मानदेय/दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाता है।

(3) बिन्दु संख्या 02 के अनुसार।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट 01

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की बंद प्रक्रिया

महोदय,

कोरोना काल के विकट दौर में राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की प्रक्रिया बंद कर दी है जिससे पात्र लोग खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़वा पा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की प्रक्रिया बंद होने से आम गरीब लोग कोरोना काल में खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने से भी वंचित रह गए। इसके विपरीत खाद्य सुरक्षा में बड़ी संख्या में अपात्र लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। खाद्य सुरक्षा में जुड़े अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए राज्य सरकार कोई ठोस रणनीति नहीं अपना रही हैं। ऐसे में वास्तविक रूप से खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने का अधिकार रखने वाले पात्र लोग स्वयं को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पुनः शुरू करे ताकि पात्र लोगों को राहत मिल सके। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा में जुड़े अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए सरकार को कार्ययोजना भी बनानी चाहिए।

गिरधारीलाल

(डूंगरगढ़)

कामां में उप जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय की स्थापना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां में उप जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय खोलने की ओर दिलाना चाहती हूं। विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड कामां व उपखण्ड पहाड़ी जिला मुख्यालय भरतपुर से क्रमशः 65 व 90 कि.मी. दूर उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमा पर स्थित है। परिवहन सम्बन्धी कार्यों हेतु लोगों को जिला मुख्यालय भरतपुर जाना पड़ता है जो कि काफी दूरी पर है।

तहसील पहाड़ी में खनन सम्बन्धी कार्य होने से क्षेत्र में व्यावसायिक वाहनों का संचालन काफी संख्या में हो रहा है जो कि परिवहन विभाग की आय का एक मुख्य स्रोत है तथा मेवात क्षेत्र में गाड़ी चलाना (ट्रक ड्राइवर) मुख्य रोजगार है जिस कारण काफी संख्या में लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य परिवहन संबंधी छोटे-छोटे कार्यों के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है जिससे उनको काफी समय व आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अतः उपखण्ड कामां, पहाड़ी व नगर की जिला परिवहन कार्यालय भरतपुर से दूरी को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुविधा के लिए उपखण्ड कामां में उप जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय खोलने की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूं।

धन्यवाद।

जाहिदा खान

(कामां)

खींवसर में नये विद्यालयों की स्थापना तथा मौजूदा विद्यालयों का क्रमोन्नयन

महोदय,

उपर्युक्त विषय में सादर अनुरोध है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र छितरी हुई आबादी में बसा हुआ है और अधिकतर लोग ढाणियों में निवास करते हैं। विशेषकर बालिकाओं के लिए आवागमन की समस्या रहती है। ग्राम स्तर पर अच्छे नामांकन वाले विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाकर आमजन को राहत देने की सख्त जरूरत है।

निम्नलिखित 12 स्थानों पर नये विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है:–

1. राजपूतों राईकों की ढाणियां खडकाली, 2. भोमियों की ढाणी भूण्डेल, 3. दुधिया नाड़ा बामणियावाला, 4. दया नाड़ा दुजासर 5. कस्वा की ढाणियां जोड़ का नाडा खडकाली, 6 कुम्हारों व नायकों की ढाणियां नन्दवाणी 7. कुम्हारों व मेघवालों की ढाणियां रामदेव नगर, 8. श्री तुलसीराम जी की प्याऊ बैराथल खुर्द, 9. मोर नाडा सिंधिपुरा, 10. इन्दा व सियागों की ढाणियां झाडेली, 11 भादवो व गोदारों की ढ़ाणियां रामरीया नाडा भोजास, 12 हेमजी मेघवालों की ढाणी कलाथलडोर धोलियाडेर।

निम्नलिखित 20 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में

क्रमोन्नत करने की सख्त आवश्यकता है:–

1. शहीद चोखाराम राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामदेव मन्दिर कुड़छी, 2. बेनिवालों की ढाणी गांव-मादाणियों की ढाणी, 3. कुमटा नाडा हेमपुरा. 4. दांतिणा संख्या 2, 5. झाड़ेली, 6. बैराथल खुर्द, 7. जसनाथपुरा, 8. जगरामपुरा, 9. मेघवालों की ढाणी बैराथल कला. 10. सैयदो की वाणी रूण, 11. करमोलाई नाडी सोवो की ढाणी, 12. आसोला नाडा सिन्धिपुरा, 13. राईको की ढाणी नन्दवाणी, 14. नई ट्यूबवैल आड़ा मार्ग सोननगर, 15. सन्तों की ढाणी नयापुरा (नागड़ी), 16. देउ संख्या 3, 17. जान्दुओं की ढाणी, 18. भोमासर पूर्वी ढाणी खडखाली, 19. अंजीरो व बेलदारों की ढाणी सिन्धिपुरा, 20. शिक्षाकर्मी विद्यालय चारणीसरा।

निम्नलिखित 6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना आवश्यक है:–

1. लालाप, 2. साटिका खुर्द, 3. नन्दवाणी, 4. जनता सागर चारणीसरा 5. बामणियावाला 6. जोगीनाडा काटिया।

निम्नलिखित 4 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना अत्यावश्यक है:–

1. भूण्डेल, 2. भदोरा, 3. बू-नरावता. 4. खुण्डाला।

अत: महोदय मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में उक्तानुसार नये विद्यालय खोलकर और प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करवाकर क्षेत्र के शैक्षणिक विकास को गति प्रदान कराएं।

सधन्यवाद।

नारायण बेनीवाल

(खींवसर)

पुष्कर तीर्थ सरोवर में गन्दे पानी के प्रवाह पर रोक

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि तीर्थराज पुष्कर एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर का तीर्थ क्षेत्र है। यहां दिन-प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान करने व पूजा करने आते हैं, लेकिन इसे

दुर्भाग्य ही कहें कि बरसात के समय में गंदे पानी के साथ गन्दगी भी बहकर पुष्कर सरोवर में आ जाती है जिससे लाखों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। कई बार सीवरेज का पानी भी बहकर सरोवर में आ जाता है। इसके समाधान के लिए हाल ही में बजट में मुख्य मंत्री जी ने डी.पी.आर. बनाने की घोषणा की है जबकि अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा पहले से ही डी. पी. आर. बनाने का कार्य चालू है और डी.पी.आर. के लिए आवश्यक बजट 5 लाख रुपये पुष्कर नगरपालिका द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण को दे भी दिये हैं।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से पुरजोर मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी आवश्यक बजट आबंटित कर श्रद्धालुओं तथा पुष्कर के लोगों को राहत प्रदान करें।

धन्यवाद।

सुरेश सिंह रावत

(पुष्कर)

उदयपुर ग्रामीण के सहकारी बैंक की शाखाओं का मुख्यालय पर स्थानान्तरण से कारित परेशानी

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में बैंक को प्राप्त प्रासंगिक पत्र में राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार आर्थिक सक्षमता के आधार पर बैंक की शाखाओं को अस्थाई रूप से मुख्यालय स्तर पर स्थानान्तरित किये जाने के आदेश प्राप्त हुए थे। इस संबंध में बैंक की संचालक मण्डल की बैठक में निर्णय की अनुपालना के तहत बैंक की शाखाओं को मुख्यालय स्तर पर स्थानान्तरित करने की कार्यवाही पूर्ण करली गई थी लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं होने के कारण बोर्ड इस पर पूर्ण रूप से सहमत नहीं था।

इस क्रम में निवेदन है कि उदयपुर जिला जनजाति बहुल क्षेत्र है। जिले का भौगोलिक क्षेत्र काफी विस्तृत है। बैंक द्वारा दूरदराज क्षेत्र में ऋण वितरण किया गया है, जिस हेतु बैंक सुपरवाइजर को वसूली हेतु क्षेत्र में जाना पड़ता है। बैंक की शाखाओं को मुख्यालय पर स्थानान्तरित किये जाने के बाद काश्तकारों को उदयपुर मुख्यालय पर जाना पड़ता है और आने वाले काश्तकारों से करीब 500 रुपये का किराया वहन किया जा रहा है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इस बैंक की शाखाओं को गोगुन्दा

और सलूम्बर में ट्राइबल क्षेत्र में गत 40-42 वर्षों से कार्यरत थीं, उन्हें पुनः पूर्व की भांति शाखाएं प्रारम्भ करवाने की कृपा करें।

फूल सिंह मीणा

(उदयपुर ग्रामीण)

कपासन में फर्जी वीसीआर के प्रकरण

महोदय,

उपरोक्त निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों में बिजली के तार ढीले पड़े हुए हैं, कई बार हवा चलने के कारण तार आपस में टकराने से लाइनें फाल्ट हो जाती हैं, तार टूट जाते हैं, तारों के टूटने से कई बार लोग टूटे हुए तारों की चपेट में आने से मर गये हैं तथा कई बार घरों तथा बाड़ों में भी आग लग जाती है जिससे किसानों के पशु व चारा भी आग की भेंट चढ़ जाता है और जान माल का नुकसान हो जाता है। बिजली के तार टूटने से होने वाले जान व माल के नुकसान का मुआवजा भी बिजली कंपनी नहीं देती है। कई गांवों में बिजली के खंभे टूटे हुए हैं। बिजली कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं तथा गैर उपभोक्ताओं तथा किसानों को कृषि कनेक्शनों का अवैध रूप से वीसीआर बनाये जा रहे हैं। वीसीआर बनाये वाले अधिकारियों द्वारा घरों में ट्यूबवैल, फ्रीज, कूलर, आटा चक्की, A.C., आयरन प्रेस नहीं होने के बावजूद भी वीसीआर फार्म में लिखा जाता है। फर्जी वीसीआर राशि 50-50 हजार, एक-एक, दो-दो, तीन-तीन लाख हो जाती है तथा वीसीआर का समाधान करने वाला कोई नहीं है। बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को वीसीआर के माध्यम से लूटने का काम कर रही हैं।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि उपरोक्त सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को राहत दिलवाने का कष्ट कराएं।

अर्जुन लाल जीनगर

(कपासन)

गंगायिचा (लाडपुरा) में चम्बल नदी मार्ग पर कटाव के रोकथाम हेतु बजट की स्वीकृति

महोदय,

उपरोक्त निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की ग्राम पंचायत रंगपुर के ग्राम गंगायिचा में चम्बल नदी बहती है। चम्बल नदी से ग्राम गंगायिचा में पानी के बहाव के कारण कटाव हो गया है। इस पानी के कटाव

की रोकथाम किये जाने हेतु स्थानीय जनता द्वारा काफी समय से मांग की जा रही है। स्थानीय प्रशासन द्वारा भी सर्वे करने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है लेकिन दो वर्षों से आश्वासन के अलावा धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। स्थानीय प्रशासन को बजट की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण वह असहाय महसूस कर रहा है। बरसात का मौसम आने वाला है। ऐसे में अधिक कटाव होने से जान-माल व पशुधन की भयंकर क्षति की आशंका उत्पन्न हो जायेगी। समय रहते प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो पूरा गांव बहाव क्षेत्र में आ जायेगा और कितनी जन की हानि होगी, यह कयास ही लगाया जा सकता है।

अतः आपसे निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की ग्राम पंचायत रंगपुर के ग्राम गंगायिचा में चम्बल नदी मार्ग पर कटाव की रोकथाम के लिए उक्त प्रशासन को बजट स्वीकृत करते हुए आम जन को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

कल्पना देवी

(लाडपुरा)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाप्त ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पद

महोदय,

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग से संचालित सभी योजनाओं को ब्लाक लेवल पर सही रूप से सम्पादित करने के लिए बी.एस.एस.ओ. का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी विभाग में एक प्रक्रिया चल रही है कि इस पद को समाप्त करके सम्पूर्ण कार्य जिला मुख्यालय पर ही सम्पादित हो, जिससे लोगों को सुविधा के स्थान पर समस्या उत्पन्न होगी, सामाजिक रूप से पिछड़े वंचित, गरीब, दलित, असहाय और जरूरतमंद वर्ग के प्रति प्रदेश सरकार सवेदनशील है तो समाज कल्याण विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर अमली जामा पहुँचाने को लेकर उपरोक्त पद का सैटअप किया गया था। अब यह कवायद चल रही है कि इस पद को समाप्त करके सभी कार्य जिला मुख्यालय पर ले जाया जाए।

निवेदन है कि उपरोक्त पद को और अधिक सशक्त और सुविधा देकर जो SJE विभाग की पेंशन स्वीकृत होती है वो भी ई-मित्र से आवेदन के बाद उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, बी.डी.ओ. के हस्ताक्षरों से पास होती है। उसको भी SSO कार्यालय से ही पास करवाया जाए। बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति

श्रमिक कल्याण विभाग की सभी योजनाओं सहित जनकल्याणकारी सभी ब्लाक लेवल की स्कीम को स्वीकृत करने का अधिकार भी BSSO को दिया जाए ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर सुविधा मिल सके और कार्य में प्रगति भी अच्छी होगी।

अत: निवेदन है कि ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद को बरकरार रखते हुए इसे और सशक्त मजबूती प्रदान करवाकर आमजन को राहत दिलवायें।

धन्यवाद।

हमीर सिंह भायल

(सिवाना)

शराब का अवैध कारोबार

महोदय,

शराब की दुकानों के लिए दुकानवार दिये जा रहे ठेकों (अनुमति पत्र) के ठेकेदारों द्वारा उन्हें निश्चित स्थान पर शराब बिक्री की दुकान चलाने के लिए दी गई दुकान के अतिरिक्त उस क्षेत्र में अन्य स्थानों पर भी बिना अनुमति के आबकारी विभाग तथा पुलिस की मिलीभगत से शराब की बिक्री करके नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। जगह-जगह शराब बिकने से शराबी यहां-वहां बैठकर मदिरापान करते हैं जिससे आमजन राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाता है। आबकारी विभाग तथा पुलिस की अकर्मण्यता से अनधिकृत स्थानों पर शराब सेवन के कारण पियक्कड़ों के आपस में एवं अन्य संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ झगड़े से छोटे-छोटे ग्रामों एवं गली-मोहल्लों में सामाजिक सौहार्द्र बिगड़ रहा है, जिससे आम अवाम व समाज में गलत संदेश जा रहा है। शराब के ठेकेदारों का यह कृत्य अपराध की श्रेणी का होते हुए भी उनके खिलाफ सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं करने से आमजन में पुलिस-प्रशासन के खिलाफ घृणा उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार के मामलों में पुलिस तथा आबकारी विभाग को स्वयं ध्यान देकर शराब की अनधिकृत स्थानों पर अवैध बिक्री रोकने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए, किन्तु इस बाबत विभागों का कृत्य अशोभनीय है।

महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के वर्ष में यह गलत कृत्य (जुर्म) धड़ल्ले से फल-फूल रहा है। आबकारी विभाग, पुलिस तथा अन्य जाँचकर्ता अधिकारियों द्वारा ऐसे कृत्यों एवं दुकानों की भली-भांति चैकिंग नहीं की जाकर चैकिंग के नाम पर केवल आफिस में बैठकर कागजों की खानापूर्ति की जा रही है।

अनुमत स्थानों पर संचालित दुकानों पर मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं होने तथा खुलने व बन्द होने के साधारण निर्देशों की पालना भी जांचकर्ता अधिकारी निजी स्वार्थवश नहीं करवा पा रहे हैं। गलत चैकिंग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं करने से पूरे विभाग की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगता है। अधिकारी स्वयं शराब के ठेकेदारों को अधिक शराब बेचने के लिए उनसे मिलकर कार्य करते हैं। यह अत्यन्त चिन्ताजनक है।

अतः अनुरोध है कि शराब के ऐसे अवैध कारोबार के खिलाफ अंकुश लगाकर आमजन को राहत पहुंचाने के लिए एवं इस बाबत दोषी कर्मचारियों के खिलाफ समुचित कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

रामनारायण मीना

(पीपल्दा)

गोडावन हैबिटेट क्षेत्र में खनन पट्टों की स्वीकृति

महोदय,

गोडावन को राजस्थान में राज्य पक्षी का दर्जा प्रदान किया गया है। जिस रफ्तार से गोडावन की संख्या घट रही है व गोडावन का हैबिटेट नष्ट हो रहा है, उससे तो प्रतीत होता है कि इस पक्षी को लुप्त होने से बचाना कठिन होगा। भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से गोडावन के कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम की प्रदेश में स्वीकृति प्रदान की है। जैसलमेर में कार्य आरम्भ हो गया है। गोडावन के अण्डों से चूजे निकाले गए हैं व लगभग एक दर्जन गोडावन पक्षी वन विभाग के पास है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की देखरेख में यह अच्छा कार्य हो रहा है। राज्य सरकार की बजट घोषणा-2019 अनुसार बारां जिले के सोरसन वन क्षेत्र में गोडावन का प्रजनन केन्द्र आरम्भ करना था। यहां यह कार्य तो अभी आरम्भ ही नहीं हुआ है मगर बारां जिले के कुछ प्रभावशाली अति भ्रष्ट लोगों ने भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर गोडावन संरक्षण क्षेत्र से लगी निजी कृषि भूमि पर खनिज कार्य करने के लिए 50 साल की अवधि के लिए खनिज विभाग से पट्टे प्राप्त कर लिए हैं। खनिज व वन विभाग को यह जानकारी थी कि आवेदित क्षेत्र में माइनिंग लीज जारी करने से गोडावन संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र पर विपरीत प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है। उसके बाद भी श्री हीरालाल रैगर व श्री कृष्णकांत के नाम 50 साल की खनन करने के 3 हैक्टेयर भूमि पर पट्टे जारी कर दिए हैं। बारां वह जिला है जहां भ्रष्टाचार जिला कलेक्टर के स्तर से आरम्भ होता है। वन अधिकारियों को भी ए.सी.बी. द्वारा बारां जिले में पकड़ा गया है। यह आवश्यक है कि सोरसन वन क्षेत्र में आबंटित

समस्त खनिज पट्टे निरस्त किए जाएं। उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए जिन्होंने यह जानते हुए कि गोडावन प्रजनन केन्द्र का विकास करना राज्य सरकार की बजट घोषणा का हिस्सा है तथा गोडावन राज्य पक्षी है व इसका संरक्षण अति आवश्यक है, उसके बाद भी खनिज व वन विभाग ने एन.ओ.सी. व पट्टे जारी कर खान कार्य आरम्भ करवा दिया है। सरकार को यदि गोडावन को बचाना है तो इस क्षेत्र में खनन कार्य को बंद करना ही होगा।

भरत सिंह कुन्दनपुर

(सांगोद)

बरूंधन में घोड़ा पछाड़ नदी पर पुलिया निर्माण

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी की पंचायत समिति तालेड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालय बरूधन में नदी पार बैरवा बस्ती में करीब 600-650 की आबादी है और सरकारी स्कूल भी नदी पार है। ग्राम बरूंधन एवं बैरवा बस्ती के मध्य घोड़ा पछाड़ नदी स्थित हैं। यहां पर पुलिया के अभाव में करीब 25 किलोमीटर का चक्कर काटकर जाना पड़ता है और इस दूरी से बचने के लिए स्कूली बच्चे व ग्रामवासी जोखिम उठाकर नदी में नाव को स्वयं चलाकर आते जाते हैं जिससे कभी भी भयंकर हादसा होने की सम्भावना है क्योंकि बारिश के मौसम में नदी में करीब 25 फीट पानी होता है। बैरवा बस्ती गांव व बरूंधन में नदी की तरफ से मात्र 200 मीटर की दूरी है परन्तु बाजार, विद्यालय, चिकित्सालय व गांव में आने के लिये पुलिया नहीं होने से 25 किलोमीटर की दूरी है। इससे रोजमर्रा के जरूरी कार्यों को करने मे काफी समस्याएं आती हैं। यह इस क्षेत्र की अत्यन्त ज्वलंत समस्या है तथा विगत कई सालों से इसकी मांग सभी सरकारों में की जाती रही है परन्तु हमेशा बजट की अनुपलब्धता का हवाला दिया जाता रहा है।

अतः आमजन, किसानों, स्कूली विद्यार्थियों की सुविधाओं को देखते हुए बरूंधन के वार्ड 9, 10 व 11 के मध्य घोड़ा पछाड़ नदी पर पुलिया का निर्माण कराने के लिये अतिशीघ्र बजट आबंटन करा पुलिया निर्माण कराया जाए।

अशोक डोगरा

(बूंदी)

अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत बिलों में अनावश्यक वृद्धि

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल में विद्युत कनेक्शन के बिल जो नियमित रूप से आते हैं उनकी राशि लगभग एक हजार रुपये होती है लेकिन कभी-कभी अचानक दस गुना बढ़ाकर बिल जारी कर देते हैं। ऐसे में उपभोक्ता कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। फिर अधिकारी अपनी मनमर्जी से किसी उपभोक्ता के बिल में राशि कम कर देते हैं और किसी के नही करते हैं। यह आम बात हो गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है? अगर उपभोक्ता का बिल सही है तो फिर बिल कम क्यों किया जाता है? अगर कम होने लायक है तो फिर पहले अनावश्यक क्यों बढ़ाया जाता है? मेरी जानकारी में यहाँ तक आया है कि मीटर रीडर, रीडिंग घर-घर नहीं जाकर कार्यालय में बैठे-बैठे ही लेते हैं जिससे उपभोक्ताओं के बिलों में राशि की बढ़ोतरी होकर आती है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपने विभाग में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उक्त समस्या को गम्भीरता से लेते हुए निर्देश जारी करें ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानियों का सामना नही करना पड़े।

मंजु देवी

(जायल)

पीलीबंगा, रावतसर, गोलुवाला नगरपालिकाओं की आवासीय कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

महोदय,

निवेदन है कि सरकार द्वारा नियमित मापदण्ड के अनुसार खातेदारी की भूमि में आवासीय प्लान सुविधा रखते हुए निर्धारित फीस सड़क, पानी की पाइप, लाइट के खम्भे, नाली, पार्क, धर्मशाला, स्कूल, पार्किंग व्यवस्था दर्शाकर आवासीय प्लान स्वीकृत किया जाता है। उसके बाद कालोनाइजर से प्लाट खरीदकर प्लाट मालिक से पहले नगरपालिका से निर्धारित राशि जमा कराकर नगरपालिका पट्टा बनाती है व 100 रुपये वर्ग गज के हिसाब से विकास शुल्क भी लेती है व कालोनी बनाने की NOC भी नगरपालिका निर्धारित फीस जमा करके प्रदान करती है। कालोनी का आंतरिक विकास भी

कालोनाइजर करता है परंतु दुर्भाग्य है कि जब मकान मालिक उस मकान में रहने लगता है तो मूलभूत सुविधा लाइट, पेयजल से वंचित रहता है। आज भी पीलीबंगा, रावतसर, गोलूवाला व हनुमानगढ़ जिले में सैकड़ों कालोनियां लाइट, पेयजल व सफाई से वंचित हैं। जबकि सरकार द्वारा घोषणा पत्र में कालोनियों की सुविधा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार है। कालोनियों में पानी के पाइप लाइन होने के बावजूद जलदाय विभाग उन कालोनियों को शुद्ध पेयजल की पाइप लाइन से नहीं जोड़ती है, जिसकी वजह से यहां रह रहे लोगों को मजबूरन फ्लोराइड वाला पानी पीना पड़ रहा है जिससे काफी लोग बीमार हो चुके हैं।

जब नगरपालिका अपने पास 90A की राशि जमा कर पट्टा व NOC देती है तो कालोनी व वहां के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, परंतु समस्त पालिकाएं उन कालोनियों की मूलभूत समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों को जीवनयापन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि जो कालोनियां 90A के अनुसार आबाद है, उन कालोनियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का सरकार के माध्यम से प्रबंध किया जाए।

धर्मेन्द्र कुमार

(पीलीबंगा)

बानसूर स्थित औद्योगिक कम्पनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बानसूर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा एवं विस्तृत है। यहां पर भिवाड़ी व नीमराणा रीको व जापानी जोन का क्षेत्र है। क्षेत्र में अनेक देशी य विदेशी नई कम्पनियां आ रही है एवं फलफूल रही हैं। बानसूर के युवा रोजगार के लिए अन्यत्र राज्यों व क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं।

बानसूर में हाल ही में सर्वे हुआ था जिसमें रीको होण्डा या अन्य कोई भी प्रदूषण मुक्त फैक्ट्री या कम्पनियां बानसूर में लगाकर शुरुआत कर सकती हैं। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि बानसूर क्षेत्र में अधिक से अधिक उद्योग व कंपनियों को प्रोत्साहन देकर यहां के युवाओं को रोजगार उपलब्ध

करवायें ताकि स्थानीय क्षेत्र के युवाओं को रोजगार हेतु अन्यत्र पलायन न करना पड़े।

जब जापानी जोन में नीमराणा, भिवाड़ी, खुशखेड़ा आदि एवं अन्य कम्पनियों में आई.टी.आई., पोलीटेक्निकल, अनेकों प्रशिक्षणयुक्त एवं डिप्लोमा होल्डर युवा जाते हैं, तो वहां पर यह कह दिया जाता है कि स्थानीय लोगों को नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिये। जब भी कोई औद्योगिक कम्पनी स्थापित हो तो उसमें कम से कम 80 प्रतिशत वहां के स्थानीय युवाओं को लगाया जाये।

बानसूर में परिस्थितियां पूर्ण रूप से उद्योगों के लिए अनुकूल है, क्योंकि यहां पर हजारों बीघा जमीन है, युवा शक्ति है, पर्यावरण भी उद्योगों के लिए अनुकूल है, जो कि ये प्रदर्शित करते हैं कि यहां पर देशी व विदेशी उद्योगों को बढ़ावा मिल सके एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

धन्यवाद।

शकुन्तला रावत

(बानसूर)

अलवर शहर की प्रस्तावित आवासीय योजनाओं हेतु भूमि की अवाप्ति

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में नगर विकास न्यास की प्रस्तावित योजना दीनदयाल उपाध्याय फेज द्वितीय एवं जसवंत नगर की भूमि का निमयन कराकर पट्टे देने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा दीनदयाल उपाध्याय फेज द्वितीय नाम से एक आवासीय कालोनी बसाने हेतु भूमि अवाप्त की गई थी लेकिन उक्त प्रस्तावित योजना स्थल पर आवासीय कॉलोनी बस जाने के चलते एवं भूमि खाली नहीं होने के कारण दीनदयाल उपाध्याय योजना की कार्यवाही को नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा रद्द कर दिया गया। उक्त प्रस्तावित योजना की भूमि पर एवं इसके समीप ही स्थित भूमि पर जसवन्त नगर के नाम से कालोनी बस चुकी है। नगर विकास न्यास द्वारा उक्त अवाप्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त नहीं

करने के कारण उक्त भूमि एवं जसवन्त नगर कालोनी का नियमन कर पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं जिससे उक्त भूमि पर बसे कालोनीवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम दायित्व है।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री जी से मांग कर निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित में मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर की प्रस्तावित दीनदयाल उपाध्याय योजना की भूमि व जसवन्त नगर की भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर पट्टे देने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

संजय शर्मा

(अलवर शहर)

बांदीकुई के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन

महोदय,

आपने मुझे नियम 295 को अंतर्गत बोलने का मौका दिया. इसके लिए धन्यवाद। महोदय, मैं आपका ध्यान निम्न बिंदुओं के माध्यम से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बांदीकुई को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की ओर आकर्षित कर बताना चाहूंगा कि :–

1. बांदीकुई कस्बा दौसा जिले में दौसा के बाद सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। कस्बे की आबादी लगभग 75000 है तथा नगरपालिका भी संचालित है।
2. बांदीकुई दौसा जिले के मध्य में स्थित है। यहां पर जिले के सभी क्षेत्रों से आवागमन की सुविधा है।
3. मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उपखण्ड मुख्यालय बांदीकुई लगता है। अधिकांश उपखण्ड स्तरीय कार्यालय बांदीकुई कस्बे में ही स्थित है।
4. बांदीकुई में यातायात सुविधाओं की पर्याप्तता है। रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग के माध्यम से बांदीकुई कस्बा दौसा, जयपुर, अलवर, दिल्ली एवं आगरा से जुड़ा हुआ है।
5. देशभर में प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन हेतु देशभर से लाखों श्रद्धालु रेल मार्ग से बांदीकुई आते हैं तथा बांदीकुई के पास

स्थित विश्वविख्यात चांदबावड़ी आभानेरी हेतु देश-विदेश से पर्यटक निरंतर आते रहते हैं। ऐसे में चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से बांदीकुई में वर्तमान में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अपर्याप्त रहता है।

6. बांदीकुई में वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नवीन भवन भी निर्माणाधीन है। यदि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर दिया जाये तो उक्त निर्माणाधीन भवन को जिला चिकित्सालय के हिसाब से तैयार करवाया जा सकता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा मुख्य मंत्री महोदय एवं चिकित्सा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त बिंदुओं को मध्यनजर रखते हुए मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बांदीकुई कस्बे में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की कृपा करें ताकि क्षेत्र सहित दौसा जिले एवं आसपास के जिले की जनता लाभान्वित हो सके।

धन्यवाद।

गजराज खटाणा

(बांदीकुई)

राजस्थान से अन्य राज्यों में जाने वाले पशुपालकों की सुरक्षा व्यवस्था

महोदय,

राजस्थान के पाली, जालौर और सिरोही जिलों में पशुपालकों की संख्या ज्यादा है। यह पशुपालक भेड़-बकरियां, ऊंट, गाय आदि पालकर उससे होने वाली आय से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वर्तमान में इस भौतिक युग में धीरे-धीरे सभी वर्गों के लोग जो इस धंधे से जुड़े थे, पशुपालन को छोड़ रहे हैं। पाली, जालौर, सिरोही में बरसात कम होने से कई बार अकाल की स्थिति होती है और चारे पानी की कमी रहती है। ऐसी स्थिति में मारवाड़ के देवासी रायका समाज के पशुपालक अपने भेड़ बकरी और ऊंटों को लेकर मध्य प्रदेश के मालवा प्रान्त में चराने हेतु जाते हैं। यह पशुपालक अपने पशुधन व परिवार सहित मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, नीमच, मंदसौर, रतलाम व अन्य जिलों में जाकर खेतों या चरागाह क्षेत्रों में डेरा डालकर अपने पशुओं को चराते हैं। वहां पशुपालक अपने परिवार, बाल बच्चों और महिलाओं सहित अकेले जंगल में रहते हैं। इन जंगलों में चोरी, डकैती के लिए कई बार लुटेरों

द्वारा इनके ऊपर हमला भी होता है। यह हथियारबंद लुटेरे भेड़ बकरियों के साथ धन माल भी लूट ले जाते हैं और कई बार पशुपालकों पर जानलेवा हमला भी कर देते हैं। हिंसक जंगली जानवरों और हथियारबंद लुटेरों वाले जंगल में आत्मरक्षा के लिए पशुपालकों के पास सिर्फ लाठी होती है जिससे कई बार यह आत्मरक्षा में घायल होते हैं और कई बार मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे समय में पुलिस भी मौके पर समय पर नहीं पहुंच पाती है। ऐसी स्थिति में इन पशुपालकों को आत्मरक्षा हेतु हथियार की आवश्यकता रहती है। अगर इनके पास अनुमतिशुदा इथियार हो तो इन्हें स्वयं और परिवार की रक्षा करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में पशुपालन बहुत महंगा हो गया है। इस कारण कोई इसे करना नहीं चाहता है, ऐसे में पशुधन को बचाना बहुत जरूरी है अन्यथा इसका देश और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि राजस्थान से मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में पशुधन चराने को जाने वाले पशुपालकों को हल्की बन्दूक या हथियार के लाइसेंस जारी कराएं और इन राज्यों की सरकारों से बातचीत कर वहां इनकी और पशुधन की सुरक्षा करवाने की व्यवस्था कराएं।

अध्यक्ष महोदय, यह पशुपालक पहले कोटा जिले के मुकंदरा वन्य अभयारण्य से होकर मध्य प्रदेश जाते थे। अब इस वन्य अभयारण्य में से निकलने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है जिससे पशुपालकों को इसके किनारे गांवों के आबादी क्षेत्र से होकर जाना पड़ता है | ग्रामवासी आबादी क्षेत्र से निकलने नहीं देते हैं और कई बार टकराव की स्थिति हो जाती है। भेड़ बकरियों से अभयारण्य को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अतः पूर्व की भांति मुकंदरा वन्य अभयारण्य के रास्ते से निकलने की अनुमति दिलाएं।

जोराराम कुमावत

(सुमेरपुर)

फतेहपुर की बंद क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड

महोदय,

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की बन्द पड़ी क्रय-विक्रय सहकारी समिति को पुनर्जीवित करने की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में संचालित फतेहपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड को वर्ष 1997 में बन्द कर दिया गया था। पंचायत समिति फतेहपुर क्षेत्र में फतेहपुर एवं रामगढ़ सेठान दो नगरपालिका है, दोनों ही जगह तहसील कार्यालय एवं उपखण्ड कार्यालय स्थित हैं तथा 34 ग्राम पंचायतों का विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें 1000 से ज्यादा कृषि कनेक्शन हैं। यहां क्रय-विक्रय सहकारी समिति नहीं होने के कारण क्षेत्र के किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां आदि निजी विक्रेताओं से अधिक दर पर खरीदना पड़ता है तथा किसानों को अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिये भी भटकना पड़ता है।

महोदय, फतेहपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड का स्वयं का कार्यालय एवं गोदाम पंचायत समिति फतेहपुर के कार्यालय के सामने स्थित है, जिसमें समिति का काम चालू किया जा सकता है। इस समिति को चालू करने से सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। पंचायत समिति, फतेहपुर में कुल 21 ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए फतेहपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति को पुनर्जीवित करने पर सफलतापूर्वक संचालित होने की प्रबल सम्भावनाएं हैं। राज्य सरकार की मंशा भी प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक क्रय-विक्रय सहकारी समिति स्थापित करने की है।

अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि फतेहपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड को पुनः चालू कर क्षेत्र के किसानों को लाभान्वित करने की कृपा करें।

हाकम अली खां

(फतेहपुर)

आहोर के कवराड़ा एवं आईपुरा में पुलिया निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आहोर विधान सभा क्षेत्र में 2016 में अतिवृष्टि से पुलिया क्षतिग्रस्त हुए थे-:

1. कवराड़ा पुलिया:- कवराड़ा से वलदरा सड़क पर एक पुलिया बनी हुई थी, जो क्षतिग्रस्त हो गयी थी, जिसकी स्वीकृति दिनांक 23.07.2018 को हो चुकी है एवं इसका टेण्डर भी खुल चुका है और इसकी पूर्ण होने की तिथि 22.12.2018 थी। संवेदक द्वारा काम नहीं करने से नवीन स्वीकृति जिसकी स्वीकृति 02.12.2019 एवं पूर्ण होने की तिथि 09.05.2020 थी।

2. आईपुरा पुलिया:- आईपुरा, वेडिया, बावड़ी मार्ग पर टूटी हुई पुलिया की स्वीकृति 27.07.2018 को हुई थी और इसकी पूर्ण होने की तिथि 23.09.2018 थी। संवेदक द्वारा काम नहीं करने से नवीन स्वीकृति जिसकी स्वीकृति 02.12.2019 एवं पूर्ण होने की तिथि 10.2.2020 थी।

उक्त दोनों कार्य जो आज दिन तक पूरे नहीं हुए, इसलिए जन हितार्थ अति आवश्यक है। विभाग द्वारा इन दोनों कार्यों को तुरंत शुरू करवाकर आम जन को लाभ पहुंचाएं, जो मात्र दोनों मिलाकर 40 लाख का बजट है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त पुलियाओं का स्वीकृत निर्माण कार्य शुरू करवाकर आमजन को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

छगनसिंह

(आहोर)

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16- पुलिस (बजट मद-मद-2055-00-101-(02) भ्रष्टाचार निरोधक (ब्यूरो) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

1. कार्मिक विभाग द्वारा 01 दिसम्बर, 2014 से 2018 तक के मध्य भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को 50 प्रकरणों में सरकार द्वारा अभियोजन की स्वीकृति देने से मना किए गए मामलों पर पुनर्विचार कर अभियोजन की स्वीकृति दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
2. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकतर प्रकरणों में सजा न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
3. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में कम संख्या में अभियोग दर्ज करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, सिरोही द्वारा अन्य विभागों से बंधी वसूलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का स्वतंत्र कैडर बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़)

6. अधिकारियों/कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपाय करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर)

7. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रदेश में जीरो टोलरेंस नीति के तहत कार्यवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा)

8. बीकानेर जिले में भ्रष्टाचार से जुड़े लम्बित मामलों की जांच त्वरित गति से कराने पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा)

9. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के थाने (कार्यालय) तहसील मुख्यालयों पर खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दागी अफसरों की प्रतिनियुक्ति एवं नियुक्ति नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर)

11. प्रदेश में कार्मिकों के विरूद्ध आपसी रंजिश के कारण भ्रष्टाचार के दर्ज प्रकरणों की निष्पक्ष जांच कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

12. राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कार्यरत कार्मिकों को महीने में 02 या 03 अवकाश का प्रावधान पारी-पारी से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर)

13. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा)

14. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों के कार्यों पर निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. भ्रष्टाचार में आरोपित अधिकारी/कार्मिक के प्रकरणों को एक निश्चित समयावधि में निस्तारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)

17. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आधुनिक शस्त्र, वाहन उपलब्ध कराने तथा कार्य विभाजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. ACB द्वारा प्रदेश में भ्रष्टाचार के दर्ज मुकदमों में निर्धारित समय में कार्यवाही नहीं करने तथा सरकार द्वारा समय पर अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं)

19. राज्य के बढ़ते भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्यवाही कर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज)

20. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में राजकीय विभागों में बढ रहे भ्रष्टाचार के प्रकरणों पर द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में भ्रष्ट अधिकारियों का जिले से बाहर स्थानान्तरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना)

22. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को लम्बित रख जांच में अनावश्यक समय लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी)

23. सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों/लोक सेवकों के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार संबंधी अभियोगों में अभियोजन स्वीकृति समय पर नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. सरकारी अधिकारियों एवं कार्मिकों तथा लोक सेवकों के विरुद्ध न्यायालय में लम्बित चल रहे प्रकरणों के बावजूद भी महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

25. भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का विस्तार करने तथा अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

26. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा लोक सेवक, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले प्रमाणित हो जाने के बावजूद भी उन्हें सेवा से पृथक (Dismiss) नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर)

27. राज्य में प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. एसीबी को दी जाने वाली सूचना की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण)

29. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण होने के बावजूद भी अभियोजन की स्वीकृतियां नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त प्रकरणों में समय पर चालान पेश करने एवं सजा दिलाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

32. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर में दर्ज प्रकरणों/एफ.आई.आर. की जांच अतिशीघ्र पूरी कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण)

33. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में अवैध बजरी खनन में लिप्त हुए भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों/सिपाहियों पर ब्यूरो द्वारा स्वप्रेरणा से प्रभावी कार्यवाही किये जाने संबंधी चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर)

34. भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर आमजन की पहुंच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तक सुगम, सरल व भय रहित बनाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

35. प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

36. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध लंबित अभियोजन स्वीकृति शीघ्र जारी किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा स्वप्रेरणा से नियमित कार्यवाही की जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

38. भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े जाने वाले राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने व भविष्य में कभी भी उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पुखराज (भोपालगढ़)

39. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा चूरू में मुकदमा नं. 86/2016 दिनांक 29.04.2016 में गलत तरीके से मुल्जिम बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

40. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को और अधिक सुदृढ़ एवं साधन सम्पन्न बनाए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता)

41. प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा दर्ज मुकदमों के लम्बे समय तक निस्तारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद)

42. भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की अभियोजन स्वीकृति शीघ्र जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. भ्रष्ट अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नहीं लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. ACB द्वारा ट्रैप करने पर सम्बन्धित कार्मिक को नौकरी से तत्काल बर्खास्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर)

45. पुलिस में बढ़ते भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा स्वप्रेरणा से अंकुश लगाने एवं भ्रष्टाचार में पकड़े गए अधिकारियों पर शीघ्र अभियोजन की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर)

46. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय में चुस्त-दुरूस्त, ईमानदार अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की शाखा खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो शाखा खोल कर पद स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कार्यरत भ्रष्ट अधिकारियों की समय-समय पर जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में स्थित विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन)

51. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अधिक प्रभावी बनाने के लिये समय-समय पर निगरानी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विभाग को और अधिक प्रभावी बनाने, भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. राजस्थान के पुलिस थानों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दो-दो कर्मचारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा)

54. कोटा संभाग में अवैध बजरी परिवहन के मामलों में खनन, राजस्व, पुलिस एवं वन विभाग के कार्मिकों के खुले गठजोड़ एवं मासिक बंधी की शिकायतों पर भी कार्यवाही में ए.सी.बी., कोटा की नाकामी पर चर्चा के लिये।

55. विगत 5 वर्षों में कोटा जिले में ग्राम पंचायतों के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग की शिकायतों पर विभागीय कार्यवाही में हो रही देरी पर चर्चा के लिये।

56. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा के सरकारी कार्मिकों के विरुद्ध पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं आय से अधिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में विगत 2 वर्षों में प्राप्त शिकायतों पर देरी से कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यवाही के पश्चात् भी प्रकरणों में भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों को बचाने के उद्देश्य से न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने की स्वीकृति नहीं देकर उच्च स्तर से दोषियों को बचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 03

मांग संख्या 17-कारागार पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 17 - कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

1. कारागार में स्टाफ की कमी एवं प्रशिक्षित न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
2. कारागार में रहने को उचित व्यवस्था नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।
3. सिरोही कारागार को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिये।
4. कारागारों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं वसूली के संबंध में चर्चा के लिये।
5. प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के आने पर अन्यत्र भेजने की समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर)

6. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित जिला कारागार में व्याप्त अव्यवस्थाओं को सुधारने के संबंध में चर्चा के लिये।
7. जिला कारागार बाड़मेर की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।
8. जिला कारागार बाड़मेर में कैदियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर नवीन बैरकों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा)

9. जेल प्रहरी की वेतन विसंगति दूर कर ग्रेड पे 2400 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
10. नोखा कारागार में पर्याप्त स्टाफ का पदस्थापन करने के संबंध में चर्चा के लिये।
11. कारागार विभाग में वाहन चालक पद पर लगे प्रहरी को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. नोखा कारागार में मुलाकात कक्ष को बड़ा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. जेल प्रहरी को हार्ड ड्यूटी भत्ता सिपाही के समकक्ष दो हजार रुपये करने एवं रेडियेशन भत्ता उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा)

14. जेल मैन्युअल के अनुसार जेलों में खाना, रहना व अनुशासन लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

15. भादरा की पुरानी जेल को बदलकर नई जेल बनाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर)

16. प्रदेश के कारागारों में निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

17. प्रदेश के कारागारों में प्रशिक्षण शिविर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. प्रदेश के कारागारों में टैक्नीकल कैम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़)

19. प्रदेश की जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज)

20. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद की जेलों में कैदियों की मैस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

21. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद की जेलों का सुधार करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना)

22. विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना के छावनी क्षेत्र में स्थित पुराने कारागार के स्थान पर नवीन भवन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू)

23. कारागारों में महीने में एक दिन धार्मिक कार्यक्रम करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण)

24. कारागार में बन्द विचाराधीन प्रकरणों के अभियुक्तों को समय पर पेशी हेतु ले जाने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण जेलों में यातना भुगतने के संबंध में चर्चा के लिये।

25. प्रदेश की जेल सेवा को प्रभावी बनाने हेतु समयबद्ध पदोन्नति प्रक्रिया को सुचारु रूप से कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. जेल प्रहरी एवं पुलिस कांस्टेबल के वेतनमान समान करने के निर्णय के उपरान्त भी लागू नहीं करने से व्याप्त असंतोष के संबंध में चर्चा के लिये।

27. अजमेर के केन्द्रीय कारागार (हाई सिक्योरिटी जेल) में जैमर लगाये जाने के उपरान्त भी कैदियों द्वारा मोबाइल फोन इस्तेमाल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. अजमेर केन्द्रीय कारागार में कैदियों से अवैध वसूली एवं व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी)

29. प्रदेश के विभिन्न कारागारों में सजायाफ्ता तथा विचाराधीन बन्दियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

30. प्रदेश में शहरों के मध्य स्थित जेलों को बाहर शिफ्ट करने के संबंध में चर्चा के लिये।

31. प्रदेश में कारागारों की सुरक्षा के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री पुखराज (भोपालगढ़)

32. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ में कारागार की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर)

33. जालौर जिला मुख्यालय पर नया एवं बड़ा कारागार भवन बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता)

34. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के कारागार में सफाई व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग)

35. भवानी मण्डी के कारागार को बीच शहर से अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

36. विधान सभा क्षेत्र डग के चौमहला में कारागार बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर)

37. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उप कारागार को भीड़-भाड़ वाले इलाके से शहर से बाहर भूमि आबंटन करा कर शिफ्ट करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

38. उप कारागार सलूम्बर में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने से आ रही समस्याओं एवं जेल भवन के विस्तार करने के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

39. उप कारागार सलूम्बर में कैदियों के अनुसार जेल प्रहरियों के पदों की स्वीकृति जारी एवं रिक्त पदों पर पदस्थापन कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

40. प्रदेश की जेलों में मोबाइल, नशीले पदार्थो, बीड़ी-सिगरेट पाये जाने तथा जेल के बाहर आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. उप कारागार सलूम्बर में पेयजल, बिजली, पानी, खाट-बिस्तर शौचालय आदि सुविधाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन)

42. उप कारागार कपासन में पेयजल की उपलब्धता के लिए नया ट्यूबवैल खुदवाने व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

43. प्रदेश की जेलों में मोबाइल, नशीले पदार्थों का मिलना, कैदियों द्वारा जेल में रहकर जेल में तथा जेल के बाहर आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. उप कारागार कपासन में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने से आ

रही समस्याओं एवं जेल भवन के विस्तार करने के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

45. कैदियों की क्षमतानुसार जेल भवनों का विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

46. उप कारागार कपासन में कैदियों के अनुसार जेल प्रहरियों के पदों की स्वीकृति एवं रिक्त पदों पर पदस्थापन कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी)

47. थानागाजी मुख्यालय पर उप कारागार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी)

48. अनुसूचित क्षेत्र में होने वाली पदोन्नति में सरकार की अधिसूचना 1970 से पहले का निवासी हो, उसे ही पदोन्नति में सम्मिलित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

49. उप कारागार सागवाड़ा में पदस्थापित अधिकारी द्वारा वहां के कार्मिक व कैदियों को मानसिक प्रताड़ना देने व पैसे वसूली करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. कारागार विभाग में नियम विरुद्ध नोन टीएसपी क्षेत्र के कार्मिकों को टीएसपी क्षेत्र से पदोन्नति प्राप्त ऐसे कार्मिकों की जांच कर अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) से बाहर किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल)

51. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के मुख्यालय पर उप कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. 02 महीने में दो बार कैदियों को बाहर घुमाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. जिला कारागार बांसवाड़ा में सभी कैदियों को कपड़े, तेल, साबुन एवं शुद्ध भोजन समय पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. कारागार से कैदियों को आने-जाने के समय सुरक्षा हेतु अलग से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

55. जिला कारागार में पूर्ण सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

56. चूरू केन्द्रीय जेल में बन्दियों को आपणी योजना का शुद्ध जल नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. चूरू केन्द्रीय कारागाह में टूटी बैरकों व बन्दी बैरकों की मरम्मत व पंखे लगवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

58. प्रदेश के जिला केन्द्रीय कार्यालयों में खराब पड़े जैमर ठीक करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

59. राजस्थान कैदी (सजाओं को कम करना) नियम, 2006 के अन्तर्गत चूरू जिले में वर्ष 2020-21 में बैठक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. प्रदेश के कारापाल, उपाधीक्षक, उप कारापाल, मुख्य प्रहरी, प्रहरी के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा)

61. छबड़ा सब जेल में शौचालय एवं नयी बैरक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना)

63. बालोतरा कारागार में क्षमता से अधिक कैदी रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. जिला कारागार बाड़मेर मुख्यालय की भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाकर किये गये कब्जे को मुक्त करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

65. आजीवन कारावास सजायाफ्ता कैदियों को प्रदेश की खुली कारागार में रखने एवं जिला बाड़मेर में भी खुली कारागार बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. प्रदेश की सभी कारागारों में परिजनों के लिए विश्राम गृह, पेयजल उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. बालोतरा उप कारागार जो शहर के बीचो-बीच स्थान के अभाव के कारण बना हुआ है तथा उक्त विस्तार वर्तमान परिसर में असम्भव है, के लिए अन्यत्र जमीन उपलब्ध कराने एवं सिवाना में उप कारागार बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा)

68. प्रदेश की जेलों में जेल प्रहरियों के रिक्त पदों को भरने हेतु जेल प्रहरी की नई भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. जेल प्रहरियों के वेतन-भत्ते बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. रानीवाड़ा उप खण्ड मुख्यालय पर उप कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा)

71. कोटा केन्द्रीय कारागार में पूर्णकालीन चिकित्सक, मेल नर्स नियुक्त रहने तथा विशेष मेडिकल कैम्प आयोजन के बावजूद विगत 02 वर्षों में कैदियों की मौतों के कारणों की जांच हेतु कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. कारागार में बंदियों को हुनरमंद बनाकर रोजगार दिलवाने तथा प्राप्त पारिश्रमिक राशि का तीन-चौथाई हिस्सा आश्रित परिजनों को दिलाये जाने की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. बंदियों के रहन-सहन एवं मिल रही सुविधाओं की जांच-परख एवं शिकायतों की पड़ताल हेतु विधायकों को औचक निरीक्षण का अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.01.2016 से 51 करोड़ रुपये से कोटा में नवीन जेल भवन निर्माण स्वीकृति के बावजूद 05 वर्षों तक निर्माण में विफलता के संबंध में चर्चा के लिये।

75. दूरस्थ उप खण्ड मुख्यालय इटावा (कोटा) में उप कारागार खोलने में रही विभागीय उदासीनता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

76. सेन्ट्रल जेल को लकड़वास बगदडा के पास आवंटित जमीन पर शिफ्ट करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी)

77. बाड़ी में उप कारागार खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

78. जैतारण मुख्यालय पर स्थित कारागार में मीठे पानी की 20 लाख रुपये की लागत के प्रस्ताव की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।